(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] सप्तम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का 26वां दिवस [संख्या 14

मंगलवार,

दिनांक 17 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

जोधपुर क्षेत्र की कृषि उपज मंडी समितियों में आरक्षित पदों की पूर्ति

290. **श्री नरपत राम बरवड़ (सूरसागर)** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कृषि उपज मंडी समितियों में नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण के अनुसार पूर्ति की जाती है?

(2) यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो जोधपुर खण्ड में वर्तमान में कितने पद

हैं एवं कितने पद आरक्षण के अनुसार भरे गये हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जोधपुर खण्ड में कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक तथा वरिष्ठ लिपिक से पर्यवेक्षक के पद पर कितनी पदोन्नतियां आरक्षण (रोस्टर) के अनुसार गत तीन वर्षों में गई की हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) कितने आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं? यदि रिक्त हैं, तो क्यों तथा पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मन्त्री (श्रीमती कमला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न के स्थगन के लिए निवेदन किया है, क्योंकि जोधपुर खण्ड में वरिष्ठ लिपिक, पर्यवेक्षकों की पदोन्नतियां रोस्टर के अनुसार कितनी हुई, बड़ा लम्बा चौड़ा विवरण मांगा है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, यह अनुसूचित जाति का प्रश्न है। लम्बा चौड़ा विवरण मांगा गया है फिर भी इसको स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री भगवान दास शास्त्री।

वनों से जलाने की लकड़ी लाने पर प्रतिबन्ध

291. **श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)** : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1980 में जंगलात से जलाने की लकड़ी ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ? यदि हाँ, तो यह प्रतिबन्ध कब तक रहेगा ?

(2) क्या यह सही है कि ईंधन की कमी व जलाऊ लकड़ी न मिलने के कारण लकड़ी का व्यापार एवं साधारण नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हाँ, तो भविष्य में सरकार क्या नीति तय करेगी ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अजमेर जिले में ईंधन के लिए जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने हेतु विशेष ध्यान नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो कृपया प्रतिबन्ध लगाने के कारणों का विवरण सदन के पटल पर रखें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वन मन्त्री जी अभी तक नहीं पधारे हैं।

चिकित्सा मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित करवा दिया जाय, माननीय मन्त्री महोदय आये नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, 11 बजे मन्त्री महोदय यहां नहीं पहुंचे, ये कोई....

श्री हीरालाल देवपुरा : मुझे खेद है, यहां नहीं आ पाये हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनको क्षमा मांगनी चाहिए थी।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं खुद ही खेद प्रकट कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसके लिए ?

श्री अध्यक्ष : समय पर आना चाहिए, यह सारे सदन का प्रश्न है। प्रश्नोत्तर काल में पहले ही आ जाना चाहिए।

श्री भगवान दास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह सारे सदन का प्रश्न है, हम बड़ी मेहनत से यहां आते हैं।

प्रश्न संख्या 292

श्री अध्यक्ष : श्री मालू राम।

(अनुपस्थित कृपया : आगे देखें)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनको यह भी कहा जाय कि सीधे नहीं आयें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अगर कोई बोल रहा हो तो बीच में से नहीं आयें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर सीधे आना है तो उधर से आयें।

श्री अध्यक्ष : इस पर, माननीय सदस्य, विवाद नहीं।

वन मंत्री (श्री दुला राम) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माफी चाहता हूं। मैं सही पौने ग्यारह बजे घर से चला था लेकिन लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आइन्दा आप साढ़े दस पर ही रवाना हो जाया करें।

वन मन्त्री (श्री दुलाराम) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। विभागीय तौर पर कूपों से कटाई गई जो जलाऊ लकड़ी आती है, उसे विभागीय एवं राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ के बिक्री केन्द्रों तथा जिलाधीशों द्वारा अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराया जाता है। विभागीय बिक्री केन्द्रों पर जलाऊ लकड़ी के साथ साथ कोयला भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों से लाई गई जलाऊ लकड़ी की बिक्री निजी विक्रेताओं द्वारा भी नागरिकों को की जाती है।

जलाऊ लकड़ी के व्यापार में कोई रोक-टोक नहीं है। कानूनी एवं प्रशासनिक नियंत्रण केवल हरे वृक्षों के काटने पर है, जो कि अति आवश्यक है, विशेष रूप से इस प्रान्त के लिए।

(3) जी नहीं। अजमेर जिले के विभागीय कूपों की जलाऊ लकड़ी अजमेर जिले में उपलब्ध कराने के अतिरिक्त अन्य जिलों से भी उत्पादित जलाऊ लकड़ी का काफी भाग अजमेर जिले में व्यापारियों को विक्रय किया जाता रहा है।

श्री भगवान दास शास्त्री : क्या यह सही है कि अजमेर जिले में श्रीनगर रिजर्व कूप एरिया है, उसके भी विभागीय अधिकारियों से मिल कर हरे पेड़ कटाये जा रहे हैं ?

श्री दुला राम : मेरे से तो सूखी लकड़ी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। अगर काटे जारहे हैं तो····

श्री भगवान दास शास्त्री : क्या यह सही है कि वन मण्डल अधिकारी के कहने पर ही ये जो अधिकारी हैं, जलाऊ लकड़ी काट कर अजमेर को सप्लाई करते हैं। अगर ये सूखी लकड़ी ही काटें तो अजमेर की डिमाण्ड 5 लाख टन की है तो 5 लाख टन सप्लाई कैसे कर देंगे ? 5 लाख टन से कम सप्लाई नहीं है।

श्री दुला राम : यहां लकड़ी लेने वाला कोई पधार नहीं रहा।

श्री भगवान दास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि 1-4-79 को जो एप्लीकेशन की एक कापी थी जो वहां के जिलाधीश को पेश की, तब से हर सप्ताह जिलाधीश से मिलते रहे, वे सेवा निवृत्त भी हो चुके, 11-4-79 से लेकर मांग की है कि जनता परेशान होती है और ईंधन की कमी को देखते हुए यह पूरी सप्लाई करें।

श्री दुला राम : हम किसी ठेकेदार को लकड़ी दें, कोयला दें, इसके लिए बाध्य नहीं हैं। सरकार उचित व्यवस्था करेगी, लकड़ियों की और कोयले की व्यवस्था करवा रही है। कोयला हमारा सरप्लस पड़ा है, कोई लेने वाला आता नहीं। आज मेरे पास अजमेर के ठेकेदार आये थे कि हमें लकड़ी और कोयला ठेके पर दे दीजिए। मैंने कहा कि सरकार ठेके पर नहीं देगी। सरकार अपनी व्यवस्था के अनुसार जो भी कोयला और लकड़ी लेने आयेगा, उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

श्री भगवान दास शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान, आकर्षित करूंगा, आपने कहा कि मेरे पास ठेकेदार आये हैं। हम ठेकेदारों की दलाली करने वाले नहीं हैं। ये आप लोग करें और····

(व्यवधान)

जो व्यापारी व्यापार करते हैं कम से कम जो आपकी सप्लाई होती है····

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

श्री भगवान दास शास्त्री : कोयला और लकड़ी, वहां लकड़ी और कोयले की डिमाण्ड है लेकिन आपका कोई ध्यान नहीं है, उस तरफ। आपका धन्धा····

श्री अध्यक्ष : अंकित न हों।

श्री भगवानदास शास्त्री ××

××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री देवव्रत तिवाड़ी (बाड़मेर) : इसी से सम्बन्धित एक सवाल पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा सवाल। क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि श्रीनगर खण्ड में जो पेड़ लगे हुए हैं, उनकी क्या कोई गिनती की हुई है?

श्री अध्यक्ष : यह इस से सम्बन्धित नहीं है। अगला प्रश्न। श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत व श्री जीत मल जैन।

वृद्धावस्था पेन्शन

293. **श्रीमती लक्ष्मी चूंडावत** (भीम) **व श्री जीत मल जैन** (अलवर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वृद्धावस्था पेन्शन की योजना कब लागू की गई और इस योजना में कब-कब क्या-क्या परिवर्तन किस आधार पर किये गये? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रारम्भ में प्रति व्यक्ति एवं प्रति पति-पत्नी के जोड़े के लिये कितनी पेन्शन अलग-अलग निर्धारित की गई थी और इस समय कितनी है?

(3) जिस समय योजना लागू की गई उस वर्ष में और वर्तमान में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मांगों के सूचकांक अलग-अलग क्या हैं?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त पेन्शन को उपभोक्ता भावों के अनुपात में बढ़ाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरि सहाय मीणा) : (1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। वित्तीय साधनों की कमी के कारण वृद्धि करना संभव नहीं है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : कोई प्रश्न तो रहा ही नहीं। केवल बढ़ाने की गुंजाइश ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री हजारी लाल शर्मा।

ग्राम काजड़ा (झुंझुनूं) में एड-पोस्ट की स्थापना

294. **श्री हजारी लाल शर्मा** (पिलानी) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम काजड़ा जिला झुन्झुनूं हेतु एक एड-पोस्ट स्वीकृत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसके लिए एक नर्स, एक चपरासी व एक स्वीपर के पद की स्वीकृति है ? यदि हां, तो कब से एवं कौन-कौन इन पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

(3) इस एड-पोस्ट पर गत तीन वर्षों से कितने-कितने मरीज किस-किस बीमारी में पंजीकृत किये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) यह एड-पोस्ट ग्राम के किस भवन में चल रहा है तथा इसका कितना किराया प्रति माह दिया जाता है ?

(5) क्या यह सही है कि वास्तव में ग्राम काजड़ा में कोई एड-पोस्ट है ही नहीं व यह सब कागजी कार्यवाही है ? यदि हां, तो सरकार अब इसकी स्वीकृत एड-पोस्ट कब तक प्रारम्भ कर देगी ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा):

(1) जी नहीं, ग्राम काजड़ा पंचायत समिति सूरतगढ़ जिला झुन्झुनूं में कोई एड-पोस्ट स्वीकृत नहीं है, किन्तु ग्राम काजला पंचायत समिति खेतड़ी जिला झुन्झुनूं में एक एड-पोस्ट स्वीकृत है।

(2) जी नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

(4) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

(5) ग्राम काजड़ा में कोई एड पोस्ट नहीं है। ग्राम काजला में है।

श्री हजारी लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम काजड़ा में एक एड-पोस्ट मैंने खुलवायी और सी. एम. ओ. मिले, तो उन्होंने कहा कि काजड़ा में है और मन्त्री महोदय कहते हैं कि काजड़ा में नहीं है। यह क्या भ्रामक बात है, मेरी समझ में नहीं आयी।

Page No. 6

(6)

श्री अध्यक्ष : किधर से है भ्रामक ?

श्री हजारी लाल शर्मा : भ्रामक मन्त्री महोदय की तरफ से है ।

श्री अध्यक्ष : यहां पर जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, माननीय सदस्य अपनी जानकारी पर पूछते हैं, आपको पता है ।

श्री हजारी लाल शर्मा : नहीं है। सी. एम. ओ. तो कहते हैं कि काजड़ा में है, ये कहते हैं कि नहीं है ।

श्री हीरा लाल देवपुरा : प्रश्नों के जवाब विभाग से ही कलेक्ट किये जाते हैं। क्या कहा यह तो पता नहीं परन्तु वह काजड़ा में नहीं, काजला में है ।

श्री हजारी लाल शर्मा : काजड़ा मेरी कान्सटीट्यूएन्सी में ही है, काजला तो मेरी कान्सटीटूएन्सी में नहीं है । मैं क्यों खुलवाता वहां पर ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अगला प्रश्न ।

पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादन संघ, जोधपुर में एकत्रित दूध का उपयोग

295. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या डेयरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादन संघ, जोधपुर में अलग-अलग दुग्ध समितियों से प्रतिदिन कितना दूध इकट्ठा होता है व इसका उपयोग, वितरण किस-किस रूप में होता है ?

(2) प्रतिदिन इकट्ठा होने वाले दूध का उपयोग जोधपुर में ही करने व बचे हुए दूध का पाउडर बनाने तथा अन्य चीजें बनाने आदि के बारे में विभाग ने क्या कार्यक्रम बनाया है ?

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर से दिल्ली दूध भेजने से डेयरी संघ को भारी हानि उठानी पड़ती है व दूध का उपयोग पाउडर बनाने, मक्खन बनाने व बेचने से ज्यादा लाभ हो सकता है ? यदि हां, तो इसके लिए संघ व फेडरेशन ने क्या नीति बनाई है ?

(4) राज्य में पशुपालन विभाग कितनी डेयरी चला रहा है और प्रति वर्ष कितना घाटा विभाग को हो रहा है ? घाटा होने के क्या कारण हैं ?

डेयरी विकास मन्त्री (श्रीमती कमला) :

(1) पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. जोधपुर के अन्तर्गत अलग-अलग दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से माह फरवरी, 1981 में औसत प्रतिदिन 39,442 लीटर दूध संलग्न सूचीनुसार संकलित हुआ । इसके अतिरिक्त पाली जिले में प्रतिदिन 6800 लीटर दूध संकलित किया गया जिसे भी जोधपुर डेयरी में लाया गया । संकलित दूध में से लगभग 16,500 लीटर दूध की स्थानीय बिक्री के बाद शेष दूध दिल्ली भेज दिया गया ।

(2) जोधपुर डेयरी में अभी दूध को पास्चराइज करने के अलावा स्किम्ड-

(श्रीमती कमला)

मिल्क पाउडर, व्हाइट बटर, घी व कैसीन बनाने की व्यवस्था है। राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन ने जोधपुर डेयरी में शहर में वितरण के पश्चात् बचे दूध से अधिक लाभ देने वाले पदार्थ बनाने का कार्यक्रम तैयार किया है। इसके अन्तर्गत डेयरी में होल मिल्क पाउडर व बेबी फूड बनाने की व्यवस्था की जा रही है।

(3) जी नहीं। दिल्ली दूध भेजने से डेयरी को हानि नहीं होती परन्तु यह सच है कि अगर बेबी फूड व होल मिल्क पाउडर बनाने की व्यवस्था हो जाए तो उस स्थिति में डेयरी को अधिक लाभ हो सकता है। अतः जोधपुर डेयरी में बेबी फूड व होल मिल्क पाउडर बनाने की व्यवस्था की जा रही है।

(4) पशुपालन विभाग द्वारा कोई डेयरी नहीं चलाई जा रही है। राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन के अन्तर्गत 1 जुलाई, 79 से जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर व अलवर में पांच डेयरी संयंत्र चलाए जा रहे हैं। उक्त डेयरी प्लान्ट के प्रस्तावित लेखों के अनुसार वर्ष 79-80 में 22.81 लाख रु. की शुद्ध हानि हुई है। इसमें मशीनरी की घिसावट व ब्याज की अनुमानित 42.30 लाख रुपये की राशि भी सम्मिलित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री रामसिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि जैसलमेर से जोधपुर और जोधपुर से दिल्ली और वापस दिल्ली से जोधपुर और जोधपुर से जैसलमेर आने जाने के अन्दर जो अपनी गाड़ियों का खर्चा होता है वह अगर किसानों को दूध के भाव बढ़ा कर दिया जावे तो उससे राजस्थान के इलाके के किसानों को ज्यादा फायदा होगा ?

दूसरा, मेरा यह पूछना है कि क्या यह सही है, जैसा अभी आपने बताया कि पाउडर, मक्खन, घी वगैरह बनाया जाता है। आप हमें बतायें कि साढ़े सोलह हजार लीटर दैनिक बिक्री करने के बाद हमेशा कितना पाउडर बनता है, कितना मक्खन बनता है, कितना घी बनता है और उसके बाद भी कितना बचता है ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में पिछले असेम्बली सेशन में भी प्रश्न आया था, उसके बाद भी माननीय सदस्यों से बीकानेर की डेयरी के बाबत, जोधपुर की डेयरी के बाबत बराबर यह बातें आती रहीं कि जो दूध आप दिल्ली भेज रहे हैं उससे हमें जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं होता है। सारे मामले को एग्जामिन करके उसके बाद यह तय किया गया कि हम ज्यादा से ज्यादा दूध की अपने यहां पर खपत कर सकें या उसके माध्यम से दूसरे बाई-प्रोडक्ट्स तैयार कर सकें तो इस तरह के राजस्थान में बनाने चाहिए। क्योंकि दिल्ली डेयरी और मदर डेयरी दोनों के भावों को न तो दिल्ली के लोग एक्सेप्ट करते हैं और न हम उनको ज्यादा दबा सकते हैं। पिछले दिनों बड़ी मुश्किल से, बातचीत करने के बाद,

(श्रीमती कमला)
उन्होंने मुश्किल से 15 पैसे का भाव बढ़ाया है गाय के दूध का, बहुत मुश्किल के उपरान्त में। इसलिए राजस्थान के दुग्ध उत्पादकों को राजस्थान की डेयरी स्कीम पर ही निर्भर रख सकें और राजस्थान में उसकी जो खपत है उसके अलावा राजस्थान के दूध के बाई-प्रोडक्ट तैयार हों जिस से किसानों को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके, इस प्रकार की स्कीम राजस्थान फैडरेशन को तैयार करने के लिए कहा गया है। सारे राजस्थान भर में जितने भी डेयरी प्लाण्ट हैं उनमें इस कार्यक्रम को हाथ में लिया जाएगा तो जो घाटा हो रहा है या जो लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है उससे यह लाभ उनको मिलने लग जाय।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पूछने का मकसद यह था कि आज जैसलमेर से दिल्ली छः सौ मील पड़ता है और पन्द्रह हजार लीटर दूध दिल्ली ले जाते हैं तो बारह सौ मील या दो हजार किलोमीटर गाड़ी चलती है और उसमें पन्द्रह हजार लीटर दूध ले जाते हैं और फिर उसको दो रुपया लीटर में बेचते हैं और किसानों को कुल एक रुपया लीटर का भाव देते हैं जिससे किसानों का शोषण होता है तो इससे दिल्ली दूध भेजने से क्या फायदा है ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया है मन्त्री महोदया ने।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय....

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : एक प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यह बाई-प्रोडक्ट तैयार करने की स्कीम बनाने में जो लेट हो रहे हैं, तो क्या यह लेट होने का कारण डेयरी इंजीनियर्स की कमी है या और कोई कारण है ? यह प्लानिंग अभी तक राज्य सरकार नहीं कर पाई है उसका मेन कारण क्या है ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, दरअसल जिस प्लानिंग के साथ में सारा डेयरी डवलपमेंट का प्रोग्राम चालू किया गया, उसके प्रारम्भ में जो आधार रखा गया उस आधार में ही गलती थी। आधार यह माना गया था कि दूध एकत्रित किया जाएगा और दिल्ली भेज दिया जाएगा। लेकिन यह बात सही है कि देहली डेयरी कब तक हम को ओब्लाइज करेगी और कैसे किसानों को लाभ होगा। मुख्य आधार था वह प्रारम्भ में ही गलत हो गया। इसके लिए चिलिंग प्लाण्ट लगा दिये जहां पर दूध इकट्ठा करके और ठण्डा कर के दिल्ली भेज दिया जाता है। यह जो आधार बनाया था वह गलत था। हमको सेल्फ रियलायंस पर डेयरी डवलपमेंट की स्कीम बनाना जरूरी है और वह हमने शुरू कर दी है। मैं समझती हूं कि कुछ अर्से में तैयार कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य अगला प्रश्न।

श्री छोगाराम बकोलिया : मैंने यह पूछा था कि डेयरी इंजीनियर्स अवेलेबल हैं या नहीं ? मेरा यह निवेदन है कि डेयरी इंजीनियर्स को साथ लेकर स्कीम बनानी चाहिए....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। प्रश्नकर्ता।

श्री रामसिंह बिश्नोई: मैंने यह पूछा था कि जोधपुर में कितना पाउडर बनता है, कितना मक्खन बनता है....

श्रीमती कमला : अभी पाउडर तैयार नहीं हो रहा है लेकिन अभी तक जो घी तैयार हुआ है वह है 70900 किलोग्राम।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या यह सही है कि बटर के नाम पर घी बेचा जा रहा है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। अगला प्रश्न....

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सहकारी समिति का सदस्य हूं मुझे अवसर दें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री बुलाकीदास।

जिला बीकानेर में चरागाह विकास कार्यक्रम

296. **श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)** : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में गत 5 वर्षों में चरागाह विकास कार्यक्रम के लिए कितने हैक्टेयर जमीन की तारबन्दी की गई और इस पर कितना खर्च हुआ? इसमें चारा आदि लगाने हेतु वर्ष में कितना-कितना व्यय हुआ? कृपया वर्ष-वार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) नोखा पौधशाला में पिछले तीन वर्षों में कितने पौधे तैयार किये गये और इस पौधशाला पर तीन वर्षों में कितना रुपया व्यय किया गया? कृपया वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) जिला बीकानेर में टीला स्थिरीकरण के कार्य पर गत 3 वर्षों में कितना-कितना रुपया व्यय हुआ और यह कार्य किन-किन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में किया गया? इससे कौन-कौन से ग्रामवासियों को क्या लाभ हुआ?

(4) क्या सरकार उपरोक्त कार्यों की, बीकानेर में कार्य कर रहे मूल्यांकन विभाग से, जिलाधीश बीकानेर के माध्यम से, मौके की स्थिति की रिपोर्ट तैयार करके सदन की मेज पर रखने के प्रश्न पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो रिपोर्ट कब तक तैयार करायी जा सकेगी?

वन मंत्री (श्री दुलाराम) (1) बीकानेर जिले में पिछले 5 वर्षों में 20,352 हैक्टेयर क्षेत्र पर तारबन्दी कर चरागाह विकास कार्य कराया गया। जिस पर वर्षवार खर्चा निम्नानुसार हुआ :—

1976-77	—	शून्य
1977-78		15, 0,681
1978-79		17,44,504
1979-80		12,22,387
1980-81		10,68,298

(श्री दुलाराम)

(2) नोखा पौधशाला में गत तीन वर्षों में पौधे नहीं उगाये गए और न ही कुछ व्यय किया गया।

(3) बीकानेर जिले में गत तीन वर्षों में टीबा स्थिरीकरण पर निम्नानुसार व्यय किया गया :—

1978-79	3,93,986
1979-80	7,18,916
1980-81	9,27,365

टीबा स्थिरीकरण का कार्य ग्राम पंचायत कोलायत, लूणकरणसर, छत्तरगढ़, सतासर, खेरवारा, रानेर तथा दांतोर के क्षेत्रों में किया गया। इन कार्यों से इनके समीपस्थ निम्न गांवों व खेतों में उड़ती हुई रेत से बचाव हुआ तथा दूसरी ओर इन टीबों पर किए गए कार्यों से घास भी उपलब्ध होने लगा है—

ग्राम गोंडू, हरियासर, दामोलाई, तख्तपुरा, लखनसर, संसारदेसर, छेछड़ा, रावेरी, महादेव, वाली, करणीपुर, गोदासर, छत्तरगढ़, खोरवाली, लूणा, ,करनपुर, रानेर, पहलदान का वेरा तथा 112 आर. डी व पूगल शाखा के ग्राम।

(4) इस प्रकार का मूल्यांकन विभागीय तौर पर समय-समय पर किया जाता है। उपरोक्त क्षेत्र में मूल्यांकन विभाग द्वारा मूल्यांकन कराने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि तारबन्दी में जहां पर लाखों रुपयों का खर्चा हो चुका है, क्या कभी विभाग ने मौके पर जाकर तारबन्दी नियमानुसार होनी चाहिए, इसको देखा है ? जैसे कि 50 फीट बाद एंगिल लगाते हैं, बहुत ही कम एंगिल लगे हुए हैं। क्या एंगिल लगे हुए हैं ? तीन तार की लाइनिंग होनी चाहिये, क्या वह लाइनिंग है ? इसके गर्भ में जाने पर पता लगेगा कि लाखों का घपला किया गया है, क्या आप उसकी जांच करायेंगे ? इसके अतिरिक्त क्या बीकानेर की गोचर भूमि बिसवा पर वन विभाग का कब्जा है ? अकाल और अभाव की स्थिति के कारण ग्रामीण लोग अपने जानवरों को चरा नहीं सकते हैं, इसलिये वन विभाग द्वारा जो जमीन घेरी हुई है उसको चरागाह के लिए खोलेंगे ?

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि एंगिल लगे हुए हैं, सही अनुपात में लगे हुए हैं। अगर फिर भी आप यह महसूस करते हैं कि सही अनुपात में नहीं लगे हैं, तीन तार नहीं लगे हैं, तो जो दोषी हैं मैं उसकी इनक्वायरी कराने को तैयार हूं।

जैसा आपने कहा, कौनसे गांव की भूमि ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : गोचर भूमि बिसवा।

श्री दुलाराम : गोचर भूमि बिसवा 250 हैक्टेयर है उसमें से 25 हैक्टेयर क्षेत्र चरागाह के लिये छोड़ रखा है। प्रोग्राम के अनुसार वृक्ष लगाये हुए हैं। उसके बाद अकाल की समस्या को देखते हुए क्षेत्र खोलना पड़ा, तो व्यवस्था करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मंत्री महोदय ने कार्यक्रम के अन्तर्गत नौखा, लूणकरणसर आदि के टीबों के बारे में व्यवस्था बतायी। लेकिन मुझे अनुभव है, मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं। टीबा स्थिरीकरण के नाम पर विभाग का लाखों रुपया खर्च हुआ है लेकिन किसी प्रकार का कोई लाभ ग्रामवासियों को नहीं हुआ है। क्या टीबा स्थिरीकरण योजना के अन्तर्गत जो विभाग ने काम बतायें, उन कामों का जायजा लेने के लिये मंत्री महोदय जांच करायेंगे? ग्राम नाल में जहां टीबा स्थिरीकरण के लिये पौधे लगाये गये हैं, वहां एक भी पौधा विद्यमान नहीं है। क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि कितने कितने पौधे टीबा स्थिरीकरण के लिये लगाये गये ताकि यह पता लग जाए कि हकीकत में क्या काम किया गया है?

श्री दुलाराम : बीकानेर क्षेत्र में टीबा स्थिरीकरण के लिये निम्नानुसार कार्य कराया गया है:—1978-79 में छत्तरगढ़ 2078 हैक्टेयर-3,93,986 रुपये, 1979-80 बीकानेर 200 हैक्टेयर-एक लाख रुपये, छत्तरगढ़ 2572 हैक्टेयर–5,04,412 रुपये, बेरियावाली 150 हैक्टेयर–1,14,504 रुपये। 1980–81 छत्तरगढ़ 2072 हैक्टेयर–8,18,768 रुपये, बेरियावाली 100 हैक्टेयर–1,08,597 रुपये का खर्चा हुआ है। यह बीकानेर जिले के टीबा स्थिरीकरण के लिये खर्चा आया है। इसके अलावा इन आंकड़ों में आपके सामने 78–79, 79–80 में कोई गड़बड़ हुई है तो मेरे सामने लायें, मैं जांच करूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं नाल के बारे में जानना चाहता हूं कि कितने पौधे लगाये?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है। श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): क्या मंत्री महोदय के ध्यान में है कि टीबा स्थिरीकरण के बजाय अस्थिरीकरण कराया गया? अफोरेस्टेशन के बजाय डीफोरेस्टेशन किया जा रहा है। जो पेड़, पौधे काटे उनको ऊपर से नहीं काट कर जड़ से खोदा जा रहा है, लाखों क्विन्टल जड़ों का ढेर बेचने के लिये लगाया।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा, मैं टीबों में जन्मा हुआ हूं, मुझे उसकी जानकारी है। जनता सरकार ने जो स्थिरीकरण किया मैं उसके बारे में तो निवेदन नहीं कर रहा हूं मगर आज के बाद किसी भी टीबे पर चाहे किसी भी किस्म का वृक्ष हो, उसे काटने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जो भी व्यवस्था कर सकते हैं, उस व्यवस्था में कमी नहीं आने दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, टीबा स्थिरीकरण का जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। इससे काश्तकारों को स्थिरीकरण का फायदा नहीं हो रहा है। क्या यह पैसा दूसरी योजना में नहीं लगाया जा सकता है ?

श्री बुलाराम : आप स्वयं काश्तकार हैं, टीबों पर कभी काश्त होती नहीं है।

श्री महाराम चौधरी : टीबों पर काश्त नहीं होती है, यह पैसा दूसरे विकास के काम में लगाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य के इलाके में टीबों पर काश्त होती है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : सरकार की रिपोर्ट पेश की थी....

(व्यवधान)

जो पुराने खेजड़े आदि के पेड़ हैं, उनको काटने से रोकें।

श्री बुलाराम : ज्यादातर काश्तकार जानते हैं। आप मेरा सहयोग दीजिये, कोई दरख्त नहीं काटेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्या। श्री हीरालाल आर्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : वे आये नहीं हैं, मैं अनुमति चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : आपके पास लिखित में अनुमति है ?

श्री बालचन्द आर्यवीर : मुझे लिखकर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : आपको लिखकर दिया है ? हमारे पास तो सूचना नहीं है। उत्तर दे दीजिये।

अनेक माननीय सदस्य : सदन को बताया जाये, लिखित में अनुमति कहां है।

पुराने घाट स्थित महिला सदन की आवासनियों द्वारा विद्रोह

297. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) [श्रीहीरालाल आर्य (पीपल्दा) की अनुपस्थिति में] : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यही सही है कि नवम्बर, 1980 में पुराने घाट स्थित महिला सदन में आवासनियों द्वारा विद्रोह किया गया था ? यदि हां, तो क्यों तथा किस प्रकार का ?

(2) क्या यह सही है कि इस दौरान उन आवासनियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया ?

(3) क्या सरकार उक्त सदन की आवासनियों की समस्याओं को मानवीय आधार पर सुलझाने का विचार रखती है ? भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरसहाय मीणा) : (1) जी हां। पूर्व अधीक्षिका के स्थानान्तरण पर प्रदर्शन द्वारा।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, यथा सम्भव। ग्रावासनियों के पुनर्वास कार्य को और गति दी जा रही है।

श्री बालचन्द आर्यवीर : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया है, आपने बताया नहीं। क्या यह सही है ?

श्री हरसहाय मीणा : जी हां। कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया। वहां पर कुछ ग्रावासनियां इस बात से नाराज थीं कि उनकी अधीक्षिका का ट्रांसफर अजमेर किया गया था। वह वापस उनको चाहती थीं, इसके विरोध में प्रदर्शन किया था बल्कि यहां तक नौबत आई थी कि डायरेक्टर के कार्यालय तक लड़कियों को लेकर आई थीं आंदोलन के रूप में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : मिर्चें कैसी थीं ?

श्री हरसहाय मीणा : मिर्चें कैसी होती हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे रहे हैं मन्त्री महोदय।

विपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या इन सूत्रों के कारण कई ग्रावासनियों को गिरफ्तार किया गया था ? क्या यह सही है कि वहां पुलिस पहुंची ? पुलिस ने ग्रावासनियों को एक पहाड़ के टीले पर से पकड़ा ? टीले पर से पकड़ कर कोतवाली ले जाया गया ?

क्या यह सही है कि खाद्य सामग्री के सम्बन्ध में आरोप लगाये गये और राज्य सरकार ने जांच की ?

श्री हरसहाय मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् विरोधी दल के नेता महोदय ने जो पूछा उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जो ग्रावासनियां थीं उनको गिरफ्तार करने के लिये कोई पुलिस नहीं पहुंची। जैसा मैंने निवेदन किया, अधीक्षिका के बारे में रोष था और ग्रावासनियां ऊपर पहाड़ पर चढ़ीं, बल्कि पुलिस पर पत्थरबाजी की है, जिससे पुलिस को चोटें भी आई हैं।

दूसरे होस्टल की अधीक्षिका आई थी, उनको बुरी तरह से मारा, वह केस पुलिस में दर्ज कराया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितनी ग्रावासनियों को गिरफ्तार किया गया ? किसी को पीटा, चाहे कोई भी अपराध हो, कितनों को गिरफ्तार किया गया ? यह भी बता दें कि कितनी ग्रावासनियां फरार हैं ?

श्री हरसाय मीणा : ग्रावासनियां फरार नहीं हैं। कुछ ग्रावासनियों को अजमेर भेजा है। वह वहां पर हैं, उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया था कि अजमेर क्यों भेजा जाये, यहीं रखा जाये। कोर्ट ने यह आदेश दिये कि वापस उसी जगह भेजा जाये जहां से अजमेर भेजा था। वह ग्रावासनियां गांधी नगर होस्टल में रह रही हैं, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वहां से कितने दिन आवासनियां बाहर रहीं ? जिनको अजमेर भेजा गया या अजमेर से वापस लाया गया, वे कितने दिन पुलिस कस्टडी में रहीं, और आपने बताया कि उनके साथ मारपीट हुई तो कितनी आवासनियों को गिरफ्तार किया गया ?

श्री हरसहाय मीणा : गिरफ्तार किसी को नहीं किया गया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा है कि पत्थर फेंके तब मुकदमा रजिस्टर किया है ।

श्री हरसहाय मीणा : गिरफ्तार नहीं किया है ।

श्री अध्यक्ष : 'दुखी महिलाएं' हैं इसलिये गिरफ्तार नहीं किया ।

अगला प्रश्न ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर से आती हूं । मेरे पास इस बारे में कई शिकायतें आई हैं । मैं खुद भी वहां गई थी, मुझे दो प्रश्न पूछने की इजाजत दें ।

क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन आवासनियों को शाम को बन्दी घर में बन्द कर दिया जाता है, सींकचों में शाम को 6 बजे बन्द कर दिया जाता है और दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इन महिलाओं से बन्दीनियों जैसा व्यवहार किया जाता है ।

श्री हरसहाय मीणा : श्रीमान्, बन्दीनियों जैसा कोई व्यवहार नहीं किया जाता है और कैदियों की तरह नहीं रखा जाता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनको बन्दीनियों की तरह बन्द रखा जाता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने दो प्रश्न पूछने की इजाजत चाही थी । वह आपने पूछ लिये ।

श्री कंवरिया ।

श्री सी.एल. कंवरिया (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था, आवासनियों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

श्री अध्यक्ष : **अलग प्रश्न है ।**

अगला प्रश्न । **श्री बंशीलाल पटवा ।**

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा महत्वपूर्ण सवाल है, सुन तो लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, माननीय सदस्या ।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि आवासनियां स्थानान्तरण की मांग को लेकर विद्रोह कर रही थीं, तो मैं पूछना चाहूंगी कि जब वे अधीक्षिका को वापस करने की मांग कर रही

(सुश्री पुष्पा जैन)

थीं तो क्यों नहीं उस पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया गया ? ऐसी नौबत ही क्यों आई कि उनको पुलिस के सामने आना पड़ा और पत्थर फेंकने पड़े ?

श्री हरसाय मीणा : अधीक्षिका को प्रमोशन देकर बाहर भेजा गया था। स्थानान्तरण तो था ही नहीं।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आप इजाजत दें तो मैं इस विषय पर बोलूं। मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपका ध्यानाकर्षण अथवा स्थगन प्रस्ताव है उस पर तो बाद में विचार किया जायेगा समय आने पर, वर्तमान में मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि समय दे सकूं। अगला प्रश्न।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी सदन में लड़कियों को मारा गया। उनकी नर्सों व टीचरों की दिन में ड्यूटी लगाई जानी चाहिये, वहां रात में ड्यूटी लगाई गई और इसके लिये निदेशक महोदय को भी लिखित में भेजा गया कि एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग बुलवावें और कार्यवाही करवावें। अध्यक्ष महोदय, मुझे लिखा गया है कि आप विधान सभा में बैठती हैं। हमारे हितों की रक्षा करें। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगी कि एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई ?

श्री हरसहाय मीणा : एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग बुला ली जायेगी।

सुश्री पुष्पा जैन : अब तक क्यों नहीं बुलाई गई ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। समाप्त हुआ।

प्रश्न संख्या 293

श्री बंशीलाल पटवा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

जमुवा रामगढ़ (जयपुर) में सैंथल बांध स्थल पर पक्षी अभयारण्य बनाना

299. **श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमुवा रामगढ़)** : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को विदित है कि जयपुर के समीपवर्ती क्षेत्र जमुवा रामगढ़ के सन्निकट सैंथल सागर (बांध डांगरवाड़ा) में विभिन्न जाति प्रजाति के हजारों पक्षियों की क्रीड़ास्थली एवं रैन बसेरा है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार की वहां पर पक्षी अभयारण्य बनाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री दुलाराम):(1) जी हां।

(2) जी नहीं। इस क्षेत्र को निषेध क्षत्र घोषित करने पर विचार किया जा रहा है।

श्री भैरूं लाल भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है और उसके इतने नजदीक पक्षियों का अभयारण्य स्थापित करने का सरकार ने भी माना है जहां पर विभिन्न बहुत से जाति प्रजाति के पक्षी रैन बसेरा करते हैं। उस स्थान को सरकार ने इतना कीमती माना है तो अब तक उसे उपेक्षित क्यों रखा गया ?

दूसरा, जयपुर राजस्थान की राजधानी होते हुए भी, जब कि राजस्थान आने वाला हर टूरिस्ट जयपुर जरूर आयेगा, तो उसके आरक्षण के लिये जयपुर के नजदीक कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसमें पक्षी और पशु अभयारण्य स्थापित किया जा सकता है, यह व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

श्री दुलाराम : अध्यक्ष जी, यह तो एक तालाब है जो मत्स्य विभाग के नियन्त्रण में है और इसमें पक्षी कुछ बाहर से भी आते हैं और कुछ स्थानीय पक्षी भी इसमें निवास करते हैं मगर हमने शिकार पर प्रतिबन्ध 31 मार्च से लगा रखा है। उसके बाद भी सरकार विचार कर रही है कि इस क्षेत्र में शिकार पर निषेध कर दिया जाय हालांकि यह बहुत छोटी जगह है, फिर भी सरकार विचार कर रही है और मुख्य वन संरक्षक को आदेश दिये है। इसकी सीमा में वृद्धि के बारे में, भी सम्भव हो सका तो सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री लच्छूराम।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज किसी भी प्रश्न पर नहीं पूछा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का मामला है इसलिए पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपके क्षेत्र में विद्यमान नहीं है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे निवास स्थान के पास का मामला है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं....

(व्यवधान)

सरकार इसकी सीमा निर्धारित करे। जैसा आपको मालूम है, बांध बना हुआ है, पास में ही अलवर का बोर्डर है और वह एक ऐसा क्षेत्र है जिसके आस पास पहाड़ हैं और जहां बहुत अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है। तो इसकी कब तक सीमा निर्धारित करेंगे ? इसमें कितने दिन लगायेंगे ?

श्री दुलाराम : मैंने जवाब दिया है कि जितनी जल्दी हो सकेगा करेंगे।

अगर उचित होगा तो देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अगला प्रश्न।

ग्राम टमकोर (मंडावा) के छात्रावासों को अनुदान

300. **श्री लच्छूराम (मंडावा)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मण्डावा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम टमकोर में समाज कल्याण विभाग ने 2 छात्रावास, नेहरू छात्रावास व गांधी छात्रावास, के 25 छात्रों को अनुदान देने की सिफारिश की थी ?

(2) यदि हां, तो अब तक गांधी छात्रावास को अनुदान क्यों नहीं दिया गया ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरसहाय मीणा) : (1) जी नहीं।

(2) गांधी छात्रावास मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है, अतः अनुदान नहीं दिया जा सकता।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जून, 1980 के अन्दर डाइरेक्टर, समाज कल्याण विभाग के द्वारा नेहरू छात्रावास को फर्जी, अनियमित मानकर उसको एड बंद करने के आदेश दिये थे ? क्या गांधी छात्रावास को नियमित माना गया था ?

श्री हरसहाय मीणा : वहां पर दो छात्रावास चलते हैं जिनमें एक नेहरू छात्रावास है और दूसरा गांधी छात्रावास है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सिफारिश जरूर की है परन्तु उसकी फाइल पर कोई डिसीजन गवर्नमेन्ट का इस ढंग का नहीं लिया गया है। एक ही जगह पर दो छात्रावास नहीं खुल सकते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट का एक छात्रावास आलरेडी वहां पर चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रश्नकर्ता।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : छात्रावास खोलने का आधार क्या है ? किस आधार पर ये छात्रावास खोले जाते हैं ? यह मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछ लिया है। उसका उत्तर आने दें।

श्री हरसहाय मीणा : जहां आवश्यकता समझी जाती है। आबादी के दृष्टिकोण से भी छात्रावास खोले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

आसन पैरों पर है।

पहले भी आपने अनधिकृत रूप से एक पूरक प्रश्न पूछ लिया है। प्रश्नकर्ता का नाम पुकारा गया है। पहले उनको प्रश्न पूछने दें।

श्री लच्छूराम : क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग के डाइरेक्टर महोदय ने गांधी छात्रावास और नेहरू छात्रावास के लिये मंत्री महोदय को यह नोट लगाकर भेजा है कि वहां के हाई स्कूल और पास के स्कूलों से जानकारी की है और दोनों छात्रवासों को 25-25 छात्रों के लिए अनुमति दे दी जाये।

श्री हरसहाय मीणा : पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि एक ही जगह पर दो छात्रावास खोलना बहुत ही डिफिकल्ट है। एक छात्रावास आलरेडी वहां पर चल रहा है। अनुसूचित जाति का और उसकी संख्या

(श्री हरसहाय मीणा)

बढ़ाई जा सकती है। एक ही जगह पर दो छात्रावास खोले जायेंगे तो मैं समझता हूं कि हर विधान सभा क्षेत्र में दो-दो छात्रावास खोलने की मांग होगी और निश्चित रूप से 200 छात्रावास और खोलने पड़ सकते हैं। इस से राज्य सरकार पर आर्थिक भार बढ़ेगा। आज की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह इतना वित्तीय भार सहन कर सके।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री लच्छू राम : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : एक पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं....

(व्यवधान)

श्री लच्छू राम : अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस आशय से प्रश्न पूछा था, मेरा एक पूरक प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लच्छू राम : एक पूरक प्रश्न है। मैं यह चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसका उत्तर दें। क्या जून के महीने में आपके डिपार्टमेन्ट ने नेहरू छात्रावास को अनियमित मान कर उसकी एड बंद करने का आदेश दिया था? इसका उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री लच्छू राम : इसका उत्तर दिलावें।

अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर नहीं आया है। यह तो स्पेसिफिक प्रश्न है कि जून, 1980 के अन्दर डाइरेक्टर, समाज कल्याण विभाग ने नेहरू छात्रावास को अनियमित मानकर इसकी एड बंद कर दी थी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 301।

डूंगरगढ़ में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का कार्यालय खोलना

301. **श्री रेवतराम चौधरी** (डूंगरगढ़): क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार ने गत वर्षों में किसानों को सस्ता न्याय दिलाने हेतु प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के आदेश दिये थे? यदि हां, तो श्री डूंगरगढ़ तहसील मुख्यालय का यह स्वीकृत न्यायालय अभी तक रतनगढ़ में ही क्यों लगता है? इस न्यायालय को सरकार कब तक श्री डूंगरगढ़ में लगाने की कार्यवाही करेगी?

विधि एवं न्याय मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

रतनगढ़ में चल रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को श्रीडूंगरगढ़ में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में श्रीडूंगरगढ़

(श्री हीरालाल देवपुरा)

क्षेत्र के समस्त सरपंचों के प्रतिवेदन पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिला एवं सेशन्स न्यायाधीश चूरू से श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र से सम्बन्धित मुकदमों का ब्यौरा मांगा है। ब्यौरा प्राप्त होने के पश्चात् राजस्थान उच्च न्यायालय श्रीडूंगरगढ़ तहसील में मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित करने के औचित्य पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार को अपनी सिफारिश भेजेगा, तत्पश्चात् राज्य सरकार निर्णय ले सकेगी।

श्री रेवतराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के कितने मामले रतनगढ़ न्यायालय में विचाराधीन हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जवाब में कहा गया है कि इसका ब्यौरा मांगा गया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह निर्णय लिया गया था कि तहसील मुख्यालयों के ऊपर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय खोले जायेंगे, क्या इसकी क्रियान्विति हो गई है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, सातवें कमीशन की सिफारिश पर 48 न्यायालय खोलने का निर्णय किया गया था और वे न्यायालय खोल दिये गये हैं। इसकी जानकारी मांगी जा रही है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 302

श्री सूरजपाल सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री चन्द्रवीर सिंह।

राजस्थान नहर से जिला जैसलमेर के ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराना

303. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार जैसलमेर जिले में राजस्थान नहर परियोजना की 18 इंच पाइप लाइन द्वारा गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कितने गांव लाभान्वित होंगे और कितनी अवधि में यह कार्य पूर्ण किया जावेगा ?

राज्य मन्त्री, राजस्थान नहर (श्री राम किशन वर्मा) : राजस्थान मुख्य नहर के साथ-साथ बुर्जी 1045 से जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ के पास टेल बुर्जी 1460 तक निर्माण कार्य के लिये 18 इंच से 12 इंच की पाइप लाइन डालने की योजना है। कार्य दिसम्बर, 1981 तक किये जाने का कार्यक्रम है। यह पाइप लाइन मुख्यतया निर्माण कार्य एवं मजदूरों के पीने के पानी हेतु लगाई जा रही है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस पाइप लाइन के द्वारा आस-पास के गांवों को भी पानी दिया जायेगा या केवल मजदूरों को ही पानी दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : वैसे यह निर्माण कार्य मजदूरों के लिये है—

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : उस जिले में जैसा आप जानते हैं पीने के पानी का कोई साधन नहीं है। अगर आस-पास के गांवों को इस पाइप लाइन के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो वह एक स्थायी कनेक्शन हो सकता है। क्या मन्त्री महोदय ऐसे स्थायी हल के बारे में विचार रखते हैं और रखते हैं तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री राम किशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर के आस-पास के गांवों में पानी ले जाने के लिये वाटर सप्लाई विभाग, जब पानी 1460 टेल तक पहुंच जाये तो वह आगे की व्यवस्था कर सकता है क्योंकि हमारे पास पाइप लाइन खाली हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। उत्तर में ऐसा कहा है कि पानी पहुंच जाता है तो यह श्योर हो जायेगा। उसके बाद पी. एच. ई. डी. यदि चाहे तो आस-पास के गांवों को पानी दे सकता है।

आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर समझ में नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आप दुबारा प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : यह पूछना चाहता हूं कि पाइप लाइन खाली कैसे होगी ? मन्त्री महोदय ने यह फर्माया है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मंत्री महोदय क्या यह बतायेंगे कि यह पाइप लाइन कितनी लम्बी है ?

श्री अध्यक्ष : कार्य तो पूरा हुआ ही नहीं है और यह पूछने लगे कि लाइन कितनी लम्बी है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी: माननीय मंत्री महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि····

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री महोदय से यह जानना····

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : पी. एच. ई. डी. तो जब जल उपलब्ध करायेगा तो करायेगा लेकिन आप यह बता दें कि मोहनगढ़ की आपकी जो योजना है वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : एक ही दफा फिर पूछ लें, माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, मंत्री महोदय ने फर्माया कि 18 इंच पाइप लाइन वाटर सप्लाई मजदूरों के लिये और निर्माण कार्य करने वालों के लिए है। उसके बाद में जब यह हो जायेगा तो पी. एच. ई. डी. अगर ठीक समझेगा तो आगे उसके द्वारा जल वितरण करेगा। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मोहन गांव की जो आपकी योजना है वह कब तक पूरी हो जायेगी ? उसका क्या हुआ ?

Page No. 21

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह तो आपने पूछा ही नहीं है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है।

श्री अध्यक्ष : तो उन्होंने तिथि भी बता दी है कि शायद 81 के अन्त तक कर देंगे।

अगला प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल।

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को प्रदत्त छात्रवृत्ति

304. **श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980-81 के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने हेतु कितने रुपयों का प्रावधान किया गया है ?

(2) दिनांक 1 फरवरी, 1981 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कितने छात्रों को कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी गई है ?

(3) विभाग के पास अभी तक कितने प्रार्थना-पत्र छात्रवृत्तियों के निस्तारण हेतु विचाराधीन हैं तथा उन पर कब तक निर्णय ले लिया जावेगा ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरसाय मीणा) : (1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) धनराशि की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। छात्रों की संख्या संबंधी सूचना स्वीकृतिकर्त्ता अधिकारियों से प्राप्त की जा रही है।

(3) समाज कल्याण विभाग के पास कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है। प्रार्थनापत्र शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास प्राप्त होते हैं।
(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट3 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, ·······

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न-कर्ता।

श्री कैलाश मेघवाल : जो जवाब दिया गया है वह पूरा नहीं है इसलिये इस प्रश्न को स्थगित किया जाये। इस बार शिक्षा सत्र देर से शुरू हुआ है और जो जवाब दिया गया है उसमें यह नहीं बताया गया है कि कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी है। स्कूल जुलाई में खुलते हैं और छात्रावास भी जुलाई में ही खुलते हैं परन्तु अभी तक छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है क्योंकि पैसे का आवंटन ही देरी से हुआ है, मई में पैसा देंगे। मैं निवेदन करूंगा कि यह बच्चों का प्रश्न है इसलिये इस प्रश्न को स्थगित किया जाये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : पैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने स्पेसिफिक पूछा है।

श्री अध्यक्ष : आपने काफी विस्तृत सूचना चाही है। मैंने इस प्रश्न के उत्तर को देखा है काफी विस्तृत सूचना उपलब्ध करा दी गयी है। एक फरवरी तक की सूचना आपने चाही है। इसमें मंत्री महोदय ने निवेदन किया कि ये आंकड़े वर्तमान में उनके पास उपलब्ध नहीं हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि काफी लम्बी चौड़ी जानकारी आपने चाही है। जितनी तहसीलें हैं, जितने सब डिवीजन हैं. सबसे ग्रहण की जाती है फिर फाइनेंस से इकट्ठी की जाती है इसलिए इसको स्थगित नहीं किया जा सकता है इसको मैं वाजिब नहीं मानता। आप कोई पूरक प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार के पास उपलब्ध राशि से मैट्रिक, उत्तर स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दे दी जायेगी ?

पूर्व मैट्रिक की कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होंगे, को छात्रवृत्ति दे दी जायेगी ? अगर हां, तो कब तक दे दी जायेगी ?

श्री हरसहाय मीणा : श्रीमान्, जितनी राशि का प्रावधान छात्रवृत्ति देने के लिए है उसमें से जितने छात्रों को मिल सकती है उन सबको दे दी जायेगी।

श्री नंदलाल मीणा (प्रतापगढ़) : कब तक दे दी जायेगी ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने निश्चित सवाल पूछा है कि कब तक दे दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री नंदलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों को छात्रावासों से सम्बन्धित मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि छात्रवृत्ति के लिये 40.83 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है और उसमें से केवल 38.72 लाख रुपया ही व्यय किया गया है जब कि बांसवाड़ा क्षेत्र में पढ़ने वाले कालेज के 235 छात्रों को आज तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इसी तरह डूंगरपुर और दूसरे जो जिले हैं राजस्थान में उन में नहीं मिली है। महोदय, राजस्थान में 26 जिलों में से कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के छात्र न पढ़ते हों परन्तु 20 जिलों में ही छात्रवृत्ति दी जाती है। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि बकाया जिलों में क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री हरसहाय मीणा : माननीय सदस्य, कृपया एक बार फिर पूछ लें।

श्री नन्दलाल मीणा : क्या यह सही है कि राजस्थान में 26 जिले हैं ?

श्री हरसहाय मीणा : जी हां।

श्री नन्दलाल मीणा : क्या इन सभी जिलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र रहते हैं ? यदि हां, तो छात्रवृत्ति की राशि का आवंटन केवल 20 जिलों में ही क्यों किया गया है ?

श्री हरसहाय मीणा : बाकी जिलों में अनुसूचित जनजाति के बहुत कम लोग रहते हैं।

श्री नन्द लाल मीणा : जहां पर कम लड़के हैं अर्थात् जहां पर आदिवासी कम रहते हैं वहां पर आप छात्रवृत्ति नहीं देते हैं उन 6 जिलों के नाम बता दें।

एक माननीय सदस्य : उनको क्या आप देना नहीं चाहते हैं।

श्री हरसहाय मीणा : अध्यक्ष महोदय, जिन जिलों में आदिवासी लोग रहते हैं उनके बारे में निश्चित रूप से प्रावधान किया गया है और जितनी राशि का प्रावधान है उसके अनुसार छात्रवृत्ति दी जायेगी।

श्री नन्द लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आसन से व्यवस्था चाहता हूं, मैं आसन से संरक्षण चाहता हूं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हैं, उनको छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं और मन्त्री महोदय उन 6 जिलों के नाम नहीं बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारी मांग है कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री कंवरिया ।

श्री सी. एल. कंवरिया बूढ़ : मैं मन्त्री महोदय से....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, स्थान ग्रहण करें।

श्री सी. एल. कंवरिया : पूछना चाहूंगा कि पोस्ट मैट्रीकुलेशन छात्रावासों के लिए कितनी रकम का प्रावधान किया गया है ? पूर्व में मैट्रिक स्कूल छात्रों के लिए कितना किया गया है और उनमें से कितने प्रतिशत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां दीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत विस्तृत सूचना है। मन्त्री महोदय से अलग से पूछें। आर्डर प्लीज। प्रश्नकर्ता।

श्री कैलाश मेघवाल : निवेदन यह था, मेरा प्रश्न पूछने का उद्देश्य यह था कि जो छात्रवृत्तियां दी जायें ठीक समय पर दी जायें जिस से आवश्यकता के समय वह पैसा उनको मिल सके। इसलिए मैंने स्पेसिफिक पूछा था, कि एक फरवरी की तारीख तक का पूछा था कि सरकार उनको कब तक छात्रवृत्ति देगी ? क्या सरकार इसकी घोषणा करने की स्थिति में है ? क्योंकि सरकार शिक्षा सत्र समाप्त होने के बाद पैसा देती है उसका कोई उपयोग नहीं रहता है।

श्री हरसहाय मीणा : जितने प्रार्थना-पत्र उपलब्ध होते हैं और जितना प्रावधान होता है उनको दे रहे हैं। इसके अलावा जो कि बचे हुए जिले हैं उनके लिए हम अगले बजट में प्रावधान रख देंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। अब इजाजत नहीं दूंगा। आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री नन्दनलाल मीणा : कब तक दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष : एक और प्रश्न आ जायेगा।

श्री अमीन खां।

जिला बाड़मेर में जिला एवं सैशन न्यायाधीश के न्यायालय का मुख्यालय कायम करना

305. **श्री अमीन खाँ** (शिव) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत का नाम क्या है और उसका मुख्यावास कहां है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला हैडक्वार्टर के सब-डिवीजन बाड़मेर में तीन तहसीलें हैं और बालोतरा सब-डिवीजन में दो तहसीलें हैं जिनकी आबादी भी कम है ?

(3) क्या सरकार न्याय की दृष्टि से भविष्य में बाड़मेर में मुख्यालय रखने की सोच रही है ? यदि नहीं, तो सरकार को मुख्यालय परिवर्तन में क्या कठिनाई है ?

विधि मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा):

(1) बाड़मेर जिले के जिला एवं सैशन जज की अदालत का नाम न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश बालोतरा है तथा इसका मुख्यावास बालोतरा में है। जिला एवं सैशन न्यायालय बालोतरा, बाड़मेर में एक माह में एक सप्ताह अपना कैम्प कोर्ट करते हैं।

(2) जी हां, यह सही है।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बालोतरा में जो सैशन जज का मुख्यालय है, पुराने समय से यह जोधपुर स्टेट के टाइम से है और उस वक्त जालौर जिला भी इसी अदालत के अन्तर्गत आता था। अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर सब-डिवीजन में तीन तहसीलें हैं बाड़मेर, शिव और चौहटन। तीन अदालतें बालोतरा में हैं और 6 अदालतें बाड़मेर में हैं और बाड़मेर में डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर भी है। सरकार वहां की पापुलेशन को देखते हुए और मुकदमों की संख्या को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर होते हुए वहाँ पर सैशन जज का मुख्यालय रखने पर विचार क्यों नहीं करती ? इसमें सरकार का कौनसा खर्चा ज्यादा आ जायेगा ?

श्री छोगा राम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न से सम्बन्धित पूछना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय से। तीसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वहां पर सैशन जज का मुख्यालय बनाने में क्या कठिनाई है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : बाड़मेर जिले में डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन जज का हैडक्वार्टर बालोतरा में प्रारम्भ से ही है। राजस्थान में इस प्रकार से दूसरे जिले भी हैं जहां पर सैशन जज का मुख्यालय दूसरे स्थानों पर है, जैसे चित्तौड़ जिले में सैशन जज का मुख्यालय प्रतापगढ़ में है। अब जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया वहां कैसेज की संख्या ज्यादा है तो मैं दिखवा लूंगा। और अगर ज्यादा कैसेज हैं, तो वहां पर सात दिन के बजाय 15 दिन का कैम्प कर दिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अनुपस्थित माननीय सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान नहर की आर. डी. 465 शाखा से छोटी नहर निकालना

292. **श्री मालूराम लेघा** (लूणकरणसर) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर की आर. डी. 465 के बायें किनारे पड़ने वाली हजारों एकड़ समतल एवं उपजाऊ भूमि को सिंचित करने हेतु सर्वेक्षण एवं तखमीना तैयार कर लिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि आर. डी. 472 से माइनर बनाने से आर. डी. 465 के मुकाबले बहुत कम भूमि कमांड में आयी है ?

(3) आर. डी. 465 से प्रस्तावित छोटी नहर के निर्माण हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) जी नहीं।

(3) आर. डी. 465 के बाईं ओर के विचाराधीन सिंचाई योग्य क्षेत्र के अधिकांश भाग को आर. डी. 456400 पर निर्मित बसी माइनर एवं आर. डी. 472000 पर निर्मित दामोलाई माइनर के कमाण्ड में सम्मिलित किया जा चुका है। अतः आर. डी. 465 पर नई नहर निकाले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जिला भीलवाड़ा में चिकित्सा विभाग में हुये स्थानान्तरण

298. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1980-81 में भीलवाड़ा जिले में मेडिकल विभाग में कितने स्थानान्तरण विभिन्न पदों के किये, इनमें कितने विभागीय आदेश से तथा कितने सरकार के आदेश से किये गये ? जिनके स्थानान्तरण किये गये उनमें 2 वर्ष पूर्व की अवधि के कितने कर्मचारी/अधिकारी उस पद पर कार्य कर रहे थे ?

उत्तर

कुल 179 स्थानान्तरण हुए।

98 निदेशालय द्वारा,

66 स्थानीय अधिकारियों द्वारा व

15 राज्य सरकार द्वारा किये गये।

दो वर्ष पूर्व की अवधि के स्थानान्तरणों में कर्मचारियों के 29 और अधिकारियों के 18 हैं।

Page No. 26

(26)

डेयरी रूट्स पर सड़क निर्माण,

302. **श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डेयरी रोड को बनाने की कुछ राशि राज्य सरकार देती है ? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितने-कितने रुपये स्वीकृत हुए तथा इस राशि को स्वीकृत करने का क्या मापदण्ड है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला जालोर, जो कि सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम व डी. डी. पी. में मुख्य स्थान रखता है, उपेक्षित रखा गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) भविष्य में डेयरी रूट्स को पक्का किया जा सके इसके लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामों में दुग्ध उपलब्धि की मात्रा व डेयरी/अवशीतन केन्द्र को जाने वाली पक्की सड़क से दूरी के आधार पर दुग्ध मार्गों पर सड़क बनाने हेतु जिलेवार वर्ष 1978-79 से 1980-81 तक निम्न राशि स्वीकृत की गई है:-

जिला	राशि
	रुपये लाखों में
1. जोधपुर	113.55
2. नागौर	70.99
3. पाली	50.41
4. बाड़मेर	54.33
5. जैसलमेर	44.50
6. बीकानेर	65.97
7. चूरू	42.78
योग	442.50

(2) राज्य सरकार द्वारा कोई डेयरी विकास कार्यक्रम अभी जालोर जिले में प्रारम्भ नहीं किए गए हैं। अतः दुग्ध मार्गों को पक्का करने हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(3) साधनों की उपलब्धता को देखते हुए दुग्ध मार्गों को पक्का करने के लिए समय-समय पर धनराशि का प्रावधान किया जावेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य के मरु विकास की योजनाएं

305. **श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वनों के विकास हेतु गत वर्ष कितनी धनराशि व्यय की गई ?

Page No. 27

(27)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

(2) राजस्थान के मरु प्रदेश को हरा-भरा करने हेतु राज्य सरकार क्या भविष्य में डेजर्ट पार्क निर्माण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां डेजर्ट पार्क बनाये जायेंगे ?

(3) क्या बीकानेर जिले का मगरा क्षेत्र इस हेतु उपयुक्त स्थल है ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में चरागाहों का विकास नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो इस हेतु क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

(5) क्या यह सही है कि वनों से प्राप्त जड़ी बूटियों की सुरक्षा एवं पशुओं की समुचित सुरक्षा नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या भविष्य में नये-नये अभयारण्य घोषित किये जायेंगे ?

उत्तर

(1) वर्ष 1979-80 में वनों के विकास हेतु प्रमुख योजनाओं के अन्तर्गत 1004 लाख रुपया व्यय किया गया ।

(2) राज्य के मरु प्रदेश में एक डेजर्ट पार्क की स्थापना की जा चुकी है ।

बाड़मेर-जैसलमेर जिलों के घोषित क्षेत्र में राष्ट्रीय मरु उद्यान नामक वन्य जीव अभयारण्य की उस क्षेत्र में वन्य जीव तथा वनस्पति की सुरक्षा एवम् संवर्धन हेतु और मरु क्षेत्र के पर्यावरण-संतुलन की सुरक्षा हेतु स्थापना की जा चुकी है ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं । वर्ष 1979-80 तक राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में 55,100 हैक्टर क्षेत्र में चरागाह विकास का कार्य किया जा चुका है । राजस्थान नहर की बायीं ओर की विकास योजना विशिष्ट योजना संगठन द्वारा तैयार की जा रही है ।

(5) वन उपज एवं वन्य प्राणियों की समुचित सुरक्षा हेतु कई एक योजनाएं एवं कार्यक्रम राज्य में क्रियान्वित किये जा रहे हैं । भविष्य में गजनेर को तथा रामगढ़ को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

डा० अम्बालाल स्मृति कल्पद धात्री प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर

306. श्री भोपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग में डॉ. अम्बालाल स्मृति कल्पद धात्री एक वर्षीय प्रशिक्षण की स्थापना अजमेर में की गई और उसमें प्रवेश हेतु आशार्थियों का चयन हेतु प्रथम सत्र के लिये सन् 1979-80 में जिलेवार कोटा निश्चित किया गया था ?

(2) क्या साक्षात्कार के समय प्रत्येक जिले में उन्हीं जिलों के ही आशार्थियों को चयनित किया गया ? क्या परिणाम भी जिलेवार ही घोषित किया गया ? कृपया

(श्री दीपेन्द्रसिंह)

जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) चयन का मापदण्ड क्या था? चयनित व्यक्तियों की सूची प्राप्तांकों सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आयुर्वेद में डॉ. अम्बालाल कल्पद/धात्री एक वर्षीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना अजमेर में की गयी थी। इस प्रशिक्षण केन्द्र में प्रथम सत्र 1979-80 के लिये जिलेवार कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया था, किन्तु प्रवेश समिति द्वारा यह नीति अपनायी गई थी कि जिन जिलों में कल्पद धात्री के पद रिक्त हैं, 75% पद उन जिलों के प्रार्थियों द्वारा भरे जावें।

(2) जी हां। चयन में उन जिलों के निवासियों को प्राथमिकता दी गयी थी, जिनमें अधिक पद धात्री-कल्पद के रिक्त थे। परिणाम जिलेवार घोषित नहीं किये गये थे लेकिन एक ही सूची में तथ्यों के आगे जिले का नाम अंकित कर दिया गया था सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) चयन का मापदण्ड चयन समिति द्वारा निम्न प्रकार से निश्चित किया गया था –

योग्यता

अनुभव

साक्षात्कार

इसी आधार पर छात्रों का जिलेवार चयन किया गया था। चयन सूची में प्राप्तांकों का विवरण नहीं दिया गया था। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास की योजना

307. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जनजाति विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जन जाति उपयोजना क्षेत्र के विकास के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता हेतु सरकार ने इस वर्ष किन-किन कार्यों के लिये योजना बना कर प्रस्तुत की है?

उत्तर

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत राज्य सरकार ने जिन-जिन कार्यों की योजनाएं बनायी हैं उसकी सूची संलग्न कर प्रस्तुत है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

बाड़मेर शहर के मुख्य अस्पताल के प्रभारी का पद

308. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर शहर के मुख्य अस्पताल में कोई भी योग्य एम. एस. या एम. डी. अस्पताल का इंचार्ज रहना इसलिए पसन्द नहीं करता कि जिले का इंचार्ज (डी. एम. एच. ओ.) किन्हीं कारणों से एम. बी. बी. एस होता है और अपने पद के कारण वह एम. एस. व एम. डी. डॉक्टर्स के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, जो उन्हें अप्रिय है ?

(2) यदि हां, तो क्या ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती कि जिले का इंचार्ज (डी. एम. एच. ओ.) कोई एम. एस. या एम. डी. डाक्टर ही बनाया जाय ?

(3) यदि हां, तो कब तक यह व्यवस्था कायम की जा सकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं

(2) सी. एम. एण्ड एच. ओ. वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किये जाते हैं इसलिए इस पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं होता है ।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

जिला अजमेर के अस्पताल

309. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व):-क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला अजमेर में एलोपैथी के कुल कितने राजकीय अस्पताल हैं ?

(2) क्या इन सभी अस्पतालों में आवश्यकतानुसार पर्याप्त स्टाफ व साधन सुविधायें उपलब्ध हैं ?

(3) क्या सभी अस्पतालों में महिला चिकित्सकों का भी आवश्यकतानुसार पद-स्थापन है ?

(4) यदि नहीं, तो खण्ड (2) व (3) की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में कुल 13 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय हैं ।

(2) जी हां, स्वीकृत रोगी शैयाओं के पैटर्न एवं वित्तीय प्रावधान के अनुसार स्टाफ व साधन सुविधायें उपलब्ध हैं ।

(3) सावर के अतिरिक्त सभी स्वीकृत स्थानों पर महिला डॉक्टर उपलब्ध हैं ।

(4) महिला डाक्टर के उपलब्ध होने पर महिला चिकित्सक लगा दी जायेंगी ।

छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित चिकित्सा सुविधायें

310. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No. 30

(30)

(श्री सी. पी. जोशी)

छठी पंचवर्षीय योजना के किन-किन गांवों में चिकित्सा की सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी ?

उत्तर

छठी पंचवर्षीय योजना में लगभग 6,500 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध करा दी जावेगी। गांवों के नाम अभी बताना संभव नहीं है।

जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ के रेफरल अस्पताल की क्रमोन्नति

311. **श्री शोभराजमल (चित्तौड़गढ़) :** क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित रैफरल हॉस्पिटल को कब तक "बी" श्रेणी में क्रमोन्नत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर चित्तौड़गढ़ मुख्यालय स्थित रेफरल अस्पताल को "बी" श्रेणी में क्रमोन्नत किया जाना संभव हो सकेगा।

नहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों को भूमि आवंटन की योजना

312. **श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुरा):** क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बेरोजगार युवकों को नहरी क्षेत्रों में भूमि आवंटन कर रोजगार उपलब्ध कराने की सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की ओर उपनिवेशन विभाग ने कोई कार्य हाथ में लिया था ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति रही ?

(3) क्या विभाग द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार की योजना को लागू करने की ओर विचार किया जावेगा।

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में कृषि स्नातकों को भू-आवंटन करने का नियमों में प्रावधान किया हुआ है।

(2) उपरोक्तानुसार केवल कृषि स्नातकों को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया था। अब तक 180 कृषि स्नातकों को भूमि आवंटन किया गया है।

(3) राजस्थान नहर क्षेत्र के भूमि आवंटन नियमों में प्रावधान किया हुआ है।

जिला बीकानेर में उपनिवेशन क्षेत्र के विचाराधीन प्रकरण

313. **श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)** : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर में राजस्थान नहर क्षेत्र के अन्तर्गत उपनिवेशन विभाग द्वारा कुल आवंटित किया जाने वाला रकबा कितना है ?

(2) उपनिवेशन क्षेत्र में सिंचित व असिंचित भूमि कितनी है ? कृपया पृथक-पृथक सूची प्रस्तुत करें।

(3) जिला बीकानेर में उपनिवेशन क्षेत्र में सिंचित व असिंचित राजकीय भूमि कितनी है जो बगैर आवंटन के पड़ी है ? इसका आवंटन कब तक कर दिया जावेगा ?

(4) क्या गैर खातेदार काश्तकारों के खसरा फिटिंग कोलायत तहसील नं. 1 से 4 तक पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा ? ऐसे कितने काश्तकारों के मामले किस-किस गांव के विचाराधीन पड़े हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) इतने समय से यह मामले सहायक आयुक्त कोलायत के यहां क्यों विचाराधीन पड़े हैं ? इन्हें कब तक निपटा कर काश्तकारों को राहत दिला दी जावेगी ?

उत्तर

(1) कुल रकबा 16,52,502 बीघा है।

(2) 19,54,317 बीघा कमाण्ड तथा 118,47,891 बीघा अनकमाण्ड भूमि है। सूची सलंगन है।

(3) 1,97,490 बीघा कमाण्ड तथा 6,78,606 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटन हेतु शेष है। इसमें से अधिकांश भूमि न्यायालय एवं प्रशासनिक स्थगन आदेशों से प्रभावित है या छोटे-छोटे टुकड़ों में है। जैसे-जैसे स्थगन आदेश निरस्त होते जावेंगे वैसे वैसे भूमि आवंटन किया जा सकेगा। छोटे-छोटे टुकड़ों वाली भूमि का आवंटन नियमों में योग्यता धारक काश्तकारों द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर किया जाता है।

(4) जी नहीं। अभी कोलायत तहसील नं. 3 के 181 मामले खसरा फिटिंग के शेष हैं जिनको शीघ्र पूर्ण कर दिया जावेगा। खसरा फिटिंग के शेष 181 मामलों की ग्रामवार संख्या निम्न प्रकार है :—

1.	रणजीतपुरा	81
2.	राववाला	15
3.	गगेवाला	60
4.	रावलोतन कातला	22
5.	कबरावाला	3
	योग:	181

(5) सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का पद रिक्त रहने तथा बाद में पदस्थापन के तुरन्त बाद प्रशिक्षण में चले जाने से यह मामले निर्णीत नहीं

(उपनिवेशन मंत्री)

हो सके हैं। इन्हें अब शीघ्र निपटा दिया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

ग्राम सोनवा (कोटा) के फौती इन्तकाल के विचाराधीन प्रकरण

314. श्री रघुवीर सिंह : कौशल (बारां): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम सोनवा तहसील मांगरोल, जिला कोटा में फौती इन्तकाल के कितने मामले विचाराधीन हैं?

(2) ये कब से विचाराधीन हैं?

(3) इस विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है?

उत्तर

(1) ग्राम सोनवा, तहसील मांगरोल, जिला कोटा फौती इन्तकाल का एक मामला पेंडिंग है।

(2) नामान्तरकरण नम्बर 150 दिनांक 15-8-81 को दर्ज हुआ है।

(3) नामान्तरकरण दर्ज करने बाद में 20 दिन तक पटवारी के पास में वास्ते तस्दीक व 20 दिन गिरदावर के पास रख सकते हैं। इसलिए दर्ज की तिथि से, विलम्ब की संज्ञा में नहीं आता है और न ही कोई अधिकारी दोषी है।

तहसील सवाई माधोपुर कृषि भूमि बेचान के प्रकरण

315. श्री चुन्नी लाल (खण्डार) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सवाई माधोपुर में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में खातेदारी कृषि भूमि के टुकड़े कर करके बेची गई भूमि की वर्ष 1979-80 में एवं 1 अप्रेल, 1980 से अब तक कितनी रजिस्ट्रीज की गईं?

(2) क्या तहसीलदार सवाई माधोपुर ने इस प्रकार के बेचान में धारा 175 या धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कोई कार्यवाही की? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील सवाई माधोपुर में सब-रजिस्ट्रार सवाई माधोपुर के कार्यालय में खातेदारी कृषि भूमि के टुकड़े कर-करके बेची गई भूमि के वर्ष 1979-80 में 72 तथा 1 अप्रेल, 1980 से अब तक 156 रजिस्ट्रियां पंजीकृत हुई हैं।

(2) इस प्रकार के बेचानों के आधार पर ग्राम पंचायतों द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरणों में से जो प्रकरण जानकारी में आये हैं, उनका अमल राजस्व रिकार्ड में नहीं करने बाबत जिलाधीश द्वारा आदेश दिये जा चुके हैं एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के अन्तर्गत न्यायालय उप जिलाधीश सवाई माधो-

(राजस्व मंत्री)

पुर में राजस्व वाद प्रस्तुत किये जा चुके हैं। नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में कृषि भूमि के टुकड़े करके बेची गई भूमि का कोई भी नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा तस्दीक नहीं किया गया है।

राज्य में जिलों/तहसीलों एवं उप तहसीलों की संख्या में वृद्धि करना

316. **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रदेश में जिलों/तहसीलों तथा सब तहसीलों की संख्या बढ़ाने संबंधी सरकार की क्या योजना है ?

(2) प्रदेश में जिलों, तहसीलों व सब तहसीलों की संख्या बढ़ाने का क्या मापदण्ड है ?

(3) इस प्रकार के निर्णयों को कब तक अन्तिम रूप प्रदान कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) यह प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है, कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) प्रदेश के कुछ बड़े जिलों का पुनर्गठन कर छोटे जिले बनाना और बड़ी तहसीलों के क्षेत्रफल, जनसंख्या व पटवार मण्डलों की संख्या तथा कार्यभार आदि को देखते हुए राज्य में 6 नई तहसीलें सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत बनाने का प्रस्ताव है। इसी आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत 54 उप तहसीलें भी बनाने का प्रस्ताव है। जिसमें से 27 उप तहसीलें पूर्व में बनाई जा चुकी हैं व शेष उप तहसीलें बनाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। पूर्व में खोली गई उप तहसीलों के लिए यह मापदण्ड रखा गया था कि जहां दो या दो से अधिक नायब तहसीलदार एक तहसील में हों, वहां एक नायब तहसीलदार का मुख्यालय उसी तहसील के किसी अन्य बड़े गांव या कस्बे में रखा जाय। शेष तहसीलें/उप तहसीलें खोलते समय अब क्या-क्या मापदण्ड रखे जावें, यह मामला विचाराधीन है।

(3) यह मामला मन्त्रिमन्डल के विचाराधीन है। शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की संभावना है।

कृषि उपज मण्डी समिति, जोधपुर के कर्मचारियों का कृषि विपणन बोर्ड की सेवा में अन्तर्लयन

317. (1) **श्री मानसिंह देवड़ा** (सरदारपुरा), : (2) **श्री अहमदबक्श सिंधी** (जोधपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस समय कितने कर्मचारी कृषि उपज मंडी समिति, जोधपुर के पास तीन मण्डी प्रांगणों में निर्मित भवनों एवं पथों के संधारण के लिए कार्यरत हैं ? कृपया

(श्री मानसिंह देवड़ा)

उनकी पूर्ण सूची मय उनके नाम, पद, नियुक्ति के दिनांक एवं मासिक वेतन सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार ने यह नीति लागू कर दी है कि राज्य की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए निर्मित भवनों व सड़कों का संधारण राज्य कृषि विपणन बोर्ड करेगा ? यदि हां, तो यह नीति कब से लागू की गई है ?

(3) यदि उपरोक्त नीति लागू कर दी गई है तो उपरोक्त कार्य में संलग्न कृषि उपज मण्डी समिति, जोधपुर के कर्मचारियों का जो पूर्ण कार्य के अभाव में बेकार बैठे हैं, कब तक राज्य कृषि विपणन बोर्ड की सेवा में अन्तर्लयन कर लिया जायगा ?

उत्तर

(1) इस समय एक अधिकारी एवं तीस कर्मचारी कार्यरत हैं। वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, यह नीति दिनांक 1-9-78 से लागू की गई है।

(3) कर्मचारियों को राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की सेवा में एब्जोर्ब करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

मेवाड़ शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड, भूपालसागर की भूमि बेचान का प्रकरण

318. **श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मेवाड़ शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड, भूपालसागर की स्थापना होने पर गन्ना उगाने की शर्त के साथ तत्कालीन मेवाड़ सरकार ने कितनी कितनी जमीन कहां कहां आवंटित की थी ? कृपया पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि यह भूमि सीलिंग सीमा से अधिक थी और सीलिंग से बचने हेतु मिल मालिकों ने सीलिंग से अधिक जमीन का अपने मुलाजिमों के नाम सन् 1972 में बेचान दिखाया और वास्तव में उसका आधिपत्य व व्यवस्था उन्हीं के पास रही तथा कालान्तर में सन् 1973-74 में वही जमीन उन मुलाजिमों द्वारा दूसरों को बेचान करा दी ?

(3) क्या सरकार इस सारे काण्ड की जाँच कर उस जमीन को कब्जे में ले कर गरीब कृषकों में आवंटित करेगी ?

उत्तर

(1) सम्वत् 2015 में शुगर मिल के खाते में कुल 1257 बीघा 12 बिस्वा भूमि तहसील कपासन में खातेदारी हक में दर्ज थी। इस भूमि में तत्कालीन मेवाड़ स्टेट द्वारा आवंटित शुदा भूमि शामिल है।

(2) जी हाँ।

(3) सीलिंग कानून के तहत मामला मेवाड़ शुगर मिल के खिलाफ अतिरिक्त जिलाधीश उदयपुर के न्यायालय में विचाराधीन है।

जिला अजमेर में बीज विक्रेताओं पर डाले गये छापे

319. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले पांच साल में जिला कृषि कार्यालय, अजमेर के द्वारा बीज विक्रेताओं की गड़बड़ पकड़ने के लिये कितने छापे कब कब डाले गये ?

(2) इन छापों से किन किन बीज विक्रेताओं द्वारा नकली या अप्रमाणित बीज बेचना पाया गया ?

(3) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? कृपया सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) केवल एक बार दिनांक 11-11-79 को बीज विकास अधिकारी तबीजी से सूचना प्राप्त होने पर जिला कृषि अधिकारी, अजमेर द्वारा मैसर्स भानू कृषि व्यवस्था, केसरगंज, अजमेर के यहां निरीक्षण किया गया।

(2) उपर्युक्त विक्रेता के पास निरीक्षण के समय कथित अप्रमाणित बीज भण्डार में उपलब्ध नहीं हुआ।

(3) बीज अधिनियम के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं था। तथापि एक कृषक के पास ऐसा बीज उपलब्ध होने पर उसका चित्र एवं विवरण स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से प्रचारित किया गया ताकि अन्य कोई कृषक इस प्रकार का बीज क्रय न करे।

जिला कोटा में मंडाना एवं चेचट में कृषि यार्ड की स्थापना

320. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने कोटा कृषि उपज मंडी द्वारा रानपुर से बावड़ी खेड़ा सड़क बनाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक दे दी जावेगी ?

(2) क्या सरकार बहुत पहले ही जिला कोटा में मंडाना एवं चेचट के लिए उप मंडी यार्ड खोलने की स्वीकृति दे चुकी है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या अभी तक भी यार्ड बनाने के लिए वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गई है ? अब कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार सम्पर्क सड़कों के सभी प्रस्तावों को जिला आयोजना समितियों के माध्यम से मंगवा कर उन पर निर्णय लेगी। उसके बाद ही इस सड़क के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जिला आयोजना समितियों के प्रस्ताव अविलम्ब प्रस्तुत करने हेतु जिलाधीशों से अनुरोध किया गया है।

(कृषि मंत्री)

(2) जी हाँ। मंडना कोटा मंडी समिति की गौण मंडी है जिसकी राजकीय घोषणा 25-5-79 को की गई थी तथा चेचट रामगंज मंडी समिति की गौण मंडी है। इसकी घोषणा 22-5-79 को की गई थी।

(3) जी नहीं। मण्डाना और चेचट गौण मण्डियों में से मण्डाना में 40 बीघा भू खण्ड उपलब्ध हो जाने से वहां पर मंडी में चार दीवारी आन्तरिक सड़क तथा नीलाम चबूतरों के लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी गई थी तथा निर्माण भी किया जा चुका है। चेचट में अभी भूमि प्राप्त नहीं होने से वहां मंडी निर्माण के लिये वित्तीय स्वीकृति देने का अभी प्रश्न नहीं उठता।

परियोजना अधिकारी, भूमि विकास बैंक अलवर के विरुद्ध शिकायतें

321. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री ओ. पी. बंसल, परियोजना अधिकारी के विरुद्ध गबन घोटाले सम्बन्धित शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? क्या श्री ओ. पी. बंसल प्राथमिक भूमि विकास बैंक, अलवर में कार्यरत हैं ?

(2) यदि हां, तो कब कब तथा किस किसके द्वारा ये शिकायतें प्रेषित की गयीं ?

(3) सरकार द्वारा अब तक उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री ओ. पी. बंसल, परियोजना अधिकारी, अलवर के विरुद्ध शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं। श्री बंसल वर्तमान में प्राथमिक भूमि विकास बैंक, अलवर में कार्यरत नहीं हैं।

(2) श्री बंसल के खिलाफ शिकायतें श्री मुरारीलाल शर्मा, सचिव, राज बैंक कर्मचारी संघ, अलवर एवं माननीय श्री शोभाराम जी विधायक, अलवर द्वारा दिनांक 16-10-78 व 7-10-80 को प्रेषित की गयी थी।

(3) उपरोक्त शिकायतों की प्राथमिक जांच जिलाधीश, अलवर एवं पंजीयक सहकारिता विभाग के माध्यम से करवाई गई है। लोकायुक्त एवं पंजीयक सहकारी विभाग के यहाँ अभी जांच जारी है। प्राथमिक जांच के आधार पर श्री बंसल को परियोजना अधिकारी एवं सचिव भूमि विकास बैंक, अलवर के पद से हटाकर वापस उनके पैतृक विभाग (कृषि विभाग) में भेज दिया गया है।

नाथद्वारा क्षेत्र के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित पशु चिकित्सा सुविधाएं

322. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नाथद्वारा क्षेत्र में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन किन गांवों में पशु

(श्री सी. पी. जोशी)

चिकित्सालय की सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी ?

उत्तर

छठी पंचवर्षीय योजना काल में खोले जाने वाले पशु चिकित्सालयों की संख्या व स्थानों का निर्धारण उपलब्ध वित्तीय साधनों के अन्तर्गत ही किया जावेगा।

जन जाति उपयोजना क्षेत्र में आयोजित महिला सिलाई प्रशिक्षण शिविर

323. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत जनजाति उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 1980-81 में कहां कहां महिला सिलाई प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये ? आदिवासी महिलाओं को कहां कहां कितनी सिलाई मशीनें वितरित की गयीं ? भविष्य में यह योजना कहां कहां चलाने का और विचार है ?

उत्तर

एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत जनजाति उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 1980-81 में जहां जहां महिला सिलाई प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गये है और जितनी सिलाई मशीनें वितरित की गई हैं उनकी सूची जिलेवार संलग्न की जा रही है। भविष्य में प्रशिक्षण योजना प्रशिक्षणार्थियों की उपलब्धि के आधार पर आवश्यकतानुसार सभी विकास खण्डों में आयोजित की जायगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

भारत-पाक युद्ध के समय के श्रीगंगानगर एवं करणपुर तहसील के गांवों का बकाया मुआवजा

324. **श्री मनफूलराम** (केसरीसिंहपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सन् 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय में श्रीगंगानगर तहसील व श्री करणपुर तहसील के मुआवजा से वंचित रहे शेष गांवों के लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो अब सरकार कब तक दे देगी ?

(2) क्या किन्हीं विशेष कारणों से मुआवजा रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, केवल 13.40 प्रतिशत राशि देनी है। भारत सरकार से राशि प्राप्त करने की कार्यवाही जारी है।

अब तक 1.36 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है।

(2) महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर से आडिट सर्टिफिकेट देरी से प्राप्त होने के कारण नहीं दिया जा सका।

तहसील मांगरोल तथा पीपल्दा के मिनी ट्राइबल ब्लाक के विकास की योजना

325. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या जनजाति विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मांगरोल तथा पीपल्दा तहसील के मिनी ट्राइबल ब्लॉक के विकास की सरकार की क्या योजना है ? अब तक कितने कार्य कराये गये तथा इन पर कितनी राशि व्यय हुई ? अब किन किन कार्यों पर किस स्थान पर क्या-क्या कार्य किए जाने हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मिनी ट्राबइल ब्लॉक के विकास में उपेक्षा बरती गई है ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के विकास में तत्परता से कार्य किये जाने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) पीपल्दा तथा मांगरोल तहसील का कोई मिनी ट्राइबल ब्लाक नहीं है वरन् लघु खण्ड तहसील पीपल्दा, मांगरोल व दीगोद के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें मांगरोल तहसील के 21 ग्राम व पीपल्दा के 28 ग्राम व दीगोद के 9 ग्राम हैं। इस लघु खण्ड के ग्रामों के जनजाति के व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु विभिन्न स्कीम जैसे शिक्षा प्रोत्साहन, कूप निर्माण, हैण्डपम्प, व्यक्तिगत लाभ की योजना तथा जनजाति के बच्चों के शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने हेतु प्राथमिक शाला हेतु राशि स्वीकृत की गई है।

(2) अब तक वर्ष 1978-79, 1979-80 व 1980-81 में उक्त लघु खण्ड में जिन कार्यों को स्वीकृति दी गई है तथा जो अब तक व्यय हुई राशि का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) जी, नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

जिला चित्तौड़गढ़ में चिकित्सा कर्मचारियों के विरूद्ध विचाराधीन भ्रष्टाचार के प्रकरण

326. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में कितने विभागीय कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में मामले विचाराधीन हैं ?

(2) ऐसे मामलों में निर्णय होने के पूर्व कर्मचारी पर विभागीय क्या कार्यवाही की गयी है ?

(3) क्या यह सही है कि जिला चिकित्सालय के स्टोर कीपर के पद पर अनुभवहीन व्यक्ति को लम्बे समय से पदस्थापित किया हुआ है ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के चार विभागीय कर्मचारियों के विरूद्ध मामले भ्रष्टाचार विभाग में विचाराधीन हैं।

(चिकित्सा मंत्री)

(2) 4 में से 3 कर्मचारियों को निलम्बित किया जा चुका है तथा एक के बारे में मामला विचाराधीन है।

(3) स्टोर पर एक कम्पाउण्डर, एक लेखक तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होता है। पदों पर इस समय कम्पाउण्डर के स्थान पर परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य सहायक कार्यरत है तथा एक लेखक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपने पद पर कार्यरत है।

जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर के ऑपरेशन थियेटर्स

327. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में कुल कितने ऑपरेशन थियेटर्स हैं? किस थियेटर में किस-किस रोग संबंधी ऑपरेशन होते हैं?

(2) क्या यह सही है कि विभिन्न रोगों में ऑपरेशन के केस अधिक होने से कुछ और ऑपरेशन थियेटर्स स्थापित करने की मांग की गई है? यदि हां, तो मांग कब तक पूरी हो जायगी?

उत्तर

(1) जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में 6 ऑपरेशन थियेटर हैं। नम्बर (1) में गाइनिक व मेटरनिटी के आपरेशन होते हैं। नम्बर (2), (3) व (4) में जनरल सर्जरी के ऑपरेशन होते हैं, नम्बर (5) में अस्थि व नाक, कान गले के आपरेशन होते हैं। नम्बर (6) में आंखों के आपरेशन होते हैं।

(2) 4 और नए ऑपरेशन थियेटर बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

तहसील प्रतापगढ़ के आदिवासियों को कुएं गहरे कराने बाबत प्रदत्त ऋण

328. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या जनजाति विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि वर्ष 1980 में प्रतापगढ़ तहसील के आदिवासियों के कुए गहरे करने के लिए एक लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी? यदि हां, तो किस-किस काश्तकार को कितनी-कितनी राशि कब कब दी गयी? क्या सम्पूर्ण राशि का उपयोग हो गया है?

उत्तर

यह सही है कि जनजाति उप योजना क्षेत्र की तहसील प्रतापगढ़ के लिए वर्ष 1979-80 में 0.20 लाख व 1980-81 में 0.80 लाख, कुल एक लाख रुपये मंजूर हुए थे, जो भू-जल विभाग, चित्तौड़गढ़ को व्यय हेतु दिए गए थे।

जिन-जिन काश्तकारों पर उक्त राशि व्यय की गई, उसकी सूची संलग्न है। कुल 18 काश्तकारों को लाभान्वित किया जा सका है, जिस पर 15,228.00 की राशि

(जनजाति विकास मंत्री)

व्यय हुई है। शेष राशि का उपयोग शीघ्र ही होने की सम्भावना है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें।)

जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में एक्स-रे प्लेट्स के कोटे में वृद्धि करना

329. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय अजमेर में कुल कितनी एक्स-रे एवं हृर्ट लंग्स मशीन्स हैं ?

(2) इनमें से कितनी कब से खराब पड़ी हैं ? क्या सरकार इन्हें चालू करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि चिकित्सालय को एक्स-रे प्लेट्स का कोटा बहुत कम मिलता है, जिसके कारण गरीब मरीजों को बाजार से एक्स-रे कराना पड़ता है ? यदि हां, तो गरीब मरीजों के हितार्थ क्या सरकार एक्स-रे प्लेट्स का कोटा बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय अजमेर में कुल 500 एम. ए. की तीन एक्स-रे एवं एक हृर्ट लंग्स मशीन है।

(2) तीनों एक्स-रे मशीन्स एवं एक हृर्ट लंग्स मशीन वर्तमान में चालू हालत में हैं।

(3 जी हां। एक्स-रे प्लेट्स का कोटा कम है। एक्स-रे प्लेट के लिए बजट में अलग से प्रावधान नहीं है। एक्स-रे प्लेट मेडिसियन या इक्विपमेंट मद में से खरीदनी पड़ती है। जहाँ तक सम्भव है, गरीबों के एक्स-रे यहीं चिकित्सालय में ही किये जाते हैं और जिसकी आर्थिक क्षमता है वे बाहर से कराते हैं एक्स-रे प्लेट्स का कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री राजबहादुर, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 14 मार्च को जयपुर-आगरा यात्री बस को बदमाशों द्वारा लूट लिये जाने की घटना के विषय में।

(2) श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर के कई मार्गों में पीने के पानी में गटर का पानी तथा चरबी, खून इत्यादि मिला हुआ आने के विषय में।

(3) सर्वश्री बालचन्द्र आर्यवीर व अनंगकुमार जैन, सदस्य, विधान सभा द्वारा झालावाड़ जिले के सुनेलकस्बे में गत सप्ताह एक दिन में 7 चोरियां होने के विषय में।

Page No. 41

(५१)

(श्री अध्यक्ष)

(4) सर्वश्री रघुवीरसिंह कौशल व दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील अटरू जिला कोटा के ग्राम मोतीपुरा के कुछ किसानों को जो अधिकतर जन जाति के हैं, तहसीलदार अटरू के माध्यम से वेदखल किये जाने की घटना के विषय में।

(5) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील छतरगढ़ के वन कमान्ड एरिया की कुछ बारानी जमीन के पट्टे उपनिवेशन विभाग द्वारा खारिज किये जाने की घटना के विषय में।

(6) श्रीमती उज्वला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से मोती डूंगरी रोड, जयपुर पर बर्फखाने के सामने बूचड़ खाना होने के कारण स्थानीय निवासियों को परेशानियां तथा बीमारियां होने की आशंका के विषय में।

(7) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से आयुर्वेद विभाग द्वारा गत 4 मार्च को खरीदी गई हींग में हल्के स्तर की हींग मिला कर प्राप्त करने से राज्यकोष को 4 लाख रुपये की हानि होने के विषय में।

(8) सर्वश्री दाऊदयाल जोशी व हंसराज शर्मा सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के विभिन्न विद्यालयों में पढ़ाई जा रही पुस्तकों में अशुद्धियां होने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(1) श्री रतनलाल ताम्बी :

मेजा फीडर में भ्रष्टाचार तथा घोटालों के विषय में।

(2) श्री देवीसिंह भाटी :

तहसील कोलायत, जिला बीकानेर के कुछ गांवों में अकाल राहत कार्य न खोलने के विषय में।

(3) श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :

गत 22 जनवरी से 27 जनवरी तक भरतपुर जिले की नगर व कामां तहसील में 9 डाके डाले जाने की घटना के विषय में।

इन प्रस्तावों पर सम्बन्धित अनुदान की मांगों के समय माननीय सदस्य चर्चा उठा सकते हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्रीमती विद्या पाठक :

सांगानेर में गत 7 मार्च को विद्युत विभाग की सतर्कता के कारण वहां के कुछ कारखानों में बिजली की चोरी पकड़े जाने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने के विषय में।

(5) श्री घनश्याम तिवाड़ी व सुश्री पुष्पा जैन

जयपुर शहर में पिछले एक माह से खाना पकाने की गैस व कैरोसिन तेल न मिलने के विषय में।

Page No. 42

(४२)

(श्री अध्यक्ष)

(6) **श्री नन्दलाल मीणा व श्री गुलाबचन्द कटारिया :**

राज्य के बन्धक मजदूरों के लिए एक समिति गठित होने पर भी इस विषय के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के विषय में,

(7) **श्री महावीर प्रसाद जैन:**

ग्राम गुणसी, तहसील निवाई, जिला टोंक में विद्युत मण्डल के एक कर्मचारी की मृत्यु तथा एक व्यक्ति घायल होने की घटना के विषय में,

(8) **श्री हीरालाल आर्य :**

अटरू विधान सभा क्षेत्र में अवैध रूप से कच्ची शराब निकाले जाने के विषय में।

ये स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं और अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं। अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

पूर्व में प्राप्त हुए प्रस्तावों पर मेरा निर्णय इस प्रकार है :

(1) **श्री मेघराज तायड़ :**

खेतड़ी में पुलिस द्वारा गरीब मजदूरों पर फायरिंग —

इस विषय में सदन में सरकार की ओर से कल दिनांक 18 मार्च को एक वक्तव्य दिया जाएगा।

(2) **श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी व श्री दाऊदयाल जोशी :**

कोटा शहर में मच्छरों के प्रकोप से बीमारियां फैलने के विषय में।

इस विषय पर सरकार की ओर से दिनांक 23 मार्च को एक वक्तव्य दिया जायेगा।

(3) **श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, डा. उजला अरोड़ा व श्री भगवान दास शास्त्री :**

राजस्थान विश्वविद्यालय के विधि विभाग की हाल ही में आयोजित परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तिकायें रद्दी में पकड़े जाने के विषय में,

(4) **श्री जीतमल जैन :**

भारत एलम्स एण्ड कैमिकल्स फैक्ट्री अलवर में विषैली गैस के फैलने से फसल नष्ट हो जाने के विषय में।

इन दोनों विषयों पर भी सरकार की ओर से वक्तव्य दिये जायेंगे जिनकी तिथि बाद में तय की जायेगी।

(5) **श्री हीरालाल आर्य :**

पीपल्दा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा किसानों को भूमि से बेदखल करना।

इस सम्बन्ध में प्राप्त सूचना का अध्ययन किया जा रहा है और बाद में निर्णय लिया जावेगा।

(6) **श्री बालचन्द्र आर्यवीर :**

झालावाड़ जिले में अकाल के बावजूद वसूलियां और कुर्कियाँ होना।

सरकार की ओर से प्राप्त जानकारी अनुसार झालावाड़ जिले की 6 तहसीलों के 504 गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के कारण समस्त वसूलियां, कुर्कियां आदि स्थगित की जा चुकी हैं और इसके सम्बन्ध में आदेश भी जारी किये जा चुके हैं।

(श्री अध्यक्ष)

(7) **श्री रामकिशोर मीणा :**

सिकराय क्षेत्र में नामक रानौली पहाड़ के ठेकेदार द्वारा अनधिकृत रायल्टी की वसूली।

प्राप्त तथ्यों से प्रकट होता है कि जो खनिज मजदूरों द्वारा निकाली जा रहा है उसको बेचने पर रायल्टी की कोई छूट नियमों के अन्तर्गत नहीं है और अन्य कार्यों के लिये भी परमिट प्राप्त करना आवश्यक है।

(8) **सर्वश्री हीरालाल आर्य, बाल चन्द्र आर्यवीर व अनंगकुमार जैन :**

थाना अकलेरा के अन्तर्गत कंचन नामक एक लड़की के साथ बलात्कार।

इस घटना में पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है और अन्वेषण जारी है।

(9) **श्री जीतमल जैन :**

अलवर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा सड़ा गला अनाज वितरण करना।

(10) **श्री दाऊदयाल जोशी :**

थर्मल पावर प्रोजेक्ट के माल पर डेमरेज लगना।

सदन में इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान चर्चा हो चुकी है।

(11) **श्री अनंगकुमार जैन :**

झालावाड़ शहर व झालावाड़ जिले के ग्रामीण अंचलों में आवश्यक वस्तुओं की कमी।

प्राप्त तथ्यों से प्रकट होता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को मैंने अस्वीकार किया है...

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री देवी सिंह भाटी : मेरी तहसील कोलायत में मजदूरी के अभाव में मजदूर भूखे मर रहे हैं। बार-बार हमने निवेदन किया, तीन महीने से मैं निवेदन कर रहा हूं, मैंने मुख्य मन्त्री को पत्र लिखे हैं कि राहत कार्य खोले जायें...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह से मामले नहीं लिये जाते हैं।

श्री देवी सिंह भाटी : आखिर क्यों नहीं खोले जा रहे हैं ? कौन व्यवस्था करेगा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री देवी सिंह भाटी : मेरे क्षेत्र में किसान....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। नियमों का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

श्री देवी सिंह भाटी : आपने, अध्यक्ष महोदय, फिर व्यवस्था दे दी। श्रीमाधोपुर....

Page No. 44

(९५)

श्री अध्यक्ष: इसका मतलब, आप समय का उपयोग कर रहे हैं। आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : मुझे सजा दीजिये चाहे....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री देवी सिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : नियमों का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

श्री देवी सिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं नियमों के तहत कार्यवाही करूंगा।

श्री देवी सिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

श्री देवी सिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री देवी सिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप बाधा उपस्थित कर रहे हैं। आर्डर प्लीज।

श्री देवी सिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। हम कुछ कहने जा रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मैं इतनी देर तक यूं ही बोला। मैंने यह निवेदन किया कि आपका स्थगन प्रस्ताव है, उसको मैं अस्वीकार करता हूं। यदि आप चाहें तो अकाल की जो मांग है, उस पर चर्चा उठा सकते हैं। आज भी, क्योंकि मैंने अस्वीकार किया है, दो मिनट के लिये अपनी बात फर्मा सकते हैं। इसमें कौन से विवाद की बात है ?

श्री देवी सिंह भाटी : बात कहने से क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करूंगा।

श्री देवी सिंह भाटी : क्या करूं ? मेरे क्षेत्र में....

श्री अध्यक्ष : आप सदन पर कार्यवाही थोप रहे हैं....

श्री देवीसिंह भाटी : कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : मैं चेतावनी देता हूं कि नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करूंगा....

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : कृपया आप सदन से बाहर जायें। मेरी ओर से सार्जेंट-एट-आर्म्स उनसे निवेदन करें कि वह बाहर जायें।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री देवी सिंह भाटी : मैं सदन की कार्यवाही नहीं चलने दूंगा। मेरे लोग भूख मर रहे हैं और सरकार झूठे आंकड़े पेश कर रही है। आखिर इसकी व्यवस्था कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष : शेष समय के लिए बाहर जायें। अंकित न हो।

श्री देवी सिंह भाटी : यह अन्याय हो रहा है। जो गरीब किसान हैं भूखे मर रहे हैं, उनके लिए कौन व्यवस्था करेगा ?

श्री अध्यक्ष : शेष समय के लिए बाहर जायें।

श्री देवी सिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : अकाल से हम भी पीड़ित हैं, वे भी पीड़ित हैं, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री देवी सिंह भाटी : × × ×

(सशस्त्र परिचारक ने आदेशानुसार श्री देवी सिंह भाटी को सदन से बाहर निकाला)

श्री अध्यक्ष : कोई जुल्म नहीं, मैं नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही कर रहा हूं। जब मैंने निवेदन किया कि आपको अवसर दे रहा हूं, 19 तारीख को अकाल की मांगों पर विचार हो रहा है तब या अन्य किसी तरीके से बोल सकते हैं। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : पाइंट आफ आर्डर। अध्यक्षम होदय, मैंने इतना महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव कल दिया, आपने कहा उसका जवाब भी आ गया, लेकिन अभी भी सरकार अपना जवाब सदन में पेश नहीं कर रही है। इस तरह की व्यवस्था के कारण हमारे मन में एक टेन्शन आना स्वाभाविक है। इकतरफा कार्यवाही हो रही है गलत ढंग से, आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे····

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। मेरी बात तो सुनिये। आपने चाहा था कल कि तत्काल कल का कल वक्तव्य आए। आज उदयपुर में ऐसी स्थिति बन रही है, विद्यार्थी ट्रकों के अन्दर बैठकर सशस्त्र होकर शहर में घूम रहे हैं, क्या पता क्या हो जाए। उस पर तत्काल जानकारी मंगवाई गई और अब आपको मालूम पड़ा होगा कि कोई ऐसी घटना नहीं घटी। जहां तक दुर्भाग्यवश एक विद्यार्थी का कत्ल हो गया है, उस बारे में आप जानते हैं कि तथ्य अभी पूरे नहीं आए हैं, आने पर व्यवस्था दी जायगी। लेकिन मैं यह निवेदन कर दूं कि स्थगन प्रस्ताव पर सरकार की ओर से वक्तव्यों के लिए 23 तारीख तक पहले ही तारीखें दी जा चुकी है। ज्यों ही आ जाएगा उसके बाद में होली की छुट्टियों से पहले किया जा सकता है। महत्वपूर्ण मामला, दुर्भाग्यपूर्ण मामला है, पहले लेने की कोशिश करूंगा लेकिन आप एकदम उठाकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालें, मैं इसको उचित नहीं समझता। कृपया सहयोग करें। एक एक कर के जब अन्य माननीय सदस्य से बोलें उसके बाद में आप फर्मायें तो मैं अवसर दूंगा। पहले मैं जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारता हूं····

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह घटना इस ढंग से घटी है और यह समय केवल इसलिए मांगा जा रहा है कि जो लोग आक्रमण करने वाले थे उनको····

श्री अध्यक्ष : आप ऐसा समझते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं ठीक कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं कार्यवाही सदन पर थोपने नहीं दूंगा। आपको शिकायत है कि जल्दी आना चाहिए, तो एकाध स्थगन प्रस्तावों को, वक्तव्यों को आगे पीछे करने का मैंने आपको आश्वासन दिया। सरकार का वक्तव्य आएगा। उसमें यदि आपको शिकायत रह जाती है तो एक दो आगे पीछे कर सकता हूं लेकिन यह कोई तरीका नहीं है····

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसमें इन्टेन्शनली यह किया जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है....

श्री अध्यक्ष : आप ऐसा समझते हैं। स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं इससे ज्यादा सुनने को तैयार नहीं। मैंने आप से निवेदन किया कि यदि आपको शिकायत है तो आप मुझसे मिलें, मैं व्यवस्था करूंगा, यह महत्वपूर्ण मसला है, सरकार का उत्तर जल्दी आए। आपने चाहा था कि कल जो घटना हुई थी उसकी तुरन्त जानकारी आए, दो घंटे में जानकारी आई।

मेजा फीडर पर भ्रष्टाचार तथा····

श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी) : मैं निवेदन करता हूं कि अभी भी मेरे दल के सदस्य....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं चाहूंगा, आप मुझे भले कोई सजा दे दें। मैं इस बात को कभी बरदाश्त नहीं करूंगा। यह सरकार जानबूझ कर जो लोग निर्दोष हैं उनको सजा दे रही है और बाकी लोगों को प्रोटेक्ट कर रही हैं····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं पूर्ण तथ्य रखूंगा, जिन जिन लोगों ने आक्रमण किया है उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनके बजाय निर्दोष····

श्री अध्यक्ष : आप नियमों का उल्लंघन कर रहे है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाईंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक बात है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, कल इस विषय पर सदन में इतनी

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

गर्मी हो गई थी, आपने सरकार से कहा तुरन्त वक्तव्य दे दे। उसने कहा, जानकारी मंगवाई है, आपको बतायेंगे। तब यह बात आई थी कि यह सदन की प्रापर्टी हो गई है। सरकार से आपने जानकारी मंगाई। अगर सदस्य के पास इस प्रकार के तथ्य हैं तो आप उनके स्थगन प्रस्ताव को रिजेक्ट करें, उनको बोलने का मौका दें, बात खतम हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : इनका प्रस्ताव है, उसको रिजेक्टेड मानकर मैं अवसर दे दूं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्रीमती विद्या पाठक : कांग्रेस के श्री प्रद्युम्न सिंह भी प्राणों की आहूति देने को तैयार हैं इसलिए स्थगन प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या।

श्री हजारीलाल शर्मा : मेरे दल के सदस्य ने इस सदन में एक बात रखी, आज 17 तारीख है...

श्री अध्यक्ष : आप किस विषय पर बोल रहे हैं ?

श्री हजारीलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे दल के सदस्य के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप जिस विषय पर बोल रहे हैं उसका प्रकरण तो समाप्त हो चुका है। अब क्या रह गया है ?

श्री हजारीलाल शर्मा : मैं तो स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण का तो सवाल ही नहीं है। आसन ने जो व्यवस्था दी है उस पर स्पष्टीकरण क्या देना चाहते हैं ?

श्री हजारीलाल शर्मा : आप दो मिनट मेरी बात सुन लीजिये। अध्यक्ष महोदय, आज 17 मार्च है और 31 मार्च तक बजट समाप्त हो जायेगा। अब केवल 13 दिन ही रह गये हैं, अभी तक वहां पर कोई अकाल राहत कार्य नहीं खोले गये हैं। अब इन 13 दिनों में कोई अकाल राहत कार्य खोले जाने की मुझे सम्भावना भी नहीं दिखायी देती है। ऐसा माननीय सदस्य ने कहा और आपने उन्हें निकाल दिया।

श्री अध्यक्ष : वह तो रोज ही कुछ न कुछ करते दिखायी देते हैं। मेरे बार बार समझाने पर भी माननीय सदस्य नहीं माने तो मैं विवश था, मेरे पास वह कार्यवाही करने के सिवाय कोई चारा नहीं था।

श्री हजारीलाल शर्मा : पर यहां पर राज्य सरकार को यह बताना चाहिए था कि वहां पर अकाल राहत कार्य कब शुरू होंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी, आपका क्या कोई पोइन्ट आफ आर्डर है ? इस समय कोई भी प्रश्न, सिवाय पोइन्ट आफ आर्डर के नहीं उठाया जा सकता है।

श्री हजारीलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने कोई व्यवस्था नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : इसमें व्यवस्था क्या है ? कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे सामने कोई विचाराधीन विषय नहीं है।

श्री हजारीलाल शर्मा : अगर आपकी उस विषय पर कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं भी अपने दल के साथ वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : उस विषय में मैंने जानकारी चाही है।

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुन लीजिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न भी रखा था और उस प्रश्न का जो उत्तर राज्य सरकार से मिला वह गलत उत्तर मिला। उसमें मुझे जो जानकारी दी गयी वह असत्य जानकारी दी गयी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे दल के सदस्य को जो निकाला गया उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मेरा पोइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मुझे जो मेरे प्रश्न का जवाब दिया गया, वह तो एक पोर्शन का ही दिया गया और वह भी गलत दिया गया। इसलिये मुझे सरकार के वक्तव्य पर विश्वास नहीं होता है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पोइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : क्या पोइन्ट आफ आर्डर है, आपका ?

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पोइन्ट आफ आर्डर यह है कि यहां पर आपने जो व्यवस्था एक स्थगन प्रस्ताव के बारे में दी, तो माननीय सदस्य जो कि उदयपुर से आने वाले हैं उन्होंने यह आसन पर आक्षेप लगाया। ××× ।

इसलिये इस आक्षेप को सदन की कार्यवाही से हटाया जाय। यह सदन की और आसक की गरिमा का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : ऐसे आक्षेप तो हर रोज यहां पर लगते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशनुसार अलोपित की गई।

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्तावों पर

सरकार द्वारा कार्यवाही

करने में विलम्ब ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस बात का तो सन्देह नहीं है कि आपके प्रयत्नों के कारण काफी स्थगन प्रस्तावों पर कार्यवाही होती है। लेकिन एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो सदन के अन्दर एडजोर्नमेन्ट मोशन रखना चाहते हैं वह इस भावना से रखते हैं कि यह स्थगन प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए इस पर सरकार द्वारा तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये। लेकिन बात यह है कि आप जब सरकार के पास स्थगन प्रस्ताव भेजते हैं और उसके बाद में सरकार के पास से उन प्रश्नों पर जानकारी आती है तो उसके बाद में जो निर्णय होने में विलम्ब होता है उससे उन एडजोर्नमेन्ट मोशन्स को देने की मन्शा स्वतः ही समाप्त हो जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारा विलम्ब हो जाता है। यहां सदन में एडजोर्नमेन्ट मोशन देने का मकसद माननीय सदस्य का यह नहीं होता है कि वह सदन में डिबेट करें। पर स्थिति यह होती है कि माननीय सदस्य उस प्रश्न को सदन में रखना चाहते हैं। अब उसमें सरकार द्वारा एक दिन में दो दिन में जब तक जवाब आता है, उसमें अधिक विलम्ब हो जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि माननीय सदस्यों का सब्र टूट जाता है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो बहुत महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव हो उसके लिये आप सदन में वक्तव्य तुरन्त दिलवाने की व्यवस्था करावें। इसमें आप इस बात की चिन्ता नहीं करें कि आज दो स्थगन प्रस्तावों पर सरकार का स्टेटमेन्ट है या तीन पर स्टेटमेन्ट है। अगर वह स्थगन प्रस्ताव महत्वपूर्ण हो तो उस पर तुरन्त व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि सरकार का स्टेटमेन्ट सदन में हो।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जो स्थगन प्रस्ताव आप रिजेक्ट कर देते हैं उनकी सूचना आपके पास या माननीय सदस्यों को पांच सात और आठ दिन बाद में मिलती है और उस दिन संयोगवश ऐसा होता है कि वह माननीय सदस्य उन विषयों के बारे में पत्रावली घर पर ही भूल जाते हैं जिससे कि वह उन विषयों पर बोलने में असमर्थ होते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर माननीय सदस्यों को यह पता चल जाय कि उनका स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया है, चाहे अनआफिशियली, तो वह सदस्य कम से कम तैयार हो जावें कि उन्हें अपने रिजेक्टेड स्थगन प्रस्तावों पर बोलना है। तो इसके लिये आप व्यवस्था करावें।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ने यहां पर सुझाव दिये हैं कि कई बार बहुत ही महत्वपूर्ण एडजोर्नमेन्ट मोशन्स को सदन में नहीं लिये जाने के कारण उन पर समय पर कार्यवाही नहीं हो सकती है, उसमें देर हो जाती है और महत्वपूर्ण मसले छूट जाते हैं। इसके लिए मैंने पूर्व में भी यहां पर निवेदन किया था कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप दोनों पक्षों के माननीय सदस्य यहां बैठ कर, तीन सदस्य, चार सदस्य, पहले तय कर लें कि यह एडजोर्नमेन्ट मोशन बहुत अधिक महत्व वाले

Page No. 50

(50)

(श्री अध्यक्ष)

हैं, इन पर पहले व्यवस्था हो जाये और इन्हें पहले ले लिया जाय, तो ठीक रहे। तो मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे भी एक दो स्टेटमेन्ट राज्य सरकार की ओर से दिलवाने की कोशिश मेरी रहती है। पर आप जानते हैं कि 10-12 प्रश्नों के उत्तर तो रोजाना आते हैं और उसमें भी दो-दो स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा स्टेटमेन्ट रखने के बावजूद भी अगर आप देखें, अब आगे तो नजदीक से नजदीक तारीख 23 पड़ेगी, उस पर वक्तव्य रख सकते हैं, तो अभी से अगर सभी दिनों की तारीख के अनुसार वक्तव्य की डेट्स तय कर दें तो हो सकता है कि आज या कल में या बीच में कोई भी मसला खड़ा हो सकता है। तो थोड़ी जगह रखनी पड़ती है। वैसे मैं दो तीन दिन आगे ही तारीख तय कर देता हूं पर सभी तारीख को अगर पहले स्टेट-मेन्ट तय कर दिये जायें और कोई बीच में महत्वपूर्ण मसला आ जाय, तो उसके लिए भी जगह रखनी पड़ती है। कुछ महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्तावों पर स्टेट-मेन्ट देने के लिए उनको लम्बित भी रखना पड़ता है। हो सकता है कोई तत्काल प्रश्न खड़ा हो जाय और उसके लिये कोई जगह ही नहीं मिले। तो इसके लिये मान नीय सदस्य कोई दो चार पांच सुझाव दें तो मैं उनका स्वागत करूंगा और वह जो निर्णय देंगे मैं मान लूंगा। अब यह चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। अब मुख्य मुद्दे पर आ जायें।

श्री राजबहादुर : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : क्या है आपका पाइन्ट आफ आर्डर ?

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने एक अन्य माननीय सदस्य के व्यवस्था के प्रश्न पर अपनी व्यवस्था दी है कि अगर किसी माननीय सदस्य का स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है तो वह अपनी बात कह सकता है। अगर यह मान लें कि मेरा स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया है तो मैं भी यह प्रिविलेज चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह तो बहुत ही आसान प्रिविलेज है, इसमें कौनसी बड़ी बात है। आप मानते हैं अपने स्थगन प्रस्ताव को रिजेक्ट किया हुआ। आप स्थान ग्रहण कर लें। अभी नाम पुकारूंगा और शायद आपका नाम अभी पहले ही आ जाये।

श्री राजबहादुर। आप का स्थगन प्रस्ताव बस लूटी जाने के बारे में ही है ना ?

श्री राजबहादुर : जी हां। मेरा स्थगन प्रस्ताव मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं।

राज्य में विशेषतया राज्य के पूर्व जिलों में दिनों दिन बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति, जन जीवन की सुरक्षा का अभाव जिसकी पराकाष्ठा हुई भरतपुर जिले के विभिन्न इलाकों में पिछले दस सप्ताह में लगभग दो दर्जन डकैतियों की वारदातों से एवं दिनांक 14 मार्च, 1981 को जयपुर--आगरा यात्री बस को बदमाशों अथवा डाकुओं द्वारा किरावली और आगरा के मध्य चालक को पिस्तौल दिखाकर लूट लिया और इस घटना में चालक को गोली मारकर घायल करना

(श्री राज बहादुर)

तथा उक्त बस नम्बर आर एस बी 7819 अथवा आर. एस. बी. 759 के समस्त यात्रियों से उनका जेवर व नकदी लूट लेना।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर आपने सरकार से वक्तव्य मांगा। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मैने एक प्रश्न संख्या 254 दिया था जो कल या परसों आया था, उसका जवाब जो राज्य सरकार द्वारा दिया गया, उससे यह पता लगता है कि राज्य सरकार ने जो भी प्रश्न का उत्तर दिया वह गलत है, नितान्त असत्य है, और राज्य सरकार ने फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश की है। राज्य सरकार ने कहा है कि भरतपुर जिले में पिछले दिनों में पांच डकैतियां डाली गयी हैं। जब कि इस अवधि में 16 डकैतियां डाली गयी हैं। इन्होंने कहा है कि पांच डकैतियां पड़ी हैं और चार व्यक्ति मारे गये हैं। यह बात भी बिलकुल गलत है। अध्यक्ष महोदय, कुल 16 डकैतियां डाली गयी हैं। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। इस सप्ताह के अन्दर भरतपुर जिले में मुख्य-मुख्य जिन ग्रामों में डकैतियों की वारदातें हुई हैं वह निम्न प्रकार हैं :- इसमें नगर तहसील में ग्राम तरांडर, गगोवत, गुलापाड़ी, पालकी, गोपालगढ़, सब तहसील पहाड़ी, पीपलखेड़ा, सिरथला, सिरथली। अध्यक्ष महोदय, यह पीपलखेड़ा में जो डकैती पड़ी है उसमें मुख्य मन्त्री जी के कोई सम्बन्धी के परिवार के लोग रहते हैं उनके यहां पर डकैती पड़ी है। वहीं पर एक महिला के पैर पर घाव करके जेवर ले गये। वहां पर गोलियां चली हैं, छर्रे लगे हैं लोगों को। पालकी में डकैतों और गांव वालों के बीच एक घन्टा तक गोलियां चलीं। सिरथली, सिरथला, और रसिया तहसील नगर में डकैती पड़ी। तहसील डीग में डकैती पड़ी, कुम्हेर में अजयपुरा कीसीयों का नगला में पड़ी, भरतपुर में इकरन में पड़ी नदबई में अखेगढ़ ग्राम पपरेड़ा, तहसील कुम्हेर और वैर में वेरी में पड़ी। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर डकैतियां ही नहीं पड़ी हैं बल्कि वहां हत्याएं भी की गयी हैं; इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे प्रश्न संख्या 254 का जो जवाब दिया गया है, वह नितान्त असत्य है और फैक्ट्स को छुपाया गया है, पब्लिक ओपीनियन को मिसगाइड करने वाला है। इसलिए आज, अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति बिगड़ गयी है कि वहां जनता की हालत खराब है और इतना सब होते हुये भी जब कि राज्य सरकार का धर्म होता है कि वहां पर मंत्री जी दौरा करते, पर नहीं किया; और न ही वहां पर आई. जी. पुलिस दौरा करने गये। अगर वहां यह लोग दौरा करते तो वहां पर स्थानीय व्यवस्था कुछ ठीक होती। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे यहां पर कोई सुरक्षा नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं, कि क्या कर रहा है हमारा पुलिस डिपार्टमेन्ट ? क्या कर रहा है हमारा होम डिपार्टमेन्ट ? आज स्थिति ऐसी है कि घर की बहू बेटियों ने जेवर पहनना बन्द कर दिया है और लोग आज मारामार पिस्तौलों और बन्दूकों के लाइसेन्स लेने के लिये जा रहे हैं।

(श्री राज बहादुर)

मेरा निवेदन है कि लेने दीजिये लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए पिस्तौलें और बन्दूकों के लाइसेन्स। रात-रात भर गश्त लगाते हैं गांव के लोग। इस तरह की यहां सूचना है। सरकारी बस लूटी गयी है, कुछ दिन पहले बहरोड़ में लूटी गयी थी। इस तरह कोई यह दावा करना कि बड़ी शांति है और शांति और व्यवस्था काबू में है, वह गलत होगा। हम कोई बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहना चाहते, लेकिन यह निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि हमारी मांग है कि जान-माल की सुरक्षा की जाये और अगर नहीं कर सकते हैं तो सरकार के बारे में जो ख्याल है पब्लिक में उसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी। भरतपुर जिले की नगर व कामां तहसील में 9 डाके डाले जाने की घटना के विषय में।

श्री नाथूसिह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था....

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था....

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर नहीं सुनूंगा कि आपका स्थगन प्रस्ताव था या नहीं।

आर्डर प्लीज। मैं यदि नाम पुकारता हूं तो आपको अधिकार होगा उसके ऊपर अल्पकाल की चर्चा उठा दें।

श्री नाथूसिह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था....

श्री अध्यक्ष : निवेदन नहीं सुनूंगा। आपने स्थगन प्रस्ताव दिया था और मैंने व्यवस्था दे दी है...

श्री नाथूसिह : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था और आपने व्यवस्था दी है कि सरकार से जानकारी चाही है। मैं प्रिविलेज चाहता हूं क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : हां, बोल दीजिए।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यही बात मैं चाहता हूं आपसे। आपने व्यवस्था दी है कि राज्य सरकार से जानकारी चाही है। राज्य सरकार से जानकारी नहीं आयेगी इसलिए मुझे भी मौका दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : अनकमाण्ड एरिया का ?

श्री महाराम चौधरी : हां।

श्री चाव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, कामां और नगर की समस्या है और मैं उस क्षेत्र का विधायक हूं। मैं भी दो मिनट का समय लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस वक्त नहीं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, सचमुच भरतपुर, सवाई माधोपुर और अलवर यह तीनों जिले डाकुओं की समस्या से बहुत त्रस्त हो गये हैं। विशेषकर कामां और नगर तहसीलों की चर्चा मैंने करने की कोशिश की है।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

22 जनवरी से फरवरी के अन्त तक 9 डाके वहां पड़े जिनकी चर्चा अभी माननीय सदस्य भरतपुर से आने वालों ने की। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पता नहीं ऐसे कोई मौखिक आदेश शायद मुख्य मंत्री जी, जो कि भरतपुर के हैं दे दिये हैं कि डकैतियों को पुलिस में रजिस्टर ही नहीं किया जाये।

सबसे पहली बात यह कहना चाहता हूं कि आज वहां पर गोलियां चल रही है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी के स्वयं के संबंधी, श्री नत्थी एवं रामसहाय, दोनों व्यक्तियों के घर में डकैती हो गयी पीपलखेड़ा में और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 17 फरवरी के दिन रात के 1 बजे 20-25 व्यक्ति बन्दूकों से लैस होकर आये....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ... मैं, इसलिए जानकारी देना चाहता हूं कि उसने बीच में ट्रक खड़ी करके, जो एक व्यक्ति खेत में सो रहा था उसको जाकर कहा कि हमको बाबूलाल सेठ का मकान बताओ। खूबी नाम का वह व्यक्ति घबरा गया। उसने कहा कि मुझे तो दीखता नहीं है, आप अपने आप देखकर चले जाओ। वह गये और रामकिशन शर्मा नत्थीसिंह यादव, मानसिंह यादव और मोहनसिंह यादव थे, वहां फायरिंग हुआ। लोग इकट्ठे हो गए और एक प्रकार का युद्ध रचा गया और उसके बाद इस प्रकार की डकैती की गयी। 9 काण्ड हो गए हैं कामां और नगर तहसीलों में। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कौनसी साजिश चल रही है राजस्थान प्रदेश के साथ कि मुख्य मंत्री जी अपने ही जिले के साथ ऐसा कर रहे हैं। उसके ऊपर हिमायत क्या हो रही है ? डी. आई. जी. पिलानिया ही सदा वक्तव्य देते हैं। हमको तो लगता है कि राजस्थान में कोई गृह मंत्री नहीं है। वक्तव्य आ जावेगा बस पिलानिया जी का। एक के बाद एक वक्तव्य आ रहे हैं, हर रोज वक्तव्य आ रहे हैं। क्या आई. जी. साहब ने कभी प्रेस वक्तव्य दिया ? रामभरोसे जी बैठे हैं, वह दो व्यक्तियों को सरेन्डर कराने ले गये और पिलानिया जी से वक्तव्य आ गया कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस निष्क्रिय है। डाके पड़ रहे हैं और मौखिक राय दी जा रही है कि डाके के नाम से केस ही दर्ज मत करो। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस भी थोड़ी बहुत कोशिश पकड़ने की करती है लेकिन राजनैतिक दबाव डाले जा रहे हैं। वहां के जो विधायक हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कौनसी साजिश हो रही है ? क्या केवल मुख्य मंत्री जी भरतपुर से जीत गये, वैर से जीत गये तो भरतपुर, अलवर, धौलपुर और सवाई माधोपुर को डाकुओं के हाथ में सौंप देंगे ?

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आई. जी. साहब नहीं जायेंगे और उधर पिलानिया जी ही वक्तव्य देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। आज सिंचाई की मांग पर बहस है और अभी तक सरकार की ओर से इस वर्ष का प्रगति विवरण किसी को प्रेषित नहीं किया गया है। एक बजे तक मैंने चार चक्कर काटे हैं कि कहीं से उपलब्ध हो जाये। सरकार ने गये साल क्या किया, क्या इसको बताना नहीं चाहती ?·······

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है। प्रगति विवरण विभाग के समय पर उपलब्ध होने चाहिए। यह कुछ देरी से उपलब्ध हुआ है। आज प्रातः 9-10 बजे ही उसको लाबी के अन्दर माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु रख दिया गया है। जितने अल्प समय में इसका सदुपयोग किया जा सकता है करने की कोशिश करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं अभी-अभी अपनी लाबी से आ रही हूं। वहां तो नहीं है। आप मुझे जवाब दीजिए कि हम कब बोलेंगे ?

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस बात के लिए चेतावनी दें कि एक दिन पहले मिले। कल शाम को मिला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों की जो चेतावनी है वह मेरी तरफ से ही सरकार को है। आर्डर प्लीज।

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी थोड़ा बोलने का मौका दिया जाये····

श्री अध्यक्ष : नियमों के अन्तर्गत ही बोलें। अभी श्री नाथूसिंह। गटर का पानी।

श्री नाथूसिंह : क्या, अध्यक्ष महोदय, मेरे विषय में कहा ?

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव देते रहते हैं इसलिए माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए थोड़े में मैं आपका विषय याद दिला देता हूं।

श्री नाथूसिंह : इसमें आप भी सम्मिलित हैं और मैं भी सम्मिलित हूं। अध्यक्ष महोदय।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि विभाग का प्रगति विवरण विधान सभा सचिवालय को 8 दिन पूर्व ही भिजवा दिया गया था।

एक माननीय सदस्य : हमारे पास आ गया है।

श्री अध्यक्ष : मैं इसमें जानकारी कर लूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, अभी एक बजे से 5 मिनट पूर्व ही मैं अपने कटौती प्रस्ताव देने गई हूं तब तक सरकार का प्रगति विवरण नहीं आया, यह मैं आपको बताना चहती हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह 10 दिन पहले ही सब को पहुंच गया।

श्री अध्यक्ष : मुझे ऐसी सूचना मिली है कि प्रगति विवरण पहले बांटा गया था। एक अन्य विवरण आज रखा गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा मतलब विस्तृत रिपोर्ट से है। बुकलेट के बारे में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जयपुर को आजकल बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान की राजधानी है। कई तरह के लोग देश-विदेश के लोग यहां आते रहते हैं। वह जयपुर में कुछ दिन पूर्व जब आते थे तो यहां पर सड़कों पर कचरा मिलता था, सड़कों पर गन्दगी मिलती थी लेकिन वह गन्दगी अब सड़कों से उठकर जयपुर के नगर को पानी के साथ पीने के लिए मजबूर होना पड रहा है।

(12.40 म. प.)

(**श्रीमती विद्या पाठक**, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदया, जब से यह सरकार आई है तब से गन्दगी और कचरा बढ़ता ही जा रहा है। अभी भी गन्दगी किसी भी रूप में बढ़े, चाहे राजनैतिक गन्दगी हो, चाहे भ्रष्टाचार की गन्दगी हो, चाहे अवलमन्दता की गन्दगी हो। निश्चित रूप से राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़कों पर पहले यह गन्दगी थी और नलों में भी यह गन्दगी पहुंच गई है।

सभापति महोदया, पिछली 1 फरवरी को खून और चर्बी मिला हुआ पानी जयपुर की जनता को पीने को मिला। मोती डूंगरी रोड पर स्थित जो बूचड़खाना है कभी-कभी उसकी सफाई की जाती है। जब सफाई की जाती है तो खून मिला हुआ पानी वहां की आस पास की बस्तियों में नलों में आ जाता है और उस पानी को वहां की जनता को पीना पड़ता है। कई बार जनता ने शिकायत की, म्यूनिसिपैलिटी को इसकी शिकायत की, वह पानी शीशियों में भर कर दिया गया, उसकी जांच की गई और उस जांच में पाया गया कि उसमें खून भी है, कचरा भी है, गन्दगी भी है उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं हुई। उसके तुरन्त पश्चात् करीब 20-25 फरवरी को एक दूसरी जगह कल्याण जी का रास्ता, चौकड़ी तोपखाना देश में भी गन्दा पानी आने लगा है। मोती डूंगरी रोड पर तो खून मिला हुआ पानी, चर्बी मिला हुआ पानी, बरडिया बस्ती, म्यूजियम रोड, मोती डूंगरी के आस पास का इलाका है, वहां की जनता को पीना पड़ रहा है। उधर जो चौकड़ी तोपखाना देश में कल्याण जी का रास्ता है, भिण्डों का रास्ता है, चौकियों का रास्ता है, सभापति महोदया, आपका, सदन का और सरकार का ध्यान दिलाने के लिए मैं वहां का पानी भरकर इस शीशी में लाया हूं और इसको मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। सरकार इसकी जांच कराये, इसके अन्दर गटर का पानी मिला हुआ है इस शीशी के अन्दर देख लीजिये। मैं इसको सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। इसकी जांच करें। यह पानी यहां की जनता को पीने को मिल रहा है। यहां की जनता जब यह पानी पियेगी तो किन-किन बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, किस तरह की बीमारिया फैलेंगी, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए, सभापति महोदया, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार और नगरपालिका जनता के साथ होली खेल रही है। अभी से होली

(श्री नाथू सिंह)

खेलना शुरू कर दिया। गटर का पानी ऊपर डालें तो समझ में आ सकता है किन्तु गटर का पानी पिला रही है, गटर के पानी को पीने के लिये मजबूर कर रही है। जनता के साथ होली खेल रही है।

सभापति महोदया, कई बार शिकायत करने के बावजूद भी इस तरह की समस्या को दूर नहीं किया जाता, जांच नहीं की गई, नलों को ठीक नहीं किया गया, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर सरकार जागरूक है, तो तुरन्त इसकी जांच कराये, कौन-कौन लोग इसमें दोषी हैं उनको दण्ड दें और पूरे प्रकरण की जांच करे अन्यथा जयपुर में जो लोग रह रहे हैं उनको अगर खून मिला हुआ, चर्बी मिला हुआ पीने का पानी दिया गया तो क्या स्थिति होगी? जयपुर में गन्दगी बढ़ेगी, बीमारियां फैलेंगी और बीमारियां फैलने के बाद सरकार उसको रोक नहीं सकेगी। इसलिये, सभापति महोदया, मैं मांग करता हूं कि सरकार इस पर तुरन्त कार्यवाही करे।

श्री सभापति : माननीय श्री महाराम।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : माननीय सभापति महोदया, मैं राजस्थान नहर क्षेत्र छतरगढ़ में जिन काश्तकारों को भूमिहीन होने की वजह से जमीन अलाट की गई थी और राज्य सरकार के आदेशों के होते हुए वह जमीन अलाट की गई उस जमीन को काश्तकारों से अब सरकार वापस छुड़ा रही है। मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिये आपकी मार्फत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उनकी तरफ भी उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन काश्तकारों को शहरी भूमि कमाण्ड एरिया की अलाटमेंट न होने की वजह से इनको बारानी जमीन राज्य सरकार के आदेश से अलाट की गई थी, जो काश्तकार भूमिहीन थे और इस भूमि को लेने में सक्षम थे। यह स्थिति सिर्फ उस क्षेत्र की नहीं, नजदीक की तहसीलों में है। नागौर तहसील और खास तौर से फलौदी तहसील में जो भूमिहीन काश्तकार हैं, छतरगढ़ क्षेत्र के अन्दर यह जमीन, सक्षम होने के नाते वहां रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में राज्य सरकार के आदेश जिसको मैं पढ़ कर सुनाता हूं आदेश क्रमांक 5 (3) 55/77/ (3) 17074-17106 दिनांक 27-10-77 के द्वारा हम सभी किसानों को नियमानुसार भूमि दी गई लेकिन अब किसानों को इस जमीन के पट्टों से सरकार खारिज कर रही है और यह कह रहे हैं कि यह जमीन इन काश्तकारों को लॉटरी के द्वारा नहीं दी गई इसलिये इस जमीन से उन काश्तकारों को खारिज कर रहे हैं। पहले जब यह जमीन उन काश्तकारों को दे दी गई थी सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया, तो इन काश्तकारों को क्यों परेशान किया जा रहा है? इन काश्तकारों ने जमीन जो बंजर थी, उस जमीन की सफाई की और नियमानुसार अपनी किश्तें भी देते रहे हैं और दे रहे हैं। अब यदि कोई अवहेलना होती है, नियमों के अन्तर्गत काम नहीं हुआ है, सरकारी कर्मचारियों ने कुछ मौके पर खा लिया होगा या अलाटमेंट करने में कुछ पैसा मिल रहा होगा इसलिए उन्होंने यह काम कर लिया होगा लेकिन काश्तकारों की कोई त्रुटि नही है। इसलिए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करके सरकार से निवेदन

Page No. 57

57

(श्री महाराम चौधरी)

करना चाहता हूं कि इन 140 काश्तकारों से यह जमीन न छुड़ाई जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री कटारिया जी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : सभापति महोदया, उदयपुर में 14 तारीख के दिन जो घटना हुई उसके कारण से एक छात्र की हत्या हुई तो यह एक बहुत ही दुखद घटना है। इसमें कोई दो समूहों के बीच में यह झगड़ा पिछले एक लम्बे समय से 5, 6 महीने से चल रहा था और मेरी भी पक्की धारणा है कि एक दो व्यक्ति विशेष नहीं अपितु समय-समय पर कभी इन्होंने उन पर आक्रमण किया कभी उन्होंने इन पर आक्रमण किया। यह प्रक्रिया पिछले पांच-छः महीने से चल रही है। लेकिन जो घटना हुई जिससे मुकुटबिहारी नागर की हत्या हुई है, यह जो घटना है, 13 तारीख को इसके पहले की रात को झगड़ा हो चुका है। सारे शहर के, सूरजपोल के आसपास के जो लोग हैं वे इस बात से आतंकित थे कि आज रात्रि को दोनों ग्रुपों में जम कर लड़ाई होगी और दोनों ही ग्रुप की इस ढंग की तैयारी थी। 14 तारीख को प्रातः 10, 15 बजे एक समूह 5, 6 टैम्पुओं को जबर्दस्ती करके उसमें हथियार लेकर जहां दूसरा समूह रहता था उनके होस्टल के बाहर पहुंचकर पहले फायर किया और गाली दी–किसने मां का दूध पिया है आओ। हमारा मुकाबला करे और दनादन गोलियां दागनी शुरू कर दी। दूसरे ग्रुप, झगड़ा तो हो चुका था उनके लोग भी तैयार थे, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन उन्होंने अपने आपको इन गोलियों से प्रोटेक्ट करते हुए मोर्चा लिया और जब इनकी गोलियां समाप्त होने को हुई तो, सभापति महोदया, जब उनको मौका लगा वह सारा ग्रुप जो होस्टल के अन्दर था निकल कर इन पर टूट पड़ा। उसके बाद टैम्पो वालों ने जब यह देखा कि गोलियां चलनी शुरू हो गई हैं, टैम्पो वाले तो पहले ही भाग गये और जब उनकी गोलियां और सामान खतम हो गया तो वह ग्रुप जिसके ऊपर आक्रमण करने गये थे, उन्होंने फिर जमकर इस दूसरे ग्रुप के ऊपर आक्रमण किया। उसके कारण से मुकुटबिहारी को जो माथे में तलवार का वार लगा, उसके कारण से उसका भेजा कट गया और उसके कारण उसकी डैथ हुई, वह उसी होस्टल में पड़ा मिला और ये लोग आक्रमण करने की नीयत से होस्टल में गये।

मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिसने भी गलती की उसको सजा मिले, कोई तकलीफ नहीं, सजा मिलनी चाहिए लेकिन इस केस में तो यह तय बात है कि जो लोग आक्रमण करने गये थे, वहां जाकर पिट गये और इसके कारण एक ग्रुप के कारण उनकी गिरफ्तारी का आप आदेश करोगे तो यह न्याय नहीं होगा। मैं चाहूंगा वह ग्रुप जो आक्रमण करने के लिए आया, जो टैम्पो में भरकर उनके होस्टल में जाकर उनको पीटने के लिए गये थे, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। सभापति महोदया, इसका कारण यह नहीं। कई लोगों के मन में यह धारणा बना गयी कि मैं झूठे एलीगेशन लगाता हूं। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि मैं झूठे एलीगेशन नहीं लगाता हूं, मैं हमेशा अच्छी जानकारी के बाद लगाता हूं, अपने मन को पूरे संतुष्ट होने के बाद लगाता हूं। यह झगड़ा पिछले 6 महीने से चल रहा था, वहां के एक मन्त्री

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

का एक ग्रुप को प्रोटेक्शन था। मैं चाहूंगा कि यहां सदन का एक माननीय सदस्य, मैं चाहूंगा माननीय स्पीकर या कोई दूसरा सदस्य वहां के कलेक्टर को पूछे, वहां के पुलिस के लोगों को पूछे, बार-बार टेलीफोन किया जाता है, फलां को अरेस्ट कर लिया जाय, फलां को छोड़ दिया जाय। उसके कारण से यह टेन्शन लगातार बढ़ रहा है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जिन लोगों के खिलाफ जो मुकुटबिहारी के साथ दो व्यक्ति और थे, सुदेश का भी लिखा है और उसके साथ हरी नारायण को भी लगी, ये तीनों ही आक्रमण करने वाले लोग थे, दुर्भाग्य से वहां जाकर पिट गये। एफ. आई. आर. में जो दर्ज कराया गया और जिन लोगों के नाम लिखा दिये उसके कारण लम्बी-सी लिस्ट बना दी, उनको तो अरेस्ट किया जाय। इनमें कम व्यक्ति थे, एक होस्टल से दूसरे होस्टल के बीच में एक किलोमीटर का अन्तर है, एक किलो-मीटर दूर से लोग तैयारी करके जाये, उन पर आक्रमण करें तो उनको तो आप सजा देना चाहते हैं क्योंकि एक लड़के की हत्या हो गई। हमारा एतराज नहीं, लेकिन दूसरे ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार जवाब इसलिए नहीं दे रही है कि दूसरे ग्रुप को प्रोटेक्ट किया और अगर आपने दूसरे ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो फिर छात्रों में ज्यादा विद्रोह फैलेगा, ज्यादा उनके मन में आक्रोश आयेगा।

मैं बताना चाहता हूं कि इसकी सूचना 4 तारीख को कलेक्टर, एस. पी. से डी. सी. को भी मिली। मैंने बात की कि यह एक ट्रक में भरकर जाते हैं और हथियारों से आक्रमण करते हैं, दूसरे दिन फिर जाते हैं, इसलिए आप कृपा करके इनको बुलाइये, शहर के प्रमुख व्यक्ति को विश्वास में लेकर कर सकते हैं, उनसे बात की जाय, इनको सामूहिक बैठाया जाय। मैं कलेक्टर साहब को कह कर आया हूं कि कलेक्टर साहब अगर इस चीज को ठीक नहीं किया, डील नहीं किया और तुरन्त नहीं किया तो निश्चित रूप से एक दिन आपकी हत्या होगी, ये मेरी वर्डिंग्स थी जो कलेक्टर, एस. पी. जो खान हैं, जो एस. पी. का काम कर रहे हैं, डी. सी. साहब से मिलकर डी. सी. से भी मैंने कहा कि यह झगड़ा एक न एक दिन इस तरह से बढ़ रहा है कि किसी न किसी की मौत का कारण बनेगा और बड़ी ईमानदारी से, निष्ठा से अगर इस दुनिया में कहीं इन्सानियत है और कहीं सच्चाई का अंश भी बचा है तो उसके अंश को लेकर कह रहा हूं, वहां के मन्त्री, श्री प्रभाकर के प्रोटेक्शन के कारण पिछले 6 महीने से वहां झगड़ा हो रहा है।

श्री हनुमान प्रभाकर (मंत्री, यातायात) : माननीय सभापति महोदया, क्योंकि सीधा मेरा नाम लेकर पुकारा गया है तो मुझे स्पष्टीकरण का मौका दीजिए।

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची) : और आइन्दा ये नाम लेकर नहीं कहें, इनको चेतावनी दें।

एक माननीय सदस्य : ये मन्त्री के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगाते हैं और किसी के खिलाफ ये भावनायें माननीय

(एक माननीय सदस्य)

सदस्य उदयपुर से आने वालों ने जो बात कही है, वह अच्छा बर्ताव नहीं है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

श्री हनुमान प्रभाकर : घटना किस प्रकार हुई, क्या हुई, उसकी जांच क्या हो रही है, जांच के परिणाम क्या होंगे, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन नहीं करना, क्योंकि गृह विभाग का काम है, वह सारे सदन को सूचना देंगे। जहां तक यह आरोप, कि मैंने कुछ लोगों को बचाने के लिए या कुछ लोगों को फंसाने के लिए ट्रंक टेलीफोन पर निर्देश दिए और मेरा संरक्षण है, मुझ पर लगाया गया है। बहुत साफ है, जैसे ही मुझे सूचना मिली, यदि दुनिया में थोड़ी बहुत मानवता का लेशमात्र भी शेष है, सच्चाई, ईमानदारी का लेशमात्र भी बचा हुआ है, दुनिया में तो मैं कहना चाहता हूं जब इस घटना की जानकारी मुझे मिली तो मेडिकल कालेज से जानकारी प्राप्त करने का कि क्या स्थितियां हैं, छात्रों की, ये अपराध है तो मैंने यह अपराध किया है, यदि जिलाधीश से जानकारी प्राप्त करना कोई अप-है तो मैंने यह अपराध किया है। यदि एस. पी. से जानकारी प्राप्त करना कोई अपराध है तो मैंने यह अपराध किया है, क्योंकि आखिर में जब उदयपुर में कोई घटना होती है तो स्वाभाविक है, क्या स्थिति है, उस छात्र की क्या स्थिति है यह जानकारी प्राप्त करना मेरा कर्त्तव्य था और मैं कहना चाहता हूं कि जानकारी प्राप्त करने के लिए ट्रंक टेलीफोन ही नहीं किए, जब मुझे मेडिकल कालेज से यह कहा गया कि उस छात्र की जान बचाने के लिए जयपुर से स्पेशल डॉक्टर का नाम बताया गया, जिसको आप अगर ट्रेन से भिजवा सकें तो भिजवाने का कष्ट करें। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि यह पहली सरकार है जिसने किसी छात्र की जान बचाने के लिए हवाई जहाज द्वारा डाक्टर को भेजा। तो यदि किसी घायल छात्र के लिए हवाई जहाज से डाक्टर को भेजना अपराध है तो उसके लिए मैं अपराध को स्वीकार करके चलना चाहूंगा। परन्तु कोई यह कहे कि इस दिन घटना हुई, अधिकारियों से कोई सम्पर्क न किया जाय, जानकारी निरन्तर प्राप्त न की जाती रहे। आवश्यक उन लोगों को चिकित्सा सुविधा को ठीक प्रकार से प्राप्त हो जाय, ये कर्त्तव्य का पालन नहीं करें। क्षमा करें, यह न्यायोचित बात नहीं होगी इसलिए मेरा बहुत स्पष्ट निवेदन है, मैंने सम्पर्क किया है, निश्चित रूप से सम्पर्क किया है और उसके बाद कल जब सदन में कहा गया कि उदयपुर में आग लगी है, यह हो रहा है। उसके बाद मैंने फिर जिलाधीश से सम्पर्क किया, घटना आयी, क्योंकि घटना का उल्लेख हुआ और मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं, उसके प्रति मेरा उत्तरदायित्व है इसलिए जानकारी प्राप्त की है, निश्चित रूप से प्राप्त की है और आगे भी कोई अवसर आते हैं, दुर्घटना या घटना होती है तो उत्तरदायित्व होता है कि हम निरन्तर सम्पर्क में बने रहें। सभापति महोदया, दूसरे यह कहना कि ग्रुप विशेष को संरक्षण है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक सत्ता का प्रश्न है,

(श्री हनुमान प्रभाकर)

(12.55 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

सरकार का प्रश्न है, न कोई ग्रुप है, न कोई बात है। सरकार को अपने विवेक से, न्याय से और जो अनुसंधान होगा, उसके आधार पर कुछ परिणाम आयेगा, उससे काम करना है, बाकी यदि कुछ व्यक्तियों से, छात्रों से मेरा सम्पर्क है, राजनीतिक सम्पर्क है तो उस सम्पर्क से यदि आपको एतराज है, क्षमा करें तो हर व्यक्ति के साथ राजनीतिक लगाव कुछ व्यक्तियों के साथ होता है और वह अपनी सीमा तक होता है, प्रशासन के अन्दर हम दुरुपयोग नहीं करना चाहते, न करना जानते हैं। इसलिए जो आरोप लगाये गये हैं, बिलकुल निराधार हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, सम्पर्क मेरा कुछ छात्रों से है, निश्चित है, इसको भी मैं स्वीकार करता हूं। जानकारी प्राप्त की थी; इस घटना के सम्बन्ध में यह भी स्वीकार करके चलना चाहता हूं। बाकी वास्तविकता क्या है, क्या नहीं है; यह गृह विभाग का प्रश्न है, वह उत्तर देगा तो स्पष्ट करेगा, मैंने केवल अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण का स्पष्टीकरण नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल आज नहीं 6 महीने से टेलीफोन चल रहे हैं, केवल आज की घटना का टेलीफोन नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। 6 महीने से यह झगड़े चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह बात आप पहले ही कह चुके हैं पाइन्ट आफ आर्डर के जरिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय मैं नियम 296 के तहत आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आरोप मन्त्री महोदय पर लगाये हैं, इनका पूर्व में नोटिस नहीं दिया है, इसलिए उसे एक्सपंज किया जाय।

श्री अध्यक्ष : ये नियम इस तरह के आरोपों पर लागू नहीं होता, माननीय सदस्य। श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात 7 मार्च की है। 7-3-81 के दिन दोपहर में विद्युत विभाग के, विद्युत मण्डल के डिप्टी सैक्रेटरी श्री नायर के नेतृत्व में जत्था गया विद्युत निगम के अधिकारियों का और उन लोगों ने सांगानेर में कुछ फैक्ट्री के मालिकों के यहां छापा मारा, उनमें उल्लेखनीय नाम 3 थे, एक सलीम बापजी, दूसरा सत्य नारायण कूलवाल तीसरा दामोदर लाल। पहले दो सदस्य कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और जो बिजली विभाग के कर्मचारियों ने छापा मारा तो इनके यहां मुख्य शिकायत यह मिली थी, अन्य शिकायतों के अलावा भी कि दो मीटर के अलावा भी डायरेक्ट मीटर के बाहर से कनेक्शन ले रखे थे, 2-2 कनेक्शन ले रखे थे, एक जयपुर की लाइन से जो 24 घण्टे बिजली मिलती है, इसके अलावा भी वहां की ग्रामीण विद्युतीकरण क्षेत्र से भी उन्होंने कुछ कनेक्शन्स ले रखे थे। वे कनेक्शन मीटर में नहीं होकर आ रहे थे डाइरेक्ट लाइन से थे उनके बिल्स भी बताते हैं कि

(श्रीमती विद्या पाठक)

कई वर्षों से पेंडिंग हैं, इस बात की जानकारी, माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग को 4–5 दिन पहले से ही थी; 3–4 तारीख से पहले स्थानीय विद्युत मण्डल का विभाग है, उसको यह जानकारी थी।

मुझे जो बताया गया है उसके अनुसार जब विद्युत के विजिलेंस डिपार्टमेंट के लोग गए, विजिलेंस विभाग के स्थानीय लोग थे, उन्होंने उन लोगों को व्हिकल प्रोवाइड नहीं किया। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि चार तारीख का मसला है और तीन-चार तारीख के पहले से यह सारी बातें हो रही हैं, लेकिन यह सब जो गड़बड़ी वहां हुई, वह स्थानीय अधिकारियों की जानकारी के बिना हो नहीं सकती। सोचने की बात यह है कि पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करा दी। मिस्टर नायर हैं उन्होंने एफ.आई.आर दर्ज करवा दी, परन्तु विभाग के कर्मचारी जिनका उत्तरदायित्व होना चाहिए, उन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है और न ही किसी को आइडेंटिफाई किया गया है। इसके अलावा मुझे सब से बड़ी शंका इस बात की है कि पुलिस ने खुद ने सात तारीख से आज तक कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जबकि बात सात तारीख की है। सात मार्च की है और आज के अखबारों में, 16 मार्च की यह खबर विद्युत मण्डल की विज्ञप्ति, पेपरों में छपी है। यह सारी खबर छपी है और उसके पीछे, माननीय अध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि कल जब मैंने विद्युत मण्डल के किसी उच्च अधिकारी को फोन किया और यह कहा कि जब कि बिजली की छोटी-छोटी चोरियों को पकड़ा जाता है, छोटे-छोटे लोगों को छोटी-छोटी चोरियों के मामलों में पकड़ा जाता है और उसकी जानकारी जनता को होती है लेकिन इस बारे में कोई जनकारी क्यों नहीं दी गई। मुझे सबसे बड़ा एतराज यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि पुलिस विभाग ने कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की और मुझे शक है कि इसको दबाने की कोशिश की जा रही है और यह लोग बड़े प्रभावशाली हैं और इनसे पुलिस भी डरती है और सरकार में इनकी काफी जान पहचान और सिफारिश है। मैं इसलिए चाहती हूं कि पुलिस विभाग शीघ्र कार्यवाही करे और विद्युत मण्डल, जिसका इस मामले में सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व है, उनके विषय में अपनी ओर से निर्णय ले।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी। कुकिंग गैस के सम्बन्ध में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले एक माह से जयपुर में न तो केरोसिन तेल मिलता है, न कुकिंग गैस मिलती है। कुकिंग गैस की तो यह हालत है कि आज नाम लिखा दीजिए, टेलीफोन पर बुक कर देते हैं, उसके बाद बार-बार टेलीफोन करने के बाद भी कुकिंग गैस डेढ़-दो महीने से पहले नहीं मिलती है। और जब बार-बार कहते हैं तो क्रय विक्रय सहकारी संघ, जिनको मुख्य रूप से गैस मिलती है, उनकी तो हालत यह है कि या तो अधिकांश रूप से टेलीफोन खराब रहता है या फिर टेलीफोन का चोगा उठा कर रख देते हैं और बिलकुल सुनने की कोशिश नहीं करते।

दूसरा, इसके बारे में मेरा निवेदन है कि कुकिंग गैस के कनेक्शन के लिए समानान्तर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लाइनें लगी हुई हैं। पन्द्रह सौ, दो हजार रुपये देने पर वहां से उसी वक्त तुरन्त कुकिंग गैस का कनेक्शन मिल जाता है और लोगों को कनेक्शन के लिए एक दिन का भी इन्तजार नहीं करना पड़ता लेकिन दूसरे लोगों को बरसों बाद भी नहीं मिल पाता है। तीसरा, मेरा निवेदन सप्लाई के बारे में है। एक महीने से कैरोसिन का तेल मिलने की दुर्व्यवस्था हो रही है। पहले यह होता था जयपुर में कि साइकिल रिक्शाओं में लोग तेल डाल कर गली-गली घूम कर तेल वितरण किया करते थे। वह व्यवस्था तो बिलकुल बन्द हो गई। इसके अलावा जिन लोगों के यहां से तेल लेते थे, आज पूरे बीस दिन से कम से कम रोज पीपी और बोतलें लेकर एम. एल. ए. क्वार्टर्स के तरफ से निकलते हैं और खाली डब्बा खाली बोतल बताते जाते हैं। इसका मूल कारण यह है, गैस नहीं मिलने का मूल कारण यह है, कि गैस की अहमदाबाद से होकर जयपुर को सप्लाई होती है। उसके बजाय दिल्ली से जयपुर को सप्लाई करने की व्यवस्था कर दें तो गैस की ठीक प्रकार से सप्लाई हो सकती है।

जहां तक कैरोसिन का सम्बन्ध है, इस समय कैरोसिन की स्थिति जयपुर में ही नहीं, जयपुर का तो मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है, लेकिन सम्पूर्ण प्रदेश में कैरोसिन की यही हालत हो रही है, कैरोसिन नहीं मिल रहा है। होली का मौसम आ रहा है, होली आ रही है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुकिंग गैस और कैरोसिन तेल की व्यवस्था कराई जावे और समानान्तर गैस कनेक्शन की एजेंसी जो चल रही है उस एजेंसी को रोका जावे, उसकी जांच कराई जावे। क्रय विक्रय संघ है, जिसके अन्दर गैस कनेक्शन को और गैस की सप्लाई को लेकर घोटाला हो रहा है उसकी जांच कराई जावे और दिल्ली से गैस की सप्लाई जयपुर में करवाई जाय बजाय अहमदाबाद के। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : सुश्री पुष्पा।

श्रीमती विद्या पाठक : पांच सात रुपये देने पर गैस मिल जाती है।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया कि जयपुर शहर में खाना बनाने की गैस और कैरोसिन तेल की बिलकुल उपलब्धि नहीं हो रही है, यह समस्या आज और कल की नहीं है, कई महीनों से यह समस्या बरकरार चल रही है। कई बार यह प्रश्न विधान सभा में आ चुका है बजाय इसके कि यह समस्या कुछ सुलझती, दिन प्रति दिन अधिक से अधिक बदतर होती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से मिट्टी का तेल अधिकाधिक उपलब्ध करवा सकती है, इस ओर राज्य सरकार ने क्या प्रयास किया और उनको कहां तक सफलता मिली ? मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से माननीय सदस्य ने कहा, खाना बनाने की गैस इस समय हमें बम्बई और अहमदाबाद से उपलब्ध हो रही है; अध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्ट की कमी है और अहमदाबाद और बम्बई से जो गैस उपलब्ध हो रही है वह इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रही है कि जयपुर का काम

(सुश्री पुष्पा जैन)

चल सके। लिहाजा मैं कहना चाहूंगी कि राज्य सरकार क्यों नहीं यह प्रयास करती कि खाना बनाने की गैस दिल्ली से उपलब्ध हो सके बजाय अहमदाबाद और बम्बई से। मिट्टी के तेल के बारे में, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि आज हालत यह है कि खाना बनाने के लिए लकड़ी उपलब्ध नहीं, होती, कोयला उपलब्ध नहीं होता। आखिर आदमी को पेट भरने के लिए रोटी तो चाहिए और रोटी खाने के लिए रोटी बनानी पड़ेगी। आखिर कौनसा साधन है जो सरकार उपलब्ध करवाना चाहती है? वह साधन जल्दी से जल्दी मुहैया कराया जावे। मैं सोचती हूं कि मिट्टी का तेल ही ज्यादा सस्ता साधन है और इससे अधिक सस्ता साधन और कोई हो नहीं सकता। या तो····

श्री हजारीलाल शर्मा : गोबर गैस का है।

सुश्री पुष्पा जैन : गोबर गैस का सभी व्यक्ति इन्तजाम नहीं कर सकते। इतनी गाय-भैंसें रखना कोई मामूली काम नहीं है। मुझे नहीं मालूम आपके यहां बहुत ज्यादा तादाद में गाय-भैंसें होंगी, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति और कई मंत्री महोदय भी यहां पर बैठे हुए हैं उनके यहां पर भी इतनी तादाद में गाय-भैंसें नहीं होंगी जिनका गोबर उपलब्ध हो सके और उस गोबर से गैस प्लाण्ट लगाया जा सके। यह बहुत महंगी व्यवस्था है। मैं समझती हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति भी इसको रखने के लिए प्रयास नहीं कर सकते, कोई गरीब किसान ऐसा प्रयास नहीं कर सकता। इसको बहुत ही सोफ्ट कार्नर से लेते हुए मंत्री महोदय विचार करें और राजस्थान सरकार शीघ्र से शीघ्र केन्द्रीय सरकार को लिख कर अहमदाबाद और बम्बई के बजाय दिल्ली से गैस मंगवाने का प्रयास करे। मिट्टी का तेल राज्य सरकार मंगाये और उसको बहुत ही सरल तरीके से जयपुर की जनता को उपलब्ध कराया जा सके इसकी व्यवस्था करे। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा बन्धुआ मजदूरों के बारे में।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की सागड़ी प्रथा के बारे में और सागड़ी प्रथा के उन्मूलन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में ही।

श्री नन्दलाल मीणा : वैसे वह व्यक्ति जो खेती की उपज से जंगलात की उपज से अपनी दिनचर्या में उपभोक्ता सामग्री प्राप्त करने में अपना और अपने समाज की रीतियों और कुरीतियों के कारण आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो उनको किसी न किसी साहूकार के पास से ऊंची दर पर रुपया उधार लाकर खर्च करना पड़ता है। राजस्थान में भी इस प्रकार की स्थिति है। जो साहूकार से कर्जा लाकर कर्ज के एवज में उस साहूकार के यहां कार्य करता रहता है उसे बंधक मजदूर कहा जाता है।

वैसे हमारे इस देश में गृह मंत्री, भारत सरकार ने दिसम्बर में यह बताया था कि 2 लाख 30 हजार के करीब सागड़ी देश में हैं जिनको बन्धक मजदूर कहते हैं और

(श्री नन्दलाल मीणा)

राजस्थान में इनकी संख्या 67 हजार है। अध्यक्ष महोदय, यह एक मानवीय प्रश्न है। जनता पार्टी के शासन में सागड़ी प्रथा का उन्मूलन तेजी से हो, इस दृष्टि से राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने सागड़ी उन्मूलन की व्यवस्था श्रम मंत्रालय द्वारा कराने की व्यवस्था की थी और उसी के आधार पर उन्होंने यह व्यवस्था, विशेष योजना विभाग को दी और परिणामस्वरूप राजस्थान में ऐसे सात सौ परिवारों को लाभ दिया गया। परन्तु आज क्या हो रहा है, अध्यक्ष महोदय ? 8 अगस्त, 1980 को तत्कालीन मंत्री कमला जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। एक अलग से समिति है, राजस्थान बन्धक श्रमिक मुक्ति और पुनर्वास समिति, जिसके चीफ सैक्रेटरी चेयरमैन हैं। सभापति महोदया, मंत्री महोदय ने उनसे कहा कि राज्य में इस समस्या का समाधान तत्काल करने के लिए, उनके पुनर्वास की व्यवस्था को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए एक स्वतन्त्र संगठन बनाया जाना चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय की मंशा बहुत अच्छी थी परन्तु अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या ? नीचे के स्तर के अधिकारी, आई. ए. एस. अधिकारी ने इस बात को ठुकरा दिया। आज दिन तक लगभग 8 महीने हो गये, इस स्वतन्त्र संगठन के बारे में विचार नहीं हुआ और न करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को इस बात के लिये आगाह करें कि राज्य के जो 63 हजार लोग बंधक मजदूर हैं, सागड़ी हैं उनमें ऐसे लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, और उन्हीं की एवज में किसी साहूकार के यहां अपना श्रम बेच रहे हैं, इसके विषय में परिमाण हो क्या रहा है। अध्यक्ष महोदय, यदि आज सार्वजनिक रूप से सागड़ियों को मुक्ति मिलेगी तो उनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। यह मानवीय प्रश्न है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो समिति राज्य स्तर पर गठित की गई है, और स्वतन्त्र संगठन बनाना चाहते हैं, कांग्रेस सरकार की नीयत नहीं है, उनके पास तो वैसे ही बहुत सारे सागड़ी हैं, यह तो बेचारे वास्तव में सागड़ी हैं, उन सागड़ियों को मुक्ति नहीं दिलाना चाहते हैं। अतः मैं आपसे, आसन से, व्यवस्था चाहूंगा कि सरकार इस बात का आश्वासन दे, जिस मंशा से जनता सरकार ने समिति गठित की थी, उसकी क्रियान्विति तत्काल सही ढंग से करें।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद। टोंक मे विद्युत मण्डल के मण्डल के एक कर्मचारी की मृत्यु के विषय में।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, गुणसी के पास में नेशनल बाल बियरिंग फैक्ट्री की स्थापना हो रही है और पिछले 6 महीने से उसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। उसकी वजह से सारे विद्युत कनेक्शन रोक दिये गये। सारे डिपार्टमेंट की ओर कार्यवाहियां रोक दी गई हैं। किसी को कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। केवल वहां पर काम चल रहा है। पिछले पांच-सात दिनों से टोंक जिले के लोग, वहां के एक्स. ईएन., सारे ए. ई एन. सारे जे. ईएन., वहां के लाइनमैन, सब वहां पर पूरी फोर्स के साथ पड़े हुए हैं। वहां 33 के. वी. लाइन पर काम हो रहा

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

था। ए. ईएन ने यह लिख कर दिया कि हमने सिटग्रान ले लिया, बजाय इसके उसको श्रमिकों ने लाइनमैन ने कहा कि हम लाइन पर नहीं चढ़ेंगे जब तक आप लिख कर नहीं देंगे। उन्होंने लिख कर दिया। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किस प्रकार तकनीकी अधिकारी, किस प्रकार एक्स. ईएन. और ए. ईएन., जिनके सुपरवीजन में वहां काम हो रहा था, उन लोगों ने किस प्रकार की तकनीक अपनायी, जो 11 के. वी. लाइन नीचे से जा रही थी, उसका उन्होंने सिटग्रान नहीं लिया। वह निवाई से शिटग्रान उनको लेना था, निवाई के पास यह मूंडिया और गुणसी है वहां पर. 33 के. वी. लाइन का सिटग्रान नहीं दिया, 11 के वी. लाइन का सिटग्रान नहीं दिया। 33 के. वी. लाइन पर से जब तार छोड़ा तो एक श्रमिक जिसका नाम हरिनारायण है, यह जाति से मीणा है; वह खड्डे में काम कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं तार उसके सिर पर आकर गिरा और उसकी गर्दन अलग हो गई। इस प्रकार की दर्दनाक मौत हुई, मेरा स्पष्ट आरोप है कि यह अधिकारियों की लापरवाही के कारण मौत हुई है और उसके कारण वहां पर असंतोष है, श्रमिकों में असंतोष है, वहां पर बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, वहां के लोगों में उग्र वातावरण था। वह मजदूर मूंडिया का था, वहां के सारे लोग इकट्ठे हो गये। वहां बहुत बड़ा झगड़ा होने की सम्भावना है। मैं मांग करता हूं कि कोई जूडिशियल इन्क्वायरी बैठायी जाय। आये दिन इस प्रकार की घटना होती है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है वह नहीं होना चाहिये और जूडिशियल इन्क्वायरी बैठायी जानी चाहिये। दूसरा, मेरा निवेदन है समाज कल्याण विभाग की ओर से उसको तुरन्त मुख्य मंत्री सहायता कोष से और समाज कल्याण सहायता कोष से राहत प्रदान की जाय। उसके छोटे-छोटे बाल-बच्चे हैं। एक श्रमिक हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका पता नहीं मर गया या जिन्दा है। इस प्रकार की दुर्घटनाएं आगे न हों, इस प्रकार के निर्देश जारी किये जाने चाहिए। जो दोषी अधिकारी है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री छीतर लाल। अटरू विधान सभा क्षेत्र में अवैध रूप से कच्ची शराब निकालने के विषय में।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी अटरू कांस्टीट्यूएंसी में अवैध रूप से कच्ची शराब कुछ लोग निकालते हैं, उसके विषय में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

निवेदन है कि अटरू विधान सभा क्षेत्र में कुछ लोग शराब अवैध रूप से निकालते हैं और कच्ची शराब पीकर वहां लोग सच्चे और सही लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। तो इसके लिए वहां का जो अटरू थाने का एस. एच. ओ. रामसिंह मीणा है, उससे मैंने निवेदन किया कि यह जो इस प्रकार की शराब बनायी जाती है, उसके लिए आप कार्यवाही करो। मुझे वहां के लोगों से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, उसमें यह लिखा था कि उस थानेदार का उन लोगों से मंथली कमीशन बंधा हुआ है।

श्री ग्रध्यक्ष : कितना बंधा हुग्रा है ?

श्री छीतरलाल ग्रार्य : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, उन्होंने मुझे दिया नहीं। बाकी इस प्रकार के भ्रष्ट थानेदार की वजह से पब्लिक में ग्रातंक छाया हुग्रा है। जिन लोगों को शराबी लोग पीटते है, उन्हीं से थानेदार ग्रटरू रामसिंह पैसे मांगता है ग्रौर जब वह नहीं देते हैं तो उनके साथ बुरी तरह मारपीट करता है। तो, मैं ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, इस ग्रवैध रूप से शराब बनाने वालों को पकड़ा जाकर सजा दी जाए ग्रौर भ्रष्टाचारी थानेदार को तुरन्त निलम्बित किया जाना चाहिए ग्रवैध रूप से शराब बनाने वालों को पकड़ा जाना चाहिए।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहूंगी। ग्रपने राजस्थान में शराबबंदी है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। माननीय सदस्या : स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, समय का ग्रभाव है।

श्री बालचन्द्र ग्रार्यवीर : झालावाड़ जिले में ग्रकाल के बावजूद वसूलियां और कुकियां होने के सम्बन्ध में। वैसे सरकार ने सूचित किया है कि समस्त वसूलियां, कुकियां ग्रौर दीवानी दावे स्थगित कर दिये गये हैं।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : एक मिनट बोलना चाहूंगी। वह उसको टालना चाहते हैं, ठीक तरह से काम नहीं करते हैं। ग्रगर ग्राप मुझे सुन लेते तो कोई व्यवस्था दे देते।

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्या, ग्रार्डर प्लीज। श्री बालचन्द्र ग्रार्यवीर। कुछ कहना चाहेंगे ? वैसे सरकार का उत्तर यह ग्राया है।

श्री बालचन्द्र ग्रार्यवीर (डग) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रभी मेरे क्षेत्र में गया था। जो सरकार ने ग्रापको सूचना दी है, सरकार की जो सूचना ग्रायी है, वह ग्रसत्य है। मैं ग्रापके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं, ग्रभी मेरे क्षेत्र में कई कुकियां हुई हैं। लोगों को, किसानों को, धमका रहे हैं। उनका इंजन कुर्क करके ले गये। कई लोगों के साथ मारपीट की गई है। मैं ग्रापके माध्यम से बताना चाहता हूं ग्राज वर्तमान समय में भयंकर ग्रकाल है। लोगों को खाने को ग्रन्न नहीं है, पीने को पानी नहीं है। सरकार को यह ध्यान नहीं है कि उनके पास कोई फसल नहीं है, जबकि वसूलियां हो रही हैं। मैं ग्रापके माध्यम से यह मांग करता हूं कि यह जो सारी चीजें हैं इनकी जांच कराई जाय। जो सूचना ग्रापको दी है, वह ग्रसत्य है। दुबारा इसकी जांच कराके सारी वसूलियां स्थगित करें, ताकि किसानों को राहत मिल सके। यह मैं ग्रासन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री रामकिशोर मीणा सिकराय क्षेत्र में राणोली नामक पहाड़ के ठेकेदार द्वारा ग्रनधिकृत रायल्टी के विषय में।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : ग्रध्यक्ष महोदय, राणोली पहाड़ से, जिस क्षेत्र का खनिज विभाग ने पट्टा दिया है, मेरी जानकारी के ग्रनुसार 265 × 265

(श्री रामकिशोर मीणा)

का है। लेकिन उस खनिज क्षेत्र के अलावा, पूरी पहाड़ी को, जिसको पट्टा दिया गया है, उन्होंने रोक रखा है। खनिज विभाग के निर्देश हैं, उनमें यह बताया गया है कि कुएं बनाने के लिए और जो काश्तकार खुद के लिए बाड़े बनाता है, उसके लिए पत्थर ले जाते हैं, वह रायल्टी से मुक्त होंगे। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी अपने खुद के लिए कुएं बनाने के लिए या खुद के बाड़े बनाने के लिए पत्थर ले जाना चाहे उसको सरपंच या किसी और अधिकारी के सर्टिफिकेट देने पर छूट दे दी जाय तो इसका समाधान हो सकता है। कमर्शियल पर्पज के लिए कमाता है उसके लिए रायल्टी लेना गलत नहीं है। लेकिन जो उनका अधिकार क्षेत्र है वह 265 का है, और इससे ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है इससे सरकार को रायल्टी की हानि हुई है तो या तो सरकार पूरे पहाड़ी क्षेत्र पर रायल्टी वसूल करे और खनन पट्टा किसी को दे। इससे रायल्टी की बचत होगी दूसरे जो गलत काम हो रहा है उस पर पाबन्दी लगेगी। मैं निवेदन करता हूं, सरकार इस पर अविलम्ब ध्यान दे।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल आर्य, श्री बालचन्द्र, श्री अनंगकुमार जैन, थाना अकलेरा के अन्तर्गत कंचन नामक लड़की के साथ बलात्कार।

श्री बालचन्द्र आर्यधीर: माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे राज्य में और विशेष कर झालावाड़ जिले में इस प्रकार की कई घटनाएं हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कंचन नाम की लड़की, जो अपने खेत से सायंकाल वापस आ रही थी तो कजोड़ नाम का व्यक्ति और दो अन्य व्यक्तियों ने उसको अकेली देखकर उसका अपहरण किया और उसको ले गए और एक अन्य व्यक्ति को जो बहुत ही बदमाश था उसको कुछ रुपये लेकर सौंप दिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 15 दिन तक उसको घर में रखा गया और उसके साथ लगातार बलात्कार किया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह जो कजोड़ नाम का व्यक्ति है और दो अन्य व्यक्ति हैं उनको पुलिस का आश्रय है और वे अकलेरा थाने में भी बैठे रहते हैं। उनके ऊपर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि सरकार ने बताया है कि कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस प्रकार की घटना हुई है और कंचन नाम की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। इस पर पूर्ण रूप से जांच करें और जो बलात्कारी हैं, साथ ही जो पुलिस के अधिकारी हैं, जिन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की, उनके साथ कार्यवाही की जाय। मैं जांच की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष: इसमें अन्य तथ्य हों तो। यों तो किसी स्थगन प्रस्ताव पर 15 माननीय सदस्य दस्तखत करते हैं तो 15 ही बोलेंगे यह आवश्यक नहीं है।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास नये तथ्य हैं। यह जो कंचन नाम की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, इसकी दो मार्च को रिपोर्ट लिखाई, तो रिपोर्ट को रोजनामचे में दर्ज नहीं किया गया, उसको भगा दिया गया कि तुम्हारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जायगी। उसके बाद

(श्री अनंगकुमार जैन)

वह थानेदार के पास रिपोर्ट लेकर गई तो थानेदार ने भी कह दिया कि कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की जायगी। उसके बाद 13 तारीख को एस. पी. भीलवाड़ा से वह रेस्ट हाउस में मिली और एस. पी. को घटना बयान की कि मुझे खेत से रास्ते में जबर्दस्ती 3 व्यक्ति साइकिल पर बिठा कर ले गये और एक बदमाश व्यक्ति को रात को कुछ रुपये लेकर बेच दिया। वह व्यक्ति उसके साथ बलात्कार करवाता रहा और पैसे लेता रहा। इस प्रकार की रिपोर्ट एस. पी. भीलवाड़ा को दी।

लेकिन इसके बावजूद भी, अध्यक्ष महोदय, इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। न कोई रिपोर्ट दर्ज की गई। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है, जब हमने स्थगन प्रस्ताव लगाया, आपके माध्यम से सरकार से सूचना मांगी, तब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करके मुकदमा दर्ज किया है। अध्यक्ष महोदय, जो महिला नामजद रिपोर्ट करती है, जिसके साथ इस प्रकार की घटना होती है, जिसको 15 दिन तक मकान में बन्द रखा जाता है और कई व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया जाता है, उसकी रिपोर्ट दर्ज न हो! अध्यक्ष महोदय, यह वही पुलिस है, अकलेरा पुलिस, जिसके बारे में कई दिन पहले सदन में काफी दिनों तक चर्चा हुई थी। यह वही पुलिस है जिसकी कस्टडी में एक व्यक्ति को जान से मार दिया गया। स्वयं मंत्री महोदय ने स्थिति बयान की थी तो, अध्यक्ष महोदय, पुलिस का कारनामा सदन के सामने आया था। उसके बावजूद आज जो सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया है उसमें भी कुछ समय पूर्व, अध्यक्ष महोदय, आपने फर्माया था कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यानि आज भी सरकार से स्पष्ट उत्तर नहीं आया है कि कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार स्वयं अपने मुख से बयान कर चुकी है कि मामले को गम्भीरता से लेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये गम्भीरता दिन में तो लेते हैं लेकिन शाम होने के बाद गटर के पानी में रंग मिलने के बाद सारी बात भूल जाते हैं।

इसलिये सदन की मार्फत मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि यह संगीन मामला है, बहुत ही अमानवीय तरीके से बलात्कार किया गया है और, अध्यक्ष महोदय, जब नामजद रिपोर्ट की गई है तो उन व्यक्तियों को कम से कम गिरफ्तार किया जाय और गिरफ्तार करके कार्यवाही की जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल जैन।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि दोषियों को बख्शा नहीं जायगा। उनको तुरन्त गिरफ्तार किया जायगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर। आप ऐसी व्यवस्था करावें, जवाब तो मंत्री महोदय दे देते हैं लेकिन उसका जो एक्शन चाहिये विभाग से, वह नहीं होता है इसलिए जवाब तो शब्दों में आ जाता है किन्तु एक्शन नहीं हो पाता।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह मेरी जिम्मेदारी है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह तो 1–2 ही अवसरों पर ऐसा कहा है, कुछ दिन बीतने दीजिये, फिर परिणाम नहीं आते हैं तो....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । श्री जीतमल जैन, श्री अनंगकुमार जैन, भीलवाड़ा शहर और भीलवाड़ा जिले के ग्रामीण अंचलों में आवश्यक वस्तुओं की कमी।

श्री अनंगकुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा और झालरापाटन बड़े कस्बे हैं, उनमें पिछले 3 माह से जो आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं, गेहूं, शक्कर, कैरोसिन उनका वितरण नहीं किया जा रहा है। भीलवाड़ा में करीब 1400 गांव हैं जिनमें पिछले तीन माह ही नहीं बल्कि 6 माह से शक्कर, चीनी, गेहूं, डीजल उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं। सरकार की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वह बिलकुल अव्यवस्थित है। आपके सामने कुछ दिनों पूर्व रसद मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि जो कोटा अलाट हो रहा है वह बहुत कम है और सारे लोगों को उपलब्ध नहीं करा सकते, और, अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी, उस वक्त आपने फर्माया था कि सरकार की ओर से उत्तर आया है उसमें दर्शाया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक तरह से चल रही है। तो, अध्यक्ष महोदय, रसद मंत्री का सदन में उत्तर था कि हमें ये चीजें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो रही हैं और उन्होंने आंकड़ों के आधार पर भी कहा था कि दो किलो से अधिक गेहूं हम नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय, अधिकांश लोग ग्रामीण इलाकों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनको शहर में जाने का कोई साधन नहीं है, उनके यहां पर कम से कम सस्ती दर पर गेहूं, कैरोसिन तेल उपलब्ध कराना सरकार का कर्त्तव्य है, नैतिक दायित्व है। लेकिन एक तरफ सरकार स्वीकार करती है कि हम पूरी तरह से वितरण नहीं कर पा रहे हैं और आज कहते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली समुचित रूप से चल रही है। इसलिए सरकार उत्तर नहीं देना चाहती। अध्यक्ष महोदय, आधे से अधिक गांवों में शक्कर, गेहूं, कैरोसीन उपलब्ध नहीं करवाये जा रहे हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है। इससे अधिक शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है कि झालावाड़ जिले में पांच माह से डी. एस. ओ. और ए. डी. एस. ओ. के पद रिक्त पड़े हैं? एक इन्स्पेक्टर पूरे विभाग को कंट्रोल करता है। वह कहता है मुझे कोई अधिकार नहीं है इसलिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। मैंने रसद मंत्रीजी को, मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा कि यहां पर कैरोसिन, शक्कर, डीजल आदि जो आवश्यक चीजें हैं वे नहीं मिल रही हैं। उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की स्थिति यह है कि 1400 गांवों में से 10-5 गांवों में ही शक्कर और गेहूं उपलब्ध कराये जा

(श्री अनंगकुमार जैन)

रहे हैं और वह भी इतनी कम मात्रा में, अध्यक्ष महोदय, कि एक आदमी टोपी लगा कर जाय तो टोपी में गेहूं आ जाय और जेब में शक्कर आ जाय।

अध्यक्ष महोदय, इतनी-सी मात्रा में जो उपलब्ध होने वाली सामग्री है उससे गरीब आदमी किस प्रकार अपना जीवन-यापन कर सकते हैं ? सरकार घोषणा करती है कि वह गरीबों की रहनुमा है लेकिन जो आवश्यक सामग्री है मानवीय जीवन के लिए वह भी गरीब लोगों को उपलब्ध नहीं कराती है। यह किसी राजनीतिक पार्टी का प्रश्न नहीं है। यह मानवीय प्रश्न है। यह गरीब तबके के लोगों को आवश्यक जीवनोपयोगी सामग्री दिलाने का प्रश्न है और निश्चित रूप से वह उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री भैरूसिंह। खारची में जल वितरण में अव्यवस्था की ओर जन स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर।

अध्यक्ष महोदय, पिछली 6 तारीख के दिन एक स्थगन प्रस्ताव दिया था....

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव जानकारी के लिए गया होगा ...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उसमें जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक रूप से उसको डिले किया जा रहा है। जो धात्री उपवैद्य संघ से समझौता किया गया है वह स्पष्ट है....

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट ऑफ आर्डर का विषय नहीं है। आप थोड़ी देर में मिलने का कष्ट करें। देखेंगे इसमें क्या किया जा सकता है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, 24 तारीख तक का कार्य विभाजन कर आपने स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे दी है। यह अहम् प्रश्न है। बार-बार आन्दोलन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं, इसकी निश्चित रूप से सूचना आई या नहीं, यह मालूम कर लेंगे। तत्काल बताने की स्थिति में नहीं हूं। कृपया आप कष्ट करेंगे थोड़ी देर बाद....

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है। मैं नहीं बोला था। आपने माननीय राजबहादुर जी को अवसर दिया था। दो बार मैं खड़ा भी हुआ था। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेजा फीडर के बारे में है।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि ऐसे स्थगन प्रस्ताव जिन पर सरकार का उत्तर नहीं आता है एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर, और उनके लिए बार-बार निवेदन करना पड़ता है, उन पर आप व्यवस्था दे दें। बार-बार कहां तक चेम्बर में मिलने के लिए जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने आपका नाम पुकार लिया था....

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं दो बार खड़ा भी हुआ था।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत भीलवाड़ा के बहुर्चाचित मेजा फीडर, और उसमें लगातार होने वाले घोटाले, और हाल ही में वहां के अधिकारियों ने जो बहुत बड़ा घोटाला किया है, वहां की सारी चीजों को बेच दिया और जब जांच का मामला आया तो रिकार्ड को आग लगा दी, जिसके लिए भारत सरकार ने भी जांच के लिए कहा है, उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।....

श्री अध्यक्ष : इस पर वक्तव्य दिलाया जा रहा है....

श्री रतनलाल ताम्बी : यह मामला और है....

श्री अध्यक्ष : एक्सप्लोसिव?

श्री रतन लाल ताम्बी : घोटाले का भी जिक्र है। अध्यक्ष महोदय, दस-ग्यारह वर्ष पहले इस योजना की लागत चार करोड़ रुपये की थी। इसके बाद लगातार यह योजना बढ़ती रही है और आज के दिन यह 1360 करोड़ रुपये की हो गयी है। इसके साथ-साथ गत वर्षों में भयंकर रूप से सीमेण्ट, लोहा आदि को बाजार में बेचा गया है। इस सम्बन्ध में तथ्य भी राज्य सरकार को दिए गए है। मैं निवेदन करूंगा कि जनता पार्टी के राज में राजनेताओं को सीमेन्ट उपलब्ध कराई जाती थी और उनके दौरे के समय इस बांध की जीपों का दुरुपयोग किया जाता था। आज भी वहां के अधिकारी इसी प्रकार का घोटाला कर रहे हैं। फर्जी एक्सप्लोसिव के आंकड़े बताए जाते हैं और इस प्रकार इस योजना को 1360 करोड़ तक पहुंचा दिया है। वहां पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं यह मांग करूंगा कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाय और सी० बी० आई० से जांच कराई जाए। दैनिक पत्रों में भी टेण्डर के बारे में, घोटालों के बारे में समाचार प्रकाशित होते हैं। वहां की सामग्री बाजार में बिकने को आती है। इस सम्बन्ध में भी समाचार प्रकाशित हुए हैं। मुझे मंत्री महोदय की निष्पक्षता में विश्वास है और भीलवाड़ा जिले के इस महत्वपूर्ण मेजा फीडर के घोटाले की और एक्सप्लोसिव काण्ड की जांच कराकर इस पर कारगर कदम उठायेंगे, जांच कराने की घोषणा करेंगे। वहां के इन्जीनियर और दूसरे अधिकारियों की मिलीभगत से यह सारी कार्यवाही हो रही है। यह योजना तीन वर्ष के अन्दर पूरी होने को थी परन्तु आज दस वर्ष के पश्चात् भी यह पूरी नहीं हुई और 1360 करोड़ का प्रावधान होने पर यह पूरी नहीं हो पा रही है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सीमेन्ट, लोहा आम बाजार में बिकता है जो एक्सप्लोसिव का मैटीरियल है। वह भी बाजार में बिक रहा है क्योंकि एक्सप्लोसिव की बहुत ही शार्टेज रहती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस मामले में कारगर कार्यवाही करने की व्यवस्था करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, सिंचाई) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जनरल नेचर के एलीगेशन लगाये हैं। कोई स्पेसिफिक चार्ज नहीं लगाया है। अगर कोई स्पेसिफिक चार्ज, एलीगेशन वे लिख कर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

देंगे तो उसकी जांच कराई जायगी और कार्यवाही की जायगी।

श्री रतनलाल ताम्बी : लिखित रूप में भी आयेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भैंरूसिंह।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जल वितरण में अव्यवस्था

श्री भैंरूसिंह गुर्जर (खारची) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मैंने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है, उसके तहत कुछ जानकारी मैं चाहूंगा, कुछ बातें उनसे पूछना चाहूंगा। वह जो जवाब दें उससे मैं सन्तुष्ट हो सकूं और मेरे क्षेत्र की जनता भी उस जवाब से सन्तुष्ट हो सके।

माननीय अध्यक्ष जी, पश्चिमी राजस्थान में पानी की बहुत ही गम्भीर समस्या है। पानी की समस्या मेरे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में है। सरकार करोड़ों रुपया इस पर खर्च कर रही है लेकिन जो करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब देश आजाद हुआ था, जैसी पानी की समस्या पहले थी वैसी ही समस्या आज बनी हुई है। पिछली सरकार ने, उसके पहले कांग्रेसी सरकार ने और वर्तमान सरकार ने इस समस्या पर ध्यान भी दिया लेकिन जो अधिकारी वर्ग है वह इस रुपये का दुरुपयोग कर रहा है।

मैं अध्यक्षजी, आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र खारची में सरकार प्रतिवर्ष अस्थायी तौर पर हजारों रुपया व्यय कर रही है। यदि वह रुपया योजनाबद्ध तरीके से व्यय किया जाता तो इस समस्या का समाधान अब तक हो जाता। इसलिए सरकार मुझे पूर्णतया अवगत करावे कि यह सारा रुपया किस मद पर व्यय किया जाता है। इसका जो उपयोग होता है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, पाली जिले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कुछ वर्ष पूर्व पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये एक मास्टर प्लान बनाया गया था। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करूं कि वह मास्टर प्लान जो बनाया था, वह योजना खटाई में पड़ गई है। वह क्यों? मुझे इस बात की जानकारी मिली है जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, अध्यक्ष जी, जब मास्टर प्लान समस्या का समाधान करने के लिये बनाया गया था तब भी मैं इसके प्रति चिन्तित रहा हूं, जब मैं विधायक भी नहीं था, पत्रकारिता करता था, तब भी मैं इस बारे में चिन्तित रहता था और समाचार पत्र के माध्यम से लगातार इस मांग को दोहराता था। अब आपके माननीय मंत्री जी को बताऊं कि इस मास्टर प्लान को खटाई में डाल दिया गया है, कहीं पता नहीं है। एक रिवाइज्ड मास्टर प्लान बनाया जा रहा है उसके तहत क्या होगा इसकी मंत्री जी जानकारी दें। इसकी स्वीकृति कब होगी और उसकी क्रियान्विति कब होगी?

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का इस ओर भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि हमारी सरकार ने इस सदन में यह आश्वासन दिया है कि सातवीं विधान सभा

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

के कार्यकाल तक लगभग सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध करा दिया जायगा। इस विधान सभा के 9 महीने व्यतीत हो गये हैं। इन 9 महीनों में मन्त्री जी इस बात की जानकारी दें, कि राज्य की बात तो छोड़ें मेरे क्षेत्र में ही कितने गांवों को पेयजल इन 9 महीने में ही उपलब्ध कराया गया है, किस किस गांव की योजना बनाई गई है....।

(1.40 म॰प॰)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

तो फिर आने वाले अल्प समय में सवा चार साल में किस प्रकार यह योजना क्रियान्वित की जायगी ?

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि जिस गति से वे यह सारा काम लाल फीताशाही के हाथों में सौंप रहे हैं, उससे उद्देश्य पूरा नहीं होगा ऐसे क्षेत्र में कोई भी रिंग जल व्यवस्था पहुंची नहीं पहुंची है, कोई भी रिंग नही पहुंची है, कोई ट्यूबवैल नहीं पहुंचा है, कोई भी नयी टंकी का निर्माण नहीं हुआ है, किसी रीजनल स्कीम की भी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। यह सब 9 महीने में नहीं हो सकता तो सवा चार साल में किस प्रकार कर सकेंगे ? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपके विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें आयें, उनकी चाबी खेंचे और थोड़ा टाइट करें कि 9 महीने में क्या कर रहे थे। सभापति महोदया जहां तक पिछड़ी आदिम जाति योजना का सवाल है, वह जो बनी थी,, उसमें अभी तक कोई नयी जनसंख्या के आधार पर रिवाइज करने का प्रोग्राम नहीं है। पुरानी जनसंख्या में और आपकी नयी जनसंख्या में काफी परिवर्तन आ गयी है लेकिन उस क्षेत्र के अधिकारियों के द्वारा, श्रीमन्, मेरे सामने अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं लाया गया है। इस प्रकार का काम किया जा रहा है तो कैसे काम किया जायगा ? सभापति महोदया, मैं सोचने को बाध्य होता हूं कि विभाग के द्वारा कोई काम नहीं हुआ है।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में पेयजल के लिए क्या योजना है, मुझे स्पष्ट तौर पर बतायें ? मेरे विधान सभा क्षेत्र में पांच हजार की आबादी के बहुत से गांव हैं। उदाहरण के तौर पर राणावास, आहुवा, जोसावर सिवाड़ा मगर तालाब, मेहुआ मारवाड जंक्शन, धामणी यहां पर निर्माण की क्या योजना है ? मैं कई बार, जब से विधायक बना हूं, अधिकारियों को लिख चुका हूं तो मेरे पास फाइले भेज दी जाती हैं कि फाइलों में आप गांव देख लो। वह गांव तो मैं पहले ही देख चुका हूं, लेकिन वहां काम कितना हुआ है ? नौ महीनों में इन गांवों के लिये टंकी निर्माण के लिए कोई सामान पहुंचा है या नहीं, कोई योजना भी है या नहीं, स्पष्ट बतायें।

इसके अलावा रीजनल स्कीम में जहां जहां पर पांच हजार से कम की आबादी है

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

ऐसे गांव खारची, सूर्य नगर, भामोरा शिमला, डिगोद, सैदयारी, आरण, आगोद, सिंगलवाडा, पिलावणी आदि हैं। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या रीजनल स्कीम के अन्तर्गत इन गांवों को लिया जा सकता है ? मेरा क्षेत्र पहाड़ी इलाका है अरावली की तलहटी में, सभापति महोदया, आपका और मेरा क्षेत्र एक ही किनारे पर है, अरावली के इधर मेरा क्षेत्र है और उधर आपका क्षेत्र है, वहां पर हैण्ड पम्प की योजना भी कामयाब नहीं हो सकती है पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गांवों में पानी किस तरह से देंगे, किस प्रकार हमारी सरकार अपने कार्यकाल में इन गांवों में पानी पहुंचा देगी ?

मैं मुख्य मुद्दे की ओर आ रहा हूं। मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मैं जिस गांव में रहता हूं मारवाड़ जंक्शन वहां पर चेलावास से रीजनल स्कीम के द्वारा पानी दिया जाता है। मैंने जो ध्यानाकर्षण दिया है, जिस तारीख को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, श्रीमन्, उसी तारीख से लगातार 15 दिन पहले तक, मारवाड़ जक्शन में पानी नहीं पहुंचा, वहां के निवासियों को पानी नहीं दिया गया। और वहां के जो कनिष्ठ अभियन्ता साहब हैं, वहां पर लोग ढूंढते हैं तो वे मिलते नहीं हैं, गायब मिलते हैं। लोगों को उनको जवाब देना नहीं आता है। मैं नहीं कहता हूं कि उसका स्थानान्तरण किया जाय, सरकार उसको कसे, टाइट करे, और अगर उसका स्थानान्तरण ही करना है तो मेरी कोई भावना नहीं है, उसको वहां से भेजें, तो वहां भेजें जहां पर कि वह जाना चाहता है, जिससे कि वह दिल खोलकर काम कर सके। लोगों को पानी दे सकता है परंतु लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। पानी मिलेगा कैसे? अधिकारियों से पूछता हूं तो वे कहते हैं कि बिजली नहीं आती है, लाइट नहीं आती है, छः सात घण्टे तक लाईट आती है तो, सभापति महोदया, उस समय जो ड्राइवर है, चलाने वाला, वह ड्राइवर गायब मिलता है ड्राईवर नहीं आता है और जब आता है तो इन्जिन पर बैठ जाता है कि लाइट नहीं है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह बिजली की समस्या है तो चेलावास में एक डीजल का इन्जन ही लगा दिया जाय जिससे कि कम से कम उस डीजल इन्जन को चलाकर मारवाड़ जंक्शन को पानी दिया जा सके। वहा से चारों ओर की गाड़ी आती है आबू जोधपुर, अहमदाबाद की। मेरे खयाल से वहां भी पानी नहीं दिया जा रहा है। इसका एक मात्र कारण यह है कि पानी की पूर्ण सप्लाई नहीं है।

दूसरी बात, सभापति महोदया, मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि ड्राइवर के ड्यूटी आवर क्या हैं ? मैंने ता एक ही ड्राइवर को बैठे देखा है। आखिर वह भी तो 24 घण्टे नहीं बैठ सकता है पता नहीं कब लाइट आती है। इसलिए मंत्री महोदय निर्देश दें कि वहां पर 2 ड्राइवर लगा दिये जायं और डीजल पम्प लगा दिया जाय ताकि बराबर पानी लोगों को मिलता रहे। जब नल

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

नहीं आते हैं तो लोगों को यार्ड में जो टंकी है वहां से पानी लाना पड़ता है। वहां पर 14 लाइनों पर शन्टिग होता रहता है। सभापति महोदया, वहां पर कई औरतें कट कर मर गई हैं, इस पानी के कारण से। इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस ओर अविलम्ब ध्यान दें। इसके अलावा वहां पर जो कर्मचारी हैं, अगर टंकी में पानी आ जाता है तो कर्मचारी क्या करते हैं कि 10 किलोमीटर से पानी आता है रास्ते में खोलकर खेतों को पानी दे देते हैं और उनसे पैसे ले लेते हैं। पानी आ भी जाता है तो वह समय पर नहीं दिया जाता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि वहां पर जो कनिष्ठ अभियन्ता है उसकी लापरवाही है। वहां पर लोगों में असन्तोष है। इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्योंकि मैं भी सरकार का सदस्य हूं।

एक माननीय सदस्य : अभी नहीं हैं। सपने मत देखो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप समस्या समझा चुके हैं अपनी, मंत्री महोदय को।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदया, बस दो लाइन और कहना चाहता हूं। इस योजना में विलम्ब नहीं होना चाहिये। वहां पर जो असन्तोष है वह उग्र रूप न ले ले, इसलिए कृपया इसको मिटाने की कृपा करें और कोई ऐसी स्कीम तैयार करें जिसके तहत गांव वालों को पानी मुहैया कराया जा सके।

श्री सभापति : मंत्री महोदय उत्तर दीजिये।

श्री रामकिशन वर्मा (राज्य मंत्री, जन-स्वास्थ्य) : सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है इस संबंध में मेरा निवेदन यह विशेषतौर से मुख्य मांग है उसके संबंध में। मारवाड़ जंक्शन (खारची बाजार) को क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना खारची-चेलावास द्वारा जल प्रदाय की व्यवस्था है इस क्षेत्रीय जल योजना में कुल 10 ग्राम हैं। इन गामों में से 8 ग्रामों हेतु स्रोत चेलावास ग्राम में स्थित दो नलकूप हैं। इन दोनों नलकूपों से मारवाड़ जंक्शन कस्बे को जल वितरण 7 किलोमीटर दूर स्थित एक लाख गैलन क्षमता के उच्च जलाशय द्वारा दिया जाता है। इस जलाशय से कस्बे तक पहले 8 इंच व्यास की तथा बाद में 6 इंच व्यास की पाइप लाइन डली हुई है। कस्बे को दो भागों में विभाजित किया गया है एवं प्रत्येक भाग को लगभग डेढ घण्टा प्रतिदिन जल वितरण किया जाता है।

मारवाड़ जंक्शन की वर्तमान में जनसंख्या लगभग 6000 है अर्थात् कस्बे को प्रतिदिन जल की आवश्यकता लगभग 60 हजार गैलन है, इस कस्बे में लगभग 470 जल संबंध भी।

पिछले कुछ महीनों से विद्युत की अत्याधिक कटौती के कारण चेलावास स्थित

(श्री रामकिशन वर्मा)

नलकूपों पर पानी का उत्पादन काफी कम हो गया है। अतः योजना के सभी ग्रामों पर आवश्यकतानुसार जल वितरण नहीं हो पा रहा है। माह फरवरी, 1981 में विद्युत उपलब्धता का दैनिक वितरण संलग्न है। इस विवरण को देखने से ज्ञात होगा कि इस अवधि में विद्युत वितरण औसतन लगभग 8 घण्टे प्रतिदिन हुआ। अत स्वाभाविक था कि जल का उत्पादन कम होने के कारण वितरण व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हुई। दिनांक 20-2-81 से 23-2-81 के मध्य तो विद्युत वितरण अत्यधिक कम होने के कारण 22 व 23 फरवरी को मारवाड़ जंक्शन में जल वितरण नहीं हो सका। परन्तु 24 फरवरी को विद्युत उपलब्धि में सुधार के कारण कस्बे में जल वितरण किया जा सका।

आशा है कि विद्युत उपलब्धि में सुधार होने पर कस्बे को नियमित रूप से जल वितरण किया जा सकेगा।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : सभापति महोदया, मैंने कुछ मुद्दे उठाये हैं। मारवाड़ जंक्शन के जलदाय विभाग में जो कर्मचारी हैं वे क्या कर रहे हैं? उनका क्या अचार डालेंगे? समय पर पानी नहीं देते हैं। इस समस्या का कि 7–7 घण्टे और 8–8 घंटे बिजली मिली है यह तो मुझे ही पता है। मेरा असली सवाल यह था कि वह ड्राइवर कहां जाता है जब बिजली आती है? वह क्यों नहीं उस समय वहां पर रहता है? और क्यों नहीं समय पर पानी दिया जाता है? बिजली नहीं आती है तो जब बिजली आती है तो उस समय क्या करते हैं? उन कर्मचारियों का क्या करेंगे?

श्री रामकिशन वर्मा : इस प्रकार की शिकायत बता रहे हैं। इसकी जांच करूंगा और अगर कोई कर्मचारी दोषी पाया जायगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : धन्यवाद, साहब।

केन्द्रीय सहकारी बैंक झुंझुनू द्वारा सहकारी समितियों को ऋण दिया जाना।

श्री सभापति : श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर, सहकारिता मंत्री। केन्द्रीय सहकारी बैंक झुंझुनू द्वारा सहकारी समितियों को ऋण न दिये जाने के संबंध में एक वक्तव्य देंगे।

माननीय मन्त्री महोदय।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (सहकारिता मन्त्री) : सभापति महोदया, वर्ष 1980-81 में झुंझुनू जिले में अल्पकालीन ऋण वितरण का लक्ष्य निम्न प्रकार किया गया था—

1-7-80 से 30-9-80	50.00 लाख रुपये	
1-10-80 से 31-3-81	60.00 लाख रुपये	
1-4-81 से 30-6-81	90.00 लाख रुपये	
	200.00 लाख रुपये	

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

1-7-80 से 30-9-80 तक की अवधि में 50.00 लाख रुपये के लक्ष्य के विरूद्ध 47·51 लाख रुपये का अल्पकालीन ऋण वितरित किया गया। केवल 2.49 लाख रुपये का ऋण इसलिए नहीं वितरित हो पाया क्योंकि जिले के काफी बड़े भाग में अकाल की स्थिति थी। 1-10-80 से 31-3-81 की चालू अवधि में 60.00 लाख रुपये के लक्ष्य के विरूद्ध माह फरवरी, 81 के अन्त तक 35.47 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया। वैसे रबी फसल हेतु एक माह का समय और ऋण उपलब्ध कराने के लिये है परन्तु मुख्य समस्या यही है कि बिजली की कमी के कारण पूर्ण सिंचित क्षेत्र में "बी-कम्पोन्नेट" (खाद) कम उठ रहा है। इस तरह अब तक 1-7-80 से फ़रवरी, 81 तक की अवधि में 110.00 लाख रुपयों के विरूद्ध 76.98 लाख रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है जो लक्ष्य का लगभग 70 प्रतिशत है। यह ऋण जिले की 8 पंचायत समितियों की 141 कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों में बांटा गया है।

वर्ष 1979-80 में इसी अवधि में 105 लाख रुपये के लक्ष्य के विरूद्ध 57.53 लाख रुपये वितरित हुआ था। इस तरह भयंकर अकाल की स्थिति होते हुए भी इस वर्ष फरवरी, 81 तक अधिक ऋण वितरित हुआ है।

इस वर्ष जिले में मध्यकालीन ऋण वितरण का कोई लक्ष्य नहीं था परन्तु समग्र विकास योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों एवं भूमिहीन काश्तकारों को मध्यकालीन ऋण वितरण करने के लक्ष्य और प्रार्थना-पत्रों को देखते हुए बैंक ने 120 लाख रुपये मध्यकालीन ऋण वितरण करने के लिए साख कायम करने के लिए अपैक्स बैंक के मार्फत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से निवेदन किया था जिसके विरूद्ध अभी तक केवल 6 लाख रुपये मध्यकालीन ऋण अन्तरिम साख सीमा कायम की गई है। साख सीमा को 120 लाख तक बढ़ाने के लिये प्रयास जारी है और इस उम्मीद में जनवरी, 81 से अभियान के जरिये ऋण के प्रार्थना पत्र तैयार कराये जा रहे है जो 6 लाख रुपये की साख सीमा स्वीकृत हो चुकी है उसके विरूद्ध 6.73 लाख रुपये का ऋण अब तक वितरित किया जा चुका है। अन्य ऋण पत्र तैयार किये जा रहे हैं और ज्यों ही साख सीमा बढ़ाने की स्वीकृति प्राप्त होगी वैसे ही ऋण भी वितरित कर दिया जायगा।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : सभापति महोदया, माननीय मन्त्रीजी ने बताया कि झुन्झुनू जिले की 141 सहकारी समितियों में ऋण वितरित किया गया है और वह सन्तोषजनक है। मैं आपकी मार्फत माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि झुंझुनू जिले में मध्यकालीन ऋण की सीमा 120 लाख रुपये रखी गई है, परन्तु 9 मार्च तक केवल 7 लाख का ही ऋण वितरित किया गया है, इसी प्रकार शार्ट टर्म के लिए 2 लाख का टार्गेट था जिसमें 9 मार्च तक केवल 77 हजार का ऋण ही वितरित किया गया है। इसके अलावा, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तथा वीकर सेक्शन्स के लिए

(श्री लच्छूराम)

बहुत ही प्रचार किया जा रहा है। झुन्झुनू जिले के अन्दर 31 मार्च तक 2601 परिवारों को समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत लाभ देने का लक्ष्य था परन्तु, सभापति महोदया, मुझे यह कहते हुए खेद है कि 2601 परिवारों में से 9 मार्च तक केवल 90 परिवारों को ही लाभ दिया गया है। सभापति महोदया, सबसे मुख्य बात जो थी वह यह थी कि गरीबी की रेखा के नीचे के जो व्यक्ति हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए 2601 परिवारों का लक्ष्य था, लेकिन अभी तक इस लक्ष्य का केवल कुछ अंश ही प्राप्त किया जा सका है।

मैं आपकी मार्फत माननीय मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि झुंझुनू जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक है उसमें करीब 15 साल से प्रशासक काम कर रहा है और उसी की वजह से वहां पर कोई चुनिंदा बाडी नहीं है, वे हर मामलों में अपनी मनमानी करते आ रहे हैं। जब वीकर सैक्शन की लोन एप्लीकेशन्स आती हैं और उनको फायदा पहुंचाने की कोई बात होती है तो उसमें धोखाबाजी करते हैं। गरीब लोग उनकी शिकायत करते हैं कि ऊंट गाड़ी के लिए लोन एप्लीकेशन लेकर जाते हैं, बैलगाड़ी के लिये एप्लीकेशन देते हैं तो उनको हर प्रकार से तंग किया जाता है। मैंने जो ये आंकड़े इकट्ठे किये हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि 2600 परिवारों में से केवल 90 परिवारों को ही लाभ पहुंचाया गया है जो कि नगण्य है। सभापति महोदया, यहां के जो जनरल मैनेजर हैं और दूसरे जो बैंक के अधिकारी हैं, उनका दूसरा नमूना बैंक की जो जीप है, उसकी लॉग बुक है, उसकी फोटो कापी मेरे पास है। इसके अन्दर माइलो मीटर में कांट-छांट की गई है एक ही तारीख में जहां से शुरू किया जाता है, जर्नी जहां से शुरू होती है, जैसे झुन्झुनू से सूरतगढ़ जाने में ही सौ-सौ किलोमीटर का फर्क है। यह सब डीजल को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। सारी लॉग बुक में कांट-फांस की गई है, इस प्रकार से बैंक की जीप का दुरुपयोग किया जा रहा है, डीजल का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बैंक की जो लॉग बुक है इसकी जांच कराई जावे। सहकारी बैंक की जांच कराई जावे। दोषी अधिकारियों को दण्ड दिया जावे यही नहीं, सभापति महोदया, वहां के जो जनरल मैनेजर हैं, उनके द्वारा जिले में जो लोन का वितरण हुआ है, उसमें और दूसरे मामलों में दुरुपयोग किया जा रहा है।

इसके अलावा एक सोसायटी के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। बाकड़ी ग्राम में एक सोसायटी है, इसमें 80 लाख रुपयों का फर्जी लोन उठाया गया है। सभापति महोदया, 13 आदमियों ने बयान दिये हैं कि हमने किसी प्रकार का लोन नहीं उठाया है, लेकिन आज तक बैंक के अधिकारियों ने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से फर्जी मामले हो रहे हैं और बैंक के अधिकारी लोग किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से कालासर सोसायटी में 50 हजार रुपये का लोन फर्जी नाम से उठाया गया है। यहां के जो मैनेजर हैं उनका स्थानान्तरण

(श्री लच्छूराम)

सिरोही से हुआ था। उन्होंने सिरोही से लोगों को बुलाकर उनको सोसायटियों का व्यवस्थापक बनाया और उनको फायदा दिया जबकि स्थानीय लोगों को ही व्यवस्थापकों के पद पर लगाया जाना चाहिये। मैं माननीय मन्त्री महोदय से आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो मैनेजर हैं ये सिरोही से आये हैं और जयपुर जिले के चालीस आदमियों की एक टीम बना रखी है। इस प्रकार से ये जिले को बर्बाद कर रहे हैं, गरीबों को, किसानों और वीकर सैक्शन्स को लोन नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी सक्षम अधिकारी को नियुक्त करके इसकी जांच करवाई जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदया, मेरा निवेदन करना यह है कि माननीय लच्छूरामजी ने जो बात अभी....

श्री सभापति : आपका कोई प्रस्ताव नहीं है माननीय सदस्य आप कोई प्रश्न नहीं कर सकते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ऐसा तो नहीं है....

श्री सभापति : नहीं सही। माननीय मन्त्री महोदय उत्तर देना चाहेंगे।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने दो मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मध्यकालीन ऋण के सम्बन्ध में मैंने स्पष्ट किया है कि हमको 6 लाख की साख सीमा मिली थी और मांग 120 लाख की आई थी इसके लिये जब तक हमको रिजर्व बैंक से साख सीमा बढ़ाने की स्वीकृति नहीं मिल जाती, तब तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं अल्पकालीन ऋण के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय हमारे पास कोई भी आवेदन ऐसा नहीं है जिस पर ऋण नहीं दिया गया हो। इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि 162 सोसायटियों के आवेदन आये थे जिनमें से 141 सोसायटियों को ऋण दे दिया गया है, बाकी को सोसाइटियों को डिफंक्ट होने से या और कुछ कारणों की वजह से लोन नहीं दिया गया है, बाकी समस्त सोसायटियों को ऋण वितरण कर दिया गया है।

बैंक की जांच और व्यवस्था के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है, मूल प्रस्ताव में इसका कोई उल्लेख नहीं है, इस सम्बन्ध में जो भी आवश्यक जांच हो सकती है, वह करेंगे और जो भी निर्णय होगा, वह होगा। मूल प्रस्ताव अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण के वितरण के सम्बन्ध मे था, उसके सम्बन्ध मे जो परिस्थितियां थी वह मैंने निवेदन कर दी हैं। यही मेरा निवेदन है।

श्री लच्छू राम : सभापति महोदया, मैं निश्चित रूप से इसका आश्वासन चाहता हूं कि जो केन्द्रीय सहकारी बैंक झुन्झुनू में है उसमें बहुत बड़ा घपला है, इसलिए उसके लिए जो भी लोन वितरण का और सारी सोसाइटियों द्वारा जो वितरण किया जाता

(श्री लच्छूराम)

है, इस सम्बन्ध में एक सक्षम अधिकारी को नियुक्त करके इसकी जांच करायें और अब जो वर्तमान जनरल मैनेजर हैं उनका स्थानान्तरण दूसरी जगह करके उनकी एबसेन्स में जांच कराई जाय और सक्षम अधिकारी की घोषणा करें।

बूंदी जिले में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध न होना

श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : सभापति महोदया, इस सम्बन्ध में मन्त्री वक्तव्य दें उससे पूर्व मुझे बोलने की अनुमति दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री सभापति : आप बाद में बोलें।

श्री सूर्य कुमार : मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का तो महत्व ही नहीं रह जायगा।

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव साथ-साथ चलते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (सिंचाई, राज्य मन्त्री) : सभापति महोदया, चंबल बांधों की शृंखला के अन्तिम बांध कोटा बैराज से दायी मुख्य नहर व बाईं मुख्य नहर निकलती है। बाईं नहर से केवल राजस्थान का 2.53 लाख एकड़ क्षेत्र सिंचित होने का प्रावधान है, जबकि दाईं नहर 124 किलोमीटर तक राजस्थान के 3.15 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान कर पार्वती नदी के पार मध्यप्रदेश के क्षेत्र को सिंचित करती है। बाईं मुख्य नहर 2.6 किलोमीटर के बाद कापरेन व बूंदी ब्रांच शाखाओं में विभक्त हो जाती है। कापरेन ब्रांच से बूंदी जिले की बूंदी व केशवरायपाटन तहसील के लगभग 1.79 लाख एकड़ सी. सी. ए. में व बूंदी ब्रांच से बूंदी तहसील के 0.74 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार रबी में 55 व खरीफ में 21 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई करवाने का प्रावधान है और इसी के अनुसार नहरों का डिजाइन 55 प्रतिशत से किया गया है।

बांधों में पानी की उपलब्धि के अनुसार प्रतिवर्ष नहरों के चलाने का कार्यक्रम मध्यप्रदेश, राजस्थान अन्तर्राज्यीय जल नियन्त्रण बोर्ड द्वारा गठित स्थाई कमेटी नं. 2 के द्वारा तय किया जाता है। गांधी सागर के जल ग्रहण क्षेत्र में गत वर्ष वर्षा औसत से बहुत कम हुई, जिसके फलस्वरूप गांधी सागर में कुल 6.876 मिलियन एकड़ फीट भराव की तुलना में मात्र 2.698 मिलियन एकड़ फीट ही पानी आय जिसमें से 1.07 मिलियन एकड़ फीट पानी खरीफ की फसलों हेतु उपयोग में लाया गया और इस प्रकार रबी के लिए मात्र 1.628 मिलियन एकड़ फीट पानी शेष रहा जिसमें से 0.814 मिलियन एकड़ फीट राजस्थान और इतना ही मध्यप्रदेश को उपयोग करना था, परन्तु दोनों प्रदेशों की रबी की फसलों के सम्भावित क्षेत्र में पूर्ण चार पिलाई करवाने के लिए अपर्याप्त था। इस विषम स्थिति में, चम्बल विकास आयुक्त व राज्य सरकार के कृषि विशेषज्ञों ने यह निर्णय लिया कि रबी में क्षेत्र के कृषकों को कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे चना, धनिया, सरसों, अलसी, जौ आदि ही बोने के लिए प्रेरित किया जाय और सूचित किया जाय

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

कि प्लेवा के बाद केवल एक ही पानी और देना संभव होगा ।

उक्त निर्णय के पालनार्थ क्षेत्रीय विकास आयुक्त, चम्बल, कोटा द्वारा दिनांक 15-10-80 को जल वितरण कमेटी की मीटिंग बुलाई गई जिसमें क्षेत्र के सरपंच, प्रगतिशील कृषक, विशेषज्ञों एवं जन प्रतिनिधियों से परामर्श कर बूंदी शाखा दिनांक 20-10-80 से 25-1-81 तक केवल 77 दिन व कापरेन शाखा दिनांक 24-10-80 से 25-1-81 तक मात्र 73 दिन चलाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया । परन्तु क्षेत्रीय किसानों की समय समय पर मांग बढ़ती गई और उक्त निर्णय के विपरीत बूंदी शाखा और कापरेन शाखा 112 व 101 दिन क्रमशः चलाई गई । जिससे स्पष्ट है कि बाई मुख्य नहर की शाखाओं को निर्धारित दिनों से अधिक चलाया ताकि इस क्षेत्र की फसलों को अधिक से अधिक लाभ हो सके । इस प्रकार बूंदी ब्रांच में 0.11 मिलियन एकड़ फीट के बजाय 0.147 मिलियन एकड़ फीट व कापरेन ब्रांच में 0.124 मिलियन एकड़ फीट के स्थान पर 0.19 मिलियन एकड़ फीट जल का उपयोग हुआ ।

यद्यपि जल वितरण सारिणी की विज्ञप्ति के अनुसार काश्तकारों को यह पूर्व में ही सूचित कर दिया गया था कि पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमि में कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे सरसों, चना, धनिया, अलसी आदि ही बोयें, परन्तु इसके विपरीत काश्तकारों ने बाई नहर क्षेत्र में लगभग 1.10 लाख एकड़ क्षेत्र में गेहूं लगाये हैं व 55 हजार एकड़ में चना, धनिया, अलसी, सरसों आदि हैं । जबकि गत वर्ष यही रबी में 1,54,574 एकड़ क्षेत्र में से 1,03,604 एकड़ में ही गेहूं की फसल थी । इस वर्ष रबी का कुल क्षेत्रफल लगभग 1.65 लाख एकड़ हो गया है जो कुल सी. सी. ए. का 65 प्रतिशत है । जबकि निर्धारित इन्टिंसटी 55 प्रतिशत ही है ।

यहां पर भी यह उल्लेखनीय है कि कापरेन शाखा पर टेल पर लगभग 6000 एकड़ क्षेत्र ऐसा था जिसमें कई वर्षों से पानी नहीं लगा था उसमें इस वर्ष पानी पहुंचाया गया, इस क्षेत्र में से 4500 एकड़ क्षेत्र में तो प्लेवा व पहले पूरा पानी दे दिया गया । सिर्फ 1500 एकड़ क्षेत्र ऐसा रहा जहां प्लेवा तो पूरा हो गया मगर पहला पानी नहीं दिया जा सका । इसी प्रकार बूंदी शाखा पर भी टेल के लगभग 2000 एकड़ क्षेत्र में कई वर्षों के बाद पहली बार सिंचाई करी गई उसमें मात्र प्लेवा ही संभव हुआ है । यदि कृषक विभाग की राय के अनुसार क्षेत्र में ऐसी फसलें जैसे चना, अलसी, धनिया आदि ही बोते तो यह एरिया भी पहले पानी से वंचित नहीं रहता ।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जल वितरण कमेटी के निर्णयानुसार विभाग द्वारा दिनांक 25-1-81 तक ही नहरों में पानी देने का दायित्व था और यह नहर 25-1-81 को ही बंद होनी थी । किन्तु कृषकों की मांग के अनुसार उनको अधिक से

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

अधिक लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष प्रयत्न किये, जिस कारण इस क्षेत्र की कापरेन शाखा में 26 फरवरी, 81 तक और बूंदी शाखा में 8 मार्च, 81 तक पानी देना संभव हुआ। अतः यह कहना कि बाईं नहर को बिना पूर्व सूचना के ही बंद कर दिया गया, पूर्ण भ्रमात्मक है। तथ्य यह है कि राज्य सरकार ने विशेष प्रयत्न करके नहर को 25–1–81 के बजाय 8–3–81 तक चलाकर बंद किया। अब 15 मार्च से पुनः बाईं नहर से बूंदी जिले के क्षेत्र को और पानी सिंचाई हेतु दिया जा रहा है, 600 क्यूसेक्स, जिससे बूंदी ब्रांच व कापरेन ब्रांच पर शेष क्षेत्र भी 20-3-81 तक सिंचित हो जायगा।

श्री सूर्य कुमार : सभापति महोदया, मैं केवल दो प्रश्नों पर मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि दो हजार एकड़ भूमि जो सिंचाई होने से वंचित रही, आपने फर्माया कि वह टेल की भूमि है। इसमें फसल गन्ने की नहीं है और जो भूमि सिंचित हुई है बूंदी जिले की उसमें फसल गन्ने की थी और उस फसल में पानी लेने में जो सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारी हैं उन्होने काश्तकारों को नहीं रोका और न ही उन्होने इस बात के लिए माकूल इंतजाम किया कि टेल तक पानी पहुंचे, जैसी कि विभाग की योजना थी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं एक एक करके उत्तर दूंगा। यह बात सही है कि दो हजार एकड़ जो टेल की आपकी जमीन है, हमारे विभाग में 1500 है, आप दो हजार कहते हैं तो उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है, मैं आपकी बात को मानता हूं।

यह बात सही है कि दो हजार एकड़ जमीन का रकबा सिंचाई से वंचित रह गया और यह बात भी सही है कि नहर के शुरू शुरू के हिस्से में तो पानी पहले पहुंच जात है लेकिन नहर के टेल के हिस्से में पानी बहुत ही कम मात्रा में पहुंचता है। सभानेत्री जी, मैं यहां यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सुझावों के बावजूद भी किसानों ने गन्ने की और गेहूं की फसल बो दी। हमने उनको नोटिसेज भी दे दिये थे पर उन लोगों ने नहीं मानकर वहां पर गन्ने की और गेहूं की फसल बो दी। लेकिन मैं यहां आपको अब यह कहना चाहूंगा कि टेल के हिस्से में एक दो दिन में उन दो हजार बीघा जमीन में पानी पहुंच जायगा।

श्री सूर्य कुमार : सभापति महोदया, मेरा प्रश्न करने का मकसद यह नहीं था, मेरा प्रश्न तो यह है कि जिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बावजूद गवर्नमेंट के सूचना देने के किसानों को सरकारी आदेशों की पालना नहीं करते हुए, अवहेलना करने वाले किसानों को गन्ने की फसल के लिये और गेहूं की फसल के लिये भरपूर पानी दिया, उन अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया। मन्त्री महोदय मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं और मेरे प्रश्न को टाल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदया, बावजूद सरकार के चेतावनी देने के भी किसानों ने वहां पर गन्ने की फसल बो दी। हमने उन्हें कहा था कि गान्धी सागर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

डैम से पानी कम आयेगा। कोटा बैराज में भी पानी छोड़ने के बारे में हमने 30 की जगह 50 फुट छोड़ने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से बात की थी और मध्य प्रदेश की सरकार को मनवा भी लिया था, लेकिन बदकिस्मती से उस जगह के किसानों ने ऐसा किया। सभानेत्री जी, शुरू शुरू में जहां से नहर आती है वहां से लोगों ने पानी को खोल लिया और पानी ले लिया। जब राज्य सरकार ने पहले ही कह दिया कि आप गन्ने की फसल को नहीं बोयें तो उन्होंने राज्य सरकार की सलाह को नहीं मानते हुए भी वहां पर अपनी रिस्क पर गन्ने की फसल बो दी। फिर भी हमने, राज्य सरकार ने, मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मध्य प्रदेश से बातचीत करके, जैसा कि मैंने कहा, पानी दिलाया। अब मैं यहां पर ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि हम इस बारे में चिन्तित हैं कि किस प्रकार से टेल के एरिया में पानी पहुंचाया जाय।

श्री सूर्य कुमार : सभापति महोदया, मन्त्री महोदय मेरे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं और उसको टालते जा रहे हैं। मेरा, सभापति महोदया, प्रश्न यह है कि बावजूद किसानों को नोटिस देने के और सरकार के मना होने पर भी उन अधिकारियों ने राज्य सरकार की आज्ञा की अवहेलना करके उन किसानों को पानी दिया तो उन अधिकारियों के खिलाफ में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं जिन अधिकारियों ने राज्य सरकार के फैसले के बावजूद भी किसानों को पानी दिया? उन सिंचाई विभाग के अधिकारियों को, जिन्होंने किसानों को पानी दिया, उनके लिये मैं पूछ रहा हूं कि आपने क्या एक्शन लिया? मन्त्री महोदय मेरे प्रश्न को टाल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभानेत्रीजी, मैं इस प्रश्न को ज्यादा खोलना नहीं चाहता हूं। यहां पर माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, कि अधिकारियों ने पानी दिया, यह गलत है। हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने तो पानी नहीं दिया और इसके लिये तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को किसानों द्वारा पीटा गया है और एक का तो किसानों ने कुल्हाड़ी से मार कर सिर फोड़ दिया जिसकी कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी है। मैं ज्यादा बात यहां पर कहना नहीं चाहता हूं।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : हां, हां, साहब। वह बात तो हमें पता है कि किसानों ने आपके अधिकारी का कुल्हाड़ी से सिर फोड़ दिया और आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी है। लेकिन मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बून्दी जिले के किसानों को आपने पानी दिया है, उसके लिये तो आपको नैनवा से आने वाले सदस्य ने धन्यवाद दे दिया लेकिन मेरे क्षेत्र पाटन के किसानों को पानी नहीं देकर आपने बून्दी जिले के किसानों की खेती को, गन्ने की फसल को जो नष्ट कर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद नहीं दूंगा। आपने जब एक तरफ एक तारीख निश्चित कर दी थी इस तारीख के बाद पानी नहीं दिया जायगा, तो आपने पाटन के अलावा सभी क्षेत्रों में, जहां से कांग्रेसी विधायक आते हैं, उनके क्षेत्रों में पानी

(श्री गोपाल पचेरवाल)

दिया। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, कि पाटन क्षेत्र में जहां पर केशोरायपाटन शुगर मिल चल रही है, वहां के किसानों को आपने कहा कि 19 तारीख के बाद पानी नहीं दिया जायगा। फिर आपने काश्तकारों को यह कहा कि वह अपना गन्ना काट कर केशोरायपाटन मिल में देवें। आपके सरकारी अधिकारियों ने कहा, कलेक्टर ने कहा, और उसके बाद में आपने पहले तो 19 तारीख तक पानी देने की बात कही और उसके बाद में आपने 25 तारीख तक ही पानी देने की बात कही लेकिन आपने दूसरी तरफ लोगों को प्रेरित किया कि वह शुगर मिल के लिये गन्ना लगायें और यह भी आपने वहां पर पाटन क्षेत्र के किसानों को पाबन्द कर रखा है कि पाटन क्षेत्र के इर्द गिर्द 34 मील के क्षेत्र में किसानों द्वारा जो गन्ना बोया जायगा, वह केशोरायपाटन मिल को दिया जायगा। आपने पाबन्दी लगा रखी है यह कह कर कि केशोरायपाटन 'मिल' कोआपरेटिव मिल है इसको ही गन्ना दिया जाय। वह किसान गन्ना बाहर दे नहीं सकते।

अब, श्रीमन, एक तरफ तो पानी नहीं दिया जाता है; दूसरी तरफ उनको गन्ना बोने के लिये पाबन्द किया जाता है। इसके अलावा बूंदी में आपने पाटन के लिये तो कह दिया कि 25 तारीख के बाद में पानी नहीं दिया जायगा पर दूसरी जगह आपने पानी दिया है मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि यहां पर जो भी सूचना आपके द्वारा दी गयी है वह झूठी है क्योंकि यह सूचना वहां के अधिकारियों द्वारा दी गयी है। वहां पर जो यह सूचना देने वाला है वह रानावत नाम का अधिकारी है जो कि अभी कार्यवाहक कमिश्नर का काम कर रहा है। वह बहुत ही अयोग्य अधिकारी है। पिछले समय में यहां पर कुम्भट साहब अधिकारी थे, उनको मैं टेल एरिया तक ले गया और उनके समय में वहां पर टेल एरिया तक पानी दिया गया। पर अब यह रानावत ने अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से कांग्रेसी विधायकों के दबाव में आकर कोटा के दो मन्त्रियों के दबाव में आकर उन क्षेत्रों में पानी दिया लेकिन पाटन क्षेत्र के किसानों को पानी इसलिये नहीं दिया कि वहां का विधायक जनता पार्टी का विधायक है। आपने कहा था कि 25 मार्च को पानी देना बन्द कर दिया जायगा लेकिन कोटा में लाडपुरा में और मेरे क्षेत्र के अलावा भी वहां पर 9 मार्च तक कांग्रेसी विधायकों के क्षेत्र के किसानों को पानी दिया गया है।

मैं कल ही कोटा क्षेत्र का दौरा कर के आया हूं। मैंने वहां देखा है कि पाटन क्षेत्र जो कि मेरा एरिया है में पानी नहीं दिया गया है क्योंकि वह कांग्रेसी विधायक का क्षेत्र नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर राजनैतिक भेदभाव बरता जा रहा है और सिर्फ उसी क्षेत्र में जहां पर कांग्रेसी विधायक हैं, और दो मन्त्री कोटा क्षेत्र के हैं, वहां पर किसानों को भरपूर पानी दिया गया। आपने एक तरफ तो पाबन्दी लगा दी है, पाटन क्षेत्र के किसानों को गन्ना की खेती

(श्री गोपाल पचेरवाल)

बोने के लिये पाबन्दी लगादी, दूसरी ओर उनको पानी नहीं दिया जा रहा है। अभी तीन चार दिन पहले मैं पाटन क्षेत्र के दो सौ किसानों को लेकर रानावत जी से मिला था तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप चार या पांच तारीख को आकर मिलना, आपके एरिया में पानी दिया जायगा, लेकिन अब मैं वहां गया तो पता पड़ा कि रानावत दिल्ली भाग गये। तो इस प्रकार मुझे वहां के अधिकारी ने धोखा दिया। रानावत जैसे नालायक अधिकारी वहां रहेंगे तो मैं आपको स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहता हूं आप किसानों का भला नहीं कर सकेंगे। ऐसे अधिकारी ही आपको और सरकार को गुमराह कर रहे हैं। यह मन्त्रीजी, आपने जो भाषण दिया है वह उत्तर आपका नहीं है, यह रानावत जी ने लिखा, वह पढ़ रहे हैं। अगर आप रानावत जी का लिखा पढ़ रहे हैं तो फिर आप नहीं बोल रहे हैं, यह रानावत जी बोल रहे हैं। और अगर आप बोल रहे हैं तो आप यह जवाब दें कि यह इस प्रकार भेदभाव वहां पर क्यों बरता जा रहा है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्य काफी उत्तेजित होकर बोल रहे थे।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय, इस तरह अगर एक सवाल का एक जवाब देंगे तो यह तो एक प्रश्नोत्तर काल हो जायगा। आप सभी के प्रश्न सुन लें और फिर अपने जवाब में सभी के प्रश्नों का जवाब दे दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदया, श्रीमती उजला अरोड़ा भी बोलने खड़ी हो गयी हैं जबकि यह मामला बूंदी जिले का है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मामला चाहे बूंदी जिले का है पर यह मामला सभी राजस्थान के किसानों के लिये है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : हम सभी जगह की जानकारी ले सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सूर्यकुमार : सभापति महोदया, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप माननीय सदस्य, दो तीन बार बोल चुके हैं। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सूर्यकुमार : सभापति महोदया, यहां पर माननीय सदस्य, जो कि पाटन से आने वाले हैं, यह स्पष्ट आरोप लगाया है कि कांग्रेसी विधायकों ने राजनैतिक दबाव डालकर पाटन क्षेत्र के किसानों को पानी नहीं लेने दिया। अगर उनके पास कोई प्रमाण हो कि किसी भी कांग्रेसी विधायक ने दुर्भावना से या दुर्भाव से केशोरायपाटन क्षेत्र के किसानों को पानी नहीं लेने दिया तो वह स्पष्ट करें। यह कौन कांग्रेसी विधायक है जिसने यह कहा हो कि केशोरायपाटन के क्षेत्र में, जो कि जनता पार्टी के विधायक का क्षेत्र है, पानी नहीं दिया जाये। मेहरबानी करके अगर भाई गोपाल के पास कोई सबूत हो, तो बतावें, मैं उन्हें यहां पर स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि यह कांग्रेस की जमा

(श्री सूर्यकुमार)

ही ऐसी है कि जो कि किसानों का भला चाहने वाली है, यह कांग्रेस की जमात है जिसने यहां सदन में किसानों के भले के लिये यह सवाल सदन में उठाया और राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करके बूंदी मुख्य नहर में दुबारा पानी किसानों को दिलाया है। यह कांग्रेस की देन है इसलिये म यह निवेदन करना चाहूंगा कि भाई गोपाल को इस तरह गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कहनी चाहिये।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सभापति महोदया...

श्री सभापति : यह आरोप प्रत्यारोप माननीय सदस्य यहां नहीं लगावें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सभापति : श्रीमतीउजला अरोड़ा।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदया.

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं है।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदया, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। पाटन के किसानों का पानी 25 तारीख को बन्द कर दिया और बूंदी के किसानों का 8 तारीख को किया। कांग्रेस के नेता यह चाहते थे कि पाटन के किसानों को पानी नहीं मिले और वहां के अधिकारी इसके लिए लगे हुए थे और मेरे क्षेत्र के किसानों को पानी देने से रोका गया। राजस्थान का सिंचाई मंत्री और मुख्य मंत्री केवल मेरे क्षेत्र के किसानों को पानी नहीं देना चाहते हैं। और यह स्थिति बनी तो कोई भी अधिकारी मेरे क्षेत्र में नहीं घुस पायेगा। आपके सिंचाई विभाग का आप चाहें तो कलेक्टर से जानकारी कर लें, मैंने अपने क्षेत्र के किसानों को कहा है कि पानी का पैसा दीजिए, पिलाई का पैसा दीजिए। और मैं कहता हूं....

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

तो पानी के लिए भेदभाव करते हैं। अगर यही आपका रवैया रहा तो मैं नहर को तुड़वाकर किसानों को पानी दिलाने की व्यवस्था करूंगा चाहे मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दें। वहां पर मैं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दूंगा। आप लगा लेना जितनी ताकत है सरकार में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदया, यहां पर मंत्री महोदय ने कहा कि बूंदी जिले का मामला है...

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : पाइन्ट आफ आर्डर सर,

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री चतुर्भुज : पाइन्ट आफ आर्डर है, मेरा।

श्री सभापति : क्या है?

श्री चतुर्भुज : सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के अन्दर हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य इतना

(श्री चतुर्भुज)

टाइम ले लेते हैं और हमको समय नहीं मिलता। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह उचित नहीं है और हम भी बड़े आतुर हैं बोलने के लिए। सबको समय दिया जाय तो अच्छा है। सभी विपक्षी माननीय सदस्य खड़े होते हैं और बोलते हैं और हर दिन यही चलता रहता है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार इनको टाइम दे दो ताकि सब बोल लें। हम निवेदन करना चाहते हैं और आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। यह थोड़ी बर्दाश्त के बाहर की बात है। हम भी हमारे क्षेत्र की मांगें लेकर आये हैं और हम भी वोट लेकर यहां आये हैं। हमें भी कहने के अधिकार हैं। इनको पूरा दिन दे दें और हमारे लिए टाइम नहीं है। रात को 8 बजे आप दो दो मिनट का समय देते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि हमको भी समय दिया जाये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, समय ज्यादा हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि काफी विस्तार से सदस्य कह चुके हैं...

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे पास सूचना है उसके आधार पर बोलना चाहती हूं।

श्री सभापति : आपके पास सूचना अपनी है ?

श्री चतुर्भुज : अगर इनके पास 20 सूचना है तो हमारे पास 40 है। हम भी बोल सकते हैं। हम भी सूचना बता सकते हैं। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आप बार-बार बोल रहे हैं....।

श्री चतुर्भुज : सदन की गरिमा और मर्यादा का इनको पता ही नहीं है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दस मिनट आपने ज्यादा कर दिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो सदन की प्रक्रिया है उसके तहत बोल रही हूं। ऐसी गैर जिम्मेदार बात यहां नहीं की जानी चाहिए...।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, मेरी बात सुन लें फिर कहें। मैं आपसे यह निवेदन कर रही हूं कि इस बारे में काफी विस्तार से बता चुके हैं। वहां के क्षेत्र के विधायकों ने काफी कहा है और अपने अधिकार के रूप में कहा है। आपका नाम भी स्थगन प्रस्ताव में है। आप बोलें तो बिलकुल संक्षेप में बोलें केवल सूचना के आधार पर बोल रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदया, मैं केवल दो मुद्दों पर बोलना चाहूंगी।

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 1976 का जो आदेश है, जिसमें लिखा है कि जो कमाण्ड एरिया है और

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

उससे लगा जो अनकमाण्ड एरिया है उसका जो मुरब्बा है उसको भी सिंचित किया जा सकेगा, क्या इस तरह के आदेश प्रसारित होने के बाद अभी 21-10-80 को जहां बृहद सिंचाई योजना है आपने ऐसे आदेश भेजे हैं कि उनको सिंचित नहीं किया जाय और वहां पर गेहूं की खेती नहीं बोई जाय ? यह बात आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगी। खेती की ज्यादा पैदावार हो गयी है लेकिन आपकी इन्टेन्शन नहीं थी कि वहां पैदावार हो। जो आपके आंकड़े मिले हैं, मैं पूछना चाहूंगी कि इस तरह के आदेश दिये जाना क्या उचित है ? जहां ऐसे आदेश हो गए थे वहां लोग कोर्ट से स्टे लाये फिर भी उन आदेशों की पालना नहीं हुई। जो गैर जिम्मेदाराना कोर्ट के खिलाफ काम किया गया, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि आपके विभाग द्वारा कोर्ट की अवहेलना की गयी है ?

दूसरी बात, मेरे क्षेत्र में जयपुर जिले की ओर बिलकुल ध्यान नहीं रखा गया है और इस बैर सिंचाई नहीं हो सकेगी। इस तरह की योजना बनाई गई है...

श्री सभापति : केवल बूंदी का प्रश्न है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पूरे प्रदेश का सवाल है। आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। मैं राजस्थान विधान सभा की सदस्या हूं और पूरे राजस्थान के लिए बोल सकती हूं। इस तरह की अनियमिततायें विभाग की ओर से बरती गयी यह गलत हैं। मेरे यहां पानी नहीं दिया जाये इसके लिए विशेष योजना बनाई गई और बिजली काट दी और कहा गया कि 7 घंटे बिजली देंगे लेकिन एक घंटा भी नहीं दी गयी। वहां रामगढ़ का बंधा है वहां का कट आउट निकाल दिया गया...।

श्री सभापति : रामगढ़ बंध के बारे में बोलना है तो आज कटौती प्रस्ताव आ रहे हैं उस समय आप खुलकर बोलें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह सब बातें जान बूझ कर की गयी हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, मेरे पास तो दिल्ली और भोपाल तक की सूचना है।

श्री सभापति : आपके पास तो दुनियां भर की सूचना है। लेकिन यह केवल बूंदी तक ही सीमित है।

श्री यदुनाथ सिंह : बूंदी तक सीमित होगी। दिल्ली और मध्य प्रदेश में षड़यंत्र हो रहा है उसके कारण से ऐसा हो रहा है।

श्री सभापति : आपको बोलना है तो कटमोशन आयेंगे उस समय बोल लेना।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदया, बोलने के लिए मेरा तो नाम ही नहीं दिया।

श्री सभापति : तो उनको राय दें कि आपका नाम देते। बिराजिये।

मंत्री महोदय,

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभानेत्री जी, सर्व प्रथम तो मैं माननीय सदस्य केशोरायपाटन से आते हैं उनसे निवेदन करना

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

चाहूंगा कि राजनैतिक तौर पर हमने कोई सुझाव नहीं दिया है। आप नाहक उत्तेजित हो रहे हैं। हमने इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा कि आप वहां से आते हैं और ललितकिशोर जी वहां से आते हैं।

हमने किसानों का हित सर्वप्रथम अपने ध्यान में रखा है। आपने एक बात कही कि हमने सूचना नहीं दी। राणावत जी ने आकर लिखकर दे दिया और मैंने पढ़ दिया। तो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। मैंने उनसे स्टेटमेन्ट तक नहीं बनवाया। मैंने तो अपने विभाग के कर्मचारियों से फैक्चुअल पोजिशन ली वह दी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी निश्चित रूप से बिलकुल सही प्रकार से किसानों को पूर्व में सूचना दे दी थी कि हम आपको इस तारीख को पानी नहीं दे पायेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : किस माध्यम से सूचना दी ? पंचायतों को लिखा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरे पास कापी है। सरपंच को सूचना दी, विज्ञप्ति निकाली है। बूंदी प्रांच के बारे में अलग निकाली है। सरपंच को सूचना दी है।

(व्यवधान)

मैं नहीं बोलूंगा।

एक माननीय सदस्य : कब सूचना निकाली है ?

श्री गोपाल पचेरवाल : शुगर मिल का जब गन्ना कट रहा था तो वहां के प्रशासन ने आश्वासन दिया कि आप गन्ना काटकर शुगर मिल को दो वर्ष कि शुगर मिल को ज्यादा समय नहीं चलायेंगे और जितना समय गन्ना देने में लगेगा उतना ही ज्यादा समय आपको पानी दिया जायगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने और शुगर मिल के कस्टोडियन ने काश्तकारों को आश्वस्त किया है और इस शर्त पर हड़ताल वापस दिलाई थी कि गन्ने के दाम मिलेंगे और पानी मिलेगा। तो हमने तो आपके जिला प्रशासन के साथ सहयोग किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मेरी बात सुनना नहीं चाहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, मैं जवाब ही नहीं दूंगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : आप कैसे जवाब नहीं देंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं देता, जाओ।

श्री गोपाल पचेरवाल : आप कैसे जवाब नहीं देंगे ? आपके घर का राज्य है ? अगर यही बात है तो आप इस क्षेत्र में नहीं घुस पायेंगे।

श्री सभापति : मुझे बड़ा एतराज है कि आप इस तरह से आमने सामने बात कर रहे हैं। जो कुछ कहना है मेरी मार्फत कहें। इस तरह की सीरीज उचित नहीं है। जो कुछ कहना है आप शालीनता से कहिये।

श्री हरिसिंह : सभापति महोदय,...

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं केवल यह चाहता हूं कि जो लोग हमको वोट देते हैं, जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके हितों की रक्षा हम करेंगे। आप जवाब मत

(श्री गोपाल पचेरवाल)

दीजिये, आप पानी मत दीजिये मैं मंत्री महोदय को चुनौती देता हूं अगर आपकी सरकार की हिम्मत है तो उस क्षेत्र में प्रवेश करके देख लीजिये।...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप जिस ढंग से बात कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि जोश और आक्रोश में आकर बात करने का तरीका नहीं है। विधान सभा के माननीय सदस्य हैं अपनी गरिमा के अनुसार बात करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : हजारों की तादाद में गन्ना जल गया। किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, में यहां मौन धारण कर बैठा नही रहूंगा। मैं यहां पर इनकी प्रशंसा करूं?किसान वहां मर रहे है। मेरे क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है मेरे क्षेत्र के लिये मैं कुछ भी कुर्बानी करने को तैयार हूं, चाहे आप...

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। सभापति महोदया, यह स्टेटमेंट जो मंत्री महोदय ने दिया है, प्रक्रिया के नियम 290 के तहत दिया है। उसमें स्पष्ट प्रावधान यह है कि जब मंत्री महोदय स्टेटमेंट देंगे उसके बाद कोई क्वेश्चन अलाउ नहीं करेंगे। आपने क्वेश्चन के लिये अलाउ कर दिया लेकिन यहां क्वेश्चन ही नहीं, सरकार को धमकियां दी जा रही हैं। क्या इस प्रकार की धमकियां दिया जाना अलाउड है?

श्री सभापति : श्री हीरालाल देवपुरा, अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदया, मेरा एक निवेदन है, मंत्री जी स्पष्ट कर दें कि पानी नहीं देंगे, अगर देंगे तो कब तक देंगे, यह मंत्री जी स्पष्ट कर दें?

श्री सभापति : आप फिर बार-बार खड़े हो जाते हैं। मैं उसी हालत में मंत्री जी को जवाब देने के लिये कहूंगी जब उनके जवाब को आप शांति से सुनें, अगर आप व्यवधान डालेंगे, झगड़ा करेंगे, तो मंत्री जी को इजाजत नहीं दूंगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शांति से सुनेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं बड़ी शांतिपूर्वक जवाब दे रहा था लेकिन जिस तरह से यहां पर उन्होंने धमकी दी, उन धमकियों के आगे सरकार झुकने वाली नहीं है, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं। कानून के हाथ लम्बे हैं, जो कानून का उल्लंघन करेंगे, जो नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके साथ सरकार सख्ती से पेश आयेगी, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं।

सभानेत्री जी, मैंने पूर्व में आपसे निवेदन किया राजनैतिक आधार के ऊपर हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हमने पूर्व में विज्ञप्ति निकाली, किसानों को सूचित कर दिया गया था कि इस साल गांधी सागर क्षेत्र में पानी कम है इसलिए इस प्रकार की फसलें बोयें जो एक या दो पानी से हो जायें। पूर्व में सूचना दी थी। गन्ने के लिये हमने साफ लिखा था यह बात हमारी विज्ञप्ति से स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

माननीय सदस्य ने कहा कि बूंदी से जो कांग्रेस के विधायक आते हैं उनके साथ पक्षपात किया गया है और मेरे संग भेदभाव किया गया है। यह बात कतई गलत है। मैं आंकड़े देकर इस बात को साबित कर सकता हूं, सभापति महोदया। जहां तक बूंदी शाखा का सवाल है बूंदी में 112 दिन चला और पाटन में 101 रोज चला। आप पूछेंगे वहां 112 दिन और यहां 101 दिन कैसे चले। पाटन की जो कैपेसिटी है वह 1000 क्यूसेक्स की है और बूंदी में 500 क्यूसेक्स की है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सुझाव के उपरांत भी काश्तकारों ने नहीं माना। मैं आपको रकबा बताता हूं, सभापति महोदया, जिससे साफ स्पष्ट हो जायगा। पिछले साल गेहूं का रकबा 1,03,604 एकड़ था, इस साल बढ़ाकर 1,10,000 एकड़ हो गया।

मेरे कहने का अभिप्राय: यह है कि हमारी रिक्वेस्ट के बाद, प्रशासन के सूचित करने के बाद भी उन लोगों ने गेहूं की फसल की, इन्होंने गन्ने की फसल की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल 5672 एकड़ के अन्दर गन्ना की फसल बोई गई थी इस साल वह बढ़ा कर 14,000 एकड़ रकबा कर दी, जबकि मालूम था कि हमारे पास पानी की कमी है। हमने उन काश्तकारों को पूर्व में सूचना दे दी थी उसके उपरांत भी सभानेत्री जी, हमने प्रयास किये। उसके बाद हमने जहां तक बन सका किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए, उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए, कोशिश की। इतना ही नहीं, आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं कि काप्रेन क्षेत्र, जिसमें इनका क्षेत्र भी आता है से कोई भेदभाव नहीं बरता गया है। मैं यही बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हुं।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदया, मैंने निवेदन किया मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार पानी कब तक दे देगी? यह कहलवा दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप इस तरह से आराम से पूछिये, आप तो धमकियां दे रहे थे ....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बार-बार खड़े होंगे तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति जी, आप शायद कल आये हैं, वहां पानी चल रहा है। पानी मिल रहा है। जैसे-जैसे पानी उपलब्ध होगा हम कमिट कर रहे हैं कि आपके केशोरायपाटन के क्षेत्र के लोगों को जितना उपलब्ध हो सकेगा हम देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जैसे अभी बताया कि मध्य प्रदेश से पानी का समझौता हुआ है। जो पानी का समझौता मध्य प्रदेश से किया है आप यह बता दीजिये जिस दिन यह समझौता किया गया उस दिन के बाद से आज तक समझौते का पालन हो रहा है?समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने समाचार पत्र पढ़े नहीं, आप पढ़ कर सुना दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यदि आपकेपास जानकारी नहीं है तो मैं दे दूं। समाचारपत्रों में छपा है कि अमुक तारीख से अमुक तारीख तक मध्य प्रदेश को मिलेगा और अमुक तारीख से अमुक तारीख तक राजस्थान को लैफ्ट केनाल से और अमुक तारीख से अमुक तारीख तक राइट केनाल से मिलेगा। इस तरह से पानी दिया जायगा। यह पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में जो कोई बात हुई है उस बातचीत का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह जो आपने सवाल पूछा है पानी के बंटवारे के लिये, हमारे अधिकारी भोपाल गये थे, वे विचार विमर्श कर के आये हैं। वह बात नहीं आई, उसी बात की अनुपालना हो रही है। जो हमारा तय हुआ था उसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं हैं यह उसकी अनुपालना हो रही है, यह उसी का परिणाम है। पूर्व में जो माननीय तिवाड़ी जी और कौशल साहब ने प्रस्ताव रखे थे कोटा के बारे में उसकी अनुपालना में मैंने इरिगेशन और पावर कमिश्नर को भोपाल भेजा था और काफी विचार विमर्श के बाद और उसी के फलस्वरूप कोटा, बूंदी क्षेत्र को हम पानी दे सके हैं। उसकी पालना हो रही है और पानी मिल रहा है।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैंने निवेदन किया है पानी किस क्षेत्र को दे रहे हैं ? आज की तारीख में कौन से क्षेत्र को पानी दे रहे हैं ?

श्री सभापति : श्री हीरालाल देवपुरा।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय यह बतायें कि आज की तारीख में किस क्षेत्र को पानी दिया जा रहा है, कोटा ब्रांच को दे रहे हैं, बूंदी ब्रांच को दे रहे हैं; कौन सी ब्रांच को दे रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अगर यह कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है तो इसकी और जांच कर लूंगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : अभी आप कह रहे थे कि पानी दे रहे हैं....

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप कह रहे हैं कि पानी नहीं मिल रहा है इसलिये मैं कह रहा हूं कि जांच करवा लूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, उन्होंने कह दिया कि पानी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं पानी नहीं दे रहे हैं, इसकी जांच करा लेंगे।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदया, अगर आप पानी नहीं दे रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आप आश्वासन दें कि पानी अगर नहीं दे रहे हैं तो कब तक दे देंगे ? अगर आप दे रहे हैं तो ठीक है, आपको धन्यवाद।

श्री सभापति : यह जानकारी प्राप्त कर दे देंगे।

श्रीप्रद्युम्न सिंह : मैंनेआपसे निवेदन किया है दोनों ब्रांचों को पानी मिल रहा है। 20 तारीख तक पानी चलेगा। फिर एक तारीख को पानी आ जायेगा....

(व्यवधान)

श्री गोपाल पिचेरवाल : पहले आपने कहा पानी दे रहे हैं। मैंने कहा पानी नहीं दे रहे हैं....

श्री सभापति : श्री हीरालाल देवपुरा।

विधायी कार्य :
विधेयक का पुरःस्थापन
राजस्थान शारीर विधेयक, 1981

श्री हीरालाल देवपुरा (चिकित्सामन्त्री): सभापति महोदया, मैं राजस्थान शारीर विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान शारीर विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदया, मैं राजस्थान शारीर विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूँ।

अनुदान की मांगें
मांग संख्या 46—सिंचाई
एवं मांग संख्या 38—लघु सिंचाई, एवम् भूमि संरक्षण

श्री सभापति : प्रभारी मन्त्री जी। आय व्ययक, 1981 की अनुदानों की मांगों पर विचार।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभानेत्री जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या 46—सिंचाई, के सम्बन्ध में 31 मार्च, 82 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1, 59, 74, 53, 000/- रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

सभानेत्री जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या 38-लघुसिंचाई एवम् भूमिसंरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 82 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,85,63,000/- रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 46 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 46 मुख्य शीर्षक सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 1.00 रुपया कम कर दिया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

1. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में वृहद सिंचाई योजना के अभाव पर चर्चा के लिए।

2. राजस्थान नहर परियोजना को सीमित कर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

3. प्रदेश की बरसाती नदियों पर बांध बनाने हेतु अभी तक भी कोई सर्वे या मास्टर प्लान नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

4. चम्बल नदी के कोटा बैराज से लेकर धौलपुर तक प्राप्त जल के उपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

Page No. 94

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

5. बीकानेर क्षेत्र के लिए गंगा-यमुना का जल लाने की योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) :

श्री मोहनलाल शर्मा (सरदारशहर) :

6. सिंचाई योजना में लगने वाले धन का उचित उपयोग नहीं हो पाने के विषय पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

7. सीकर जिले में सिंचाई साधनों के विस्तार एवं नये सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन तथा नदी सिंचाई योजनायें चालू कराने पर चर्चा के लिए।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

8. सिंचाई विभाग द्वारा समय पर नहरों और मोको की सफाई नहीं करने से किसानों में व्याप्त रोष एवं असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

श्री मोहनलाल शर्मा (सरदारशहर) :

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) :

9. सिद्धमुख योजना के सम्बन्ध में बजट में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं रखने के प्रश्न पर चर्चा के लिए।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) :

पर्याप्त मात्रा में पानी सुलभ न कराने से सिंचाई की पिलाई माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

11. चादेरा बांध योजना को अभी तक भी चालू नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)

12. सरकार भरतपुर में लगातार आने वाली भयंकर बाढ़ की रोकथाम के लिए परियोजना बनाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) :

13. राजस्थान नहर परियोजना के अन्तर्गत 18" पाइप लाइन द्वारा जैसलमेर जिले में पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

14. सावन भादों प्रोजेक्ट का कार्य शीघ्र शुरू करने बाबत चर्चा के लिए।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) :

15. सिंचाई विभाग में विभिन्न कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर कर प्रदेश में सिंचाई साधनों को नई गति प्रदान की जाय इस पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

16. बस्सी तहसील में सिंचाई कुओं में निरन्तर पानी का स्तर गिरने की स्थिति को रोकने के लिए कानोता प्रोजेक्ट शीघ्र शुरू किया जावे इस पर चर्चा के लिए।

श्री रेवतराम (श्री डूंगरगढ़)

श्री भालू खां (चूरू) :

17. सिद्धमुख राजस्थान नहर केनाल का जल चूरू व डूंगरगढ़ क्षेत्र में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमीन खां (शिव) :

18. बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर जिलों के लिए सिंचाई हैडक्वार्टर बाड़मेर में रखने पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कमला (सागवाड़ा) :

19. डूंगरपुर में माइनर मेजर इरीगेशन की स्कीम चालू करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) :

20. बहुउद्देशीय नहर योजना के अन्तर्गत चालू कार्यक्रम को शीघ्र पूरा कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

21. भरतपुर जिले में सिंचाई के साधनों की सुविधाओं के अभाव पर चर्चा के लिए।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर) :

22. गंगा-यमुना का जल सीकर जिले में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धाराराम फुलवारिया (सिवाना) :

23. सिंचाई हेतु दंताला बांध बनाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) :

24. कोटा जिले में सिंचाई का पानी ग्रामीण प्रमुख सड़कों पर बहने को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिए।

25. कोटा जिले की रामगंज मण्डी तहसील क्षेत्र को सिंचाई हेतु ताकली नदी हरिगाद बांध की योजना को प्रारम्भ करने में देरी पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

26. पीपल्दा क्षेत्र की नहरों में टेल पर पानी नहीं पहुंचने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

27. नहरों एवं ड्रेनेज का मुआवजा अभी तक नहीं चुकाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

28. इन्द्रायणी बांध में आये गरीब लोगों को सम्पत्ति का मुआवजा नहीं चुकाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

29. सिंचाई विभाग द्वारा अपनी ड्रेनों एवं ड्रेनेज का पानी डाल देने से खालों में रास्ता पर पुलिया नहीं बनाई गई जिससे असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

30. सिंचाई विभाग द्वारा सूकनी

(श्री हीरालाल आर्य)

साइफन के पश्चिम में ड्रेनेज नहीं बनाने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

31. अयाना ब्रांच केनाल तथा इटावा ब्रांच केनाल के बीच लिफ्ट सिंचाई योजना लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

32. अन्तिम छोर के खेत को पानी पहुंचाने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती इस पर चर्चा के लिए।

33. केशोरायपाटन क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को समुचित सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री कुसलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर) :

34. सिंचाई हेतु पुरानी योजनाओं को पूरा करने पर चर्चा के लिए।

श्री समरथलाल (राजगढ़) :

35. ओडपुर, इटोलो, तहसील राजगढ़ में दो साल से सिंचाई योजना पेंडिंग चलने के क्रम में चर्चा के लिए।

36. सिंचाई विभाग राजगढ़ (अलवर) में कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37. राजगढ़ (अलवर) तहसील के सिंचाई के बांधों में नहरों का निर्माण करने के क्रम में चर्चा के लिए।

38. राजस्थान में बड़ी, मध्यम, लघु सिंचाई योजनाओं पर कम खर्च करके एनीकट्स की योजनाओं पर अधिक धन खर्च करने के लिए चर्चा के लिए।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) :

39. ग्राम बिचवा, तीसोना, खरेस, खोजास, जानकीपुरा तहसील डीडवाना में बांध बनाये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

40. सिंचाई योजनाएं पूरी न होने से प्रदेश को हो रही आर्थिक हानि पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) :

41. जयपुर जिले के कृषकों हेतु वृहत सिंचाई योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) :

42. अजमेर जिले में चम्बल नदी से लिफ्ट सिंचाई करने पर चर्चा के लिए।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

43. छठी पंचवर्षीय योजना में माण्डक सिंचाई योजना प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. छठी पंचवर्षीय योजना में बाघेरी के नाले पर बान्ध बनाने की योजना पर चर्चा के लिए।

45. सिंचाई के लिए बनने वाले बांधों में डूब में आने वाली जमीन के कम्पन्सेशन के कार्य को शीघ्र करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

46. राजस्थान नहर क्षेत्र का कार्य द्रुत गति से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. राजस्थान नहर निर्माण में अवाप्त की गई किसानों की भूमि का शीघ्र मुआवजा देने हेतु चर्चा के लिए।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :

48. टोडारायसिंह एवं देवली क्षेत्र में सिंचाई साधनों की कमी के बारे में चर्चा के लिए।

श्री भेरू सिंह गुर्जर (खारची)

49. पाली जिले में सुमेर सिरियारी बांध एवं गढ़वाली नाल (जोजावर) निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) :

50. चम्बल सिंचित क्षेत्र में दायीं मुख्य नहर से सिंचाई की अव्यवस्था सम्बन्धी चर्चा के लिये।

51. कोटा जिले में नहरों, बांधों आदि के लिए काम में लाई गई कृषि-भूमि का मुआवजा न देने सम्बन्धी चर्चा के लिये।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) :

52. जिले में सिंचाई के लिए पानी समयबद्ध कम में उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री खेतराम मीणा (टोडाभीम) :

53. सिंचाई के बारे में सरकार गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से समुचित समझौता नहीं कर पाई और इससे राजस्थान में समुचित पानी नहीं मिल रहा है। अतः अन्तर्राज्यीय समझौते राजस्थान के हित में तुरन्त होने चाहिए इस पर चर्चा के लिए।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) :

54. नीम को थाना क्षेत्र में नियमित रूप से सिंचाई व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

55. लिफ्ट योजनाओं के कार्यों में पर्याप्त ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए।

56. माही परियोजना के कार्यों में ढिलाई बरती जा रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल तांबी (जहाजपुर) :

57. सिंचाई विभाग के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री तेजपाल यादव (चोमू) :

58. नांगल भरड़ा के पास बांध बनाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिए।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :

59. मेजा डैम व गुवाड़ी बांध की नहरों का विस्तार किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री माणकलाल मेहता (पाली) :

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर) :

60. रेगिस्तानी क्षेत्र में बांध बनाने के मापदण्ड बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. राज्य में सिंचाई की दर को संशोधित करने सम्बन्धी चर्चा के लिए।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

62. जैतपुरा नदी पर डैम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कमला (सागवाड़ा) :

63. सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) :

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

64. जालौर जिले में सिंचाई कार्य शुरू करने में बरती जा रही शिथिलता के विषय में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) :

65. सीमावर्ती नदी (सीकर) का बांध बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

66. सिंचाई सम्बन्धी कार्य को प्राथमिकता प्रदान कर उन्हें युद्ध स्तर पर लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) :

67. राजस्थान नहर एवं कडाना बांध से बाड़मेर जिले को पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) :

68. पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई मद में पैसा ज्यादा खर्च करने बाबत चर्चा के लिए।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) :

69. राज्य में बन्धों में पानी का अभाव होने से सिंचाई साधनों की कमी पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :

70. सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की अकर्मण्यता से किसानों के खेत सूखे रह गए, के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़):

71. सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था करने का कार्यक्रम घोषित किये जाने हेतु चर्चा के लिये :

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

72. सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने में कोई अधिक प्रगति नहीं हो रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

73. देवास योजना का रुका काम अतिशीघ्र पूरा करना चाहिये जिससे उदयपुर जिले का विकास हो सके इस पर चर्चा के लिये।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया) :

74. जाखम परियोजना पर कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु पर उन्हें क्षतिपूर्ति राशि आज तक नहीं मिली इस पर चर्चा के लिये।

75. नाथद्वारा तहसील में मांडक बांध का कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

76. उदयपुर जिले की पंचायत समिति कोटड़ा, गोगुन्दा, धीरवा में सिंचाई के साधनों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना) :

77. जिला झालावाड़ क्षेत्र में छापी बांध सिंचाई योजना का कार्य द्रुत गति से चलाया जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) :

78. सिंचाई विभाग द्वारा आधुनिकीकरण के नाम पर अपव्यय करने एवं वर्तमान उपलब्ध निर्माण को ध्वस्त कर राजकीय कोष को हानि पहुंचाने पर चर्चा के लिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

79. बनास नदी पर बिसलपुर बान्ध, डुकिया बान्ध, बिडोली, ललवाड़ी बान्ध का शीघ्र निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (बेगूं) :

80. प्रदेश में सिंचाई साधन उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

81. गलाई सागर बांध तहसील खण्डार (सवाईमाधोपुर) की सीपेज (झरना) को रोकने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

82. जिला जयपुर के कालक सागर बांध से फागी क्षेत्र में सिंचाई की उपेक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शोभराज मल (चित्तौड़गढ़) :

83. प्रदेश में सिंचाई साधन उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल (हिण्डोली) :

84. मुरड़िया काला भाटा जिला बून्दी को सिंचाई योजना में लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोकुलचन्द्र शर्मा (सुमेरपुर) :

85. सिंचाई विभाग में चल रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) :

86. रावी एवं व्यास नदियों के पानी को राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह अथवा अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग में लाने के लिये किसी भी प्रकार की चेष्टा न करने तथा ठोस प्रयास नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

87. राजस्थान की मूलभूत समस्या इसका विशाल रेगिस्तान और बारम्बार पड़ने वाले अकाल को प्रभावी एवं कारगर ढंग से हल करने के एकमात्र उपाय गंगा-

(श्री राजबहादुर)

लूनी लिंक योजना के प्रति राज्य सरकार की नितांत अनदेखी और साहसहीनता एवं अक्षमता से उत्पन्न अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

88. रावी एवं व्यास नदियों के पानी में से राजस्थान के बट में उपलब्ध 80 लाख एकड़ फीट पानी में से आधे से कम का उपयोग हो पाता तथा उक्त पानी के बट में से हरियाणा राज्य की परियोजना में सम्मिलित होकर झुंझुनू, अलवर, भरतपुर जिलों के लिए सिंचाई हेतु ताजे वाला और ओखला हैड वर्क्स द्वारा आवश्यक पानी की मात्रा उपलब्ध कराने में राज्य सरकार की अब तक बरती गई उदासीनता अथवा असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानसिंह (भादरा) :

89. सिद्धमुख नहर योजना का कार्य शीघ्र शुरू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

90. राजस्थान न० प० क्षेत्र के भूमिहीन काश्तकारों को कब्जा नहीं मिलने या नहीं ले सकने एवं पानी की कमी के कारण कृषि उत्पादन न होने से किश्ते नहीं चुका सकने के कारण जो भूमि उप विभाग ने खारिज कर दी उनको स्वतः पुनः बहाल करने पर चर्चा के लिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) :

91. भाखड़ा व गंगनहर में अनकमाण्ड भूमि जो 1976 से पूर्व तक सिंचित हो रही थी, इसी वर्ष छोटी जोतों की बारियां काटने के विषय में चर्चा के लिए।

92. मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक राशि आवंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. झालावाड़ जिले में सिंचाई के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य पूर्ण नहीं करने के विषय में चर्चा के लिए।

94. सिंचाई सम्बन्धित राजस्थान का मास्टर प्लान बनाकर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के विषय पर चर्चा के लिए।

95. गंगनहर की मरम्मत करवाने हेतु उचित धन राशि आवंटित करने के विषय में चर्चा के लिए।

96. बूंदी ब्रान्च एक्सटेन्शन योजना को अविलम्ब चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. चित्तौड़ जिले में सिंचाई विभाग द्वारा सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जीनियर का कार्यालय खोलने के विषय में चर्चा के लिए।

98. राजस्थान नहर के विकास में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

99. राजस्थान नहर परियोजना मुख्यालय के स्टोर में भारी मैकेनिकल मशीनों के उपयोग न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

Page No. 101

(101)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

100. राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्यालय बीकानेर में सोशल एमेनिटीज उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

101. राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण में देरी तथा अधीक्षण अभियन्ताओं की कमी एवं अन्य स्टाफ की कमी के कारण योजना का समय पर पूरा न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

102. राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण में कोयले एवं सीमेण्ट की पर्याप्त मात्रा में कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

103. बीकानेर माइनर एवं नागासर माइनर को छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित न करने से उत्पन्न किसानों की समस्या पर चर्चा के लिए।

104. राजस्थान नहर परियोजना की पांच लघु सिंचाई योजनाओं गजनेर, कोलायत, फलोदी, नागौर, साहवा (चूरू) को छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित न करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में, जबकि मूल योजना में ये सम्मिलित थी, चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

105. जयपुर जिले में सिंचाई की योजना की उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

106. जयपुर जिले की चाकसू तहसील में सिंचाई के कुओं में पानी के गिरते हुए स्तर की स्थिति को रोकने व सिंचाई सुविधा सुलभ कराने के लिये ढारली नदी पर बांध बनाने हेतु चर्चा के लिए।

मांग संख्या 38 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 38 मुख्य शीर्षक लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

1. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में भूमिगत जल का सर्वे नहीं कराये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

2. गांवों के छोटे-छोटे तालाबों की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिए।

3. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की भूमि के कटाव को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) :

4. जसवन्तसागर बांध के रिपेयर के खर्च में हुये भारी घोटाले की जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

5. पुराने छोटे बांधों की मरम्मत नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

श्री नाथूसिंह (बादीकुई) :

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) :

श्री जीतमल जैन (अलवर):

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

श्री रघवीरसिंह कौशल (बारां) :

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

श्री अनंगकुमार (झालरापाटन) :

श्री महावीर प्रसाद (टोंक):

श्री बालचन्द्र(डग) :

श्री रामकिशोर मीणा(सिकराय) :

6. राजस्थान में बहने वाले पानी का लघु सिंचाई योजना हेतु सही उपयोग किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

7. सीकर तहसील की पलासरा, श्यामगढ़ एवं जुराठड़ा पंचायतों में भूमि संरक्षण के कार्य के व्यापक प्रयास हेतु चर्चा के लिये।

8. सीकर तहसील के ग्राम दौलतपुरा में पक्के तालाब की खुदाई एवं भू-संरक्षण हेतु कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. लघु सिंचाई के अन्तर्गत सोमावती नदी पर बांध बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी(नागौर) :

10. लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण विभाग की तरफ से नागौर जिले में विशेष प्रगति नहीं हो रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) :

11. बनास नदी पर चरणक्या, ग्वारडा लघु सिंचाई के कार्य पूर्ण न होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

12. सिकराय क्षेत्र में छोई नदी से होने वाले भूमि के कटाव को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :

13. सरकार लघु सिंचाई योजनाओं को कारगर रूप से लागू नहीं कर पाई है इस पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

14. सांगोद तहसील के ग्राम सारोला के पास खाल पर छोटा बांध बनाने बाबत चर्चा के लिये।

15. दीगोद क्षेत्र में काली सिंध व चंबल नदी के कारण भू-क्षरण तेजी से हो रहा है अतः इस रोकने बाबत चर्चा के लिये।

श्री रेवतराम (श्रीडूंगरगढ़) :

श्री मालू खां (चूरू) :

16. श्री डूंगरगढ़ व चूरू विधान सभा क्षेत्रों में भूगर्भ जल का सर्वे कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री भूपालसिंह (निम्बाहेड़ा):

17. लघु सिंचाई कार्य को प्राथमिकता दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री हरिसिंह)(कुम्हेर):

18. लघु सिंचाई कार्य उन क्षेत्रों में किया जावे जहां सघन (इन्टेन्सिव) खेती है इस पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग) :

19. डग विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कई छोटे-छोटे खाले नाले, नदियां तथा तालाब हैं जिनका सर्वे कराके उन पर छोटे बांध बनाने पर चर्चा के लिये।

20. झालावाड़ के पिड़ावा और डग क्षेत्र में तालाब, नदियां और नाले आदि पर छोटे बांध बनाकर पानी रोक कर जमीन को सिंचित बनाकर किसानों को लाभ पहुंचाने पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर) :

21. नये कुओं का निर्माण करवाने के लिये विशेष ऋणों व अनुदानों की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

22. श्रीमाधोपुर क्षेत्र के कुओं को गहरा करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

23. सीकर जिले के अण्डर ग्राउण्ड वाटर का सर्वे करवाकर सिंचाई हेतु उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

24. तहसील प्रतापगढ़ की लघु सिंचाई योजनाओं के विचाराधीन प्रस्तावों पर शीघ्र स्वीकृति दिलाने बाबत चर्चा के लिये।

25. प्रतापगढ़ तहसील की सात करोड़ की लघु सिंचाई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है पर अब तक स्वीकृति न मिलने एवं सिंचाई के पर्याप्त प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग न करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) :

26. रामगंजमंडी तहसील के एनीकट के कारण आहू नदी से सिंचाई नहीं होने एवं पंचायत समिति अन्ता के गांव काचरी में एनीकट से सिंचाई नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल(पाटन) :

27. छोटे किसानों को लघु सिंचाई में विशेष सुविधा देने हेतु चर्चा के लिये।

28. लघु सिंचाई योजना को प्रभावी बनाने पर चर्चा के लिये।

29. नहरों के सीपेज से व्यर्थ जाने वाले पानी को एकत्रित कर सिंचाई उपयोग हेतु चर्चा के लिये।

30. छोटी सिंचाई योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. अव्यवस्थित सिंचाई से होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु चर्चा के लिये।

32. चिरोंटा बांध तहसील सांगानेर जिला जयपुर को ऊंचा करने एवं उससे नहरें निकालने पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

33. टोंक जिले में लघु सिंचाई के

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

अन्तर्गत छोटे-छोटे बान्ध निर्माण हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

34. ग्रामीण लघु सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चालू करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल):

35. किशनपोल निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के कुओं को गहरा कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

36. पंचायत समिति उदयपुरवाटी क्षेत्र में लघु सिंचाई हेतु बांध के क्रम में चर्चा के लिये ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

37. राजस्थान नहर क्षेत्र में खेलियों व घाटों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :

38. टोडारायसिंह व देवली क्षेत्र में लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के अन्तर्गत चलने वाले कार्यों के बारे में चर्चा के लिये ।

श्री रतनाराम चौधरी(रानीवाड़ा) :

39. रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में तालाबों की मरम्मत व खुदाई से होने वाली लघु सिंचाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

40. लघु सिंचाई हेतु ग्राम कोडका व सामलावास में तालाब की खुदाई व जल संरक्षण कर छोटी सिंचाई योजना का प्रारूप दिये जाने की चर्चा के लिये ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल(बारां) :

41 कोटा जिले में लाखों एकड़ भूमि कटाव के कारण नष्ट हो रही है अतः भूमि संरक्षण का कार्य तीव्र गति से कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगंज) :

42. लघु सिंचाई योजना कार्यों में बी० सी० रेश्यो के मापदण्ड बदलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) :

43. रेवदर तहसील में पर्याप्त लघु सिंचाई व भू-संरक्षण कार्य न होने पर चर्चा के लिये ।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) :

44. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में छोटे-छोटे बांध एवं एनीकट बना भूमि संरक्षण एवं लघु सिंचाई कार्यों में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये ।

45. बांसवाड़ा जिले के गांव दानपुर छोड़ी तेजपुर देवगढ, कमलीपाड़ा तालाबों के अधूरे कार्यों को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

46. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले के

(श्री बहादुर सिंह)

आदिवासी क्षेत्रों में लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण कार्यों में उपेक्षा बरत रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री भेरूलाल (उदयपुर ग्रामीण):

47. सिंचाई एवं पशुओं के पीने के पानी हेतु तालाब बांधे जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

48. भीलवाड़ा जिले में लघु सिंचाई एवं भू-संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) :

49. ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण कार्य नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) :

50. एनीकट बनवाने एवं तालाबों का विकास करने तथा नई नालियां बनवाने में सरकार असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द आमलिया (चोरासी) :

51. कुआलियाद्दरा, मेवाड़ा प्रोजेक्ट एवं अमरपुरा टैंक (पीठ से आगे) के कार्य को प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) :

श्री रतनाराम चोधरी (रानीवाड़ा) :

52. जालोर जिले में लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण कार्यों को शुरू करने में बरती जा रही शिथिलता के विषय में चर्चा के लिये।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) :

53. परबतसर तहसील के बांधों की मरम्मत कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़) :

54. दांतारामगढ़ क्षेत्र में छोटे-छोटे बांध बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. ग्राम अभयपुरा, नांगल क्षेत्र दांतारामगढ़ के भूमि के कटाव को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) :

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

56. ग्राम दुब्बी में बनास नदी पर गत एक वर्ष पूर्व कार्य चालू किया गया था परन्तु अब कार्य बन्द पड़ा है जिसे चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) :

57. लघु सिंचाई योजना का विस्तार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) :

58. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में छोटे तालाब व एनीकट बनाकर सिंचाई के साधन जुटाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

(श्री फते सिंह)

59. सिचाई विभाग कुशलगढ़ क्षेत्र में भूमि सुधार, मेड़बन्दी कर किसानों को राहत पहुंचाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये ।

60. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्राम सानसेरा, सन्दलाई, बगायचा, अमर नाला, चनावला के तालाबों को पूर्ण करने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये ।

61. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में मस्का के ओटा को बन्द कर दूसरा ओटा निकाल कर अधिक पानी रोक कर किसानों को ज्यादा पानी दिलाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये ।

62. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र में बने तालाब, टाडी चोटीया, बियापाडा बोडादरा की नहरें पक्की बना कर किसानों को राहत देने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये ।

63. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्राम चरकनी, गलदर, आमलीया पाल, बोरकुन्डीया, धोलका, अगरकोट बगायचा हिम्मतगढ़, देव वाला नाका छोटा लोहारीया में सर्वे कर तालाब बनाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये ।

64. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्राम कुंडिया, बिजोरी, हिम्मतगढ़ कार्मी, हुरेन्द्रगढ़, सज्जनगढ़, कांवला, नया गांव, कालिजरा, चतरापुरा, दोबाडिया में तालाब बनाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री देवेन्द्र कुमार (सराड़ा) :

65. सराड़ा तहसील में तालाब और कुओं का सिंचाई के लिये अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

66. सराड़ा तहसील में लघु सिंचाई एवं भू-संरक्षण के कार्य नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

67. इन्द्रायणी बांध में डूब में आयी जमीन वाले 36 परिवारों को मुआवजा नहीं नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

68. पीपल्दा क्षेत्र में भूमि संरक्षण हेतु कराये गये कार्यों में हुयी अनियमितता तथा भूमि विकास बैंक का मनमाना खर्चा माफ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

69. लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी, कजलिया, नोनेरा, बपूलिया, खेड़ली, पीपल्दा आदि माइनर्स को आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) :

70. भूमि कटाव को रोकने हेतु अनिवार्य मेड़बन्दी बना व नालाबन्दी सरकारी खर्च पर कराये जाने पर चर्चा के लिये ।

71. कुओं के पानी के गिरते हुये स्तर को सुधारने के लिये नदी नालों पर प्रत्येक 3 किलो मीटर पर एक-एक एनीकट बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

72. सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

73. उदयपुर नगर की झीलों के पानी का उपयोग केवल पीने के पानी के लिये ही सुरक्षित रखा जाय इस पर चर्चा के लिये ।

74. राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में लघु सिचाई एवं भूमि संरक्षण कार्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है इस पर चर्चा के लिये ।

श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना) :

75. पंचायत समिति मनोहर थाना क्षेत्र की नदियों के देहों पर लिफ्ट सिचाई योजनायें लागू करने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री अमीन खां (शिव) :

76. बाड़मेर जिले की तहसील शिव में सिचाई के साधन-उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) :

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

77. सवाई माधोपुर में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बरसाती पानी से जमीनों के कटाव के कारण हजारों एकड़ जमीन खराब हो गई है जिससे काश्तकारों को काफी नुकसान हो रहा है उसको रोकने हेतु स्थायी प्रबन्ध कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

78. उदयपुर जिले के गोगुन्दा निर्वाचन क्षेत्र में आदिवासी किसानों को कुएं खोदने के लिये सब्सिडी नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

79. उदयपुर जिले की पंचायत समिति कोटड़ा, गोगुन्दा, धीरवा में आदिवासियों को सिचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा परेशान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) :

80. भूमि संरक्षण विभाग में कार्य के अनुपात में कर्मचारी न होने पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

81. खण्डार तहसील में बनास नदी द्वारा लिफ्ट इर्रीगेशन सिचाई योजना चालू कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

82. फागी निर्वाचन क्षेत्र में सिचाई की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

83. लघु सिंचाई के अन्तर्गत छोटे बांध व नहरें काफी टूटी हुई हैं, जिनकी मरम्मत हेतु चर्चा के लिये ।

श्री प्रभुलाल (हिण्डोली) :

84. लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत तहसील हिण्डोली जिला बून्दी क्षेत्र में छोटे बांधों के निर्माण कार्य आरम्भ करने पर चर्चा के लिये ।

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) :

85. सिचाई एवं भूमि संरक्षण के कार्यों में पूरे राज्य में समानता लाने एवं सही रूप से योजनायें बनाने एवं लागू करने बाबत चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

86. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में बहने वाले बरसाती नालों से आबादी में कटाव आने से गांव नरपत्यावास व इन्द्रगढ़ दो टुकड़ों में बंटने से रोकने के लिये भू-संरक्षण कार्य शीघ्र कराने हेतु चर्चा के लिये।

87. लघु सिंचाई के सम्बन्ध में मास्टर प्लान न बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

88. जयपुर जिले की बस्सी तहसील में बरसात के पानी के नालों से, कटती हुयी भूमि को बचाने के लिये ग्राम पंचायत भई, बांसखोह, भूडला, राजपुरा, मनोहरपुरा, टहटड़ा, फाल्यावास, सांभरिया, खिजूरिया, बैनाड़ा एवं कूथाड़ा में एनीकट बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

मांग संख्या 46 व 38 पर विचार

श्री सभापति : श्री ललित किशोर। क्षमा करें, राजबहादुर जी को समय दे दें।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : मैं आभारी हूं, और ललित किशोर जी से भी क्षमा चाहता हूं, मेरा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो गया है, आवाज बैठी हुई है।

सभानेत्री जी, सिंचाई की मांग, मैं यह मानता हूं कि राजस्थान के वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है और हमारे सारे भविष्य का आधार इसके ऊपर है। मैंने बहुत गौर से पिछले वर्ष की रिपोर्ट 79–80 की भी देखी और 80–81 की भी देखी। मैं पहले रिपोर्ट के बारे में एक दो लफ्ज कह दूंगा और मन्त्री जी से आशा करूंगा कि वे बताने की चेष्टा करेंगे कि जिस प्रगति के लिये जिन मदों में आपने स्वयं ने कतिपय रकमें रखी थी, उनमें भी वह रकमें व्यय नहीं हुई हैं। पृष्ठ संख्या 2 देखिये, इसमें लिखा है, "इस प्रकार कुछ योजनाओं पर जिनमें नहर माही बजाज-सागर आई. डी. ए. की सहायता से निर्माणाधीन सिंचाई कार्यों के अलावा सिंचाई विकास द्वारा नियंत्रित अन्य व मध्यम व आधुनिकीकरण एवं बाड़मेर परियोजनाओं के लिए 27 करोड़ 59 लाख रुपये का प्रावधान था।"

(2.42 म. प.)

(श्री तकीउद्दीन अहमद, सभापति, पदासीन)

किन्तु इसमें संशोधन करके 24 करोड़ 72 लाख रह गया, आप इसको पूरा खर्च नहीं कर पाये, पूरा उपभोग नहीं कर पाये। इसी प्रकार से जो वृहत योजनायें हैं, उनमें 7 योजनायें आयी थीं, उनमें भी घटाकर 6 किया गया। आप पृष्ठ संख्या 11 को देखिये, 11 में वृहत योजनाओं की संख्या है 7 और इसमें मैं कहूंगा कि गुड़गांव केनाल, और ओखला बैराज जो नर्मदा है, लोअर फीडर है, सतलज है, जाखम है और थीन बांध है। मेरा कहना है कि इसको बहुत गौर से देखा जाय तो यह पता नहीं चलता इनका मापदण्ड क्या है। वृहत योजनाओं में कौन सी चीज शामिल है और कौनसी नहीं है, कुछ सिंचाई योजनायें जो राजस्थान का भविष्य बना सकती हैं। वह कासपीकुअस बाई अबसेन्स है, मैं उनकी ओर आपका ध्यान दिलाता

(श्री राजबहादुर)

हूं अभी इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पृष्ठ संख्या 13 पर भी आप देखेंगे, गुड़गांव नहर के बारे में इस पर पिछले वर्ष तो खर्च नगण्य हुआ, इस वर्ष आपने एक करोड़ 10 लाख रुपया रखा है और इस प्रकार से ओखला, हैड वर्क्स है उसके लिए भी प्रावधान तो रखा है किन्तु किस प्रकार की प्रगति रही है इनके निर्माण में, हमारा ध्यान इस ओर रहा भी है या नहीं यह पूरे होने में प्रतीत नहीं होती और यह स्पष्ट है कि जब तक ओखला बैराज और हैड वर्क्स का रि-कन्स्ट्रक्शन नहीं होता है, उस समय तक गुड़गांव नहर को तथा भरतपुर फीडर को पानी नहीं मिल सकता। फिर हमारी बराबर कोशिश यह रही है कि इन्हें हम पेरीनियल वाटर सप्लाई दिला सकें, उसके लिए जहां तक मैं देख पाया हूं, कुछ भी प्रयास या पहल की गई हो इसका इधर संकेत नहीं है कि पेरीनियल सप्लाई करने के लिए क्या होगा। मैंने दो दिन पहले ध्यान आकर्षित किया था कि सिंचाई विभाग की इस वर्ष की रिपोर्ट के पहले पेज पर आपने यह माना है कि राजस्थान के पास साधन सिंचाई के कम हैं और राज्य में बारहमासी कोई जल प्रवाह नदी नहीं है अतः यह आवश्यक है कि राज्य में न केवल....

व्यवस्था का प्रश्न

प्रभारी मंत्री की

सदन में अनुपस्थिति

(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम) : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। आज राजस्थान नहर भी ली जा रही है और प्रभारी मन्त्री जी का यहां मौजूद होना आवश्यक है, जो लोग बोलते हैं, उनका ध्यान करके उनको बुलाया जाय।

श्री सभापति : मन्त्री जी को बुलाया जाय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति जी, यह सरकार की जोइन्ट रेस्पान्सबिलिटी है, मैं हाजिर हूं। मैं इसके बारे में जो माननीय सदस्य कहेंगे, उसको लिखता जाऊंगा और प्रभारी मन्त्री जी नहीं हैं तो सभा की कार्यवाही तो रोकी नहीं जा सकती।

श्री सभापति : आपको अनुमति है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : रोकी तो नहीं जायगी लेकिन....

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं निवेदन करूंगा, सरकार को सहयोग....

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, जोइन्ट रेस्पान्सबिलिटी की बात कही गयी है, केवल एक ही मन्त्री जवाब देने के लिए बाकी है और किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है, सारे मन्त्री गायब हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कोई भी केबिनेट मन्त्री नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह आवश्यक नहीं, आप मेरी बात सुनें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह आवश्यक है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। मन्त्र, महोदय अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, आज इतनी....

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, सरकार की जोइन्ट रेस्पान्सबिलिटी है, संयुक्त उत्तरदायित्व है।

एक माननीय सदस्य : राज्य मंत्री बैठे हैं आप उनको जानते नहीं होंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप जोइन्ट में नहीं आने, आप नहीं लिखते।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको क्या पता कि लिखता हूं या नहीं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो प्रश्न उठाया गया कि सभा की कार्यवाही रोकी जाय। यह उचित नहीं है, जो ध्यान में लाया जायगा, मैं यहां हूं। मेरे दूसरे साथी भी हैं, कार्यवाही चलने दें, जब उत्तर का अवसर आयेगा तो उत्तर देंगे। उत्तर देने में सक्षम हैं, सदन के अन्दर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कोई कारण तो बतायें कि यहां क्यों नहीं हैं? माननीय सभापति महोदय, हमने एक मोशन मूव किया, उस पर व्यवस्था दें। उनको बुलवायें या समुचित समाधान करें। बीमार हों तो कोई बात नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मुझे उस पर व्यवस्था देनी है। यह रूल्स आफ प्रोसिजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजनेस राजस्थान के स्टेट असेम्बली, इसमें मिनिस्टर की डेफिनेशन में पढ़कर सुना रहा हूं—

"Minister" means a member of the Council of Ministers, a Minister of State, a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary.

एक माननीय सदस्य : ये समझते नहीं हैं, क्या समझोगे।

श्री सभापति : चूंकि मन्त्रिमण्डल की जोइन्ट रेस्पान्सबिलिटी होती है और राज्य मंत्री यहां मौजूद हैं, इसलिए जिन मन्त्री के लिए आपने आपत्ति की है अगर वह नहीं हैं तो हाउस की कार्यवाही नहीं रुकेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्रभारी मंत्री महोदय का क्या उत्तरदायित्व है, इसकी डेफिनेशन भी मैं जानना चाहूंगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के पृष्ठ 291 पर आप देखिये :

"30 मार्च, 1959 को जब राजस्थान यात्री तथा माल कर विधेयक, 1959 पर विचार हो रहा था, वित्त मंत्री के सदन में अनुपस्थित रहने पर श्री भैरोंसिंह ने आपत्ति उपस्थित करते हुए श्री अध्यक्ष से निवेदन किया कि इस प्रकार से मंत्री महोदय का जब उनसे सम्बन्धित विषय सदन में चल रहा हो तो बार-बार अनुपस्थित रहना सदन का अपमान है। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा—

"माननीय सदस्यों ने इस तरह का प्रश्न पहले भी उठाया है। यह बहुत उचित बात

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

है कि जब कभी गंभीर प्रश्न सदन में आवे तो सम्बन्धित मंत्री उपस्थित हों।''

अब सम्बन्धित मन्त्री राजस्थान नहर के हैं और राजस्थान नहर पर वाद-विवाद चल रहा है, पूर्व में अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रकार का निर्णय दिया जा चुका है इस लिए जब तक राजस्थान नहर मंत्री यहां नहीं आयेंगे, तब तक कार्यवाही रोकी जाय। दूसरा प्रश्न यह है कि केबिनेट स्तर का एक मंत्री भी सदन में अवश्य उपस्थित रहना चाहिए और उनका यहां उपस्थित नहीं रहना, दोनों प्रकार से सदन का अपमान हो रहा है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह सदन का अपमान है और जब तक कोई केबिनेट मंत्री नहीं आए, सदन की कार्यवाही रोक दी जाय।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि माननीय प्रद्युम्न सिंह जी सिंचाई के इंडिपेन्डेंट मंत्री हैं।

(व्यवधान)

यह उनको स्वतंत्र विभाग मिला हुआ है। आज की जो डिबेट हो रही है वह सिंचाई विभाग की हो रही है। जवाब भी उन्हीं को देना है और जो कुछ भी प्रश्न उठाये जावेंगे उनको भी उन्हें ही लिखना है। फिर एतराज आपका कोई मायने नहीं रखता क्योंकि केबिनेट मिनिस्टर नहीं है इसलिए कार्यवाही रोक दें। केबिनेट मिनिस्टर का ताल्लुक क्या है? कोई डिपार्टमेंट उनके पास नहीं, वह किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। वे आपकी डिबेट में भाग नहीं ले सकते तो बैठे भले ही रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी आपत्तियां उठाने से कोई मतलब नहीं है। आप समय का सदुपयोग करिये। अच्छे-अच्छे सुझाव दीजिए। नये-नये मंत्री हैं, जवान हैं, आपके सुझावों से मदद लेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अनुत्तरदायी-पूर्ण उत्तर है और अनुत्तरदायीपूर्ण व्यवहार है। व्यवहार में भी उत्तरदायित्व नहीं है...

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : कहने में भी उत्तरदायित्व नहीं लगता।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, श्रीमान् मुख्य सचेतक महोदय ने जो बात कही है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पुरानी थोड़ी परम्परा को उठा कर देखें, एक न एक केबिनेट मंत्री प्रत्येक समय यहां पर, डिमाण्ड की ही बात नहीं है, सदा सर्वदा उपस्थित रहता है और जब अभी इस प्रकार की बात उठी है, कभी अगर अनुपस्थित भी रह गए तो उसी वक्त किसी न किसी केबिनेट मंत्री को यहां पर बुलाया गया है। माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने कहाकि प्रद्युम्न सिंह जी प्रभारी मंत्री हैं। राजस्थान नहर के प्रभारी मंत्री जी आ गए हैं, इसके बावजूद बहुत बहुत धन्यवाद कि वे आ गए, किन्तु आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ठीक है, प्रभारी मंत्री हैं किन्तु आज केबिनेट में बैठ कर निर्णय लेने की अथवा अपने विचार प्रकट करने की स्थिति में वे नहीं हैं। हम तो

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

चाहते हैं कि भगवान की दया से उनको वह अधिकार मिल जाय, लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य सचेतकजी जो विचार प्रकट करें, यह परम्परा चलती रही है कि सदन में कार्यवाही कोई भी चले, केवल डिमाण्ड को छोड़ दीजिए, कोई न कोई केबिनेट मंत्री उपस्थित रहा है। फिर कई मंत्री इधर उधर घूम रहे हैं आप किसी को बुललें जिससे कार्यवाही शुरू हो जावे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं, विरोधी दल के माननीय उप नेता ने जो सुझाव दिया है, अभी किसी न किसी मंत्री को बुला लेता हूं तब तक आप डिबेट चालू रखिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज।

मांग संख्या 46 व 38 पर विचार

श्री राजबहादुर : माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य सचेतक महोदय ने जो यह कहा, एक हद तक वे अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन आपत्ति यह उठाई गई कि जो आपत्ति विरोध पक्ष से उठाई गई है बेमानी है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि शासन दल की निगाह में या तो शासन अपने को सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं मानता है इसलिये यहां बैठने के लिए हमारी आपत्ति बेमानी है। म आशा करता हूं कि जो कुछ बोलें सोच समझ कर बोलें। यह उनके दल पर आक्षेप है कि वे हाउस को कैसे ट्रीट करते हैं।

मैंने निवेदन किया आरम्भ में कि इस मांग पर, इस विभाग के ऊपर, राजस्थान का समूचा भविष्य आधारित है। हमारे राज्यपालजी ने कहा था मेरा कटमोशन भी उसी पर आधारित है, कि राज्य की मूलभूत समस्यायें यहां का विशाल रेगिस्तान और बार-बार पड़ने वाला अकाल है। इसको मूलभूत समस्या बतायी है उन्होंने और उसको सुनने के लिए मैं तो आशा यह करता था कि मुख्य मंत्रीजी आज तशरीफ लाते। फिर मुख्य मंत्रीजी इंडिपेन्डेंट चार्ज रखने वाले मिनिस्टर आफ स्टेट से बड़े हैं, मुख्य मंत्री सीनियर मिनिस्टर होते हैं। उनको पर्टीकूलरली यहां पर रहना चाहिए था और अगर उनकी दिलचस्पी है राजस्थान के भविष्य में तो मेरा यह निवेदन है, मैं भूला नहीं हूं कल परसों ही मैंने पाइन्ट नोट किया था। परसों एक बहुत ही मार्मिक जुमला, फिकर, शब्द निकले थे हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के मुखारबिन्द से, मैंने नोट कर लिये थे। उन्होंने कहा था-बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं वह, ये उनके शब्द हैं, जो अकाल की काली छाया से पीड़ित नहीं होते। अकाल की काली छाया से पीड़ित होना उन्होंने एक बड़ा भारी अभिशाप माना है, और है भी। इसको कौन दूर कर सकता, है। आपका सिंचाई विभाग ही कर सकता है। आपने स्वयं ने हर जगह पर कहा है, आपकी रिपोर्ट में एक बार नहीं कई बार आया है कि आपके पास साधन नहीं हैं। जल साधन नहीं हैं।

आपको पड़ोसियों की तरफ, देखना है। अन्तर्राज्यीय समझौतों को देखना है। अन्तर्राज्यीय योजनाओं की बात कह रहा था उसी संदर्भ में आ जाता हूं। थीन बांध के

(श्री राजबहादुर)

बारे में राजस्थान रावी-व्यास के इस जल से 8 मिलियन एकड़ फीट का भागीदार है। इस 8 मिलियन एकड़ से कितना इस समय उपयोग में ला रहे हैं यह मेरे कटौती प्रस्ताव का मुख्य विषय है। कितना इन 8 मिलियन एकड़ में से आज की तारीख तक इस्तेमाल किया है और थीन बांध बनने पर 8 मिलियन में और कितना इस्तेमाल हो जाएगा और कितना शेष रहेगा, यह मुझे बतादें। फिर आपने पिछले वर्ष की रिपोर्ट में लिखा था, पेज है उसका 16...

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय...

श्री राज बहादुर : पहले मुझे बोल लेने दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक मिनट में, मेरी गुस्ताखी होगी बाबूजी, मैं और कुछ नहीं कह सकती हूं आप बोल रहे हैं।

माननीय सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय ने कल जो व्यवस्था दी थी कृपया उसको मंगा कर देख लें, इतना सा आपसे निवेदन है। मैं इसके बारे में आगे नहीं बोलूंगी, आप व्यवस्था देख लीजिए कि आज के बोलने के बारे में क्या व्यवस्था दी थी, केवल उसको मंगा कर देख लीजिये।

श्री राजबहादुर : मैंने जैसा आपसे कहा था मेरी आवाज के लिए माफ करियेगा, लेकिन मैं अपनी बात पूरी करना चाहता था। मैंने कहा था, मेरा गला बैठा हुआ है, पहले मैं अपनी बात समाप्त कर दूं लेकिन बात मैं पूरी कहना चाहता हूं।

आपने पिछले वर्ष की जो रिपोर्ट दी थी उसके पेज 16 पर आपने जो लिखा था उससे बड़ी आशा बंधी थी, किन्तु वह वचन इस वर्ष की रिपोर्ट में से अब की बार गायब है। पिछले वर्ष आपने लिखा था—"वर्षाकाल में यमुना नदी से गुड़गांव नहर में पांच सौ क्यूसेक्स तथा भरतपुर फीडर में तीन सौ क्यूसेक्स पानी लाने के लिए नहर बनाई गई है। राजस्थान द्वारा केवल गंगा और यमुना से अधिक से अधिक जल प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इससे प्रदेश के अधिकतम क्षेत्र लाभान्वित हो सकते हैं।" मेरा पूछना यह है कि क्या ये प्रयास खतम हो गये? 3-4-79 को ललित किशोर जी चतुर्वेदी मंत्री थे, मुझे ठीक तरह से याद है, इण्डियन एक्सप्रेस की तारीख याद है। उन्होंने लिखा था कि ट मिलियन एकड़ क्यूबिक फीट पानी मांगा है, गंगा यमुना का पानी। अब क्या कोई इसकी पैरवी हो रही है आज तक, मैं इसका जवाब चाहता हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि टोटल एरिया राजस्थान का, आपकी ही रिपोर्ट है यह, 342.28 लाख हैक्टेयर है। टोटल एरिया जिसमें काश्त हो सकती है, खेती हो सकती है वह 267 लाख हैक्टेयर और उसमें से जो कुल कल्टीवेट हो सकती है, उसका मात्र 18 पर्सेन्ट है जिसको सिंचाई का कुछ पानी मिल रहा है, जिस एरिया को और जितने साधन पानी के आपके पास हैं उसमें से सब साधन जोड़ भी दें तो भी 23 पर्सेन्ट एरिया से अधिक पानी आपको नहीं मिल सकता है सिंचाई के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी 77 पर्सेन्ट एरिया के लिये पानी के आपके पास साधन नहीं हैं। आपकी ही

(श्री राजबहादुर)

रिपोर्ट के अनुसार कुल 15 मिलियन एकड़ फीट सरफेस वाटर का आपका रिसोर्स है इस सन्दर्भ में आपने जो फर्माया है, वह यह है कि राज्य में सतह पर कुल 1.956 मिलियन हैक्टेयर मीटर पानी मिल सकता है, बाहर से जो पानी मिलने की आशा है उसके मिलने के उपरान्त भी आप कुल भूमि के 23 पर्सेन्ट सिचाई दिलाने से आगे नहीं जाते, यह आपकी स्थिति है।

इस हालत में मैंने दो तीन मोटे मोटे सवाल रखे हैं और उन्हें सब्जेक्ट मैटर बना दिया है अपने कटौती प्रस्तावों का, पड़ोसी प्रदेशों से पानी लेने में क्या बाधायें हैं आपके रास्ते में। आप क्यों गंगा यमुना से पानी लेने को सीरियसली टेक अप नहीं करते? गंगा की जो क्षमता है, मैं आपको थोड़े शब्दों में बता देना चाहता हूं कि गंगा की क्षमता क्या है, गंगा में कितना पानी है, यमुना में कितना पानी है और आप कितना ले सकते हैं? गंगा का टोटल वाटर पोटेंशियल है 49.4 मिलियन हैक्टेयर मीटर, आज गंगा का कुल पानी जो कुल इस्तेमाल हो सकता है वह 18.5 मिलियन हैक्टेयर मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता। 30-31 मिलियन फिर भी बचता है और ज्यादा हो गया तो क्या होता है अधिकांश पानी फ्लड के रूप में बह कर यू. पी. के गांवों को, बंगाल के गांवों को, गंगा के गांवों को डुबाता है। आगे कोई उपयोग नहीं होता। आप केवल इतनी मांग करते कि 15 जुलाई से 15 दिसम्बर तक हमें मात्र यह बाढ़ का पानी दे दिया जावे और यह पासिबल है। यह पासिबल कैसे है कि एक ओर कावेरी, गंगा-कावेरी लिंक बनाने की बात है, हम उसका विरोध नहीं करते। गर उसकी आप आवश्यकता को ले लेंकंसी-डरेशन में गंगा-कावेरी लिंक के लिये आवश्यकता बताई है कुल ढाई, तीन मिलियन का वह निकाल दें तो 27 मिलियन एकड़ मीटर फिर भी बचा रहता है। उसके बाद गंगा लूणी लिंक आप लें तो कुल 1.6 मिलियन मीटर पानी मांगता है, यानि गंगा में फिर भी 24 मिलियन एकड़ फीट पानी ऐसा है जो फालतू फण्ड में जायगा। इसके लिये करना क्या होगा। ग्रेविटी से लिफ्ट से नहीं, एक स्कीम ग्रेविटी की है, पानी लेना होगा।

हर वर्ष गंगा में नररा के पास बाराज में से जून से लेकर अक्टूबर तक गंगा का डिस्चार्ज 4270 क्यूसेक्स क्यूबिक मीटर पर सैकिण्ड यह पानी उपलब्ध है किन्तु इसका उपयोग होता है और अगर नरोरा के पास से आप नहर निकाल कर पानी लें तो इसके जरिये दो चैनल आपको क्रास करने पड़ेंगे अगर आप नहर बनायें। एक तो काली सिंध के ऊपर और एक अपर गंगा कैनाल के ऊपर। इन दो को नई नहर का पार करना होगा उसके बाद आप बैराज बनाकर सोनीपत के पास वहां से रोहतक, रोहतक से भिवानी, भिवानी से नोहर और नोहर से भादरा, भादरा से झुंझुनू और झुंझुनू से लेकर बाड़मेर तक आठ डिस्ट्रिक्ट नई नहर के मार्ग में लाभान्वित हो जाती हैं, समूचे का समूचा वैस्ट राजस्थान है। अलावा दूसरा उपाय गंगा से बाढ़ का पानी लेने के अलावा गंगा-लूणी लिंक के नहीं है, रेगिस्तान को तोड़ने का और अपने प्रदेश के भविष्य को बनाने का। मैंने पिछले वर्ष भी निवेदन किया था आज मैं पुनः आपसे कहूंगा यह कार्य नहीं किया गया तो राजस्थान का उद्धार

(श्री राजबहादुर)

नहीं हो सकता। आज फिर कह रहा हूं। लेकिन लगता है, यहां कोई इस विषय के जिम्मेदार मंत्री रहते नहीं हैं, मुख्य मंत्री आने की कोशिश नहीं करते, बात इस कान से सुनी जाती है और उस कान से निकाल दी जाती है। कोई जवाब नहीं आता इन सुझावों या बातों का। फिर भी मैं आपसे इस सदन से कहना चाहूंगा कि यह आपकी स्थिति है।

यह गंगा-लुणी लिंक सिस्टम है, उसका क्या है, यहां छोड़ दीजिये। माही, साबरमती दूसरी हैं यह अरावली से बहकर निकल जाती हैं। दूसरी तरफ हमारी चम्बल है, चम्बल के अलावा काली सिंध, पार्वती दूसरी नदियां हैं, यह राइट बैंक में हैं और यह गंगा और यमुना में जाती हैं। माही या दूसरी छोटी मोटी नदियां हैं ये सब की सब वैस्ट में जाती हैं और अन्त में जाकर अरबियन सी में मिल जाती हैं। एक तरफ बंगाल में जाती हैं। यह हमारा पानी है। हम इसका क्या उपयोग कर पाते हैं? इसके अलावा क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट मिली होगी। वहां रेविन्स को रिक्लेम करने केलिये योजनाएंबना रहे हैं जिसके द्वाराचंबलकीघाटी केखादरों को रेविन्सको रिक्लेम करने केलिये पंच नदी पर बांध बनाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। और पंच नदी को बांध कर पानी रोक कर रेविन्स को भरेंगे। सिंचाई मंत्री धौलपुर के इलाके से आते हैं, वह रेविन्स की समस्या खूब जानते हैं। रेविन्स किस तरह से आश्रय देते हैं, डाकुओं के गिरोह को। ला एण्ड आर्डर की समस्या है, उधर सिंचाई की समस्या है, उधर नयी भूमि मिले, ताकि प्रदेश के भूमिहीन किसानों को बसाया जा सके। लाखों एकड़ भूमि चम्बल के रेविन्स में दोनों किनारों पर दूर दूर तक दबी हुई है और किसी प्रकार से या तो बुलडोजरों से या छोटे मोटे बैराज बनाकर अपने रेविन्स को भर सकते हैं, रिक्लेम कर सकते हैं। इसके लिये योजना चलायें भूमिहीनों के लिये, सभापति महोदय, लाखों एकड़ भूमि मिलेगी। राजस्थान के सोर्सेज बढ़ेंगे। लेकिन उधर ध्यान तो हो। ध्यान के नाम पर, मुझे दुख है, कुछ नहीं है। हम लोग ध्यान दिलाते हैं, ऐसा लगता है हमारी बात बट्टे खाते जा रही है। यह होता है हम जो कुछ कहते हैं वह निरर्थक है। लेकिन, श्रीमन्, आप हमारी बात मत सुनिये। आप इनकी ही सुन लीजिये। अरे साहब, आप काम करिये काम आपका, नाम आपका, यश आपका, लेकिन आप काम करिये। काम तो करें नहीं तो यह निकम्मापन बहुत दिन नहीं चलेगा, आज चल रहा है, तो कल नहीं चलने वाला है। इसके बाद, सभापति महोदय, मैं समय पर मौजूद नहीं था, वरना मैं सवाल उठाना चाहता था, आपके काम न करने की बात यहां तक है कि इस सदन के डिप्टी स्पीकर को अभी तक चुना नहीं गया है। आपकी मार्फत मैं इसलिये कहना चाहता हूं ....

(व्यवधान)

देखिये, प्रश्न बहुत गंभीर है। बिना डिप्टी स्पीकर के इस सदन को एक साल पूरा होने को आया, अब किसी प्रकार इस बात को नहीं टाला जाना चाहिये। अगर महोदय हमारी बात को सुन रहे हैं, तो बिना सी. एम. की कानफ्रेंस लिये बिना उनका इंतजार किये हुए, समय आ

(श्री राजबहादुर)

गया है, अगले सोमवार को, मंगल को, बुधवार को या उससे आगे आने वाले सोमवार को कोई भी दिन हो, डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिये रख दें। हम जानते हैं बहुमत आपके पास है। आदमी आपका ही डिप्टी स्पीकर होगा। आप इस परम्परा को बरतेंगे नहीं कि कोई आदमी इधर से भी हो सकता है। स्पीकर आपकी पार्टी से है और डिप्टी स्पीकर इधर से हो, नहीं रखिये वह, लेकिन एक डिप्टी स्पीकर तो दीजिये तो सही। आज सवाल यह है कि यह गवर्नमेंट तो यूं ही चल रही है, माफ करिये किसी के अपमान की बात नहीं करना चाहता, आज डिप्टी स्पीकर का अभाव है। पिछले साल भी कई बार आवाज लग चुकी है। स्पीकर महोदय को कई सुझाव दिये गये। कई प्रश्न किये गये भिन्न भिन्न विषयों पर लेकिन उनका कोई रेस्पान्स नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिये यदि हम आज थीन बांध के बारे में कुछ कहते हैं, यदि हम कडाना बांध और सिद्धमुख के बारे में कहते हैं, हालांकि सिद्धमुख योजना भी पूरी नहीं हुई है। अभी उनके बारे में बताया जा रहा है कि आज यह रिपोर्ट जो आपने हमको दी है, नोहर एवं सिद्धमुख योजना गंगानगर जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये विचाराधीन है। अभी तो विचाराधीन है। यह कब शुरू होगी इन विकास की योजनाओं पर इंतजार कब तक होगा? कब दिया जायगा इन योजनाओं द्वारा राजस्थान की सूखी धरती को पानी? इसी प्रकार से ओखला बैराज के बारे में आखिरी लाइन पढ़ लें रिपोर्ट के पेज 17 पर है लागत के भाग के बारे में निर्णय लेना अभी बाकी है। क्या इस पर काम शुरू हुआ है उसके बारे में कोई संकेत मिलता नहीं है। लेकिन लागत के बारे में आप जानते हैं। अगर आगरा केनाल से पानी लेना है तो पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों को तो आगरा केनाल को लाइनिंग करना पड़ेगा।

आप जब कभी जयपुर से दिल्ली आते हो तो आप देखकर हैरान होंगे कि हरियाणा कि सारी की सारी नहरें और नालियां सिंचाई की, जो रास्ते में पड़ती हैं, सब की सब पक्की कर दी गई है। सब की सब जिस तरह से चलती हैं, मतलब यह कि हरियाणा में मिनिमम कास्ट के ऊपर मैक्जीममयूटिलाइज्ड हो रही है। उनके बट के पानी का, मैं विनती करूंगा, यह सिंचाई का मामला है, इसको खटाई में न डाला जाय। मैं अपनी ओर से जो प्रयास हम लोग करते हैं, उसकी भी झलक देना चाहता हूं। मैंने सुझाव रखा था कि रावी-व्यास नदियों के राजस्थान के बट का हमारा पानी पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, पंजाब कर रहा है और हरियाणा कर रहा है या कर सकता है। उसके बाद जैसा विपक्ष के नेता ने कहा था, आप कृपा करके इतना कहिये कि आज 25 वर्ष बाद भी हम अपने हिस्से का हमारा पानी जो इस्तेमाल कर पाते हैं, थोड़ा सा हिस्सा दे दीजिये, उससे झुंझनू को पानी मिलेगा, झुंझनू का बहुत सारा इलाका सैराब हो सकता है, अलवर का हो सकता है, भरतपुर का हो सकता है। आपको उस परियोजना में शामिल होना पड़ेगा जो हरियाणा ने बनायी है सतलज–यमुना के नाले के नाम से और हरियाणा ने इस पर काम भी शुरू कर दिया था। 4 जनवरी, 77 तब से काम चल रहा है। हमने बराबर कहा आप उसमें शामिल हो जायं, जो आपके बट का

(श्री राजबहादुर)

पानी है, रावी–व्यास का वह पानी का बहुत थोड़ा हिस्सा आप दे दें, नहरों के जरिये, जो हरियाणा ने अपने यहां बनाये हैं। उनसे झुंझनू की सीमा तक उस पानी को ले आयें और झुंझनू को सैराब करें, उसी पानी के थोड़े से हिस्से को वाजे वाले पर यमुना में डाल कर ओखला ले आयें, ओखला लाकर गुड़गांव नहर, भरतपुर फीडर आदि में ले जा सकते हैं किन्तु खेद है कि सरकार की ओर से संकेत नहीं मिलता कि क्या इस पर गौर भी हुआ या नहीं। और उसके बाद और कोई काम भी नहीं हो रहा। हमारा पानी बह रहा है पाकिस्तान में, या उसे हड़प लेगा पंजाब या हरियाणा और हम बैठे हैं। मजबूर हैं लाचार हैं। ऐसी योजनाओं के द्वारा नौन–टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकती है। आपके पास पर्याप्त टैक्स रेवेन्यू नहीं है। टैक्स आप लगायेंगे नहीं। राजस्थान पिछड़ा हुआ है। हमने कहा भाई टैक्स लगाने हैं तो जरा मालदार आसामियों को छांट लो, चाहे वह गांवों में बसते हों, चाहे वह शहरों में।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : गांव में कोई मालदार नहीं है।

श्री राज बहादुर : अच्छा गांव में नहीं हैं तो, साहब, गांव के शब्द वापस लेता हूं। ईश्वर करे गांवों में मालदार हों। और होंगे भी तो कहेंगे काय को कि हम मालदार हैं, यह भी बात है। मेरा कहना है कि ऊन लेनी है तो भेड़ से ऊन मिल सकती है, किसी दूसरे से नहीं। मैं विनती करूंगा नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ानी है, तो सिंचाई के साधन और बढ़ाइये। मैंने इस संबंध में देखा, कुछ भी नहीं हो रहा है। उत्तर नहीं मिलता है। मुख्य मंत्री के उत्तर में इसका हवाला नहीं था। न भरतपुर फीडर का था, न गुड़गावां नहर का न रावी-व्यास के पानी का, यह बैठे हैं कुम्हेर के हरिसिंह जी, आप ही कह देते हैं कि मेरे हवाले से कहते हैं कि नगण्य खर्चा हुआ है। अगर बड़ा नगण्य खर्चा हुआ है तो पूरा खर्च कीजिये, नगण्य इसके लिये है और किसी के लिये नहीं है मैंने एक नोट कागजपर लिखने की धृष्टता की औरमैंने स्वयं विभाग के सैक्रेटरी श्री सतीश कुमार के पास भेजा किन्तु पहले कागज और एक चिट्ठी 3 अक्टूबर को मुख्य मंत्री जी को लिखी। 3 अक्टूबर की उनके पास पहुंची या नहीं इसका कोई जवाब मुझे नहीं भेजा लेकिन सतीश कुमार जी की चिट्ठी आई उसको पढ़ कर सुनाता हूं। मुख्य मंत्री जी बुजुर्ग कहते हैं। एक तरफ तो वह मुझे बुजुर्ग कहते हैं शायद वह देखना चाहते हैं कि मुझमें चलने फिरने की ताकत न हो। वह पता नहीं कैसे बुजुर्ग मुझे किस मंशा से कहते हैं।

श्री दुलाराम : बुजुर्ग तो आप हैं ही इसमें संशय क्या है ?

श्री राज बहादुर : इसमें आपको कहने में संशय होता है।

श्री दुलाराम : हम तो आपकी कद्र करते हैं। इसमें आपको आब्जेक्शन हो तो।

श्री राज बहादुर : मुझे कोई आब्जेक्शन नहीं है। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया बल्कि जवाब आया सतीश कुमार जी से, मैं उनकी बिना

(श्री राजबहादुर)

इजाजत पढ़ना चाहता हूं क्योंकि इसमें एश्योरेंस कम्यूनिकेट की गई है मुख्य मंत्री जी को। इसका संबंधित भाग पढ़ रहा हूं–

"Kindly refer to your letter dated 3rd October, 1980, addressed to the Chief Minister...."

इसके बाद लिखा है–"However, the government has made some commitments for Ravi and Beas waters ..."

मैंने रावी का, व्यास का जिक्र किया था– "and keeping those in view as well as genuine needs of Bharatpur district, we hope to take a decision in the matter and pursue the same with the concerned authorities."

उन्होंने यह कहा था कि इसके बारे में भरतपुर की बात ठकराई नहीं जा रही है। हम कंसीडर करेंगे लेकिन कमिटमेंट और किया है। प्रद्युम्न सिंह जी, आप सिंचाई मंत्री हैं, आप कमिटमेंट बता दें कि अब तक रावी-व्यास के अपने हिस्से के पानी में से इन 25 वर्ष में कितना पानी इस्तेमाल कर पाये हैं? कितना कर पायेंगे? मेरा सुझाव यह है कि 10 वर्ष तक भी अपने बट का काफी बड़ा हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे। 10 वर्ष तक कुछ नहीं कर पायेंगे और पानी हाथ से जाता रहेगा। मैं आपको ललचा नहीं रहा हूं। अगर रावी, व्यास का पानी मिलता है तो यह राजाखेड़ा तक पहुंच जायगा। अगर आप राजाखेड़ा के लिये पानी नहीं चाहते तो मना कर दीजिये। मैं कहता हूं पानी फालतू जा रहा है, बेकार जा रहा है। गंगा यमुना का पानी दिला दें। इस पानी को बन्द कर देंगे। गंगा यमुना की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नर्मदा में 280 मिलियन एकड़ फीट पानी है उसमें आपका शेयर कितना है 5 लाख एम. एफ. टी.। और उसमें आप राजी हो गये हैं। तो मैं कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी ने 3 अक्टूबर की चिट्ठी का जवाब 5 जनवरी को दिया, सैक्रेटरी के मार्फत। इसमें मेरा कोई अपमान नहीं है, मुझे खुशी है इस बात की कि सैक्रेटरी तो काम करते हैं और ज्यादा क्या कहूं इतना ही कहना काफी होगा। इसमें लिखा है, जो दूसरा पैरा है इसमें–

"The Chief Minister has asked me to assure you...."

तो सी. एम. साहब एश्योर नहीं कर सकते।

"खूब पर्दा है चिलमन से लगे बैठे हैं,

साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं"

श्री सभापति : मेरी गुजारिश है, आप बुजुर्ग हैं और पार्लियामेंट्री लैंग्वेज हो....

श्री राज बहादुर : पार्लियामेंट में भी शेर कहे जाते हैं....

(व्यवधान)

श्री भेरू लाल : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। पक्ष के सदस्य अपने ही क्षेत्र की समस्या कह नहीं पाते।

श्री राज बहादुर : मैं बहुत जल्दी खतम कर दूंगा।

श्री अनंग कुमार जैन : यह तरीका है इनके बोलने का। आप व्यवस्था तो दीजिये, सभापति महोदय, जो मर्जी में आये कह रहे हैं।

श्री भेरू लाल : ऐसा है फिर हमें भी...

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं आपकी बात समझ गया। आप बैठिये।

श्री राजबहादुर : मैं समय नहीं लूंगा। मैं कह रहा था कि मैंने भी उस पत्र का जवाब दिया उसमें यह लिखा कि मैंने आपसे यह विनती की थी कि कृपया बता दें कि कब तक इस्तेमाल कर देंगे।

और यह भी पूछा—

"I would be grateful if you could inform me in specific and exact terms how much out of our share of 8 million acre feet of water have we been able to utilise so far annually and how much of it is still flowing into Pakistan or has been appropriated or misappropriated by the States of Punjab and Haryana. I would further like to know the minimum period that would be required to make full and entire use and utilisation of our share of Ravi and Beas waters."

यह मैंने इसलिये पढ़ कर सुनाया कि जहां तक हमारा सवाल आता है, हमारे राजस्थान का, उसमें कितनी भूमि असिंचित है और उसके मुकाबले में दूसरे प्रान्तों में कितनी भूमि सिंचित है, इसका अन्दाजा लगा लिया जाए। यह थर्ड प्लान के बाद की है, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। पंजाब में 90.2 प्रतिशत कल्टीवेटेड है और हमारे यहां 56.5 और उनकी कल्टीवेटेड 90.2, उसमें 53 प्रतिशत इरिगेटेड है। हरियाणा में 34.2 प्रतिशत, हिमाचल में भी 82.2 प्रतिशत अण्डर कल्टीवेशन है और 29.7 अण्डर इरिगेशन है और राजस्थान में 56.5 कल्टीवेशन में है और 8.45 इर्रीगेशन में है। तो मैं आपसे विनती करूंगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है—

There should be dynamic thinking and dynamie conception, there should be a dynamic implementation 100 of the schemes. There is no escape out of it. We are answerable to the posterity and to the coming generations. Let their not be said about us that we neglected them vital interest would beadis a sterous failure on our part.

मैं इतनी विनती करूंगा सब बातों को लेकर, आप कृपया ट्रेजरी बेंच से कहें इसमें कोई व्यक्तियों का सवाल नहीं है, कोई पार्टी बन्दी का इसमें सवाल नहीं है, आज सारे राजस्थान का सवाल है। चार बातें आपसे पूछना चाहता हूं साफ साफ (1) रावी व्यास का राजस्थान को कितना पानी मिला ? (2) कितना पानी इस्तेमाल कर पाये हैं ?

(श्री राजबहादुर)

(3) रावी-व्यास का अपने बट का पानी का उपयोग और कब तक कर पायेंगे ? (4) गंगा यमुना के पानी के हिस्से की कितनी और कब मांग की ? यह कहने का मौका न दिया जाय कि इसमें हिस्सा मांगने वाले कोई नहीं है, यह कहें कि गंगा यमुना का पानी मांगने वाले ही राजस्थान में नहीं रहे, किसी ने मांगा नहीं, अब तक ऐसा लगता है यहां उसका हवाला नहीं है, यह जितना ट्रेजिक रिफलेक्शन है आज की रूलिंग पार्टी पर ? जिसका कोई जवाब नहीं। आप कहां से लायेंगे पानी ? आप गंगा नदी के पानी से क्यों बेखबर हैं। जब कि हर बार बरसात में उसके पानी से बंगाल तक बाढ़ आती है। आप क्यों नहीं मांगते उस पानी को ? उसको मांगिये। मैं आशा करता हूं कि और जो अपने राजस्थान के अन्दर पानी के स्रोत हैं उनका पूरा पूरा इस्तेमाल करिये। क्योंकि वह पूरा नहीं हो रहा है। इसलिये, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभापति जी आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि अब की बार तो इन बातों का जवाब मिल जायगा। काम करो, ना करो। कम से कम बोलो तो सही। अब तो कुछ मुंह से बोलो यह आशा करता हूं।

श्री सभापति : मेरा एक निवेदन है। मेरे पास, आर्डर प्लीज, मुख्य सचेतक महोदयों ने, पार्टी के लीडर्स ने जो सूची भेजी है, आज बोलने वालों की उस सूची की गिनती करने पर 34 मैम्बर हैं और जो छपी हुई सूची है वह उससे कहीं ज्यादा है। इसलिए माननीय मुख्य सचेतक महोदय और पार्टी के लीडर्स ने अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने दल से जिनको सही समझा है, उनके नाम दिये हैं। इसके अलावा अगर कोई माननीय सदस्य इन कट मोशन में भाग लेना चाहते हैं तो वे अपने दल के नेता या मुख्य सचेतक महोदय के थ्रू अपने नाम और भिजवा दें ताकि सारे नाम आने के बाद उनको नियमित टाइम अलाट किया जा सके और वे अपने तर्क को प्रस्तुत कर सकें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : सभापति महोदय, मेरा नाम पहला था....

श्री चतुर्भुज : सभापति महोदय, आपको निवेदन है कि हमारे भी कट मोशन हैं....

श्री सभापति : अगर आपका नाम नहीं है तो आप मुख्य सचेतक महोदय से मिलें....

श्री चतुर्भुज : आपकी सूची में है।

श्री सभापति : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री गोविन्द गुर्जर सिंह (नसीराबाद) : माननीय सभापति जी, दो इधर के और एक उधर के माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दिया जाये....

श्री सभापति : माननीय सदस्य मुझे अपनी ड्यूटी अंजाम करने दें....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति जी, मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पूर्व इन दो रिपोर्ट्स का हवाला दूंगा। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इन

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

दोनों रिपोर्ट्स में से कौन सी सही है ताकि एक ही बात का जिक्र करूं। वही बात आपके सामने रखूं। एक तो यह सिचाई विभाग का प्रगति रिपोर्ट 1980-81 है उसके पेज नं. 2 पर लिखा है 42900 लाख राजस्थान नहर पर वर्ष 1980-81 में व्यय किये जायेंगे। और दूसरी रिपोर्ट जो है. जो राजस्थान नहर परियोजना का निष्पादन आय-व्ययक मिला है उसमें यह 31 करोड़ रुपया है। इन दोनों में कौन सा फिगर सही है, यह बता दें ताकि मैं आपके सामने अपनी बात को सुविधा से रख सकूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्री महोदय कौन सा करेक्ट है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने जो सूचना दी है, प्रगति विवरण 1980-81, इसके पेज नम्बर दो पर वर्ष 1980-81 की दूसरी पंक्ति, इसमें 2900 लाख रुपया राजस्थान नहर के लिये लिखा गया है और जो निष्पादन आय व्ययक है राजस्थान नहर का उसमें 31 करोड़ है....

श्री राज बहादुर : ऐसा अलाउड नहीं है....

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सदस्य, आप अपनी बात कहें। इसका मैं स्पष्टीकरण कर दूंगा....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, सिंचाई विभाग पर आज यहां पर चर्चा हो रही है। मांग संख्या 46 पर मैं अपनी ओर से कुछ विचार 1981-82 के बजट पर रखना व सिंचाई की दृष्टि से अपनी बात कहना चाहता हूं।

जहां तक वर्तमान आलोच्य वर्ष चल रहा है 1980-81 का, उसका सारा कार्य-कलाप है, इस सिचाई विभाग की रिपोर्ट्स को पढ़ने का मैंने थोड़ा-सा प्रयास किया है, उसके आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सिंचाई की प्रगति की दृष्टि से 1980-81 का वर्ष निष्क्रियता का वर्ष रहा है। किसी प्रकार की सक्रियता नहीं रही है। प्रदेश के उन्नति की रीढ़ सिंचाई विभाग को कहा जाता है, परन्तु इस विभाग ने इन सारे काम को, न कर इस सारे काम में सम्पूर्णतया निष्क्रियता का परिचय दिया है इसीलिये मैं 1980-81 के वर्ष को निष्क्रियता की संज्ञा देता हूं। इसके बाद मैं अपने तर्क आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, यदि आप इसको देखें, जो माननीय मुख्य मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया है 1980-81 का, इसमें बहुउद्देश्यीय परियोजना पर 540 लाख रुपये का प्रावधान था किन्तु संशोधित अनुमान में, शायद यह व्यय भी मार्च, 31 की तारीख तक न हो पाये, 480 लाख रखा है। अगर अन्य परियोजनाओं की चर्चा करूं तो 193.21 लाख का प्रावधान रखा गया था बजट में, परन्तु उसमें भी संशोधन कर दिया गया है। मुझे पता नहीं है कि यह संशोधन का पैसा भी खर्च कर पायेंगे या नहीं ? एक वर्ष के बाद और कुछ कहें वह संशोधन प्रावधान है 152.21 लाख रुपये। अगर इसी प्रकार मध्यम परियोजना की चर्चा करूं तो आपको विदित होगा कि 1245 लाख रुपये का बजट प्रावधान था और उसको संशोधित कर दिया गया है 1065 लाख यानि एक करोड़ 80 लाख का मध्यम परियोजना

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

पर सिंचाई विभाग ने काम नहीं किया। 82 लाख बहु उद्देश्यीय परियोजना पर, जो चम्बल विभाग से सम्बन्धित थी, मेरे क्षेत्र से, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रकार का लैप्स हो रहा है। 60 लाख बृहत योजना पर हो रहा है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से कि वे इन बातों को देखें। एक वर्ष में सिंचाई के प्रावधानों पर अगर सरकार ठीक रूप से व्यय नहीं कर सकी तो कितने ही फिजीकल और फाइनेन्शियल टार्गेट पूरे नहीं हो पायेंगे और गरीब किसान पर इसका कितना असर होता है। परियोजना अगर एक वर्ष लेट हो जाती है तो वह हानि शायद रुपयों में नहीं गिनी जा सकती है, केलकूलेट नहीं किया जा सकता है करोड़ों रुपयों में परन्तु यह जो योजना गरीब व्यक्ति को राहत देने वाली थी, उससे राजस्थान प्रदेश के गरीब व्यक्ति को लाभान्वित होने से वंचित कर दिया है, ऐसा मेरा इस सरकार पर आरोप है।

मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, आप मध्यम परियोजना के बजट को देखें। हमें पता लगेगा कि ऐसी 12 परियोजनाएं हैं। भीमसागर 1954 से चल रही है। सौभाग्य की बात है कि जनता पार्टी ने इस काम को देख लिया, और रुपया लगाया, फिजीकल टार्गेट पूरा किया, फाइनेन्शियल टार्गेट पूरा किया। इस वर्ष 175 लाख का प्रावधान रखा गया था किन्तु उसमें भी 90 लाख रुपये ही व्यय हो पायेंगे। सोमकामला अम्बा में 100 लाख रुपये का प्रावधान है। विधान सभा के माननीय सदस्य जो झालावाड़ जिले से आये हैं, वे जानते हैं कि यह योजना कितनी इम्पार्टेन्ट है, खानपुर तहसील से जो विधायक हैं, वे जानते हैं। कोटा के किसान इससे लाभान्वित होंगे। परन्तु 100 लाख रुपये में से 45 लाख रुपये ही व्यय किये जायेंगे। सोमकागदर परियोजना उदयपुर जिले में है। इसका बजट प्रावधान 200 में से 100 लाख व्यय किया जायगा। इसी प्रकार मध्यम परियोजनाएं और छोटी, लघु परियोजनाओं का हाल है। राजस्थान में वैसे ही पानी नहीं है। बहुत कम पानी है। हमारी प्राथमिक आवश्यकता पानी की है। जो बहता हुआ पानी है उसको बांध कर उपयोग किया जाना चाहिये, एक एक नदी हो, एक एक खाल हो, एक एक नाला हो। उस पर बांध बना कर उस बांध के सहारे राजस्थान को पानी दे सकें, इस बात की आवश्यकता है। किन्तु इस वर्ष को देखने के पश्चात् ऐसा लगता है कि सिंचाई विभाग ने इस दृष्टि से कोई विचार नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं इस नाते से कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। मेरा निवेदन है, सिंचाई मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि वे इस बात को गंभीरता से लें, एक तरफ राजस्थान सूखा है, नदियां बहती हैं, पानी की कमी है, उसके बाद भी पानी का पूरा उपयोग नहीं हो, समुचित रूप से नहीं करें, तो यह शर्म की बात है। इस पर विचार किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं इस नाते से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जितने नदी, नाले हैं, नदी नाले हो सकते हैं, वाटर पोटेन्शियल के लिये इस दृष्टि से राजस्थान का एक मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता है। जनता

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

पार्टी की सरकार ने इस नाते एक प्रयत्न किया था। स्थान-स्थान पर सर्वे करा कर, इनकी रोकथाम कर इनका उपयोग किये जाने की कोशिश की थी।

मैंने निवेदन किया कि राजस्थान में पहले ही पानी की बहुत कमी है, इसलिये जो पानी है उसका उपयोग करने के लिये राजस्थान का एक मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता है। मास्टर प्लान बनाने में छोटी छोटी बाधायें आ सकती हैं। कुछ क्षेत्रीय भावनाओं की आ सकती हैं, कुछ इम्बैलेन्सेज की मानी जाती हैं, कुछ राजनैतिक कारण माने जा सकते हैं। पिछले तीस वर्षों में कांग्रेस शासन ने इसको बनाने की कोशिश नहीं की। चाहते तो कर सकते थे पर नहीं किया क्योंकि फिर इनकी पोल खुल जाती। मालूम पड़ जाता और क्राइटेरिया निश्चित हो जाता। किसका वाटर का प्रोडक्शन अच्छा है कौन से जिले में पानी ज्यादा है, कौन से एरिया में पानी है कौन से में नहीं है, कौन सी नदी में पानी अधिक है फिर दूसरे क्षेत्रों में योजनायें बनाते, कुछ करते, तो लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते। इसलिये पिछले तीस वर्षों में यह लोग डरते रहे। वर्तमान में आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इसको राजनैतिक स्तर पर न लें, राजस्थान की बहबूदी के लिये राजस्थान को पानी देने के लिये, आप मास्टर प्लान बनायें आप इसको करने की कोशिश करें। भीलवाड़ा, चित्तोड़ और सवाईमाधोपुर यह तीन जिले हैं, इन तीस वर्षों में इन तीन जिलों के वाटर प्रोडक्शन को नकारा गया है। चिन्ता नहीं की गयी है। इसलिये कहना चाहता हूं कि अगर मास्टर प्लान बनायें तो राजस्थान को और इन तीन जिलों को प्रोत्साहन मिलेगा और इनके पानी का उपयोग हो सकेगा। माननीय सिंचाई मंत्री महोदय, मैं आपसे अपील करूंगा कि तुरन्त मास्टर प्लान की दृष्टि से नदी नालों के हिसाब से, जिलों के हिसाब से इस प्रकार का पूरा प्रयत्न करें, सर्वे करें। विधान सभा के सदस्यों को कान्फिडेंस में लें, राज करने वाले और अपोजिशन में बैठने वाले सभी को बैठकर चर्चा करनी चाहिये, चर्चा करके एक वैल प्लान्ड प्लान आप तैयार करें। तीन वर्ष में सारे पानी का उपयोग हो सके इस दृष्टि से काम करने की आवश्यकता है।

पांचना बन गया है, मैंने कहा निष्क्रियता का साल है लेकिन इसमें भी एक सिल्वर पाइन्ट है। मैं जानता हूं कि आज मंत्री महोदय अपने जवाब में इसकी चर्चा करेंगे, बार बार चर्चा करेंगे पांचना की। इस पांचना को कांग्रेस के लोगों ने लगातार रिजेक्ट किया है। 64 में योजना बना ली थी, परन्तु उसको बराबर टालते रहे और चिन्ता किसी ने नहीं की थी सवाई-माधोपुर की चिन्ता कौन करता? चिन्ता थी तो मेवाड़ की उसके बाद क्या हुआ? पांचना इतना बड़ा बांध इतने कम समय में बन गया यह श्रेय मैं आपको ही देना चाहता हूं। केवल मात्र यही एक ऐसा बांध है जिस पर खर्च का प्रावधान डेढ़ सौ लाख का था पर आपने 225 लाख कर दिये और 250 लाख भी करने की स्थिति में हैं। मैं तो आपको कहता हूं कि आपको

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

करना चाहिये परन्तु मैं जानता हूं कि आप थोड़े समय में अलाटमेंट 25 लाख का नहीं देंगे। देना चाहिये, मैं तो कहता हूं कि सिंचाई विभाग में जो कोई आफिसर हैं, जो कोई अच्छा काम करता है, उसको पुरस्कार देना चाहिये, इनाम देना चाहिये इससे जो अच्छा काम करते हैं उनको आप प्रोत्साहन दे पायेंगे और एक बात भ्रष्टाचार को और रोक पायेंगे दूसरी बात जो फाइनेंसियल और फिजीकल टार्गेट को पूरा नहीं कर पायेंगे उनके खिलाफ एक्शन ले पायेंगे तीसरी बात। यह तीनों बातें होती हैं।

इसलिए मेरा कहना है कि कम से कम सिंचाई और बिजली के आपको फिजीकल और फाइनेंसियल टार्गेट से आगे बढ़कर काम करना है और काम करने की कल्पना करनी है उसको साकार रूप देना है। परन्तु आप यह नहीं कर रहे। पिछले तीस साल में किसानों के लिये आपने कितनी कोशिश की थी? हमने रात दिन कोशिश करके तीन-तीन बार उस क्षेत्र का दौरा करके एक-एक इंजीनियर से बात करके कौन सी बात होनी चाहिये तब जाकर आज इस प्रकार की क्षमता का निर्माण हो गया है कि पांचना बन सका। केवल पांचना की बात नहीं है चित्तौड़ की बात भी करना चाहता हूं। यह बस्सी गोसुंडा। इसमें कितना समय लिया गया? क्या किया गया? इनके लिए कौनसी योजना बनाई गई? किसने चिन्ता की? इसका बराबर सर्वे और इन्वेस्टीगेशन करके जनता सरकार ने प्रयत्न किये जिसका परिणाम है कि आज बस्सी और गोसुंड़ा के पानी का उपयोग होने की स्थिति में हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सिंचाई मंत्री महोदय से कि सांगोद में सावन भादवा भी एक योजना है। इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गयी है। सी. डब्ल्यू. सी. से पास भी हो गयी है। परन्तु मुझे बड़ा कष्ट हुआ इस बजट को देखकर कि इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया उसके लिये। क्या सिंचाई मंत्री जी उत्तर देंगे इसका अपना उत्तर देते समय कन्सीव करेंगे? राजस्थान वैसे ही सूखा प्रदेश है। पानी की कमी है, सभी प्रकार के पानी की कमी है। इसके बावजूद इतनी अच्छी योजना, इतना अच्छा प्रोजेक्ट, इतने किसानों को सहायता देने वाला है। आप देखेंगे कि 10 हजार 316 एकड़ की सिंचाई करने वाला डूब में आने वाला कोई गांव नहीं डूबेगा कोई बड़ी बस्ती नहीं डूबेगी, कोई खेत नहीं डूबेगा, पहाड़ों के बीच में जो जंगल है वह डूबने वाला है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आप पर कोई आंच नहीं आने वाली है। सेन्ट्रल वाटर कमीशन ने इसको पास कर दिया। सर्वे और इन्वेस्टीगेशन वालों ने अपनी जान लगा दी। रात-रात और दिन-दिन भर बैठकर, मुझे पता है इस बात का, उन्होंने इतना अच्छा बांध बनाने की योजना बनायी मुझे बड़ा दुःख है कि इस 80–81 के बजट में एक कौड़ी का भी प्रावधान नहीं है। सिंचाई मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मध्यम परियोजना है—नदी परियोजना है यह भी हमारे छोटे किसानों को राहत देने वाली है अगर आप ध्यान दें तो 79–80 के बजट में इन पर 7 करोड़ चार लाख के खर्च का प्रावधान था और

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
80-81 के बजट में पांच करोड़ का फिर इस बार भी सिर्फ पांच करोड़ का ही प्रावधान लघु सिंचाई योजनाओं के लिये किया गया है! यह योजनायें कोई टाटा नहीं बिड़ला लगाता है। इससे कोई बड़े बड़े किसानों को फायदा नहीं होने वाला है। जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है, लघु सिंचाई योजना का मरू विकास की दृष्टि से, सूखा सम्भावित कार्यक्रम की दृष्टि से, जनजाति के क्षेत्र की दृष्टि से, उनके विकास की दृष्टि से उपयोग है जो छोटे-छोटे खेत हैं, जो छोटे किसान हैं, उनके लिये ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। स्कूल 400, 1000 हजार से 400 और लघु सिंचाई योजना पर साढ़े सात करोड़ से पांच करोड़ तो इस पर आपका कौनसा दृष्टिकोण है, कौनसी दिशा है कौनसी योजना है, कौनसा सोचने का दृष्टिकोण है? मैं कहना चाहता हूं कि लघु सिंचाई योजना के मद में पैसा बढ़ाकर जनजाति क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिये। मरू क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिये इसमें पैसा बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि छोटे खेत वालों को फायदा हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पानी के विकास की कोशिश करें जो भीमसागर है उसकी चर्चा की। पैसा कम हुआ है, जो पैसा कम हुआ है मेरा कहना है कि यह कोई ठीक बात नहीं है। आज से आठ महीने पहले सिंचाई विभाग ने लिख दिया था कि सुपरिन्टेण्डेन्ट इंजीनियर का एक अलग से कार्यालय भीलवाड़ा में खोलने की आवश्यकता है, डिवीजन नया बनाने की आवश्यकता है। इसको सभी मानते हैं सबने इसको पास कर दिया है। काफी चर्चा हो गयी है। तो अब क्या मुख्य मंत्री जी की कोठरी में पड़ा हुआ है जहां हजारों फाइलें पड़ी हुई हैं उनके बीच में दब गई हैं। इसमें मैं कहना चाहूंगा, मैं मांग करता हूं कि भीलवाड़ा में एक सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर का अलग से आफिस होना चाहिये। सिंचाई मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर कितना पैसा बजट का हो गया है लघु और मध्यम सिंचाई योजना का कितना पैसा है, वहां पर सुपरिन्टेंडेंट का आफिस और नया डिवीजन बनाने की आवश्यकता है? अगर आप चित्तौड़गढ को लें तो बस्सी गोसुंडा तो अलग है ही पर जाखम नदी भी पास ही है और सुपरिन्टेंडेंट इंजीनियर वहां रहता है उदयपुर में। मैंने पिछली बार भी मांग की थी सुपरिन्टेंडेंट इंजीनियर का ट्रान्सफर कर दिया जाय, जाखम के लिये नहीं करें पर बस्सी गोसुंडा भाखड़ा वहां पर है इसलिये वहां पर उसकी अत्यधिक आवश्यकता है, सुपरिन्टेंडेंट इंजीनियर के कार्यालय की आवश्यकता है। परन्तु तकलीफ होती है उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे, लोग कहां जायेंगे इस कारण से उसको उदयपुर से नहीं ला रहे हैं तो यह बिलकुल गलत है उसको वहां लाया जाना चाहिये।

मैं कहना चाहता हूं कि 81-82 के जो आपके लक्ष्य हैं उनको आप पूरा कर पायेंगे या नहीं जो 15 प्रतिशत इन्फ्लेशन है उसकी चर्चा करूं तो इस साल का जो बजट प्रावधान है वह और घट जायगा उसको बड़ा बताने की कोशिश की गई है, पर वह तो अलग है। आपको इसको पूरा करना ही है तो बड़े विजिलेंस की

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

आवश्यकता है। बड़ा प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हर वर्ष तीन-तीन महीने को लेकर तीन-तीन महीने के फाइनेंसियल और फिजीकल टार्गेट निश्चित करें, यह सब सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर के आफिसों में तय होना चाहिये और हर तीन महीने में इसकी रिपोर्ट करें, इतना काम हुआ है इतना बचा है। अगर आप इस प्रकार की व्यवस्था कर सकेंगे तो राजस्थान को एक दिशा दे सकेंगे राजस्थान को आगे बढ़ाने की दृष्टि से प्रावधान कर सकेंगे।

राजस्थान नहर के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। राजस्थान नहर के बारे में काफी कुछ यहां पर विभिन्न समय कहा जा चुका है। मुझे डर है कि नये राजस्थान नहर मंत्री जी आ गये हैं मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे डर है कि जो टार्गेट बजट में रखे हैं और इसके लिये जो शब्द प्रयोग किये गये हैं मुझे पढ़कर, सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी ने वित्त मंत्री की हैसियत से कहा कि कोयले की कमी है, सीमेंट की कमी है। मैंने पिछली बार भी बताया था, प्रावधान किया गया है उसके बारे में, उसको दोहराना नहीं चाहता हूं उसमें लिखा है कि हम प्रयत्न करेंगे। हम नहीं, मैं प्रयत्न करूंगा कि सीमेंट और कोयला बराबर मिलता रहे। जिस प्रकार आज बराबर मिल रहा है। तो माफ करें हमें ऐसी कोशिश नहीं चाहिये कि 31 करोड़ से 21 करोड़। पूरे 31 करोड़, 31 से 21, और यही सरकार का प्रयत्न है, उनका मुख्य मन्त्री जी का व्यक्तिगत रूप से यही प्रयत्न है, जो पहले मिला और जो इस साल मिलेगा तो राजस्थान नहर का क्या होगा ? इसके लिए आप निश्चित रूप से योजना बनावें। योजना बनाने की आवश्यकता है। मेरी आशंका है, लोग कहते हैं, भविष्यवाणी हो जाती है, लेकिन ऐसे आसार दिखते हैं कि आगे आने वाला वर्ष कहीं काला वर्ष नहीं रहे। इसलिए मन्त्री महोदय, अभी राजस्थान नहर के मन्त्री महोदय नहीं बिराज रहे हैं, उनसे तो मैं घर पर भी कह दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान नहर को नक्शे में देखने गये हैं।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) : आपने तीन साल काले किये थे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : किसी दिन सुनने को मिलेगा गंगनहर टूट गई, इससे गंगानगर के इलाके को कितनी बड़ी बाधा उपस्थित हो जायगी। इसको ठीक कराने के लिए पैसे की आवश्यकता है, योजना की आवश्यकता है।

अन्त में, एक बात और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया था, सिंचाई का विषय राजस्थान प्रदेश की रीढ़ की हड्डी के समान है, इसके दोनों स्वरूप हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार दिखाई देता है। इसका दूसरा स्वरूप भी है, समय पर निर्माण हो जाय तो लोगों को राहत मिलती है और राज्य की प्रगति होती है। इन दोनों स्वरूपों की चर्चा मैं यहां पर विस्तार से नहीं करना चाहता। जनता शासन में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत बहुत से काम किये गये, राजस्थान के

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कई योजनायें बनाई गईं। पोजीटिव अप्रोच होनी चाहिये, समय पर काम होता रहे, लोग काम करते रहें, यह चिन्ता नहीं करें कि सुविधा कब मिलेगी। भ्रष्टाचार का जो स्वरूप है इसको भी समाप्त करिये। इसमें भी राज्य की प्रगति है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : सभापति महोदय, मैं राज्य के सबसे बड़े प्रोजेक्ट राजस्थान केनाल के बारे में पिन पाइन्ट कहना चाहूंगी। मन्त्रीजी यहां पर नहीं हैं, वे होते तो ज्यादा अच्छा होता, हो सकता है थोड़ी देर में आ जायेंगे।

श्रीमती कमला : मैं बैठी हूं, आप तो कहिये।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावता : सभापति महोदय, राजस्थान केनाल का जो प्रोजेक्ट है उस पर सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है, राजस्थान केनाल दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। जितना बड़ा यह प्रोजेक्ट है, उतना ही उसको नैग्लेक्ट किया जा रहा है, यह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं। उसके कई मसलों के बारे में, बातें कही जा चुकी हैं लेकिन एक मसले के बारे में, वहां के बारे में, जो वहां के वाटर कोर्सेज हैं, उनको पक्का कराने के सम्बन्ध में, मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। वर्ल्ड बैंक से कितने ही करोड़ रुपया कर्ज मिला और यह निश्चय किया गया कि वाटर कोर्सेज को पक्का किया जाय ताकि नहर के दोनों हिस्सों की तरफ ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। इसके लिए मेरा निवेदन है कि जो वाटर कोर्सेज बनाये जा रहे हैं उनको सरकार कम्पलसरी बनाये, यह भी देखने की बात है इस बात को किसानों ने मन्जूर भी किया, यह ठीक है कि अगर कम्पलसरी न भी बनाया जावे तो वहां की जो स्कीम है वह पूरी नहीं हो सकती। लेकिन जो फायदे के लिए वाटर कोर्सेज बनाये गये हैं वे आज किसानों के लिये बड़े दुःख तकलीफ और आफत के विषय बन गये हैं, यह तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगी।

पहली बात तो यह है कि वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा लिया वह 4 प्रतिशत पर लिया गया, लेकिन आज जो कर्जा किसानों को दिया जा रहा है वहां उनसे बहुत ज्यादा ब्याज लिया जा रहा है। यह कहना कि दो गुना या ढाई गुना लिया जा रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जिस तरह से चक्रवर्ती ब्याज लिया जाता है उसी प्रकार से किसानों से वसूल किया जा रहा है। उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगी। मैं ऐसे ही एक किसान की पास बुक लेकर आई हूं और आंकड़ों के साथ उसको रखना चाहूंगी। किस ढंग से उनसे वसूल किया रहा है इसका आप मुलाहिजा करेंगे-एक किसान को 21680/ रु. खाड़े दिया गया है, खाड़े कहते हैं, वहां की लोकल भाषा में

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

वाटर कोर्सेज को। जब किसान को ऋण दिया जाता है तो बैंक के नाम जमीन को प्लेज रखा जाता है, उस किसान ने अपनी जमीन को प्लेज किया और उसको पास बुक दे दी गई। 21680 रु. बैंक से लेने के बाद, यह तय हुआ कि इसको 6 महीने में बीस किश्तों में चुकाया जायगा। अब चुकाया किस ढंग से जा रहा है, इसको देखिये। 1975 में यह कर्जा लिया गया 21680 रु. इसमें से अब तक उस किसान ने 9000 रु. चुकाये और 9000 रु. चुकाने के बाद भी 18673 रु. का कर्जा मौजूद है। इससे ऐसा लगता है मूल धन से अधिक ब्याज है, तीन हजार तो मूल धन के हैं 6 हजार रुपया ब्याज का है, और अभी उसको 18000 रु. और चुकाने हैं। 18000 रु. चुकाते-चुकाते न जाने कितना रुपया उसको ब्याज का चुकाना पड़ेगा, इस तरह से गरीब किसानों का शोषण किया जा रहा है। पुरानी कहावत है बनिया रुपया देता है तो खोप की भैंस बनाता है, इस प्रकार से रुपया वसूल किया जा रहा है

श्री महाराम चौधरी : खोपरा रो खोपो।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जनता पार्टी ने यह योजना शुरू की थी 77–78 में वही चल रही है। उसकी तरह से यह वसूल किया जा रहा है।

सभापति महोदय, वाटर कोर्सेज के बारे में मेरा निवेदन है कि जो वाटर कोर्सेज बनाये गये हैं, इसकी लम्बाई 825 फीट है और साढ़े तीन या चार फीट गहरे बनाये जाते हैं इसकी कीमत क्या वसूल की जा रही है, 19000/-रु, वह इसलिए कि वाटर कोर्सेज बीच में से होकर निकलता है, इधर की जमीन को भी पानी देता है और उधर की जमीन को भी पानी देता है। साढ़े नौ हजार इधर से और साढ़े नौ हजार उधर से लिये जाते हैं। जबकि एक्चुअली देखा जाय तो इस पर मुश्किल से साढ़े सात हजार के करीब खर्च आता है, इससे ज्यादा नहीं। यह कैसे हुआ? जो एस्टीमेट बनाये गये, बड़े विद्वानों की तरह से नक्शे बनाये गये और हैक्टेअरों के हिसाब से बनाया गया, लाखों बीघा जमीन का सारा का सारा वर्गीकरण किया गया, जैसे सूरतगढ़ ब्रान्च का किसान हुआ, रावतसर का किसान हुआ, राजलदेसर का किसान हुआ वहां की जमीन समतल है, उसके ऊपर की जमीन ऊबड़-खाबड़ है तो उसका खर्च भी उन किसानों पर बांट दिया गया। जबकि इन ब्रान्चेज का किसान अपनी जमीनों को डवलप कर चुका है। यहां की समतल भूमि है, यह कहां का इन्साफ है? जैसलमेर के टीले हैं उनका वजन भी रावतसर और सूरतगढ़ के किसानों पर डाला जाय। यदि अलग-अलग चकों का नहीं तो 50-60 चकों का एस्टीमेट कर सकते हैं, यह कहां का इन्साफ है? जो अपनी पीढ़ियों की जमीन सिंचित करते चले आ रहे हैं और ऊबड़-खाबड़ वाली जमीन है, इसको देखना आपका काम है।

मंत्री महोदय यहां नहीं हैं लेकिन मंत्री महोदया मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

हूं कि इसके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के लिए केन्द्र से 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा वहन किया जा सके। हो क्या रहा है? साढ़े सात परसेंट राज्य सरकार को देने होते हैं, साढ़े सात पर्सेंट केन्द्र से हमारी राज्य सरकार को मिलते हैं। आज से ही नहीं वहां जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री विराजमान हैं उनके राज में भी 7½ पर्सेंट राज्य सरकार किसान को नहीं दे ही नहीं रही है बल्कि केन्द्र से जो 7½ परसेंट मिलते हैं वह भी हजम कर रहे है। मैं निवेदन करूंगी कि इतने सालों से जो दिल्ली सरकार 7½ पर्सेंट देती रही है वह भी दिया जाय और राज्य सरकार से इतना ही रुपया किसान को सब्सिडी के रूप में दिया जाय। 15 पर्सेंट कोई छोटी रकम नहीं होती है। एक बहुत बड़ी रकम होती है।

इसी तरह से आपके चीफ इंजीनियर साहब का आफिस बनाया गया 40 लाख रुपए की लागत से वह भी से सारा की सारा, उसका भी खर्चा किसानों से आपने सी. ए. डी. से लिया है, उससे उनका मुख्य कार्यालय बनाया गया है। यह कहां का न्याय है? आपने चीफ इंजीनियर के लिए बनाया। राज्य सरकार की सम्पत्ति है राज्य सरकार रखे, अवश्य बनाया जाय लेकिन यह खर्चा किसानों पर क्यों डाला जाय? मैं इस बारे में आपका स्पष्टीकरण चाहती हूं और पूछूंगी कि आप इस बारे में क्या कर रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां का खर्चा?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : चीफ इंजीनियर साहब का जो आफिस बनाया गया है 40 लाख रुपए का वह भी किसानों के बैंक से रुपया लिया गया है, जिस पर वह इतना ब्याज दे रहा है, उसमें से उनका कार्यालय बनाया गया है।

(व्यवधान)

वह भी आपकी नींव रखी हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नींव लगाने का काम तो हम ही करते हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : मंत्री महोदय, मैंने जो पास बुक का उदाहरण दिया वह ऐसे किसानों का है जिसका सारे का सारा केस सुलझा हुआ है उसके खाले बनाने में भी देरी नहीं लगी। लेकिन जो वाटर कोर्स बनाए जा रहे हैं उनकी क्या स्थिति है? उस पर कितना खर्चा आएगा जबकि आपके पास कोई कोयला नहीं, उसकी वजह से ईंटें नहीं बनाई जा रही हैं, वाटर कोर्सेज बंद हो रहे हैं, किसानों के नाम से सी. ए. डी. का पैसा लेकर आपने कहां जमा कर लिया है और चक्रवर्ती ब्याज किसानों पर लगता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आपका पौने तीन साल में काम नहीं हुआ डेढ़ साल का ब्याज दे रहा है आगे पता नहीं आप काम नहीं करेंगे तो वह भी काश्तकार देगा। सबसे पहले नोट करें कि किसानों पर आजकल काम बंद होने की वजह से जो ब्याज लग रहा है वह किसानों के सिर पर तो नहीं

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

लगायें। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज के लिए मैंने निवेदन किया।

इस समय राजस्थान में कोई काम नहीं चलता। कोयला न होने से काम ठप्प पड़े हैं। जो कुछ किसानों का रुपया इनके पास जमा है वह इधर से उधर हो रहा है। अभी 60-70 लाख रुपए का घपला हुआ, उसकी इन्क्वायरी हुई है। उसमें तीन जूनियर इंजीनियर, एक्स ई. एन. वहां सस्पेंड भी किये गये हैं, यह हमारे किसानों का रुपया है, इस तरह से काम में लाया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य: 97 लाख रुपए का कारनामा है।

श्री सभापति: आर्डर प्लीज।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत: इन सारी स्थितियों के कारण राजस्थान केनाल का सारे का सारा काम ठप्प पड़ा है और सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है कि हमारा पानी चाहे वह राजस्थान केनाल का हो, चाहे भाखरा का हो, चाहे गंग केनाल का हो, हमारा हिस्सा पूरा नहीं मिल रहा है, आये दिन हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसको मैं दोहराना नहीं चाहती। लेकिन मंत्री महोदय जो हमारा पानी जा रहा है चाहे चोरी से चाहे सीना जोरी से भी जा रहा है, उसको रोकने की क्या व्यवस्था की जा रही है? हमारी गंग केनाल जो दुनियां में सबसे पक्की है आज उसकी दुर्दशा हो रही है। आज जगह जगह वह टूटी फूटी हुई है, उसकी ईंटें निकल रही हैं, और उसके दोनों तरफ टैंक्स पर घास खड़ी है। पहली बार ऐसा मौका आया। पिछले साल गंग केनाल कई दिनों तक रुकी रही, पानी नहीं दे सकी, वहां सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो हमारी जीवन-दायिनी, रक्त-वाहिनी नाड़ी है उस पर हमारी सरकार का बिलकुल ध्यान नहीं जा रहा है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि पंजाब के लोग और पंजाब सरकार हमारे हिस्से के पानी को ले रही है और आगे ज्यादा से ज्यादा लेने का वह प्लान बना रही है ताकि वह उस पर अपना स्थायी हक जमा सके, उसके लिए उन्होंने कई प्रकार की चालें चलना शुरू कर दी हैं, उनकी फसल का जो पैटर्न था उस पैटर्न को बदल दिया। पहले जो गेहूं बोते थे या जहां पर तीन बार पानी देना पड़ता था वहां पर गन्ना बोना शुरू किया, हाई ईल्डिंग वैराइटीज बोना शुरू कर दिया ताकि 5-6 बार उनको पानी दे सकें। उन्होंने जो उनकी नहरें थीं उनकी लाइनिंग करके पक्की बना लिया ताकि वाटर इन्टेंसिटी ज्यादा हो और उसके बाद में जब हमारी राजस्थान नहर पूरी होगी, हम अपने पानी का हक मांगेंगे उस समय वे आंकड़े प्रस्तुत करेंगे कि इतने सालों से हमारा पानी पंजाब ले रहा है, यह पंजाब का हक है राजस्थान का नहीं, अगर राजस्थान को यह पानी देते जायेंगे तो हमारी फसल को इतना इतना नुकसान होगा। पंजाब वाले जानते हैं कि कब्जा सच्चा और दावा झूठा। वे इसी रास्ते पर चल रहे हैं, वह पंजाब को लोस एंजिलस बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, वह ख्वाब नहीं देख रहे हैं उसके लिए प्रोग्राम भी बना रहे हैं, उनके हाथ में प्लान है कि इतना पानी लेकर पंजाब को लास एंजिलस बनायें।

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

सभापति महोदय, मंत्री महोदय हमारी समस्याओं की ओर पूरा–पूरा ध्यान दें, बल्कि वहां हाई पावर कमेटी कायम करें, जो उसका चेयरमैन हो उसके पास बहुत ज्यादा अख्तियारात हों, जो आए दिन समस्याओं को, चाहे पंजाब सरकार से जाकर मिलना हो या और कई तरह के फैसले लेने हों, उनके लेने की उसमें शक्ति हो। आज सबसे ज्यादा ताकत कहां है ? हमारे घग्घर के कारण जो डिप्रेशन्स पड़े हुए हैं आप उन डिप्रेशन्स को देखें तो हैरान हो जावेंगे कि इन्सान पर क्या बीतती है। हजारों एकड़ जमीन साफ हो गई, वहां के वाटर लोगिंग के कारण गांव के गांव उजड़ गए। मंत्री महोदय, परसों मैं उन गांवों से जाकर आई हूं। एक एक घर के पास 2–2 फीट पानी भरा हुआ है। खेती में एक-एक फुट पानी भरा हुआ है, इन्सान के लिये रहना मुश्किल है। जो चमन के गांव थे वे आज खंडहर हो गए हैं, उनका कोई रास्ता नहीं निकाला जा रहा है। वह रास्ता तब हो सकता है जब जो डिप्रेशन्स का पानी आ रहा है उसको कहीं केनाल से बाहर को निकाला जाय। उसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाय, उसमें करोड़ों रुपए खर्च होंगे तब यह व्यवस्था हो सकेगी। आप इन किसानों के खालों के रुपयों पर न चलें, राज्य सरकार जितनी मदद कर सकती है केन्द्र से कितनी मदद ले सकती है उस पर ध्यान दें।

अभी-अभी केन्द्र सरकार ने अपनी पालिसी बनाई, उसमें स्पष्ट किया है कि जहां वल्नरेबल ब्रिजेज होंगी वहां पक्के काम होंगे यानि पुल या ब्रिजेज बनाने का सवाल होगा तो 50 पर्सेंट मिलेंगे। इसी तरह से मिट्टी के कच्चे काम में केन्द्र सरकार ने सर्कूलर निकाल कर राज्य सरकारों को भेजा है कि वे 25 पर्सेंट देना चाहते हैं बशर्ते कि राज्य सरकार भी उसकी मैचिंग ग्रांट दे तो यदि आपको अपनी नान–रेकरिंग आमदनी बढ़ानी है, अगर राजस्थान को पंजाब और हरियाणा के मुकाबले में टार पर लाना है तो छोटी-छोटी बातों की ओर ध्यान न देकर इन एरियाज में नहरों के पानी के डवलपमेंट का रास्ता लेकर आगे बढ़े। आज गंगानगर जिले में एक नहीं अनेक प्रकार की समस्यायें हैं। मैं समय समय पर कहूंगी लेकिन समस्यायें इतनी गंभीर हैं और राजस्थान केनाल केवल गंगानगर में नहीं, केवल बीकानेर में ही नहीं, जैसलमेर के कोने तक है। वहां जिस प्रकार के खातेदारी के सवाल आ रहे हैं जिस प्रकार भूमि आवंटन के सवाल आ रहे हैं, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको चेताना चाहती हूं वहां जनता में गंभीर असंतोष है। इसलिये मैं दबे स्वर में यह कहना चाहूंगी, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को कि वहां पर अगर समय रहते कोई कार्यवाही नहीं की तो जो चिनगारी वहां सुलग रही है और वहां के लोगों मे अन्दर ही अन्दर भयंकर असन्तोष है वह भड़क उठेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे। मैं वहीं जाकर देखकर आयी हूं और मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि वह भी जाकर वहां पर देखें। वहां की समस्यायें, सभापति महोदय, बहुत ही काम्पलीकेटेड

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत)

हैं, वह एक दिन में नहीं, दो दिन में नहीं, दो महीनों में नहीं, चार महीनों में नहीं सुलझेंगी, इसमें समय लगेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान दें। इसके अलावा मैं यहां पर जो भाषण दे रही हूं वह आप यह न समझ लें कि मैं कोई भाषण देने के लिये ही भाषण दे रही हूं या कोई आलोचना करने के लिये ही आलोचना कर रही हूं। लेकिन मेरे दिल में दर्द है, मैं वहां जाकर आयी हूं सभापति महोदय, और मुझे वहां पर खतरा नजर आ रहा है। वह हमारी जीवनदायनी है और वह हमारे राज्य को कहां से कहां पहुंचा सकती है। वह हमें सम्पदा देने वाली है हमारे प्रान्त की सरकार को आमदनी देने वाली है, उसकी तरफ हम इस तरह आंखें मूंद कर नहीं बैठ सकते। जब मुझ से बर्दाश्त नहीं हो सका, तब मैंने यह शब्द आपके सामने कहे हैं।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, सिंचाई की मांगों पर सदन में चर्चा चल रही है और सिंचाई विभाग की तरफ से एक हरी बुकलेट भी हमें वितरित की गयी है। इस बुकलेट को देख कर मैंने समझा कि शायद हमारे देश को यह बुकलेट, जिस तरह हरी है, उस तरह हमारे प्रान्त को हरा भरा कर देगी। इसके बाद में जब मैंने उसका पन्ना उलटा तो उसमें गुलाबी रंग का पन्ना था मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह खाना खाने के बाद या पान खाने के बाद जिस तरह मनुष्य गुलाबी हो जाता है उसी तरह हमारा रंग भी गुलाबी हो जायेगा। लेकिन जब मैंने इस बुकलेट को पढ़ा तो मालूम हुआ कि इस बुकलेट में कुछ भी नहीं है। तो मुझे बड़ी निराशा हुई। सभापति महोदय, संस्कृत में एक श्लोक है।

यन्तु नद्यो वर्षन्तु पर्जन्या :
सुपिप्पला ओषध्यो भवन्तु,
अन्नवतामो दनवताम्
आभितवताम एषा राजा भयासम्।

(4.01 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदया, इसका हिन्दी में रूपान्तर यह है कि हमारे राष्ट्र में नदियां सर्वदा बहती रहें, वर्षा होती रहे और भूमि फल और वनस्पतियों से समृद्ध रहे। हम लोग धान्न की खेती करने वाले, भोज्य सामग्री उत्पन्न करने वाले और वनस्पति पैदा करने वाले राष्ट्रों में अग्रणी रहें। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि यह काम करेगा कौन? यह कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, यह जनता का काम नहीं है कि वह करेगी, यह काम राजस्थान सरकार का है, उसको इस प्रश्न को गम्भीरता से लेना चाहिये।

सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान में कुल जमीन 342.33 लाख हैक्टेअर है और उसके अन्दर सिंचित भूमि का एरिया है वह बहुत ही कम है। इसलिये सिंचाई के लिए और धान

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

की उत्पत्ति के लिये मैं राज्य सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगी कि वह इसके लिये सर्वेक्षण कराये और एक मास्टर प्लान हमारे प्रान्त के लिये बनाये । लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सभापति महोदया, कि इस वर्ष भी सर्वेक्षण के लिये जो रुपये इस किताब में रखे गये हैं वह सिर्फ 90 लाख रुपये ही रखे गये हैं । सभापति महोदया, 90 लाख रुपये की राशि तो बहुत कम है, यह पैसे तो अधिकारियों के आने जाने के पैट्रोल में ही खर्च हो जायेंगे । इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इसके लिये राज्य सरकार को लम्बे खर्च की योजना बनानी चाहिये । एक बार चाहे पैसा खर्च हो जायगा तो हो जायेगा, लेकिन इससे हमें पता तो लग जायगा । हमें पता चल जायगा कि हमारे राजस्थान के अन्दर कितनी वृहद योजनायें बन सकती हैं, कितनी मध्यम सिंचाई योजनायें बन सकती हैं और कितनी लघु सिंचाई योजनायें बन सकती हैं ।

यह हमारे लिये इसलिये जरूरी है कि हमारे यहां पर आज प्रदेश में ऐसी नदियां नहीं हैं जो कि चिर स्थायी प्रवाही हों । इसलिये हमें हमारे यहां पर बरसात में जो पानी इन नदियों में बह कर आता है उसको रोक कर बान्ध बनाकर काम चलाना चाहिये । इसके अलावा, सभापति महोदया, आज जो कुछ पानी हमें मिलता है वह अन्तर्राज्यीय समझौते के अनुसार मिलता है और वह भी पानी आजकल पूरा नहीं मिल पाता है । इसलिये हमारे पास में एक ही आल्टरनेटिव है । जब बरसात आती है तब हम देखते हैं कि पानी बरस रहा है और किसान की आंखें भी बरस रही होती हैं क्योंकि वह पानी कहीं पर भी एकत्रित नहीं किया जाता है और धरती पानी को सोख लेती है । इसलिये मेरा निवेदन है कि हमारी धरती की प्यास बुझाने के लिये हमें बान्ध बनाकर नदियों में बहने वाले बरसात के पानी को रोक कर एक मास्टर प्लान के अनुसार बान्ध बनाकर हमारे लिये खेती की व्यवस्था की जावे जिससे कि हम अपना जीवन सुरक्षित रख सकेंगे । हमें हमारे पानी को, जो कि एक अमृत है, उस अमृत की बून्द को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिये । सभापति महोदया, बरसात में पानी बहता रहता है और हम खड़े-खड़े उसको देखते रहते हैं । इसलिये सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी इस ओर मन्त्री महोदया ध्यान दें यह मेरा आग्रह है ।

सभापति महोदया, अब मैं थोड़ा जयपुर जिले के बारे में निवेदन करना चाहूंगी । जयपुर जिला हमेशा से ही या यों कहिये कि जयपुर डिवीजन हमेशा से ही उपेक्षित रहा है । हालांकि जयपुर जिला राजस्थान में सबसे ज्यादा लगान देता है फिर भी जयपुर जिले के लिये आज तक कोई वृहद योजनायें नहीं बनायी गयी, हैं । हालांकि यहां पर बनास नदी से पानी की सिंचाई योजनायें बनाई जा सकती हैं, पर इतनी इस सदन में बनास नदी की चर्चा होने के बाद भी आज दिन तक इस बजट में कोई प्रावधान विशेष नहीं रखा गया है या, सभापति महोदया, बहुत ही कम प्रावधान रखा गया है । मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगी कि चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, फिर भी कोई ध्यान बनास योजना के बारे

(श्रीमती उजर्ला अरोड़ा)

में नहीं दिया गया और हमारी धरती प्यासी की प्यासी है। अधिक लगान देने के बावजूद भी सिंचाई का साधन नहीं है. कुओं से पानी ऊपर खींचने के लिये हमारे किसानों को बिजली नहीं दी जाती है और न ही हमारे जयपुर जिले के काश्तकारों के लिये कोई सिंचाई की योजनायें राज्य सरकार बना रही है।

सभापति महोदया, बाणगंगा का पानी, जो कि भरतपुर की तरफ से हमारे जिले में बहकर आता है, भी बहकर बेकार चला जाता है। सभापति महोदया, आज पेयजल की समस्या के लिये जयपुर के लिये रामगढ़ के बान्ध से पानी दिया जाता है। पेयजल के लिये मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जब सरकार पेयजल के लिये विश्वबैंक से पैसा ले सकती है तो जयपुर जिले की योजनाओं के लिये राज्य सरकार विश्व बैंक से ऋण लेकर योजनायें क्यों नहीं बनाती है? मेरा यहां पर यह सुझाव है कि बरसात के दिनों में रामगढ़ के बान्ध से पानी की चद्दर 6-6 फुट की चलती है और पानी बेकार जाता है इस चद्दर को बहती देखने के लिये लोग यहां से जाते हैं. उस तमाशे को देखने के लिये। पर मुझे यह देख कर दुख होता है कि हमारा इतना सारा पानी बेकार जा रहा है। आज इतना पानी हम पैसा खर्च करके लाते तो कितना खर्च इस पर बैठ जाता? और वह पानी हमारा बेकार जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है। हमारे सामने हमारा पैसा, हमारा धन, यों ही व्यर्थ जाता है। सभापति महोदया, 6-6 फुट की पानी की चद्दर बहती जाती है लेकिन कभी कोई योजना इसके लिये नहीं बनायी गयी। मैं यहां पर सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहती हूं कि जो पानी बह कर जाता है उसके लिये रामगढ़ बांध के नीचे के एरिया में छोटे-छोटे बान्ध बनाकर खेती की जा सकती है और हमारी उपज बढ़ायी जा सकती है। यह बात सही है कि रामगढ़ के बांध का पानी जयपुर के पेयजल की समस्या को हल करने के लिये है, पर जो पानी नीचे फालतू बह कर जाता है, आप अन्दाज लगा सकते हैं कि कितना नुकसान इस राज्य सरकार की लापरवाही से हो रहा है। इसलिये सभापति महोदया, मेरा यह सुझाव है कि जो पानी फालतू बह कर जाता है उसके लिये छोटे बांध बनाकर खेती की व्यवस्था की जानी चाहिये। मन्त्री महोदया को यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस ओर ध्यान दें।

सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि हर साल अकाल पड़ता है और अकाल के लिये कुछ स्थानों पर स्थायी व्यवस्था भी कर दी गयी है, क्योंकि वहां पर हर साल अकाल पड़ता है इसलिये वहां पर अकाल राहत कार्य शुरू कर दिये जाते हैं। दूसरे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आदिवासी क्षेत्र कह कर वहां पर कार्य कर दिये जाते हैं पर जयपुर जिले में हर साल अकाल पड़ता है लेकिन जयपुर जिले के लिये अकाल के लिये, चाहे कोई भी सरकार रही हो, किसी ने कोई स्थायी हल करने की कोशिश नहीं की। इसलिये मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि इस ओर मन्त्री महोदया ध्यान दें। इसके अलावा, सभापति महोदया, ऐसा कहा जा रहा है कि सरस्वती नदी जो कि जैसलमेर के एरिया में सतह में भी जाती है, कहते हैं कि उसका पानी लुप्त होता जा

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

रहा है और वह पानी नीचे सतह में जाता है उसके लिये ऐसा कहा गया है अन्डरग्राउन्ड वोर्ड की रिपोर्ट पर कि जैसलमेर के एरिया में अगर सर्वेक्षण किया जाय तो चाहे पैसा लगे तो गम नहीं, हमें इसके लिये उस पानी को निकालने के लिये योजना बनानी चाहिये। सभापति महोदया, जैसलमेर का एरिया ऐसा है वहां पर पांच इंच बरसात होने में लोग दो साल का अनाज पैदा कर लेते हैं वह लोग पानी को बहुत सुरक्षित रखते हैं, घरों मे पानी के टांके बना कर पानी रख लेते हैं। वह पानी की एक बून्द भी फालतू नहीं जाने देते। इसलिये मेरा निवेदन है कि जैसा कि रिपोर्ट में जैसलमेर के क्षेत्र में नीचे के सतह में पानी है, वहां पर जब कि आज हमारी सारी नल योजनायें फेल हो रही हैं, पैसे वर्बाद हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां से नीचे की सतह से पानी ऊपर लाकर चिरस्थायी हल निकालना चाहिये। यह मेरा आग्रह है मन्त्री महोदया से।

सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी राजस्थान सरकार ने राजस्थान नहर का पैसा काट कर अपनी असमर्थता पेश की है और उन्होंने आगे इसको बढ़ाने में चिन्तन करने के अन्दर भी असमर्थता की है। वह उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकी है और जिस तरह पिछले साल में वजट के पैसे को लैप्स वहां किया गया उसी तरह मैं सोचती हूं, कि राजस्थान सरकार वहां पैसा नहीं खर्च करके अपने घाटे के बजट की क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करेगी।

मैं कहना चाहूंगी कि, मंत्री महोदय, इस बार जो आपने चमत्कार दिखाया है, ऐसी कोशिश मत करना नहीं तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। किसान आपको माफ नहीं करेंगे। इतनी बड़ी योजना इतनी अच्छी योजना के लिए तो यह चाहिए था कि कल्याणकारी सरकार तो आई, जो अपने आपको कल्याणकारी कहती है तो वह इसको पूरा करे। योजना में हमने हमेशा देखा है कि जो कम पैसा पड़ता है उसका एस्टीमेट बढ़ा दिया जाता है बजाय इसके कि इतने प्रतिशत कम किया गया। यह गलत तरीका है। जो काम यह कर रहे हैं राजस्थान नहर मण्डल पर इस तरह का वह काम नहीं करें। काम कुछ चमत्कारी और यशस्वी करके दिखायें।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जो अपने यहां भू-संरक्षण का काम किया जा रहा था, हमारे जयपुर जिले के चारों ओर पहाड़ियां हैं। मैंने आग्रह किया कि भूमि का कटाव पानी के आने से होता है इसकी रोकथाम की जाय। जब मैंने इसके लिए कहा तो मुझे कहा गया कि इसके लिए पैसा नहीं है। कुछ सीमित क्षेत्रों को ही भू-संरक्षण के काम के लिए पैसा दिया गया है। माननीय मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जयपुर जिले की यह उपेक्षा कभी बर्दाश्त नहीं की जायगी और मेरे ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जो उपेक्षा बराबर की जा रही है, निरन्तर की जा रही है, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी कि मंत्री महोदय मेरे साथ चलें और देखें कि भूमि वहां कट गयी है और दो भागों में बंट गयी है। वहां बीच में एक बहुत बड़ा नाला है, जो कि तीस फुट से ऊपर की गहराई का नाला है। भूस्खलन नरपत्यावास में हुआ और उसने भूमि को

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

दो भागों में बांट दिया है। इसी तरह से इन्द्रगढ़ में भी हुआ, वहां एक पुराने स्टेट के वक्त का बांध था यदि उसको पूरा नहीं किया तो पूरे गांव को ही बहा ले जायेगा। मैंने यहाँ के विभाग से बात की कि इस बांध को पूरा किया जाय क्योंकि मुझे शक है कि गांव बह जायगा। इस साल तो बरसात नहीं हुई वरना मुझे लगता है वह गांव बह जाता, बिलकुल उसमें कुछ भी नहीं बचता। मैं कहना चाहूंगी कि यह राज्य के काम हैं, बांध, भू-संरक्षण के काम और भूमि कटाव को रोका जाय। मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूं, मैं करने के लिए मंत्री महोदय आपसे आग्रह कर रही हूं।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जो पांच योजनायें ली गई, जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि नर्मदा पर तो खर्च किया गया, माननीय सभापति महोदया, सिद्धमुख पर पैसा खर्च नहीं किया गया। उसकी योजना ताक में रख दी गई और जो यहां पर सिंचाई का प्रगति विवरण दिया है इसमें मध्यम परि-योजनाओं में जो योजनायें ली गई हैं उसमें यह कहा गया है कि हम कुछ योजनाओं में काम करेंगे। माननीय सभापति महोदया, एक ओर यह योजनायें बनाना और दूसरी ओर यह भेदभाव रखना कि किस को प्राथमिकता देंगे वहां के लोगों में असन्तोष व्याप्त करता है। यह कतई उचित नहीं है। आप जो कहकर चलें उसको करें और अपनी मर्जी से प्लान में बांट-छांट की गई तो यह उचित नहीं है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगी कि इस विभाग को आप सोच समझ-कर चलें, इस तरह का मास्टर प्लान बनायें कि जो भूमिगत जल है उसका सर्वे करायें जिससे पेयजल, सिंचाई और भू-संरक्षण के काम में जल का उपभोग हो सके।

मेरा दूसरा आग्रह यह है कि गांवों में छोटे-छोटे तालाब हैं जो न केवल पशुओं के पीने के काम में आते हैं बल्कि सिंचाई के काम में भी आते हैं। आप जानते हैं कि जयपुर में कोई नदी नहीं, कोई नहर नहीं इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हमें उन तालाबों की मरम्मत कराने की बहुत आवश्यकता है। निश्चित रूप से मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे, ऐसी मैं आशा करती हूं।

तीसरे, मैं कहना चाहूंगी कि भूमि कटाव से बचाने के लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक पैसा जुटाकर इस कटाव को रोका जाय। मैं साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगी कि जो बरसाती नदियां हैं कावेरी और बेड़च नदी हैं वहां बांध बनाने की कोशिश की जाये। वहां काम तो हुआ लेकिन पूरा काम नहीं हुआ। मैं कहना चाहूंगी कि वह ऐसी जगह स्थित है जहां सैनिक स्कूल है और सैनिक स्कूल में कई बार अवसर आया है कि बच्चों को दुमंजिले की छत पर चढ़ाना पड़ा और तीन-तीन दिन तक उनको एक-एक चम्मच खिचड़ी पर निर्भर रहना पड़ा। वह नदी कभी भी बच्चों को बहाकर ले जा सकती सकती है। वह एकदम आती है और एकदम ही उसका विस्तार हो जाता है। मैं कहना चाहूंगी कि वहां की सुरक्षा के लिए भी यह नितान्त आवश्यक है कि इस तरह की नदियों पर निश्चित रूप से ध्यान देकर उनके पानी की रोकथाम की व्यवस्था करें।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि लूनी नदी से पानी क्यों नहीं मिला। माननीय सभापति महोदया, अगर इस पर व्यवस्था की जाय तो निश्चित रूप से लोग लूनी के पानी से काफी एरिया सिंचित कर सकते हैं और इससे जोधपुर के आसपास बाढ़ भी नहीं आयेगी। वहां ऐसी बाढ़ आती है कि सब कुछ निगल जाती है। अगर इस-बांध को नहीं बांधा गया तो हम यही समझेंगे कि हम अच्छी तरह से काम करके नहीं चल रहे हैं। मैं यही आग्रह करूंगी।

मैंने अभी मंत्री महोदया से निवेदन किया था कि गंगानगर, हनुमानगढ़ में भाखरा की जो नहर से पानी वहां के लोग ले रहे थे उनको रोकने के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला वह ऐसे समय में निकाला जबकि लोग धान बो रहे थे, लोगों को यह कह दिया कि आप धान की खेती नहीं करें। मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी से इस नोटिफिकेशन के बारे में बात की तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने मेरी बात मजाक में उड़ा दी। मुझे उत्तर दिया कि अनाज तो कहीं से भी मंगा लेंगे। तो माननीय सभापति महोदया, मैं तो इस प्रवृत्ति को भीख मांगने वाली कहती हूं। हम मांग-मांग कर कब तक खायेंगे? हमने हमेशा से राजस्थान का सिर ऊंचा रखा है और कभी बाहर से अनाज नहीं मंगाया। मैं आपको कहना चाहूंगी कि लोगों को दबाया गया, जब वह कोर्ट से अपना स्टे ले आये तो उसकी अवमानना करके बारियां फिर भी काटी गयीं। जो नोटिफिकेशन आपने निकाला उसकी कापी मेरे पास है। लेकिन वहां के अधिशासी अभियन्ता ने आपसे पुनः पूछा है, मन्त्री महोदय इस पर ध्यान दें उन्होंने कहा है,

'मेरे विचार में किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए ऐसे रकबे को अगली फसल खरीफ 71 से पुनः आरी पानी सिंचाई हेतु पुनः दे दिया जावे तो उचित होगा। कृपया इस बारे में आवश्यक आदेश दिनांक 15-4-81 से पूर्व भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि उचित समय के अन्दर बारियां अधिशासी अभियन्ता द्वारा संशोधित करके दिनांक 15-4-81 को चालू की जा सकें।"

मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि अप्रेल आ रहा है और इससे पूर्व क्या आप आदेश भिजवाने की कृपा करेंगे कि जिससे वहां किसानों को अगली फसल के बारे में लाभ मिल सके। मैं आपसे आश्वासन चाहती हूं और यह भी कहूंगी कि क्या कारण था कि न्यायालय से जो स्टे आया था उसकी अवमानना की गई?

श्री सभापति : अब मेहरबानी करेंगी आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं अभी समाप्त करती हूं।

श्री सभापति : जल्दी करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगी कि इसमें यह कहा गया है कि जो नदी परियोजनायें हैं, मैं आग्रह करूंगी कि एक कवि ने जैसा

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कहा,

"कभी तो उठती मन में बात,
कि बस सब धुन धन्धों को छोड़।
एक अचरज से मुख दृग खोल,
एक टक देखूं जग की ओर ।।

जल की तरफ देखने वालों की तरह से नहीं हूं। मैं कहना चाहूंगी कि कुछ काम कीजिये, काम करने के लिये आये हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बुलाकी दास।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : सभापति महोदया, मांग संख्या 46 और 38 के विषय में रखे गये मेरे कटौती प्रस्तावों के ऊपर मैं अपने विचार प्रस्तुत करूंगा।

राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी इलाका जहां किसी समय सरस्वती नदी 'बहा करती थी आज पानी के अभाव में' संकटग्रस्त स्थिति में पड़ा हुआ है। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को यदि हम देखें तो राजस्थान के 342.33 हैक्टेअर क्षेत्र में 81 प्रतिशत भाग ऐसा है जो कृषि योग्य है। जबकि 54 प्रतिशत ऐसा इलाका है जहां कृषि की जाती है। इस इलाके में बोये जाने वाले रकबे का 20 प्रतिशत भाग ऐसा है जो सिंचित क्षेत्र में आता है महोदया जी, राष्ट्रीय स्तर पर 21 प्रतिशत का है। जहां एक ओर हमारे देश में, जैसा कि कहा गया है, गंगा और यमुना जैसी इतनी विशाल नदियां बह रही हों, पानी की पर्याप्त मात्रा उसमें हो और दूसरी ओर देश का ऐसा इलाका जिसमें राजस्थान आता है, जहां का दो तिहाई भाग आज भी मरूस्थल के रूप में बंजर भूमि के रूप में पड़ा हुआ है। एक ओर जहां बाढ़ से विनाश लीलायें होती हैं वहीं दूसरी ओर मवेशी और मनुष्य पानी के अभाव में संकटग्रस्त स्थिति में पड़े रहते हैं। ऐसी स्थितियों का मुकाबला करने राजस्थान के एरिड जोन में गंगा और यमुना का पानी लाने के लिए जहां तक हो सके, हमें अनुसंधान करना चाहिए।

महोदया जी, राजस्थान नहर परियोजना इस प्रदेश की ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जो मूल रूप से 1958 में बनी थी और जिस पर 66.46 करोड़ रुपया प्रस्तावित थे। इस योजना के अन्दर राजस्थान में बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर जैसे सूखे इलाकों को पानी मिलना चाहिये था लेकिन अभी तक यह योजना अपने प्रथम चरण को भी पूरा नहीं कर पायी, इसमें जो बजट प्रावधान किया गया है वह बहुत कम है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 200 करोड़ रुपये की राशि खर्च हो चुकी है और लगभग 250 करोड़ रुपया और खर्च किया जाना है। छठी पंचवर्षीय योजना में लगभग 153 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान है। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि विभाग द्वारा जो प्रावधान प्रस्तुत किया गया है, उसमें छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस योजना का पूरा किये जाने का प्रस्ताव है, जबकि इस योजना को पूरा करने के लिये 250 करोड़ रुपये की राशि और चाहिये। तो यहां पर मंत्रीजी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि 5 वर्षों में जहां 250 करोड़ रुपये और चाहिये, आपने

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

छठी पंचवर्षीय योजना में 153 करोड़ रुपये रखे हैं। यह कैसे पूरी होगी ? क्या एक वर्ष में 100 करोड़ रुपया खर्च किया जा सकता है ? एक वर्ष में 40 करोड़ रुपये के ऊपर कभी खर्च नहीं हुआ है। इसलिये यह गम्भीर प्रश्न पैदा होता है कि 1985–86 में यह योजना पूरी नहीं होगी.। क्या विभाग ने कास्ट बेनीफिट एनेलाइसेस के आधार पर यह सोचा है कि ऐसी राष्ट्रीय महत्व की योजना यदि लम्बे समय के लिये होगी तो उतना ही खर्चा ज्यादा होगा, उतना ही विकास कम होगा। इस हेतु सरकार को और विभाग को पूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए कि जल्दी से जल्दी छठी पंचवर्षीय योजना में अधिक से अधिक पैसा इस योजना के लिए खर्चा किया जाकर इस योजना को पूरा किया जाना चाहिए।

राजस्थान नहर परियोजना के क्षेत्र में कई कारणों से बाधायें और विलम्ब पैदा होते हैं। उनमें सबसे बड़ा कारण है–कोयले और सीमेंट का भारी अभाव। महोदया जी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान नहर को जो कोयला दिया जाता है वह प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है, वह प्राथमिकता केन्द्रीय सरकार रेलवे वैगन राजस्थान नहर परियोजना के लिए देती है, समय-समय पर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी इस बात की आवश्यकता है कि तुरन्त विभाग की ओर से हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को और रेल मन्त्री को इस बारे में पत्रों के द्वारा और व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि कोयले और सीमेंट के अभाव में राजस्थान नहर की प्रगति में जो रुकावट आ रही है उस आने वाली बाधा को दूर किया जा सके। इस सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि राजस्थान नहर के लिए कोयला और सीमेंट के ढोने के लिए वैगन्स के लिए सुरक्षा विभाग को जो प्राथमिकता मिलती है और राष्ट्रीय महत्व के जो कार्य हैं, उनको प्राथमिकता मिलती है, वह प्राथमिकता राजस्थान नहर को भी मिलनी चाहिए ताकि यह योजना युद्ध स्तर पर पूरी की जा सके। इसके अलावा यदि रेलवे वैगन उपलब्ध नहीं कराते तो बीकानेर का जो रेलवे वर्कशाप है जो एक महीने में कई वैगन तैयार करके दे सकता है, अपने वैगन ही खरीद लें, और इसके माध्यम से सीमेंट और कोयले की ढुलाई का काम हो सके, ताकि इसके अभाव में राजस्थान नहर का कार्य बन्द न हो सके।

राजस्थान नहर परियोजना में जो दूसरी रुकावट आती है वह आती है अधीक्षण अभियंताओं की कमी, अधिशासी अभियन्ताओं की कमी और इसके अलावा स्टाफ की कमी। महोदया जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले राजस्थान नहर परियोजना में अधीक्षण अभियन्ताओं की कमी थी अब पिछले तीन महीनों में लगातार 2 अधीक्षण अभियन्ताओं की कमी की गई है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता और स्टाफ की कमी को दूर किया जाना चाहिए। पिछले तीन वर्षों में राजस्थान नहर परियोजना की जो प्रगति जनता शासन में हुई, उसका परिणाम है कि आज भी राजस्थान नहर

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

का कार्य जिस प्रगति के साथ होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है। इन तीन वर्षों में कभी 9 करोड़, कभी 7 करोड़ और कभी 12 करोड़ रुपये के बजट लैप्स हुए हैं। जनता पार्टी के शासन में आ जाने के कारण जो प्रगति होनी चाहिये थी वह नहीं हुई....

श्री यदुनाथ सिंह : इस बार कितनी लैप्स हुई ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस बार तो अभी बजट चल रहा है। 31 मार्च को पता चलेगा। कोई बजट लैप्स होने वाला नहीं है।

एक माननीय सदस्य : बाकी खा जायेंगे....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप जो कहना चाहते हैं टू दी पाइन्ट बोलिये। संक्षेप में सारी बात कहेंगे तो और लोगों को भी कहने का मौका मिल सकेगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप बीच में न बोलें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत जो कार्य अभी किया जा रहा है उन कार्यों में धनाभाव है। वर्तमान बजट में 25 करोड़ का प्रावधान रखा है इसको बढ़ाया जाय नहीं तो यह योजना लम्बे समय तक पूरी नहीं हो पायेगी। इसके अलावा राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत जो मुख्यालय स्टोर्स हैं, उनमें करोड़ों रुपये की मैकेनिकल मशीनरी बेकार पड़ी हुई है। राजस्थान नहर के 7 करोड़ रुपये की मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं, उनका उपयोग नहीं हो रहा है इसमें कोयले और सीमेन्ट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैकेनिकल इन्जीनियरों के अभाव, स्किल्ड लेबर के अभाव में, यह मशीनें काम नहीं कर पा रही हैं।

जनता पार्टी के शासन में यह स्थिति रही अर्थ वर्क के काम ठेकेदारों से कराये जायं, ठेकेदार यदि अर्थ वर्क के काम करेंगे तो नहर की लागत आती है, वह महंगी पड़ेगी। इन मैकेनिकल मशीनों का सदुपयोग करते हुए इनको काम में लेने के लिए, आप मैकेनिकल इन्जीनियरों की नियुक्ति कीजिए ताकि अर्थ वर्क के काम में इनका उपयोग हो सके नहर का काम अतिशीघ्र हो सके। महोदया जी, राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत 5 जलोत्थान योजनायें प्रस्तावित थीं। इस छठी पंच-वर्षीय योजना में इन 5 जलोत्थान योजनाओं के लिए बजट नहीं रखा गया। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि मूल रूप में गजनेर, कोलायत, फलोदी, नागोर और चूरू, सावा, इसमें डूंगरगढ़ भी सम्मिलित है, इन योजनाओं की 50 करोड़ रुपयेकी लागत आने वाली थी, इन जलोत्थान की योजनाओं को पूरा किया जाय ताकि इसके अन्तर्गत 2760 लाख हैक्टेअर भूमि में सिंचाई करने का प्रावधान किया जा सके। इसके अतिरिक्त गंगानगर चूरू जिलों के नहर सावा क्षेत्र में और चूरू के जिले में डूंगरगढ़ में गांवों को, बीकानेर तहसील के

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

गांवों को जो नहर ग्रा चुकी हैं, उसमें इन जलोत्थान योजनाओं के चालू करने से कोलायत और अजमेर क्षेत्र में 1.26 लाख हैक्टेअर भूमि सिंचित कार्यों में काम आ सकेगी। जोधपुर और जैसलमेर जिलों के फलोदी और पोकरण क्षेत्र में 0.66 लाख हैक्टेअर भूमि के ऊपर सिंचाई कार्यों के लिए जलोत्थान योजना सिंचाई के काम में आने लगेगी।

श्री परसराम मदेरणा : ये किस कट मोशन पर बोल रहे हैं, माननीय सदस्य ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर शहर के पास में महत्वपूर्ण योजनायें हैं, बीकानेर माइनर और नागार्जुन····

(व्यवधान)

श्री सभापति : पाइन्ट आफ आर्डर किया किसी ने ···

श्री परसराम मदेरणा : मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय सदस्य प्रभारी मन्त्री जी हैं, इनके पास इण्डिविजुअल चार्ज है; बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य इलेक्ट्रिफिकेशन की बात, उनके बारे में बहुत विद्वतापूर्ण भाषण दे रहे हैं और मन्त्री जी एवसेन्ट माइन्ड रहते हैं। पिछले सत्र में मैं एक घण्टे बोला लेकिन ट्रेजरी बेंचेज ने उत्तर में एक शब्द नहीं कहा। मेरी तो चुप्पी ही रखना ठीक है। "मेरे कलाम से बेहतर है मेरी खामोशी।" आप तो बोल रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हैं।

श्री रामकिशन वर्मा (राज्य मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना) : जवाब के समय दूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : महोदया जी, बीकानेर शहर के पास में बीकानेर माइनर, नागासर माइनर, बीकानेर के आसपास के इलाकों को बाग क्षेत्र विकसित करने के लिए और साग सब्जी, खेती बाड़ी के लिए ये दो माइनर योजनायें प्रस्तावित हैं, लेकिन इनके ऊपर छठी पंचवर्षीय योजना में एक भी पैसा नहीं रखा गया है। मैं यह सुझाव देता हूं कि जो मूल रूप में 2 माइनर योजनायें बनी थीं और जिससे कहा जाता था कि राजस्थान के पिछड़े हुए इलाके बीकानेर को सिंचित करने के लिए माइनर योजना लायी जा रही है, उसका लाभ मिलेगा, इनका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इन दोनों माइनर योजनाओं को पूरा किया जाय। इसके अतिरिक्त जो छोटे बांध बीकानेर में हैं, कोडमदेसर, कोलायत, गजनेर, पीलाप का बंधा, हरसोलाव, ससोलाव ये पेयजल के लिए, मवेशियों के लिए वर्षों से काम में आ रही हैं लेकिन पिछले 3-4 पंचवर्षीय योजनाओं में इसके ऊपर एक भी रुपया नहीं रखा जाता है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पिलाप का बन्धा जो रबी की फसल देता है और मगरे का एक महत्वपूर्ण इलाका है, इन इलाकों के बन्दों की मरम्मत के लिए इस छठी पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए।

महोदया जी, राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्षों से चल रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत 1975 से 21 मई, 1979 तक 30,998 लाख रुपये की आमदनी हुई जिसमें से विभाग ने 44.77 लाख रुपये वन विकास के लिए खर्च किये। बाकी राशि सरकार के पास ऐसी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

की ऐसी पड़ी है और ये दूसरी एमेनिटीज के रूप में बजट में प्रस्तावित हैं। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में बीकानेर नहर परियोजना क्षेत्र के मुख्यालय और उसके आसपास के गांवों में चल-चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, भ्रमणशील पशु चिकित्सालय, स्कूल्स, कालेजेज, सड़कों के लिए और अतिथि विश्राम गृहों के रूप में जो राशि प्रस्तावित है, इसको खर्च किया जाना चाहिए। इसके साथ ही नहर परियोजना क्षेत्र में मेटरनिटी हाल, जिम्नेस्टियम हाल, इन्डोर स्टेडियम के लिए जो राशि प्रस्तावित हैं, इसको खर्च किया जाना चाहिए। ये लगभग अगले वर्ष तक 4 करोड़ रुपये की राशि हो जायगी। इसका खर्च परियोजना क्षेत्र में किया जाना चाहिए।

महोदया जी, भू-जल विभाग, जिसके पास में रिग्स की कमी है लेकिन अकाल और अभाव से जूझते हुए बीकानेर में आगामी, मई-जून में पीने के पानी की पर्याप्त कमी होने वाली है और इसके लिए मैं विशेष कहना चाहता हूं कि यदि आने वाले समय में तीन महीनों में यदि 10 कुए बीकानेर में नहीं खोदे जायेंगे तो पानी के लिए गृह युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो जाएगी। राजस्थान नहर में पंजाब पानी नहीं दे रहा है, तीन सालों में, अब हमारे मुख्य मन्त्री जी ने प्रयास किया है और जिससे कुछ पानी मिलने लगा है लेकिन पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि आप कुए नहीं खोदेंगे, इसके लिए अतिरिक्त रिग्स की व्यवस्था नहीं करेंगे तो राजस्थान नहर का पानी एक ओर नहीं मिलेगा, और दूसरी ओर भूमिगत साधनों से पानी नहीं मिलेगा तो बीकानेर और इसके आसपास के इलाकों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए भू-जल विभाग को बीकानेर को 4 रिग्स प्रोवाइड कर अकाल और अभाव के कार्यों के अन्तर्गत 10 नए कुए खुदवाए जाने चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : आप तो सारे बजट पर बोल चुके हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं बहुत थोड़े शब्दों में, मेरा एक कटौती प्रस्ताव रहा है। महोदया जी, उपनिवेशन विभाग राजस्थान नहर के सिंचित क्षेत्र में भूमिहीन लोगों को भूमि वितरित करता है। राजस्थान में बीकानेर और गंगानगर जिले में राजस्थान के साधारण लोगों को जमीन दी गयी है और यहां तक कि दूसरे प्रान्तों के लोग भी आ रहे हैं। लेकिन बीकानेर नगर में भूमिहीन गरीब किसानों को शहरी लोगों को अभी तक जमीन नहीं मिल पा रही है। जनता पार्टी की सरकार ने धारा 15–ए में संशोधन करके बड़े किसानों और जमींदारों को जमीन दिलवायीं लेकिन राजस्थान में बीकानेर में पिछड़े हुए इलाके में आज भी किसान भूमि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि उपनिवेशन विभाग को चाहिए कि राजस्थानी काश्तकार अधिनियम के अन्तर्गत धारा 24–ई, धारा 5 में पर्याप्त संशोधन करके शिक्षित बेरोजगारों को शहरी लोगों को, भूमिहीन किसानों को नहर क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित करायें।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

(समय–समाप्तिसूचक-घण्टी)

एक मिनट में समाप्त करूंगा। इसके अतिरिक्त बीकानेर के उन लोगों को जिनको मुश्किल से भूमि मिली है, भूमि 8–10 वर्षों के पश्चात् भी उपनिवेशन विभाग निरस्त कर देता है, बेनामी शिकायतों के आधार पर। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बेनामी और बिना नाम की शिकायतों के आधार पर किसी भी व्यक्ति की भूमि को निरस्त नहीं करना चाहिए क्योंकि बड़ी मुश्किल से वे लोग भूमि प्राप्त करते हैं और विभाग बेनामी शिकायतों के आधार पर उनको निरस्त कर देता है। यह कौन सा मजाक है? इसके अतिरिक्त राजस्थान नहर में उपनिवेशन विभाग ने बीकानेर शहर की अमूल्य भूमि पर कब्जा कर रखा है, जिसकी लागत लगभग 50 करोड़ रुपए है। यह भारत सरकार को बेची जा रही है। मैं उपनिवेशन मन्त्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि यह शहरी भूमि नगर विकास न्यास को दी जानी चाहिए। नहीं तो एक ओर तो जहां विभाग काम नहीं कर सका वहां दूसरी ओर अतिक्रम कब्जा करते जा रहे हैं....

(समय–समाप्ति-सूचकघण्टी)

आधे सैकण्ड में खतम कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आधा सैकण्ड में?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आधा मिनट में। विभाग इसके ऊपर रख रखाव नहीं कर पा रहा है, दूसरी ओर असामाजिक तत्व और दीगर लोग कब्जे करके नगर की बसावट को अव्यवस्थित कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कीमत अपनी ले लें लेकिन नगर विकास न्यास को शहरी भूमि सौंप दें।

इसके अलावा....

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरतघण्टी)

श्री सभापति : श्री गोकुलचन्द शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री नानूराम।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : हमारा नाम कब आएगा?

श्री सभापति : लिस्ट के अनुसार आयगा।

श्री नानूराम (आसींद) : सभापति महोदया सिंचाई विभाग के ऊपर मैं अपने दो चार विचार रखना चाहूंगा। आज मैं अपनी बात यहीं से शुरू करता हूं कि अभी-अभी थोड़ी देर पहले कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही वहीं से मैं अपनी बात प्रारम्भ करूंगा। मैं डिटेल में नहीं जाकर केवल याद दिलाना चाहूंगा कि हमको विरोध करना नहीं आता था और उनको सरकार चलाना नहीं आता था। इसलिये भगवान ने ठीक किया कि उनको वापस उसी जगह पर बिठा दिया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अभी तो पूरी ट्रेनिंग आपकी भी नहीं हुई।

श्री न नूराम : विरोध करना तो फिर भी आसान है लेकिन सरकार चलाना थोड़ा मुश्किल है।

(व्यवधान)

सभापति महोदया, मांग संख्या 46 में माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा कि जैसा कि थोड़ी देर पहले माननीय सदस्य ने कहा इसी ओर मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरी केवल दो बातों पर आप ध्यान देंगे। पहली तो यह है कि आज सरकार का भविष्य किसानों के हाथों में है और किसानों का भविष्य सिंचाई विभाग के हाथ में है और आज का जो सब्जेक्ट है वह सिंचाई का सब्जेक्ट ही है। माननीय सभापति महोदया, जैसा कि राजस्थान के सिंचाई विभाग द्वारा किसानों को जो पानी की व्यवस्था की गई उसमें कुछ सौतेला व्यवहार किया गया। उसके लिए मेरा यह उदाहरण है कि जैसे कि राजस्थान केनाल

(4.43 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

के लिए किसी भी प्रकार की छोटी छोटी योजनायें डिपार्टमेंट की हैं, वहां पर भी किसानों को पानी दिया जाता है। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि जहां पर किसानों को छः पिलाई, सात पिलाई और यहां तक कि नौ पिलाई मिलती हैं वहां पर किसानों से जो पिलाई वसूल की जाती है, उसी प्रकार से जहां पर छोटे छोटे बांध बने हैं, उन किसानों से पिलाई वसूल की जाती है। मेरा सुझाव है कि जहां छोटे बांध डिपार्टमेंट के हैं वहां पर चार पिलाई, तीन पिलाई और दो पिलाई मिलती है तो पिलाई के आधार पर किसानों से पैसा वसूल किया जाना चाहिए।

दूसरा, मेरा एक और निवेदन है। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे भीलवाड़ा जिले में और आसींद तहसील में, जहां कि मेरा क्षेत्र है, आपने एक खारी बांध बंधवाया था। उस खारी बांध को बने करीब बीस साल हो गए। बीस सालों के बाद आज दिन तक डिपार्टमेंट ने एक नया पैसा खर्च नहीं किया। उस बांध की आज हालत बहुत खराब है। उस बांध से इस डिपार्टमेंट की दस हजार एकड़ जमीन को पिलाई होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस खारी बांध को और उसके साथ-साथ एक सरडी बांध जो हुरडा क्षेत्र में है उस बांध को माडर्नाइजेशन स्कीम के तहत वहां पर डवलप किया जावे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि करीब तीस हजार एकड़ बीघा जमीन की पिलाई हो सकती है। आज राजस्थान में भयंकर अकाल की स्थिति है। इस अकाल की स्थिति में आज किसान बिल्कुल बेघर हो रहे हैं क्योंकि पानी की भयंकर समस्या सामने है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस खारी बांध और सररी बांध को माडर्नाइजेशन स्कीम के तहत प्लान में लिया जावे और इसी फेमिन में काम शुरू किया जावे ताकि डिपार्टमेंट की जहां दस दस हजार एकड़ की पिलाई मिलती है उसकी बजाय

(श्री नानू राम)
15-15 हजार एकड़ भूमि की पिलाई डिपार्टमेंट को मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी फीडर, भोजपुरा फीडर बनाई गई। उस फीडर में करीब तीन करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है [जिसमें उदयपुर डिस्ट्रिक्ट और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का पैसा खर्च किया गया उस घोसूण्डा फीडर का भी इसी फेमिन में काम किया जावे तो उससे करीब 70 गांवों के किसानों को राहत मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, वह बहुत बड़ी फीडर ऐसी जगह पर बनी हुई है जहां पर पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका होने से वहां पर भीम तहसील, आसींद तहसील और ब्यावर तहसील, ये तीनों तहसीलें ऐसे इलाके में बसी हुई हैं कि जहां पर पानी के सोर्स के नाम पर केवल एक ही फीडर ऐसी है जिसके माध्यम से तीनों तहसीलों के किसानों को पानी मिल सकता है। अध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार इस साल अकाल की वजह से जो फेमिन का काम चल रहा है, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो फेमिन के काम चलाए जा रहे हैं वे कार्य प्लान के पैसे से चलाये जावें। यह प्लान का पैसा इसी साल फेमिन में खर्च कर दिया जावे तो जो अधूरे कार्य हैं वे पूरे हो सकते हैं। क्योंकि प्लान का पैसा डिपार्टमेंट खर्च करता है और यह पैसा धीरे-धीरे खर्च होता है। न तो गरीबों को राहत मिलती है, न ही काम पूरा हो पाते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो भी आज प्लान का पैसा है वह इस फेमिन में इसी अकाल राहत के कार्यों में खर्च किया जावे ताकि जितने भी अधूरे कार्य आज हैं वे पूरे किये जा सकें और ज्यादा से ज्यादा गरीबों को राहत मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं सेजे के बारे में। उदाहरण के तौर पर जहां जहां पर डिपार्टमेंट ने जो बांध बांधे हैं उन बांधों के नीचे कई गांव ऐसे आ गए हैं कि उन गांवों के कुओं का सेजा सूख गया है। जैसे कि ऊपर बांध बांधा और नीचे के सैंकड़ों गांव ऐसे आ गए कि उनमें जितने नीचे के गांव थे, उनके कुओं में सेजा था नदी का, वह सेज सूख गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं बांध तो आपने बांध दिए लेकिन उससे नीचे के जितने भी गांव आ गए उन नीचे के गांवों में, उन नदियों पर एनीकट छोटे छोटे और बनवा दिये जावें ताकि जो लोगों को कठिनाई हो रही है वह कम से कम दूर हो सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि हमारे आसींद तहसील में खारी बांध डिपार्टमेंट ने बनाया उस खारी बांध के नीचे के जितने भी गांव हैं उन गांवों में आज की तारीख में पीने का पानी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले में फेमिन की अभी अभी मीटिंग हुई थी

(श्री नानू राम)

उस मीटिंग में भी हमने इस बात को कहा और सरकार को भी उस मीटिंग के रिकार्ड की कापी भेजी थी लेकिन डिपार्टमेंट ने एक बात कही कि एनीकट जितने भी हैं हम नहीं बनाना चाहते है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हू कि अगर इस प्रकार का सर्कुलर सरकार के पास है तो उसमें अमेंडमेंट करके जितने भी बांधों के नीचे के गांव हैं उन नदियों पर एनीकट बनाए जावें ताकि बांध के बन जाने से लोगों के कुओं के सेजा सूख गए हैं उनको वापस राहत मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हू कि पचायत समितियों के बड़े 2 तालाब हैं। वैसे डिपार्टमेंट के तालाब तो हैं ही लेकिन पचायत समितियों के भी इतन बड़े 2 तालाब हैं, पांच पाच सो, सात सात सो एकड़ के तालाब आज हैं जिनसे पांच सो, सात सो एकड़ की पिलाई हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, उन तालाबा का कोई यूज नहीं होता है क्योंकि उन्हे पचायतों को हैंड ओवर कर रखा है पचायत समितियो ने उन पर एक नया पैसा आज दिन तक पिलाई वसूल नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हू कि जितने भी पचायत समितियो के पाच सो एकड़ के ऊपर के तालाब हैं उनको इरींगेशन डिपार्टमेन्ट को दें ताकि कम से कम पिलाई तो हो सके। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, उन तालाबों को पंचायत समिति के माध्यम से रिपेयर नहीं किया है, देख रेख नहीं की जा सकती है। पंचायत समिति को अलग से फण्ड नहीं मिलता है। इसलिये जितने भी पंचायत समिति के 500 एकड़ के तालाब हैं, उनको इरींगेशन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया जाय ताकि कम से कम रिपेयर हो सके, मोरियां बनायी जा सकें जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हू। मैं फिर माननीय सदस्य कोटा से आने वालों को याद दिलाना चाहता हू जितने भी आंकड़े उन्होंने पेश किये हैं वह सरासर निराधार हैं और आपके पास आंकड़ों के अलावा कोई चारा नहीं है। सरकार के पास बहुत योजना है, काम है, और योजना के तहत काम किया जायगा। आपको याद दिलाना चाहता हू, जैसा मैंने पहले निवेदन किया सरकार काम कर रही है, पहाड़िया जी होशियारी से काम कर रहे हैं। घबराइये मत, आप भाषण देना जानते हैं लेकिन सरकार चलाना मुश्किल है। अभी नौ महीने हुए हैं, समय आने दें।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : नौ महीने में तो बच्चा भी हो जाता है, कोई रिजल्ट है ?

श्री नानूराम : इसलिये मैं याद दिलाना चाहता हू जिस प्रकार मैंने मेरे क्षेत्र की समस्याओं को रखा है खारी और सरेरी बांध के माडर्नाइजेशन स्कीम के लिये निवेदन करूंगा।

(सदन की कार्यवाही)

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठोड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मै निवेदन करूंगा कि

(श्री खेतसिंह राठौड़)

सदन का समय 8 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय 8 बजे तक के लिये बढ़ाया गया।

मांग संख्या 46 व 38 पर विचार

मैं माननीय सदस्यों को सूचना के रूप में निवेदन करना चाहता हूं। जो आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया कि जहां बांध बन जाते हैं, नीचे के गांव और वहां के कुएं सूख जाते हैं। यह वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। कुछ विशेष क्षेत्रों के अन्दर यह समस्या भयंकर रूप धारण कर रही है। इसलिये सिंचाई विभाग को चाहिये कि यह जो समस्या है, इसका क्या इलाज हो सकता है।

श्री धाराराम।

(अनुपस्थित)

श्री रामसिंह विश्नोई : धीरज रखिये सबको अवसर मिलेगा।

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम भी इसमें जोड़ दें।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, सिंचाई का कृषि प्रधान देश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बरसात से खेती होती है। लेकिन जिन क्षेत्रों के अन्दर और जिस भू-भाग के अन्दर, राजस्थान के अन्दर बरसात अनिश्चित होती है या बरसात कम होती है वहां पर सिंचाई का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। मेरे खयाल से माननीय सिंचाई मंत्री जी हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है, जहां सब से कम सिंचाई का क्षेत्रफल कवर होता है। मेरे खयाल से जो पूरी 80 प्रतिशत खेती योग्य कृषि भूमि है, वहां केवल 20 प्रतिशत भूमि पर····

कुछ माननीय सदस्य : 17 प्रतिशत भूमि पर।

श्री रामसिंह विश्नोई : 17 और 20 प्रतिशत के बीच खेती सिंचाई से कवर होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरफ पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा और दूसरे कर्नाटक, केरल प्रान्त हैं, वहाँ का किसान नहर से सिंचाई करता है, क्योंकि सिंचाई के साधनों पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, उनको प्राप्ति होती है उन किसानों की माली हालत। और राजस्थान का ऐसा किसान जहाँ पर साल भर के अन्दर एक या दो बरसात पर निर्भर करता है, यहाँ छोटे मोटे बाँध हैं वह भी भरते नहीं हैं क्योंकि बरसात नहीं होती है, वहाँ के किसान के मुकाबले खड़ा नहीं हो सकता है। उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। उसकी माली हालत दिन-प्रतिदिन गिरती जाती है। करोड़ों रुपया बड़ी-बड़ी योजनाओं पर खर्च करते हैं, पश्चिमी राजस्थान के अन्दर बीकानेर, जोधपुर संभाग के अन्दर इसका कोई ताल्लुक नहीं रहता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मंत्री महोदय, आप सिंचाई का जब ध्यान रखें तो उस समय राजस्थान के बजट का जो करोड़ों रुपया इन बड़ी योजनाओं पर खर्च करते हैं, आखिर किसानों

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

की क्या स्थिति होगी। जो केवल बरसात पर निर्भर करते हैं, उनके लिये क्या योजना बनायी है ? वह किस प्रकार अपने परिवार, अपने क्षेत्र का किस तरह भरण-पोषण करेगा, यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है।

आज पंजाब से लेवी के रूप में लाखों टन, 30-30 लाख टन के बीच गेहूँ इकट्ठा कर लेते हैं। उसके मुकाबले में राजस्थान में केवल, कोई गंगानगर की वजह से एक लाख दो लाख टन गेहूँ इकट्ठा कर पाते हैं बाकी सारे राजस्थान के अन्दर खाने लायक गेहूँ भी उपलब्ध नहीं होता है। यह स्थिति है किसानों की। आज गांवों के किसान सिंचाई के साधनों की कमी के कारण बहुत ही महरूम अपने आपको महसूस करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय. आप भी जानकार हैं कि आज राजस्थान के पूरे पश्चिमी इलाके किस तरह से पिछड़े हुए इलाके हैं। वहां 1979 के अन्दर एक भयंकर बाढ़ प्रलय के रूप में आई थी, इससे इतना भारी नुकसान हुआ कि हमारे कई वर्षों पहले, सौ-सौ वर्ष पहले के जो बांध बंधे हुए थे वह तो खराब नहीं हुए, लेकिन हमारे राजस्थान में विशेषकर जो आजादी के बाद हमारे टेक्नीशियन और हैड इन्जीनियर से लेकर ए.ई.एन. लगे हुए हैं इनके हाथ के बंधे हैं, वह एक भी बांध जोधपुर संभाग में नहीं बचा है। मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री महोदय, आपके रहते, आप जैसे सजग नेतृत्व के अन्दर भ्रष्ट आदमी लाखों टन सीमेंट खा रहे हैं, कोयला खा रहे हैं, सीमेंट और कोयले के बजट पर करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी फिर सरकार को करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। क्या आप जांच करायेंगे कि किसने बांधे, कौन जिम्मेदार था ? इससे पहले पचास साल पहले के जो बांध हैं, वह क्यों नहीं टूटे ? जब तक इसमें नहीं जायेंगे कोई ताल्लुक नहीं रह जाता है।

करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी राजस्थान केनाल आप कहते हो पूरी नहीं होती, वह पूरी नहीं होने की। राजस्थान केनाल जो 60 करोड़ रुपयों में पूरी होने वाली थी, आज अरबों रु. खर्च होने के बाद भी पूरी नहीं होगी जो अधिकारी लोग हैं, जब तक इनके पूरे बगले नहीं बन जायेंगे, बीकानेर, जोधपुर और बड़े-बड़े शहरों में। हर आदमी की आप जाँच करलें, ऐसा कोई अधिकारी नहीं होगा, जिसका दस बीस लाख का बंगला नहीं होगा। पांच-पांच सौ वर्ष से हमारे माता-पिता, दादा, पड़दादा सबके कमाने के बावजूद यह स्थिति है कि हम गांव में पक्का मकान नहीं बना सकते हैं। जो अधिकारी इर्रीगेशन में बैठे हैं, उनके बंगले बन गये। एक अधिकारी जिसने भ्रष्ट तरीके से पैसा कमाया है, उसको सजा देंगे तो मैं समझता हूँ राजस्थान में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे। वर्ना मैं सोचता हूँ सब बकवास है।

आज सिंचाई का करोड़ों का बजट है। उसमें से 50 करोड़ रुपये इनके टी. ए. डी. ए. पर और रहन-सहन पर खर्चा हो जाता है। 20-30 करोड़ रुपये गरीब आदमी को मिलते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं, उसको बनाने के बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह पानी में बह आता है।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

जोधपुर डिवीजन में जांच कर सकते हैं वहाँ बरसात बहुत कम होती है 15-20 दिन बरसात हो गयी तो पूरा बांध गायब हो गया। जिस राज्य में अधिकारी इस प्रकार लापरवाह हैं, जहाँ भ्रष्टाचार की कोई सीमा न हो, लोगों पर अंकुश न हो, जब तक जाँच नहीं होगी, किस तरह का काम करते हैं, क्या प्रणाली है, अगर यह पूरी नहीं करेंगे तब तक हमारे सुझाव देने का कोई तात्पर्य नहीं है। चाहे आप करोड़ों रुपये लगावो, उससे कोई हल निकलने वाला नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पंजाब का किसान, गंगानगर का किसान, चंबल के इलाके में रहने वाले और बीकानेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, नागौर में रहने वाले किसानों का मुकाबला किस प्रकार से करेंगे। एक किसान 150-200 फुट गहरे कुए से पानी निकालता है बिजली की मोटर, आयल इंजन से पानी निकालता है, एक बीघा सिंचाई करने में हालत खराब हो जाती है और जो बिजली की स्थिति है एक दिन में 3-4 घंटे बिजली मिलती है। किसान बिलकुल काला हो जाता है स्थिति को देख कर। तो एक तो वह स्थिति है और एक गंगानगर, चम्बल, धौलपुर इलाके का किसान जहां नहरों से सिंचाई होती है जहां पर बहुत कम खर्चा आता है। जो खर्चा उनका होता है, मैं नहीं कहता, आपको कुदरत ने विशेषता दी है उसका उपयोग करें लेकिन सरकार का फर्ज यह है कि उनको भी सरसब्ज करना चाहिये ताकि दूसरे तरीकों से किसानों का शोषण होता है वह रुके और उनमें समानता आ सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की कुछ बात बताऊंगा। सन् 79 में, कृषि मंत्री जी से ताल्लुक रखता हो, माननीय कृषि मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जो विराजमान हैं। 79 में जोधपुर संभाग में बाढ़ की वजह से लूनी नदी के किनारे पड़ने वाले कुए खराब हो गये, उनकी जमीनें खराब हो गयीं। उन किसानों को पैसा दिया उसके लिये तो बहुत धन्यवाद लेकिन उनकी दूसरी किश्त आज तक नहीं मिली। पहली किश्त तो कर्जे की थी। आठ हजार मिलने थे जिसमें 4 हजार कर्जे के थे वह तो मिल गये लेकिन जो वास्तविक सब्सिडी के चार हजार रुपये हैं वह नहीं मिले वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा चार पांच लाख किसान महरूम रह जायेंगे यह लोन नहीं देंगे तो किसानों पर बहुत बड़ी ज्यादती होगी।

एक भटिण्डा के पास बांध के बारे में निवेदन करना चाहूँगा। 30–40 लाख रुपये में बनाया गया था वह भी 79 में टूट गया। उसके पास जो जमींदार हैं, जागीरदार हैं उन्होंने सिंचाई करके उसे वापस ठीक करने से रुकवा दिया। 10 साल पहले तो उन्होंने कोई एतराज नहीं किया लेकिन 10 साल बाद इसे वापस बनाने लगे तो मुआवजे का नाम लेकर कार्य को रुकवा दिया। मैं निवेदन करूंगा, इसमें जाँच की जाय, मैं पिछले दो साल से कोशिश करता आ रहा हूँ, अभी तक फैसला हुआ नहीं है। तो आप इसकी जांच करके इसको देखें, इस तरह का मामला भटिंडा में है जो आज से पांच साल पहले मंजूरी हुई थी लेकिन एक व्यक्ति की जमीन डूब में आ

(श्री रामसिंह विश्नोई)

गई थी उसकी वजह से बांध रुकवा दिया। मैं निवेदन करूंगा इसलिये रुकवा दिया कि पानी खराब है उसके पास ही जो बांध है उसमें पानी खराब नहीं है, सिंचाई होती है लेकिन केवल भटिंडा का इसलिये कि उस आदमी की जमीन डूब में आती है और जनता पार्टी राज में बिलासपुर, भटिंडा दोनों का कार्य रुकवा दिया, दबाव डाल कर। मैं निवेदन करूंगा कि इन दोनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और बिलासपुर, भटिंडा बांधों का कार्य रुका हुआ पड़ा है, उसको आप प्रारम्भ करवावें।

श्री अध्यक्ष : श्री हाजी चाव खां।

श्री चाव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्यों ने सिंचाई पर रोशनी डाली और अब कोई ऐसी बात नहीं रही है जो कही जाय लेकिन हकीकत यह है कि जो हाल हम देखते चले आ रहे हैं, हमारे देश का पैसा जो खर्च होता चला जा रहा है। हमारे देश को करीब 33 साल आजादी मिले हो गये लेकिन हमारे देश की हालत ज्यों की त्यों है गरीब जहां है वहीं के वहीं हैं, हम रात दिन देखते हैं। हम कहते हैं पुलिस अधिकारी भ्रष्ट हैं, रिश्वतखोर हैं। लेकिन यकीनी बात यह है कि पुलिस का सम्बन्ध सीधा जनता से है मगर सिंचाई विभाग और पी. डब्ल्यू. डी. को देखा जाय तो पुलिस रुपये में एक आना भर नहीं बल्कि एक पैसा भी इन विभागों के मुकाबले में भ्रष्ट नहीं है। देश का पैसा जिस प्रकार से खर्च हो रहा है, जितना भी खर्च किया जाता है, यह जो विभाग है, जिसको मैं देख रहा हूं क्योंकि मेरा क्षेत्र कामां है, जहां पर हर साल बाढ़ की स्थिति बनती है। राजस्थान ही नहीं बल्कि हाउस जानता है भरतपुर में नागा पहाड़ी और कामां में बाढ़ आती है जहां लाखों एकड़ जमीन गल जाती है, हजारों की तादाद में मवेशी मर जाते हैं। वहां पर मैंने सुना है कि पिछली सरकार ने 9 करोड़ रुपये मंजूर किये थे। ये 9 करोड़ रुपये कहां खर्च हुए, किस-किस जगह, कौन-कौन से काम कराये गये। अगर यही पैसा छोरी बना कर, बोरों में भर कर पानी की धारा में डाल दिया जाता तो मैं यकीन दिलाता हूं पानी अपनी धारा बदल लेता लेकिन वह पैसा हमारे अधिकारियों, कर्मचारियों और हमारे ठेकेदारों के पेटों में गया। मैं देखता हूं वहां पर जो काम हो रहा है 50 आदमी काम कर रहे हैं 500 आदमियों की हाजरी भरी जाती है, यह यकीनन है कि आज जो ठेकेदार तथा अधिकारी गणकाम करने वाले लगा रखे हैं वह तीन साल के अन्दर-अन्दर दस लाख का आदमी हो जाता है। मैं यकीन दिलाता हूं हमारे पास करीब 150 बीघा जमीन है लेकिन आज तक हमारी हालत वही है जैसी कि लोगों की चली आ रही है साल के साल गुजरते जाते हैं लेकिन हजार दस हजार भी हम नहीं कर सकते। इन लोगों के पास लाखों का धन मिल जायगा। अगर हमारे देश की हालत यही रही तो 30 वर्ष क्या 300 वर्ष हो जायं तो भी हालत नहीं बदल सकती। यही हालत रहेगी जो आज है। वहां पर जितनी सीमेंट, लोहा जाता है सारा ब्लैक में बेच दिया जाता है। जो माइनर वहां पर बनाई जाती हैं वह जगह-जगह पर मिट्टी डाल कर जिस तरह से बना दी जाती है और पैसा उनकी जेबों में

(श्री हाजी चाव खां)

चला जाता है और एक साल से दूसरे साल में उनकी निशानी भी नहीं मिलती। यह हालत है सिंचाई की।

मैं जानता हूं कि इस राजस्थान की यही हालत रहेगी। इसलिये अगर सरकार को राजस्थान के किसानों को ऊंचा उठाना है तो जो पैसा उन पर खर्च किया जाय उस पर ध्यान दे। वहां के विधायक पर यकीन करे। उनसे जांच करावे कि सही काम हो रहा है या नहीं और जब तक वे लिखित में हां न दें तब तक वहाँ पैसा मंजूर नहीं किया जाय, यह मैं आपको सुझाव देता हूं। अगर आपने इन लोगों के ऊपर छोड़ा तो जो काम हुए हैं वैसा ही होगा। काम नहीं हो सकता। यह मैं आंखों देखी हुई हालत बता रहा हूं किसी की सुनी हुई बातें नहीं हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि अधिकारी तो छोटे से छोटा है उसके पास भी 1-2 लाख की कोठी मिलेगी और हम देखते हैं जिनका तबादला हो जाता है वे 15-15 हजार रुपये इस बात के देते हैं कि ट्रांसफर कैंसिल करा दो। तो मंत्री महोदय मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपकी, हमारी सरकार इस काम पर जो भी पैसे खर्च करे, उस पर सावधानी बरते, उसकी देख-रेख करे।

हमारे 90 प्रतिशत किसान गांवों में बसते हैं, उनका सहारा जमीन ही है और वे परेशान हैं। जब कुदरत बरसात करती है, कुदरत साथ देती है तो कुछ पैदावार हो जाती है और हमारी सरकार कह देती है कि इतनी पैदावार हुई है। लेकिन जब अकाल पड़ता है, तब सरकार उस पैदावार के लिए कुछ नहीं कहती है? इसलिए जहां पर पानी नहीं है, वहां पर सरकारी साधनों से पानी पहुंचाया जाना चाहिये। गांवों में मशीनों के जरिये बोरिंग करवा कर पानी पहुंचाये। जहां पर नहर से पानी जा सकता है, वहां पर नहर से पानी पहुंचाये। हर जगह जिस तरह से हो पानी पहुंचाये। जब तक राजस्थान के अन्दर पानी की व्यवस्था सही नहीं होगी तब तक राजस्थान की हालत नहीं बदल सकती है। यह यकीनन है। राजस्थान के अन्दर 85 प्रतिशत किसान रहते हैं जिनका सारा दारोमदार पानी पर है। ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं कि हमारे मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान दें कि जो भी खर्चा करें, उसकी देखरेख करें, सही ढंग से उसका उपयोग होना चाहिये। उपयोग सही ढंग से नहीं किया तो जैसा हो रहा है वही आपको आगे भी नजर आयेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रूपलाल।

श्री रूपलाल परमार (खैरवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष होता है कि योजना आयोग द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति दे दी गई है। मैं अपने कटौती प्रस्ताव के जरिये आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज देश में, प्रदेश में अकाल की परिस्थिति है। इस अकाल में देश का किसान अन्न के बिना तड़प रहा है। हमारे जो तालाबों में पानी की मोती इकट्ठे किए थे वह जनता पार्टी के शासन में नहरें पक्की

(श्री रूपलाल परमार)

न होने से हमें पेश होकर के नालों में, गड्ढों में कीचड़ बन कर बह रहे हैं। हमारे जो अन्न के मोती हैं, तालावों में मिट्टी बह कर आ गई और जनता पार्टी के शासन काल में इस मिट्टी को तालावों से, नहरों से नहीं निकाला गया और नहरों में पानी बहा दिया। कोई व्यवस्था नहीं की उस मिट्टी को निकालने की और कोई उपाय नहीं किये इस कारण हमारे खेतों में जो मोती होता था वह नहीं हो सका। इसलिये आज राजस्थान का किसान तड़फ रहा है। जो गेहूं इकट्ठा किया गया था जनता पार्टी के शासन काल में उस गेहू का दुरुपयोग किया गया और वह गेहूं हमारे किसानों को नहीं खिलाया गया। वह गेहूं इन्जीनियर, ओवरसियर, और पूंजीपति और जनता पार्टी के शासनकर्ताओं क घर में भर गया। आज हमारा किसान बहुत ही दुखी है। यह बहुत बड़ी मेहरबानी है। अध्यक्ष महोदय, केवल भाषण देने से किसान का भला नहीं होगा, अगर बातों से ही भला हो जाता तो कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। आज जनता पार्टी के नेता भाषण देना चाहते हैं, भाषण देना सीख गये हैं और वे गुमराह करना चाहते हैं। यह बहुत बड़े दुःख की बात है। जनता पार्टी के शासन ने किसानों का भला जरूर किया, आदिवासियों का एक भला जरूर किया। क्या किया? हमारी सरकार ने आदिवासी नाम रखा था और इन लोगों ने क्या किया? आदिवासी का नाम छोड़ कर वनवासी है। क्या आदिवासी वनवासी हैं? अरे कुछ तो ध्यान रखो। यह जातियों के कितने नाम बदलोगे? सज्जनो, हम भी मानव हैं। आप भी मानव हैं। आप जितना समझते हैं उससे हम चार आना जरूर समझते होंगे।

आज आप गरीबों के नाम की दुहाई दे रहे हैं। आपने गरीबों के लिए क्या किया? गरीबों को आपने गुमराह किया। गरीबों को आपने गलत रास्ते ले जाने की कोशिश की। सज्जनो, देश का किसान, राजस्थान का किसान बहुत बड़ा ईमानदार है। वह देश की भलाई करना चाहता है। हम राजस्थानी हैं और राजस्थान का विकास चाहते हैं। राजस्थान के विकास के काम में हम लगे हुए हैं। जो हमारे नेता हैं वे हमारे देश का काम कर सकते हैं। जो कार्यक्रम हाथ में लिया है, उस कार्यक्रम से, उस दृष्टिकोण से राजस्थान के लोग मजबूत हो सकेंगे। इस देश को, गरीब को पिछड़ेपन से ऊंचा उठा सकेंगे। राजस्थान को हम महान् बनाना चाहते हैं। राजस्थान को हम शक्तिशाली बनाना चाहते हैं हम दुनिया से कुछ नहीं चाहते हम शांति चाहते हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इन दबे हुए, अनपढ़, डरे हुए लोगों को अपनी शक्ति बनाया है: यही वह शक्ति है जो दुनिया में केवल एक शक्ति है और वह कांग्रेस पार्टी के पास में है। राजस्थान का किसान अन्नदाता है। आज अन्नदाता होते हुए, आप दुहाई देते हैं किसान की और किसान के साथ क्या हो रहा है। किसान एक बीघा में कितने रोज हल चलाता है, कितने रोज पिलाई करता है, एक बीघा में कितना खाद डालता है, एक बीघा में कितना खर्चा होता है, फसल को काटता है, खलिहान में लाता है। इस पर उसका कितना खर्चा होता है। इसका अन्दाज किसान ही लगा सकता है।

(श्री रूपलाल परमार)

आज देश के समझदार लोग पंखे के नीचे बैठ कर किसान के परिश्रम की कीमत कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या अन्याय किसान के साथ हो सकता है । आज हमारी सरकार हर काम करना चाहती है । जनता पार्टी के लोग क्या करना चाहते हैं ? जातिवाद फैलाना चाहते हैं । अराजकता फैलाना चाहते हैं । आरक्षण का नाम लेकर गरीबों को नीचे खींचना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते है । सज्जनो, इस बात का आप ध्यान रखें । इस तरह से किसान को गुमराह करना अच्छा नहीं है ।

मैं आप से यही निवेदन करना चाहता हूं अगर आप हम सब का भला चाहते हैं, तो आप और हम मिल कर विकास का काम करें । अगर आप और हम लड़ते रह जायेंगे तो लड़ाई का नतीजा बुरा निकलेगा । गरीब के घर में लड़ाई होगी, वह शान्ति से नहीं रह पायेगा । उसके बच्चे शान्ति से नहीं रह पायेंगे । राजस्थान के नेता भी लड़ते रहेंगे तो विकास के बजाय विनाश हो जायेगा । यहां इनके ऊपर लिखा है, सत्यमेव जयते । इसलिए सत्य आचरण करना है । अगर यह करते हैं तो राजस्थान को सफल बना सकते हैं। आप यहां पर आये हैं, राजस्थान की जनता ने आपको वोट देकर भेजा है, राजस्थान की जनता आपसे कुछ चाहती है । क्या चाहती है ? रोटी चाहती है, कपड़ा चाहती है, अपने रहने को मकान चाहती है, वह दाने-दाने को मोहताज है और आप यह काम न करके अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं, यह बड़े दुःख की बात है।

माननीय सदस्यो, यह मौका, अवसर आपको मिला है ऐसा बढ़िया मौका मिला है जनता ऐसा मौका फिर नहीं देगी, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा । ईश्वर ने आपको आदमी बनाया है, यह आपको शुभ अवसर मिला है इसको गंवा देंगे तो फिर यह अवसर आने वाला नहीं है । आज मौका आपको मिला है, मौका आया है तो आप अच्छे काम करें तो आपका नाम भी अमर हो सकता है लेकिन मिल कर काम करना चाहिये ।

आज जानते हैं कि आज राजस्थान में छोटे मोटे तालाब हैं इन तालाबों में बांध बनाकर के आज हम इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, नहरों में लीकेज हो रहे हैं, किसानों की जमीन कीचड़ कीचड़ हो गयी है, खराब हो गयी है और जो वे उससे कमाते थे वह भी रह गया है । हम सब लोगों का मिलकर छोटे तालाबों को और नहरों का पक्का करना चाहिये । यह काम आपका और हमारा है कि नहरें पक्की हों । अगर नहरें पक्की हो जायेंगी तो मोती बिखरेंगे । वहां पर मोती पैदा होंगे । गेहूं पैदा होगा, गन्ना पैदा होगा, चावल पैदा होगा, ज्वार पैदा होगी । इन मोतियों को आप हम व्यवस्थित रूप से नहीं सम्भाल पाते हैं और रास्ते में गुम हो जाते हैं । किसान तड़प रहा है किसान तड़पेगा तो आप तड़पेंगे, कर्मचारी तड़पेंगे, पूंजीपति तड़पेंगे, सोना चांदी काम नहीं आयेगा खाने के लिये तो गेहूं के दाने ही काम आयेंगे । यह मैं आपसे निवेदन करूंगा । अब मेरी तहसील के बारे में निवेदन करना चाहूंगा ।

खैरवाड़ा तहसील ऐसी तहसील है जो

(श्री रूपलाल परमार)

उदयपुर से मिलती जुलती है खैरवाड़ा में क्या परिस्थिति है। खैरवाड़ा में सारे लोग तड़प रहे हैं आज हमारी सरकार ने कुछ व्यवस्था की है जिससे उनको सहारा मिला है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि मेरे खैरवाड़ा में एक तालाब है। गूडो बांध की नहर को पक्का करने की आप कृपा करें। वह पक्की हो जायगी तो खैरवाड़ा तहसील के कुछ लोगों को रोजी रोटी मिल जायगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरा कहना समाप्त करता हूं। एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि खेरवाड़ा तहसील में लाडवा तालाब तथा भूदर तालाब, गुडो वाला तालाब की नहरें पक्की की जावें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा कहना मैं समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा। समय सात आठ मिनट।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज कटौती प्रस्तावों के संदर्भ में आपके माध्यम से अपने निवेदन करना चाहूंगा। वैसे तो बजट में यह बताया गया है कि आज राजस्थान में सिंचाई की दृष्टि से 20 प्रतिशत जमीन पर सिंचाई होती है किन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि वास्तव में ये आंकड़े भी सही नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको जिला सवाई माधोपुर का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। सिंचाई का मुझे बताया गया है कि 107 बांधों से सिंचाई सुविधा दी गयी है। सवाई माधोपुर में इतना दिया गया है लेकिन मैंने देखा है कि नम्बर एक से 10 तक टहले जो दिये गये हैं तो इसके अन्दर जो कमाण्ड एरिया है जो घोषित किया गया है वह 42 हजार 579 हैक्टेयर है जब कि एरिया सिंचाई में है 29 हजार 242 हैक्टेयर। इस प्रकार 12 हजार 996 हैक्टेयर जमीन ऐसी है जो कमाण्ड एरिया घोषित है परन्तु उसमें सिंचाई नहीं है।

मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार जो बताया जाता है इसमें कमाण्ड एरिया बताया जाता है लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सिंचाई पूरी नहीं होती है। अमूमन देखा यह जाता है बांध बना दिये जाते हैं और टहले में रहने वाले काश्तकार रात दिन प्रतीक्षा करने के बावजूद भी अपनी जमीन को पानी नहीं दे पाते हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के टहले के लोगों को जो पानी की सिंचाई से वंचित रखा जाता है, आप सम्पूर्ण प्रयास करें उनको पानी देने के लिये। जिन नहरों के ऊपर टहलों को कमाण्ड एरिया घोषित कर दिया है और जिनसे राज्य सरकार ने लगाया हुआ टैक्स भी वसूल कर लिया है, जो भूमिहीन थे जिन लोगों को कमाण्ड एरिया में भू-आवंटन किया गया था उनसे 72–73 में सरकार ने 150 रुपये ले लिये थे और 100 रुपये और मांग रही है वे उनको लौटाये जायें इस प्रकार का मेरा आपसे, राज्य सरकार से निवेदन है।

इसी प्रकार दूसरे सिंचाई के क्षेत्र में निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में पानी की कमी है और साधनों की आवश्यकता है। मेरे सवाई माधोपुर क्षेत्र में बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है जो बहुत ही उपजाऊ है लेकिन

(श्री हंसराज शर्मा)

दुर्भाग्य यह है कि उस क्षेत्र के एक तरफ चम्बल बहती है और दूसरी तरफ बनास नदी बहती है, हमारे नीचे होकर पानी बहकर जा रहा है गंगायें बह रही हैं लेकिन वहां के किसान अपने लिये एक बूंद पानी के लिये तरसता है। वहां पर खेती के लिये काश्तकार कुआ खोदता है तो 150–200 फीट से नीचे पानी मिलता है। वहां जमीन ऐसी है कि बिना सिंचाई के भी बीघा में 15 मन, बीस मन ज्वार पैदा होती है। इस प्रकार की जो बढ़िया उपजाऊ जमीन है मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि उसके लिये चम्बल और बनास नदी की योजना पर काम आरम्भ करें तो वहां के हजारों किसान सिंचाई कर सकेंगे और जो भूखे नंगे किसान हैं उनको सम्पन्न बना सकेंगे। इस प्रकार से जो उपज पैदा होगी यह राष्ट्र के लिये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

इसी प्रकार दुर्भाग्य है कि लघु सिंचाई के अन्तर्गत, लिफ्ट सिंचाई के अन्तर्गत बनास नदी में गुड्डी गांव में और एक गांव में और योजना चालू हुयी थी, जनता सरकार के शासन काल में चालू हुयी थी लेकिन दुर्भाग्य है कि मौजूदा सरकार ने उनमें किसी प्रकार की कार्यवाही चालू नहीं की है। उन योजनाओं को चालू नहीं किया है और काश्तकारों को आये दिन इस बात की प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि कब यह योजना चालू होगी और कब हमारे खेतों में पानी पहुंचेगा और हम लहलहाती खेती करेंगे। इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जिन योजनाओं में काफी पैसा लग चुका है उन्हें तुरन्त चालू करें तो अति सुन्दर होगा।

इसी प्रकार जिन-जिन बांधों में सिंचाई विभाग द्वारा हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया है लेकिन आज की तारीख तक उन जमीनों को एक्वायर नहीं किया गया और न काश्तकारों को कोई मुआवजा दिया गया है। इस प्रकार सरकार की निष्क्रियता के कारण और राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही के कारण जो काश्तकार हैं वे परेशान हो रहे हैं। उनकी समस्याओं के ऊपर राज्य सरकार ध्यान दे। जो काश्तकार हैं, गरीब हैं और जिनकी जमीन डूब में आ गयी है और उनके पास कोई साधन नहीं रोजी रोटी कमाने का, उनको मुआवजा दिया जाये।

इसी संदर्भ में दूसरा निवेदन और करना चाहूंगा। सवाई माधोपुर में बोंली तहसील में भीमसागर एक छोटा तालाब है उसके ऊपर जो पहाड़ का पानी आ सकता है वह तभी आ सकता है जब कि इसको रेज कर दिया जाये, बढ़ा दिया जाये। अगर यह हो जाये तो इससे हजारों बीघा जमीन की पिलाई हो सकती है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तालाब को अवश्य चौड़ा किया जाये। इसी प्रकार से जिला सवाई माधोपुर के अन्दर भील और मोटेन के नीचे कम से कम 10 हजार बीघा की सिंचाई और हो सकती है इसके लिये पैसा भी मिल रहा है। इसके लिये राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि मोटेन बांध को रेज कर दिया जाये और उसका पानी

(श्री हंसराज शर्मा)

एक भील में डाल दिया जाये तो कम से कम 10 हजार एकड़ जमीन की और सिंचाई हो सकती है। उस क्षेत्र में सिंचाई होगी जहां पर कुआ 150 और 200 फीट पर खोदा जाता है। आसपास कोई नदी नहीं है और कोई दूसरा सिंचाई का साधन नहीं है। बड़ा अभागा क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको रेज करें और रेज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा किसानों को पानी दिया जा सकेगा।

इसी प्रकार से हमारे सवाई माधोपुर नगर में सन् 52 में एक सर्वे किया गया था, बरसाती नाला आता है तो सवाई माधोपुर में जो हरिजनों की आबादी है, पानी उसमें चला जाता है जिससे लोगों का सामान बह जाता है। जनता पार्टी के शासन काल में इसके लिए एक योजना बनाई गई थी उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए 17 लाख रुपये मन्जूर किये गये थे। जनता शासन में 6 लाख रुपये लगा कर इसका निर्माण किया गया था। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आज यह दुर्भाग्य की बात है कि उसके बाद जो मौजूदा सरकार है उसने कोई ध्यान नहीं दिया। जो पैसा लगाया गया उसका भी सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करूंगा कि उस नाले को कटाव से बचाने के लिये जो योजना का पैसा है उसको मन्जूर किया जावे और गरीब लोगों को बचाया जाय। उस पर पांच छः लाख रुपया और लगा दिया जाता है तो उचित होगा।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मेरा निवेदन यह है कि छोटे छोटे नाले हैं उस इलाके के अन्दर, और बहुत बड़े नाले भी हैं, उनसे खेती की जमीन में कटाव आता है। कटाव की वजह से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैंने आज यह भी देखा कि सिंचाई विभाग ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और यह बताया है कि सवाई माधोपुर में 107 बांध बनाये गये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक भी बांध के नीचे एक भी बीघा जमीन सीपेज से या वेस्ट वीयर से खराब नहीं हुई। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 107 बांधों की बात इसमें कही गई है, इस प्रकार का झूठा विवरण सरकार को शोभा नहीं देता है। चूंकि घण्टी बज गई, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्रगति रिपोर्ट है, बहुत ही सुन्दर ढंग से प्रस्तुत की गई है, इसमें बीस सूत्री कार्यक्रम का पालन किया गया है और जिस प्रकार से परिवार नियोजन का सूत्र है उसी प्रकार से 9 महीने तक पहाड़ियाजी ने भी तीन मन्त्रियों से काम चलाया। इस प्रकार से उन्होंने भी परिवार नियोजन का सिद्धान्त अपनाया है, इस बात के लिए तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन वे तीन मन्त्री योग्य साबित नहीं हुए हैं, इतना ही कहना चाहूंगा, जैसे उदाहरण के रूप में वन विभाग के मन्त्रीजी हैं—

"अलविदा हो हिन्द से,
इन्साफ जन्नत को गया,
मकलूफ की इमदाद को,
तीन बेटे रख गया।

(श्री हंसराज शर्मा)

सबसे बड़ा रिश्वत अली,
छोटा खुशामद बेग है.
मझला सिफारिश खान है,
जिनकी निराली शान है,
कत्ल के भी जुर्म में,
रिश्वत अली की जीत है,
काबलियत कुछ हो न हो,
फिर भी खुशामद बेग है।

इस प्रकार से पहाड़िया जी की सरकार ने परिवार नियोजन का पालन किया है, लेकिन राजस्थान के विकास का उन्होंने तावड़ किया है, ऐसा समय कभी नहीं आने वाला है। पहाड़ियाजी रहेंगे तो शासन का विकास नहीं हो सकता है। इतना ही कह कर अपनी बात को समाप्त करता हूं, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री नारायणसिंह। (अनुपस्थित)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में बहुत से सुझाव दिये हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई की जो व्यवस्था की जाती है वह सरकार के द्वारा इस रूप में की जाती है कि जैसे वे किसी की मदद कर रहे हों। यदि हिन्दुस्तान चलाना है तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश के अन्दर सिंचाई का कार्यक्रम किसी व्यक्ति पर नहीं छोड़ा जा सकता इसलिए सिंचाई की अहमियत को स्वीकार करते हुए यह निश्चित करना पड़ेगा कि सिंचाई का काम सरकार का है। जितनी भी हमारे प्रान्त में सिंचाई योग्य भूमि है, उस चप्प चप्पा जमीन पर पानी पहुंचाने का कार्य सरकार का होना चाहिये। जब राजस्थान सरकार इस बात को स्वीकार करेगी तो निश्चय ही जो हमारी योजनायें हैं वह विकासोन्मुख होंगी। तो मैं आपके जरिये माननीय सिंचाई मन्त्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक जो कुछ नहरें और बांध बने हुए हैं केवल उन्हीं से सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिये, यह काफी नहीं है। अगर इसी हिसाब से चला जायगा तो आने वाले सौ सालों में भी हम अपने प्रान्त की पूरी जमीन को पानी नहीं दे पायेंगे। हमारा देश और हमारा प्रान्त एक कृषि प्रधान प्रान्त है, उसकी जमीन को अगर पानी नहीं दिया तो निश्चित रूप से विकास नहीं हो सकेगा। इसके लिये सरकार को चाहिये। सरकार यह निश्चय कर ले कि पानी देना हमारा काम है, यह किसानों के ऊपर कोई अहसान की बात नहीं है। किसान अपनी फसल को तैयार करके उसको बाजार में ले जाता है, इस प्रकार से उसको उसका अच्छा दाम मिल सकेगा। इस प्रकार से बाजार अनाज पहुंचाने का जिम्मा किसान का होगा तो निश्चित रूप से हम तरक्की कर पायेंगे। इस योजना में सारी जमीन पर सिंचाई हो सकेगी।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। खास तौर से राजस्थान में और जिसमें जयपुर जिला भी आता है, जहां पर कोई बड़ा बांध नहीं हो,

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

और नहर लाने की गुंजाइश भी नहीं हो, रियासत के समय में कुछ बांध बनाये गये थे, मेरे क्षेत्र जमवा रामगढ़ में भी एक बांध था और उस समय उसमे सिंचाई होती थी, लेकिन दुर्भाग्य से बाद में इस बांध से जयपुर शहर को पानी दिया जाने लगा जिससे जिस जमीन की सिंचाई होती थी वह सूख गई। शहर को पानी दिया जाने लगा, यह अच्छी बात है लेकिन उस जमीन की सिंचाई के लिए भी दूसरी योजना तुरन्त बनायी जानी चाहिये थी। आज उस इलाके की खराब हालत हो रही है।

इसी प्रकार से कई ऐसे बांध भी हैं जो पहले के बने हुए हैं और जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं वहां पर बड़े बांधों की गुंजाइश नहीं है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो कुओं से सिंचाई की जाती है, वहां पर कुओं का जल स्तर गिरता जा रहा है। इसके लिये दो-दो किलोमीटर पर छोटे-छोटे एनीकट्स बनाये जाने चाहिए इससे निश्चित रूप से कुओं के जल स्तर में वृद्धि होगी और खुशहाली बढ़ सकेगी।

जिन गांवों में आज कल ऐसी व्यवस्था है, कुओं में पानी सूख गया है उनका सर्वे कराकर जयपुर जिले के लिए विशेष योजनायें बनायी जानी चाहिए।

सिंचाई विभाग की यह प्रचलित प्रथा है कि वे तब तक बांध नहीं बनाते जब तक कि प्रतिशत के हिसाब से बेनिफिट नहीं हो। मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि एनीकट्स के जरिए कुओं में पानी का स्तर बढ़ेगा, इसके लिए योजनायें बनायी जानी चाहिए, जहां पर कोई बड़ी नदी या नाले नहीं हैं वहां पर एनीकट्स बनाए जायं, यह एक जरूरी प्रश्न है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में भूमि कटाव की भयंकर समस्या है इसलिए बांदीकुई और जमवारामगढ़ तहसीलों में जायं तो प्रत्येक पंचायत में 5-7 नाले ऐसे हैं जिनकी गहराई 30-40 फीट है। उनके अन्दर ज्यों ही बरसात पड़ती है 5 दिन के बाद नदी नालों से आगे चला जाता है और कुओं में नहीं रह पाता है। इससे भूमि कटाव भी होता है और कुओं का पानी कम होता हुआ आगे सरक जाता है। इसलिए छोटे-छोटे एनीकट्स बनाये जायं, उससे भूमि कटाव रुकेगा और कुओं में पानी पड़ेगा। साथ ही भूमि के कटाव को रोकने के लिए यह जो कंटूरबंदी और नाला बंदी है, इसका प्रोग्राम जरूरी है। भूमि संरक्षण का विभाग है। जयपुर जिले में साधारण तरीके से कहीं किया होगा लेकिन दो तहसीलों का एक नमूना आपके सामने पेश करता हूं 20-20 30-30 फीट गहरे नाले पड़े हैं चंबल की तरह। जमवारामगढ़ और बांदीकुई में इस तरह की व्यवस्था भूमि संरक्षण विभाग की ओर से नहीं की गई है। मेरा सुझाव है कि अविलंब भूमि संरक्षण की योजनायें बना कर हमको उधर जाना चाहिए।

सिंचाई विभाग में व्याप्त भयानक भ्रष्टाचार की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। वैसे तो भ्रष्टाचार के मामले में लोग पुलिस को बहुत ऊंचा खिताब दिया करते थे किन्तु मुझे खेद है

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज

कि सिंचाई विभाग ने सारा पट्टा पुलिस से छीन कर अपने पास कर लिया है। सिंचाई विभाग के जितने भी कार्यक्रम हैं उनमें बहुत भारी गड़बड़ी है। खास तौर से जनता पार्टी के राज में जो तीन साल में भयंकर इस प्रकार की गड़बड़ियां फैली हैं मैं नाम तो क्या बताऊं, भूतपूर्व सिंचाई मंत्री जनता पार्टी के, मेरे जिले में दौसा सब डिवीजन में 1.34 लाख के मिट्टी के फर्जी मस्टर रोल पेश किये गये और एक पैसे की मिट्टी भी कहीं उठाकर किसी जगह नहीं डाली गई। इसके बाद लगभग 150 जयपुर खंड में और 85 दौसा खंड में इसी प्रकार 235 आदमियों को विशेष विचारधारा के लोगों को फर्जी नामों से मजदूरी और दूसरे प्रकार के मुन्शी, मिस्त्री और ड्राइवरों के नाम से फर्जी रोल पर रखा गया और उनको हर महीने मुफ्त की तनख्वाह चुकाई जाती थी। मुझे यही ज्ञात हुआ है कि उनमें जो फर्जी तनख्वाह दी जाती थी 235 आदमियों को माहवार, वह दो साल तक चलती रही। उसमें से एक हिस्सा इस प्रकार से जुटाया गया जिससे आर. एस. एस. का भवन खड़ा किया गया, जयपुर और कोटा और दूसरी जगह जो आर. एस. एस. के भवन बनाए गए हैं उनमें सिंचाई विभाग का पैसा लगा है।

अध्यक्ष जी, सिंचाई मंत्री को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि जब राज्यपाल का शासन हुआ तो एक एडमिनिस्ट्रेशन संबद्ध एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड किया गया, मैंने सुना है कि उनकी मदद के लिए बहुत से लोग आतुर हो रहे हैं और सारे भ्रष्टाचार को दबाये जाने की कोशिश की जा रही है। एक जो मेरी दूदू तहसील में बांध है उसके नवीनीकरण के नाम पर कोई दो हजार कट्टे सीमेंट के, साथ में कितनी बजरी, और कितने मजदूर, कारीगर और पैसा खर्च होता है परन्तु एक कट्टा सीमेंट भी कहीं लगाकर नवीनीकरण नहीं किया गया। जनता पार्टी के राज में उसका फर्जी गोलमाल करके हजम कर गये ....

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

तो, सिंचाई मंत्री, यह जो फैला हुआ भ्रष्टाचार है जिसकी जांच चल रही है उसमें किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाय और जो भी गलती करने वाले अधिकारी या दूसरे लोग हैं उनको सजा दी जानी चाहिए। मैं इस मौके पर जनता के धन की गाढ़ी कमाई को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए सिंचाई मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं खास तौर से कि जनता पार्टी के तीन साल के शासन से लगा हुआ मुंह का खून है वह साफ करवाने की कोशिश करें और उनकी आदत छुड़ाने की कोशिश करें। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जुडिशियल इन्क्वायरी करायें।

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : भ्रष्टाचार तो अब बढ़ा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अनंग कुमार जैन : गवर्नमेंट होस्टल में जे. ईएन. 5000, ए. ईएन. 10 हजार····

(व्यवधान)

श्री भैरू लाल भारद्वाज : उस अधिकारी के पैसे का आधा हिस्सा आर. एस. एस. के भवन में गया है और आधा उसके घर गया है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : × × × शर्म खाओ थोड़ी····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिसिंह कुम्हेर।

श्री नाथू सिंह : आन ए पाइंट आफ एक्सप्लेनेशन। एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा।

श्री नाथू सिंह : उस समय मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधि था।

श्री अध्यक्ष : कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है इसलिए स्पष्टीकरण का प्रश्न नहीं उठता। आर्डर प्लीज।

श्री नाथू सिंह : माननीय सदस्य ने सरकार पर डाइरेक्ट आरोप लगाया है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इसमें कोई स्पष्टीकरण का प्रश्न नहीं होगा। समय जा रहा है।

श्री नाथू सिंह : उनसे संबद्ध अधिकारी हैं। कोई हमारी पार्टी से लेना देना नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, आजादी के 30 वर्ष पश्चात् भी आज यह बात अक्षरश: सही है कि भारत में कृषि उद्योग ही नहीं अपितु जीवनयापन का केवल एक मात्र साधन है और उसका कारण यही है कि कृषि आज भी इज ए गैम्बल इन रेन्स। जब तक कृषि में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होंगे तब तक यही व्यवस्था बनी रहेगी और हिंदुस्तान के 80 प्रतिशत लोग हैं जो कृषि पर आधारित रहते हैं उनकी दशा सुधारना मुश्किल हो जायगा। श्रीमन्, अभी इस सदन में पश्चिमी राजस्थान की बहुद्देशीय योजनाओं के संबंध में, राजस्थान नहर के संबंध में, काफी विस्तार से विचार हो चुका है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसकी कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं।

कुम्हेर क्षेत्र भरतपुर जिले में राजस्थान में सबसे घनी आबादी का क्षेत्र है। 1971 की सेन्सस के आधार पर जब कि राजस्थान का घनत्व प्रति किलो मीटर 71 है वहां पर

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हरि सिंह)

184 था और आज जब राजस्थान की आबादी का घनत्व 91 के करीब है तब उस क्षेत्र की आबादी का घनत्व 270 के करीब है। यह अवश्य है कि वहां की आबादी और इस आबादी में 80 से अधिक किसान हैं। जहां तक कृषि का संबंध है भरतपुर जिले में जब कि राजस्थान की औसत सिंचित भूमि 20 पर्सेंट है, वहां की औसत सिंचित भूमि केवल मात्र 19 पर्सेंट है। उस जिले का क्षेत्रफल 8 लाख हैक्टेयर है उसमें से 6.22 लाख हैक्टेयर में कृषि होती है और उसमें 1.17 लाख हैक्टेयर सिंचित भूमि है। इन आंकड़ा को देखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि उस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधायें बढ़ाई जायें। यह इस प्रकार का जिला है जिसमें न कोई चिर प्रवाही नदी है न चिर प्रवाही नहर ही है। वहां पर जो सिंचाई का साधन है, इनन्डेशन टाइप का साधन है। पानी आता है छोटे छोटे बांध बने हुए हैं उनसे रोका जाता है। उसके बाद दूसरे बांध से निकलता हुआ पानी आगे चल कर यूं का यूं निकल जाता है। इसलिए यह जरूरी है।

उस क्षेत्र में भरतपुर फीडर नाम की नहर आज से 10 वर्ष पूर्व बनाई गई थी उसमें समझौता यह था कि उत्तर प्रदेश से पानी मिलेगा बरसात के दिनों में। 45 दिन वहां पानी मिलेगा। 300 क्यूसेक्स पानी बरसात के दिनों में प्रतिदिन मिलता रहेगा। दुर्भाग्य की बात है पिछले 3-4 सालों में नहर में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। स्थिति यह है कि उस नहर की देखभाल, उसका रख रखाव भी आज ठीक नहीं है। अनेक स्थानों पर अवरोध है, उनकी लाइनिंग कच्ची है, वह खराब हो चुकी है, उसमें घास खड़ी है, उनकी वजह से पानी का बहाव ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त वहां पर वेंर के पास इस प्रकार का पुल बनाया गया है उसमें 300 क्यूसेक्स पानी नहीं निकल सकता। 300 क्यूसेक्स पानी अगर यू. पी. से आए तो पुल ऐसा बनाया गया है कि उसमें से 300 क्यूसेक्स पानी निकलता ही नहीं है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, एक बात यह है कि यू.पी. पर दबाव डालकर उस नहर में प्रतिवर्ष जितना समझोता है उस समझोते के हिसाब स पानी लिया जाय।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, इस नहर के रख रखाव को ठीक कराया जावे और वेंर के पास जो पुल है।

श्री अध्यक्ष : हम तो यह आपसे उम्मीद लगाये बैठे हैं। वहां भी यह हाल है तो और जगह क्या होगा।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो जो सच्च बात है वह निवेदन कर रहा हू। मेरे क्षेत्र में तो सिंचाई का अत्यधिक अभाव है। यह नहर है जो जीवन दान दे सकती है। उसमें 300 क्यूसेक्स पानी बरसात में और बरसात के बाद भी दिया जाये तो वहां सिंचाई की सुविधा हो सकती है, एक तिहाई भाग में। वैसे, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां सिंचाई के लिये नहर तो आ नहीं सकती है। इसलिये वहां पर पाताल फोड़ कुए बनाये जायं जैसा कि राजाखेड़ा मे है। अगर आप वहां पाताल फोड़ कुए बनाने ती

(श्री हरि सिंह)

सुविधा राज्य सरकार से दिला दें तो वहां के एरिया के लोगों की पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं।

दूसरी बात जो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा, वह सुझाव के रूप में यह है कि चम्बल जो धौलपुर के पास से गुजरती है उसके पानी को रोक कर अगर धौलपुर के पास या सवाई माधोपुर के पास उपयुक्त स्थान देख कर, कोई वाटर टावर को देख कर बांध बनाया जावे तो मैं आशा करता हूं कि वहां किसानों को सिंचाई की राहत मिल सकेगी।

श्री परसराम मदेरणा : वह धौलपुर के पास नहीं राजा खेड़ा के पास बन सकता है।

श्री हरिसिंह : यह कहां बन सकती है और कहां नहीं, यह तो आप दोनों के बीच की बात हो सकती है। मैं तो क्या कर सकता हूं। मैं तो यही निवेदन कर सकता हूं कि आप टेक्निकली जगह को देखकर अगर कोई व्यवस्था करावें तो जहां भी नेचरल फ्लो पानी का हो वहां योजना बनायी जावे। इसके अलावा अगर यह व्यवस्था नहीं हो सके तो लिफ्ट सिंचाई योजना बनायी जाय जिससे वहां के काश्तकारों को सुविधा मिल सके। यह न केवल आपके भरतपुर जिले के ही लोगों को बल्कि जयपुर और सवाई माधोपुर जिले के लोगों को पानी सिंचाई के लिए मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, यहां मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में यहां पर चर्चा चली थी गुड़गांवा नहर के बारे में। उसकी भी गुंजाइश है यह नहर अभी तो डीग के पालोदी गांव तक ही बढ़ाई हुई है। इसको अगर आप आगे कुम्हेर तक बढ़ा दें तो हमारे कुम्हेर क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सकती है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि इस नहर को कुम्हेर तक बढ़ायी जावे।

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त हमारे उधर बाण गंगा नदी जो कि नदबई के पास से गुजरती है उससे नहर निकाली हुई है उसको खुरमपुरा के नाम से पुकारते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसकी योजना बनी हुई है। इस नहर को हमारे यहां लाया जावे तो सिंचाई की काफी सुविधा मिल सकती है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित ही है अभी तक यह योजना स्वीकृत नहीं हुई है। इसलिये मेरी राज्य सरकार से यह मांग है कि आप इस योजना को पूरी करावें और सिंचाई के साधन हमारे यहां के किसानों के लिए बढ़ायें। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, वह यह है कि आज से दो तीन साल पहले भरतपुर जिले में बहुत बुरी तरह से बाढ आयी थी और राज्य सरकार ने इसके लिए साढ़े सात करोड़ रुपये खर्च किये थे, जब कि मेरा अनुमान है कि उस बाढ़ के कार्य के लिए ढाई करोड़ से ज्यादा खर्चा नहीं हुआ होगा। इसमें साढ़े सात करोड़ में से ढाई करोड़ से अधिक खर्चा हुआ है, वहां पर धन का दुरुपयोग हुआ है। इसके लिये मैं राज्य सरकार को आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इसके लिए जांच करा कर पता लगावें कि

(श्री हरिसिंह)

किस स्तर पर गड़बड़ी हुई है, किस अधिकारी का उसमें दोष है, क्या प्लान बनाने में कोई दोष हुआ या और कोई अधिकारी ने गलती की। जहां पर भी दोष हुआ है, उसकी जांच करायी जावे और दोषी अधिकारियों को सजा दी जाय। इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार को यही निवेदन करता हुआ अपने कटौती पेश करता हूं कि मेरा क्षेत्र कुम्हेर जहां से मैं आया हूं एक पिछड़ा क्षेत्र है उसमें कुल सिंचाई के साधन 19 प्रतिशत ही हैं। वहां सिंचाई की सुविधायें बढ़ायी जायं और किसानों को राहत दी जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर सदन में माननीय सदस्यों ने राजस्थान कैनाल की बात कही और वृहद सिंचाई योजनाओं के बारे में कहा, लघु सिंचाई योजनाओं के बारे में कहा और कई लघु सिंचाई योजनाओं के बारे राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान झुंझुनू जिला, सीकर और चूरू जिले की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय झुंझुनू जिला हमारे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में अपनी शान रखता है। आपको झुंझुनू के किसान के बच्चे नेफा और लद्दाख में मिल जायेंगे। यह झुंझुनू, सीकर और चूरू जिले हमारे हिन्दुस्तान के गौरव हैं। लेकिन जब हम राजस्थान सरकार की ओर देखते हैं तो हमें यह दुःख के साथ कहना पड़ता है कि झुंझुनू जिले को और सीकर और चूरू जिले को इस तरह इस सरकार ने नकारात्मक तरीके से नकारा है जिसका आप अन्दाज नहीं लगा सकते हैं। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि न केवल सिंचाई के लिए ही बल्कि शिक्षा के मामले में भी झुंझुनू जिले में कोई भी गवर्नमेंट कालेज नहीं है और न ही कोई सीकर जिले में ही गवर्नमेंट कालेज है। आज राजस्थान का करोड़ों रुपये का बजट इन मदों पर खर्च होता है लेकिन झुंझुनू जिले और सीकर तथा चूरू जिले के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हम सन् 47 से बार-बार सरकार से निवेदन करते आ रहे हैं, इस विधान सभा के अन्दर हमारे जितने भी झुन्झुनू जिले के विधायक रहे हैं, सभी ने मांग की है, इस सदन में कटौती प्रस्ताव के जरिये से और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय पर और बजट के समय वाद-विवाद के समय पर। लेकिन इतने सभी मौकों पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहने पर भी मुझे दुःख और खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने कोई तवज्जह नहीं दी। आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अध्यक्ष महोदय, सन् 1974 में जवाहर नहर के बारे में योजना बनायी गयी। अध्यक्ष महोदय, यह योजना अन्डर कन्सीडरेशन है। इसके लिए हम राज्य सरकार को बार-बार लिखते रहे हैं पर कोई

(श्री लच्छू राम)

कार्यवाही नहीं की गयी। अध्यक्ष महोदय, अगर यह योजना बन जाती है तो यह झुन्झुनू, सीकर, नागौर और चूरू जिला सारा सर-सब्ज हो जाएगा। आप इसको राजस्थान कैनाल के बराबर वृहद योजना मान कर चल सकते हैं। आप यहां पर बैठे लघु सिंचाई योजनाओं और मध्यम सिंचाई योजनाओं और वृहद सिंचाई योजनाओं की बात करते हैं, आप यहां पर छोटे छोटे एनीकट की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि आपके लिए यह बहुत ही शर्म की बात है कि इन छोटी योजनाओं की बात करते हैं जब कि हम बार-बार चेष्टा कर रहे हैं और हर बार सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं यहां पर यह भी मन्त्री महोदय को आप के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, जवाहर नहर ताजेवाला हैड से निकलती है उसमें पैसा राजस्थान सरकार का भी लगा हुआ है। उस वक्त जब बन्सीलाल हरियाणा के मुख्य मन्त्री थे तब उन्होंने कहा था राजस्थान की सरकार अगर पैसा दे तो हम आपको इसका पानी इतना दे सकते हैं, इसकी कैपेसिटी इतनी हो जाएगी कि इसका पानी झुन्झुनू, नागौर और सीकर तथा चूरू जिले के लोगों को फायदा पहुंचेगा। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि किसी भी मुख्य मन्त्री ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसका कारण यह था, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का जो भी मुख्य मन्त्री रहा वह काश्तपेशा नहीं रहा। जो भी मुख्य मन्त्री हुआ वह ऐसा हुआ जो कि ज्यादातर उदयपुर और कोटा डिवीजन का या दूसरी साइड का रहा इसलिए कोई ध्यान नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यकीनन कह सकता हूं कि जब सन् 1957 में मैं विधायक था उस वक्त की बात है हमारे मन्त्री ऐसे थे कि जिनको मोगों का मतलब नहीं आता था। मोगों का मतलब आउट लेट होता है। श्योपतसिंह जी इस सदन में कई बार मोगे के बारे में बोला करते थे पर मन्त्री महोदय समझ नहीं सकते थे। तो मोगा शब्द का मतलब तो वही समझ सकता है जो कि काश्तकार हो। काश्तकार ही जमीन का पेट चीरकर अनाज पैदा करता है।

यहां पर अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि राजस्थान नहर के क्षेत्र में शहरी लोगों को भूमि अलाट की जानी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, अगर बहुत सारे लोगों को छोटे-छोटे खेत दिये गये तो जमीन की अनइकोनोमिक होल्डिंग हो जायेगी। तो मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि झुन्झुनू जिले को राज्य सरकार ने हमेशा से ही नकारा है। इसके लिये राज्य सरकार ने कभी सिंचाई योजना बनाने की सोची ही नहीं। आज झुन्झुनू, सीकर और चूरू जिले में आप करोड़ों रुपये अकाल के लिये खर्च करते हैं। अगर आप नेहरू कैनाल को पूरी कर दें तो आपको तीन बातों का लाभ हो सकता है। एक तो आपके इन चार जिलों में पेयजल की स्थायी समस्या हल हो जायेगी, दूसरा अकाल का सोल्यूशन हो

(श्री लच्छू राम)

जायेगा। तीसरा इन जिलों को सिंचाई के साधन मिल जायेंगे। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा आंकड़ों के जाल में न जाकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर आज मैं सुन रहा था, कई माननीय सदस्यों ने यहां पर अपनी-अपनी बात की, किसी ने माही के डेम की बात की, किसी ने राजस्थान नहर की बात की, तो जोधपुर जिले के विधायकों ने लिफ्ट सिंचाई योजना के बारे में कहा, जैसलमेर और बाड़मेर के एरिया के विधायकों ने राजस्थान कैनाल की बात की लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि झुन्झुनू जिले, सीकर जिले और चूरू जिले के बारे में कोई भी माननीय सदस्य ने कोई भी जिक्र नहीं किया। जहां तक सवाल राजस्थान नहर का है यह बहुत ही अच्छी योजना है, इसका उद्घाटन सन् 58 में श्री गोविन्द वल्लभ पन्त ने किया था जो कि हमारे भारत सरकार के गृह मन्त्री थे। उन्होंने कहा था कि राजस्थान कैनाल सन् 70 तक पूरी हो जावेगी और इस पर 66 करोड़ रुपए का खर्च आयेगा। अध्यक्ष महोदय, उस 66 करोड़ से पता नहीं अभी तक इसमें अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं लेकिन इसका जिस मन्थर गति से काम चला है उसको देखते हुए न तो राजस्थान कैनाल का काम पूरा होगा और न ही आपकी चम्बल योजना का ही पूरा काम होने वाला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सिंचाई मंत्री जी और हमारी राजस्थान सरकार को यह आगाह कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार की योजना अब चल रही है और जितना बिजली का संकट अगली साल से आने वाला है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारे नये बिजली घर और दूसरे साधन हों जहां से हम पानी ले सकते हैं नहीं तो अगली साल ऐसा संकट आने वाला है जिसका सामना करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं आपको समय रहते यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह जो कैनाल है इसको जल्दी से जल्दी राजस्थान की तरफ से पूरा करना चाहिए और इसके लिए बजट प्रावधान रखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णुप्रकाश बजारी।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री का ध्यान मेरे विधान सभाई क्षेत्र की ओर दिलाना चाहूंगा। मेरे विधान सभाई क्षेत्र के अन्दर जवाजा तालाब है वह तालाब हर दूसरे साल ओवर फ्लो हो जाता है और उसका पानी हमारे यहां नहीं रह कर अन्य जिलों में चला जाता है। जो यह तालाब है इससे एक फीडर बनाकर बगरा तालाब में डाल दी जाये जिसकी लम्बाई मुश्किल से चार पांच किलोमीटर होगी। इस फीडर को डाल दिया जाता है तो उससे पांच पंचायतें कापरेन, रावता, दुर्गावास और जालिया आदि को बहुत ही लाभ होगा। इसके अलावा अकाल के अन्दर जो कार्य चल रहे हैं वहां भी अभी-अभी जिलाधीश महोदय हमारे क्षेत्र के अन्दर गये तो इन पांचों पंचायतों के सरपंचों ने पुनः उनसे

(श्री विष्णु प्रकाश बाजारी)

निवेदन किया कि अकाल के तहत हमें अन्य कार्य चाहे आप न दें लेकिन हमारी फीडर का जो काम है इसकी स्वीकृति दिला दें। हमें अन्य दूसरे कार्य भले ही न दें मगर यह फीडर बन जाती है तो इन पांचों पंचायतों को तो फायदा होगा ही इसके साथ ही इसका पानी अपने आप ही स्वतः जवाजा, जालिया के तालाबों में आ जायेगा। जालिया का तालाब, जो कि ब्यावर नगर का एक जल स्रोत है, के अन्दर आने से ब्यावर नगर की पेयजल की समस्या को भी काफी हद तक राहत पहुंचेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से हमारे जो सिंचाई मंत्री हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो देवासा फीडर की योजना है यह 1970-71 में बनी थी और इसके अन्दर 1971 के अन्दर कुछ अकाल राहत कार्य हुआ था लेकिन उसके पश्चात् इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। अब मैं सिंचाई मंत्री जी से और अकाल राहत मंत्री जी दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस योजना को अपने प्लान में ले लें और अभी राहत अकाल कार्य के अन्दर इसका कार्य आरम्भ करा दें तो अच्छा होगा। पंचायतों ने हमारे जिलाधीश महोदय को लिखकर दिया है कि हमें अन्य कार्य नहीं दें और देवासा फीडर का काम शुरू करा दो।

(6. 4 सायं)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

जैसा कि जयपुर के भारद्वाज साहब ने भी कहा था, हमारा भी क्षेत्र इसी प्रकार का है। अगर छोटे-छोटे एनीकट्स बना दिये जायें तो हमारे क्षेत्र में सिंचाई के साधन ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो सकेंगे। इसके लिए मैं सिंचाई मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि हमारा जो क्षेत्र है वह ब्यावर विधान सभाई क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र भी आता है इसके अन्दर। इस क्षेत्र के अन्दर आप अधिक से अधिक एनीकट्स बनवायें ताकि वहां के जो छोटे-छोटे किसान हैं उनके कुओं के अन्दर अधिक से अधिक पानी आ सके और वह अपने कुओं के द्वारा अपने खेतों की सिंचाई अधिक से अधिक कर सकें। इतना ही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री चन्द्रवीर सिंह।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : सभापति महोदय, जैसलमेर जिले के अन्दर फेमिन अक्सर हर तीसरे साल पड़ जाता है। यह सत्य है कि फेमिन आज से नहीं, जनता पार्टी के शासन काल से नहीं बल्कि सदियों से पड़ते आ रहे हैं। यहां जब हम अकाल की बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि जैसलमेर में पुराने जमाने में भी अकाल पड़ते आये थे तो आप क्या किया करते थे। सभापति महोदय, उस समय की ज्योग्राफिकल कन्डीशन्स डिफरेन्ट थीं, पालिटिकल कन्डीशन्स डिफरेन्ट थीं, माइग्रेशन तो कैटल का होता था और वह इन्डस में हो जाता था। इससे पशुधन भी बचता था और जनता को पेयजल भी उपलब्ध होता था। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गयीं और बदलती परिस्थितियों में जैसलमेर में अकाल का स्थाई हल निकालने के लिए केवल मात्र एक ही इलाज है और वह है राजस्थान कैनाल।

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

हम यह जानते हैं और मंत्री महोदय भी जानते हैं कि राजस्थान कैनाल को बनने में समय लगेगा और निश्चित रूप से समय लगेगा क्योंकि जिस काम को वारफुटिंग पर लिया जाना चाहिए था वह काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कैनाल आने में समय लगेगा लेकिन 18 इंच की पाइप लाइन या वाटर सप्लाई चेनल काफी जैसलमेर के भाग में आगे आ चुकी है। अगर आर 18 इंच की पाइप लाइन या वाटर सप्लाई चेनल से नाचणा से खारीया और भाटेवाला तक पहुंचा दिया जाये तो भारी मात्रा में पशुधन को बचाया जा सकता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि खारा, टावरीवाला, पन्ना मसासर, चिन्नू, अवाय, भदडीया, नाचणा, सतयाय, आसकंदर, ताड़ाना और मोहनगढ़ को 18 इंच पाइप लाइन से जोड़ दिया जाये और 18 इंच की पाइप लाइन से नहीं जोड़ सकते हैं तो वाटर सप्लाई चेनल द्वारा जोड़ दिया जाये तो भारी मात्रा में पशुधन को भी बचाया जा सकता है और साथ ही काफी संख्या में लोगों को पेयजल भी उपलब्ध कराया जा सकता है इस योजना के द्वारा।

माननीय सभापति महोदय, यह 18 इंच की पाइप लाइन और वाटर सप्लाई चेनल जैसलमेर में आ चुकी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि आज मेरे सवाल के उत्तर में उन्होंने यह कहा कि 18 इंच की पाइप लाइन और वाटर सप्लाई चेनल केवल राजस्थान केनाल के मजदूरों के लिए और वहां के निर्माण कार्य के लिए है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह एक बार फिर से विचार करें और इसको गम्भीरतापूर्वक सोचें कि इस योजना से जैसलमेर को बड़ी भारी राहत मिल सकती है। मैं करबद्ध उनसे निवेदन करता हूं कि आप इस योजना को ज्यादा आगे बढ़ायें, इससे पेयजल भी उपलब्ध करायें और पशुओं के लिए भी पानी उपलब्ध करायें तो ज्यादा उचित रहेगा। माननीय मंत्री महोदय ने जो फर्माया कि हमारा कार्य केवल मोहनगढ़ तक फीडर चेनल या 18 इंच की पाइप लाइन को ले जाना है और आगे का काम पी. एच. ई. डी. के हाथ में है। मैं निवेदन करता हूं कि कोई भी विभाग इसको बनवाये, इसमें हम नहीं उलझना चाहते, यह सरकार को देखना है कि कौनसा विभाग बनवायेगा। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि 18 इंच की पाइप लाइन है या वाटर सप्लाई चेनल है इससे ज्यादा से ज्यादा गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सके और पशुधन को भी पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कैनाल का जो कार्य चल रहा है वह इतनी धीमी गति से चल रहा है कि हम तो क्या हमारी आने वाली दो पीढ़ियां भी इसे देख सकें तो हम बहुत शुक्रगुजार होंगे सरकार के। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस राजस्थान कैनाल को वारफुटिंग पर लें और इस कैनाल को जल्दी से जल्दी बनवायें ताकि इस सम्भाग में जो री-आकरिंग फेमिन होता है, हर साल अकाल पड़ता है

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

उसका स्थाई हल निकल सके। उसका स्थाई हल राजस्थान केनाल ही है। यहां रोज चर्चा होती है, पेयजल मे इतना रुपया खर्च होता है, इसका स्थाई हल निकालना चाहिए। अभी कहा गया कि यह तो केवल मजदूरों और निर्माण कार्य के लिए ही पानी उपलब्ध होगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि 18 इंच की पाइप लाइन या वाटर सप्लाई चेनल से मैंने जो गांव बताये है उन तक यह तुरन्त पहुंचाने की कृपा करें और जल्दी से जल्दी पहुंचा दें ताकि इस साल जो अकाल पड़ा है और इस साल जो भीषण समस्या आने वाली है माननीय सभापति महोदय....

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप पी. एच. ई. डी. का मामला बता रहे है। सिंचाई पर कोई आपका सुझाव हो तो मैं स्वागत करूंगा।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : माननीय मंत्री महोदय ने जवाब में कहा था कि पी. एच. ई. डी. के हाथ में है। किसी भी डिपार्टमेंट का हो, आप मंत्री हैं, सक्षम हैं, आप पूरा करा सकते है। मुझे विश्वास है, मंत्री महोदय आप इतने सक्षम हैं आप अवश्य ही इसको देखेंगे ताकि जैसलमेर के पशुधन को बचाया जा सके और वहां की पेयजल समस्या को हल करवाया जा सके। माननीय सभापति महोदय, जो समस्या आज आई है, आज तो मार्च का महीना है, आगे मई और जून हैं जिस तरह से भीषण अकाल जैसलमेर में पड़ा हुआ है आप यह निश्चित रूप से मान कर चलिये कि इस संभाग में पहले भी लाखों की संख्या में पशुधन मरा है। केवल जैसलमेर में ही नहीं, सभापति महोदय, बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर में 68-69 मे लाखों की तादाद में पशुधन मरा है। इस अकाल के कारण कुछ लोग भी मरे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, अगर आप आज सजग हो जायें, अगर इस पानी को जिन जिन गांवों के लिये अभी मैंने निवेदन किया उन गांवों तक पहुंचा दें और पशुधन के लिये उपलब्ध करा दें तो बड़ी भारी मात्रा में पशुधन को बचा सकते हैं और जैसलमेर मे इस समस्या का स्थाई हल निकाल सकते हैं। इतना ही कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री अमरा राम।

(अनुपस्थित)

श्री राम नारायण।

(अनुपस्थित)

श्री अमीन खां।

(अनुपस्थित)

श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, आज के जो कटौती प्रस्ताव हैं बड़ी लम्बी योजनाओं में तो मैं नहीं जाना चाहता लेकिन सदन का ध्यान इस ओर जरूर आकर्षित करना चाहूंगा। यह एक अहम मसला है। बहुत से माननीय सदस्यों ने भी बहुमूल्य सुझाव दिये लेकिन खेद है माननीय मंत्री महोदय तो यहां हाउस में हैं लेकिन ऐसे मौके पर

(श्री मेघराज तावड़)

मुख्य मंत्री जी का यहां हाजिर रहना मैं आवश्यक समझता हूं । मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी यह कोशिश करते हैं कि राजस्थान नहर को बना दिया जाये, या सतलज का पानी ले लिया जाये । यह कहने से काम नहीं चलेगा । मैं पूछता हूं कि मुख्य मंत्री जी जनता के पास आने में क्यों कतराते हैं या सदन के बीच में आने से क्यों कतराते हैं ? मैं साफ तौर पर यह आरोप लगाना चाहता हूं, अगर मुख्य मंत्री जी पर्दे में रहना पसंद करते हैं तो उनको फिर इस्तीफा दे देना चाहिये....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कटौती प्रस्ताव पर बोलिये ।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदय, इसलिये मैं कह रहा हूं मुझे खेद है । हमारे माननीय बुजुर्ग नेता राज बहादुर जी ने बड़े अच्छे सुझाव दिये । भले ही वह कहीं सुन रहे हों, कमरे में बैठे सुन रहे हों लेकिन उनका कर्त्तव्य है सदन के सामने आयें । सभापति महोदय, राजस्थान नहर क्यों पूरी नहीं हो रही है ? 30 साल से जब कांग्रेस का राज था तब मैकनमारा आ कर गये थे और जब जनता पार्टी का राज आया तो शाह ईरान शिकार के नाम पर यहां आये । हिन्दुस्तान की सरकार राजस्थान केनाल के लिये उनसे पैसा लेना चाहती थी । सभापति महोदय, केवल विश्व बैंक के आधार पर निर्भर रहना, कुछ नहीं करना और दूसरों का मुंह देखना इससे हम राजस्थान केनाल को पूरा नहीं कर पाये सभापति महोदय, अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो जैसा अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे जैसलमेर, बीकानेर, चूरू इन इलाकों में आगे आने वाले समय में तेजी से रेगिस्तान बढ़ेगा । सभापति महोदय, इस ओर चाहे कुछ भी करना पड़ेगा । राजस्थान की सरकार हो चाहे, हिन्दुस्तान की सरकार हो सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे इस नहर को पूरा करने के लिये और वह पूरे कदम उठाये जाने चाहियें ।

सभापति महोदय, मैं अपने जिले की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हमारा इलाका भी पूरा पहाड़ी इलाका है । सभापति महोदय, आजादी के 33 साल बाद भी आज वहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था नहीं है । मैं मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि पहाड़ी इलाका है, आज दो तीन तालाबों का कन्सट्रक्शन चल रहा है उसके लिये तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं लेकिन जो ट्राइबल इलाका है, ट्राइबल सब प्लान में आता है और पूरा पहाड़ी इलाका है उसमें जो पानी आता है वह निकल जाता है । मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ऐसे इलाके का डवलपमेंट करने के लिये जो बरसात का पानी निकल जाता है उसमें नालेबन्दी करके और जो छोटे-छोटे नाले नदियां हैं उनको बांध कर एनीकट की योजना में ले एनीकट बनायें । छोटे-छोटे जो खेत हैं उनकी हालत अच्छी करने के लिये यह लघु योजना लागू की जानी चाहिये ।

सभापति महोदय, जालोर तहसील में एक तालाब है । मंत्री महोदय का ध्यान

(श्री मेघराज तावड़)

क्या आकर्षित करूं, मंत्री जी तो बातें कर रहे हैं। एक ऐसा इलाका है जो बागपुरा का तालाब है, जो सीलिंग के अन्दर आता है वह राजस्थान सरकार के अन्तर्गत था लेकिन, सभापति महोदय, जनता पार्टी का राज आया उस समय जनता पार्टी के सरपंच ने सरपंच होते ही उस तालाब को तुड़वा दिया। जो बागपुरा और भादडी माजरी का तालाब है उसको बिल्कुल तोड़ दिया। वहां की जनता को पीने के लिये पानी नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उस तालाब को पुनः बनवाया जाये। शायद 5,000 रुपये भी खर्चा नहीं होगा। लेकिन उस जमीदार ने उस तालाब को तोड़ा है उसको जेल की सींखचों में बन्द किया जाये और उस तालाब को पूरा किया जाये। सभापति महोदय, जो गिरवा तहसील है उसमें भी सरू गांव है वहां बहुत पहले तालाब बनाया गया है। नाला बांध कर छोड़ दिया गया। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पहाड़ी इलाका है और ट्राइबल सब प्लान में आता है। आप इस तालाब को चार-पांच फीट और ऊपर बनाने की स्वीकृति देकर नहर के काम को जल्दी से जल्दी शुरू करायें ताकि वहां की जनता को फायदा हो सके।

सभापति महोदय, मेरे गोगुन्दा क्षेत्र के दो तीन बांध हैं जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, लास्ट ईयर भी जिक्र किया था। कालीनोर का नाका है, कोटड़ा तहसील में आता है उसको बंधवाया जाये और दूसरा भी कोटड़ा तहसील में आता है पडावली का नाका। बहुत बड़ी नदी है। सभापति महोदय नदी को बांधने से न केवल कोटड़ा के लोगों को फायदा होगा लेकिन झाड़ोल की तरफ रहने वाले लोगों को भी फायदा होगा। सभापति महोदय, मैं कह रहा हूं, मेरा इलाका है इसलिये काम नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से, प्रद्युम्नसिंह जी से आशा करता हूं कि इस तरह की बात न करेंगे और उसको बनायें। पड़ावली का नाका वैसे मेरे क्षेत्र में आता है लेकिन उसका पानी ज्यादा आपके कांग्रेस के ही अलखाराम जी के इलाके में आता है, मैं चाहूंगा उस नाके का जल्दी से जल्दी सर्वे करवा करवा उसको बांध दिया जाये। बढ़ेरी का तालाब, दादिया का तालाब जो गोगुन्दा तहसील में आता है उसको थोड़ा ऊपर उठाया जाय ताकि उस पानी को ज्यादा रोका जा सके....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, मैंने अभी पूरी बात ही नहीं कही है। सभापति महोदय, मैं इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और माननीय सिंचाई मंत्री जी को खास तौर से याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी ही सरकार ने देवास योजना, जो झाडोल में है, पानी उदयपुर में लाने के लिए, पिछोला झील को भरने के लिये, वहां की पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए और आस-पास के क्षेत्र के लिये सिंचाई की व्यवस्था के लिए बनाई थी। मैं आपसे पुरजोर शब्दों में मांग करना चाहूंगा कि इस योजना को पुनः लागू किया जाये। आपके राज में चालू हुआ था और आपके ही राज में बन्द हुआ था....

(श्री मेघराज तावड़)

सभापति महोदय, मैं अपने····

(व्यवधान)

वह तो मैं कल बोल लूंगा। यही बात कहते हुए मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं····

(व्यवधान)

बहुत है, मुझे मालुम है कि अन्दर-अन्दर तो रो रहे हैं लेकिन ऊपर से क्या कहते हैं। सभापति महोदय, मैं····

(व्यवधान)

हां, हां रोइये, रोइये। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री केसरी चन्द।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा था। मैं आ ही गया था।

श्री सभापति : तशरीफ रखिये। अब मैंने दूसरे का नाम पुकार लिया है।

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, बहुत खुशी की बात है कि इस वर्ष के सिंचाई के बजट में 67 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने रखे हैं। सिंचाई विभाग की यह कल्पना है कि 20 हजार हैक्टेयर नयी भूमि को सिंचाई का क्षेत्र हम बनायेंगे। कल्पना साकार हो। लेकिन पिछले 15-20 वर्षों में मेरे अजमेर जिले में जो मैं हालात देख रहा हूं, उसको देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि कहीं बर्बाद हो और कहीं आबाद हो। श्रीमन्, सन् 69 में पूरे जिले में केकड़ी में वसुन्धनी के नाम से एक बांध का काम शुरू किया गया था। सन् 1981 में 12 साल में भी एक करोड़ से बनने वाला यह बांध आज तक भी पूरा नहीं हुआ है। मेरे जिले में सिंचाई विभाग के करीब दो सौ तालाब हैं और पंचायत के करीब 500। स्थिति यह है कि नदियों के नाम पर सीधी बहने वाली नदी कोई जिले में नहीं आती। एक रूपन नदी है और एक सरस्वती। रूपन नदी का सर्वे हुआ है, शिकला ग्राम के पास बांध बनाने का जिसका सर्वे पूरा हो चुका है, 2-2 1/2 लाख रुपया बजट में प्रावधान भी है। मैं यह आशा करता हूं कि सिंचाई विभाग इस बांध का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर देगा। पिछले बीस साल में अजमेर में 15 अकाल पड़े और 15 करोड़ रुपये की ही उन तालाबों से मिट्टी खोदी गयी और कार्यों पर डाली भी गयी लेकिन 2-3 साल के बाद जब बरसात आती है यह मिट्टी बह जाती है। नतीजा यह कि एक भी तालाब सिंचाई के काबिल बन नहीं पाता। उसमें पक्के काम नहीं हो पाते, उसकी नहरें, उसके तवे, उसके खुर्रे सारे के सारे आज भी जब से बन हुए हैं, उनकी मरम्मत नहीं हुई। पिछले 33 साल इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। हम जब सिंचाई विभाग से इन सब के काम कराने की बात करते हैं. तो बड़ी सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करते हैं लेकिन बी. सी. रेश्यो के नाम पर काम नहीं होता। सदन में सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार की बात भी कही गई है लेकिन मैं कह सकता हूं कि जहां तक अजमेर जिले का सवाल है, मेरे यहां अफसर के खिलाफ ये इल्जाम लगाने की कोई स्थिति नहीं है। इसके बावजूद भी नतीजा यह कि बी. सी. रेश्यो के नाम पर काम पूरे करवाने

(श्री केशरीचन्द चौधरी)

की सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। श्रीमन्, असल में अजमेर जिला, सभापति महोदय, जैसा भारद्वाज जी ने कहा, जिनकी सिंचाई तालाब से डायरेक्ट सिंचाई न होकर, तालाब से कुओं में पानी आता है और कुओं से सिंचाई होती है। हमारे अजमेर जिले में पिछले 3-4 साल से, बल्कि 5 साल कहें तो गैरवाजिब नहीं होगा, बिजली की मोटरें गांवों में कुओं पर काफी लगाई गई हैं। बहरहाल जब इससे पहले कुओं से सिंचाई होती थी तो पानी की कमी नहीं थी लेकिन जब से बिजली बढ़ी है, स्वाभाविक है कुओं का पानी जब भी समाप्त होने लगता है और दूसरी तरफ जहां BC रेश्यो के कारण सिंचाई विभाग जिले के तालाबों का काम नहीं करना चाहता और उनके पक्के काम नहीं होते तो उन तालाबों में पानी टिकता नहीं है। इसलिए आप निश्चित समझिए कि जो 20 हजार हैक्टेयर भूमि जो सिंचाई की सरकार बनाने जा रही है, वह कैसे बनायेगी हमारे जिले में तो हर साल जो पुरानी भूमि है, वह बर्बाद हो रही है। इसी तरह कई दफा सिंचाई विभाग के तालाबों की मरम्मत के लिए तो आर्थिक साधन नहीं होते। जहां तक मुझे जानकारी है, 20 और 25 लाख रुपये मेन्टीनेन्स के लिए अजमेर जिले को मिलते हैं, उस पर 20 लाख रुपये तो तनख्वाह में ही चले जाते हैं, 5 लाख रुपये में बाकी क्या काम होंगे, आप सोच सकते हैं, टेक्निकल स्टाफ की कमी की कल्पना आप कर सकते हैं। अजमेर जिले में अकाल सहायता के काम काफी अच्छे ढंग से चल रहे हैं और 8–10 हजार आदमी पूरे जिले में मजदूरी का काम कर रहे हैं। लेकिन एक ए० ईएन० और 3–4 ओवरसियर हैं, जिनके जिम्मे सारा काम है। अब 8–10 हजार आदमियों के मस्टर रोल, उनके काम की जांच और उनके काम को सुचारु रूप से चलाने और पक्के काम करवाने आदि कार्य कहां तक इतना कम स्टाफ अच्छे ढंग से करेगा, यह भी सोचने की बात है। मेरा निवेदन है कि मेरे जिले में सिंचाई की योजनाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए सारे तालाब चाहे पंचायत के हों, चाहे सिंचाई विभाग के हों, सिंचाई विभाग के मार्फत उनकी मेन्टीनेन्स, उनकी रिपेयरिंग करवा दें और अगर एक ही दफा इनको पूरा करवा देते हैं। तो हम विश्वास दिलाना चाहते हैं चाहे जैसा अकाल पड़े, पानी आने के बाद अगर तालाबों में पानी टिकेगा तो हमको 2–3 साल तक कोई कार्य व अनाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन शब्दों के साथ आशा करता हूं कि मेरे सुझावों पर ध्यान दिया जायगा।

श्री सभापति : श्री जगन सिंह।

श्री जगन सिंह (बयाना) : यही तो मेरे सामने दिक्कत है। सभापति महोदय, आज भारत में स्वतन्त्रता आये 32-33 साल हो गये लेकिन जिस क्षेत्र से मैं आया हूं, बयाना, भरतपुर जिले में उसको देखा जाय तो आज भी वही 32 साल पुराना क्षेत्र है। कहने वाली अलग बात है, ले जाने वाली अलग बात है। किसी भी क्षेत्र में विकास कार्य के लिए कृषि बहुत ही आवश्यक है और कृषि का विकास वहीं होता है जहां पानी की आमद होती है, बहुतायत होती है, पानी ज्यादा मात्रा में मिलता है। बयाना क्षेत्र एक तरफ पहाड़ी इलाका है

(श्री जगनसिंह)

और दूसरी तरफ गम्भीर नदी बहती है। पहाड़ी इलाके में पानी की कमी है और गम्भीर नदी जो आती है, वह पानी रोकने के अलावा वहां बाढ़ से विनाश होता है। वहां पिछले 30 सालों में इस गम्भीर नदी ने लाखों एकड़ जमीन काट दी, बिगाड़ दी और मिट्टी उसमें रेत डाल दी, जो काबिल काश्त नहीं रह पायी है। सभापति महोदय, आज उस क्षेत्र में अगर प्रगति करनी है, प्रगति होनी है तो इस गम्भीर नदी को काबू में लेना पड़ेगा। जो गम्भीर नदी से पानी आता है, उसको खेती के लिए सिंचाई के लिए लेना पड़ेगा। इसमें अगर टुट बन्ध बन जायें, उस पानी को कवर करने के लिए ऐसे टुट बन्ध बन जायें जिससे पानी धीमी चाल से बहता रहे और उसकी मिट्टी जमती जाय तो वह लाखों एकड़ भूमि उपजाऊ होगी। इसके साथ सरकार को राजस्व मिलेगा। दूसरी तरफ दुलहरी बंध है, इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट चली गयी उसके बाद जनता पार्टी आयी, ढाई तीन साल शासन करके वह भी चली गयी किन्तु आज भी वह दुलहरी बंध ऐसी ही हालत में है, जैसी में कुछ साल पहले था। कभी उसमें बी. सी. रेश्यो का बहाना लगा दिया जाता है. कभी किसी दूसरी तरह का बहाना लगा दिया जाता है। पैसा मन्जूर नहीं होता है। आप देखें कि यह दुलहरी बंध बन जाय और इसका काम शुरू हो जाय। दूसरी तरफ गम्भीर नदी से दूसरी तरफ जो खराब जमीन पड़ी है, पानी के अभाव में बंजर जमीन पड़ी रहती है। खरैरी और बागरैल, ये दोनों भी अपनी पुरानी हालत में हैं। एक बार टूट गया पानी आने के कारण, आज वही हालत में है जैसी हालत में आज से 15 साल से पहले टूटा था।

(व्यवधान)

इसकी भी व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ बसेड़ी क्षेत्र की कुछ पंचायतें मेरे क्षेत्र में हैं। दो तीन गांव ऐसे हैं जहां की भूमि में पानी नहीं है। अगर पानी है तो बहुत खारा है। वहां कुछ नाले इकट्ठे हो गए हैं। हजारों एकड़ भूमि है उन गांवों की, बड़े-बड़े गांव हैं, अगर वहां एनीकट बना दिये जावें तो उन गांवों का जितना क्षेत्र बंजर पड़ा रहता है, काश्त नहीं होती है उसमें अच्छे ढंग से काश्त हो पाएगी और वहां की जो जमीन है वह कृषि योग्य हो जाएगी। दूसरी ओर बसेड़ी में एक बांध बनाया गया है जिसमें कमाण्ड एरिया घोषित किया गया है। वह भूमि भी हजारों एकड़ भूमि है लेकिन उसकी दुर्दशा क्या है कि कमाण्ड एरिया तो घोषित कर दिया, पानी उसमें जिस दिन से कमाण्ड एरिया घोषित किया गया है तब से आज तक एक बूंद पानी नहीं गया है और हालत यह हुई है कि किसानों पर लाखों का राजस्व चढ़ गया और वसूली के लिए उन पर दबाव दिया जा रहा है। यह कमाण्ड एरिया घोषित किया गया है या तो पानी पहुंचाया जावे या फिर उसको कमाण्ड एरिया से निकाल दिया जावे। दूसरी तरफ जहां कृषि के लिए जरूरत पड़ती है, मेरे क्षेत्र के थोड़ी दूर जगर बान्ध है। जगर बान्ध की नहर बिल्कुल मेरे क्षेत्र के थोड़ी दूर मोड़ पर आती है, मेरे क्षेत्र की सीमा तक आती है, उस जगर बन्ध को ऊंचा उठाया जा रहा है जिससे जल स्तर ज्यादा बढ़ेगा। उस जल स्तर के बढ़ने पर अगर मेरे क्षेत्र बयाना में भी जो हिस्सा है, उसमें नहर बना

(श्री जगन सिंह)

दी जावे तो जो सूखाग्रस्त एरिया है, जहां बंजर भूमि पड़ी है, जहां पर पानी नहीं मिलता है उसमें कुछ सिंचाई हो सकती है। कुछ गांव पड़ते हैं वे हैं बयाना तहसील के ईटखेड़ा, ग्रहुड़ा, खूंटखेड़ा, मदनपुर, घाघरेन, कारवारी, इसेरी, कपूरा, जलूका आदि....

श्री ग्रनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : पोइन्ट ग्राफ ग्रार्डर। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय नहीं हैं। पूर्व में भी सदन में मांग उठी थी कि मुख्य मंत्रीजी को यहां होना चाहिए। फिर सिंचाई के ऊपर बहस चल रही है। माननीय सदस्य जोर-जोर से गला फाड़ कर कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में 32 वर्षों से कोई पैसा खर्च नहीं हुग्रा, सिंचाई मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं....

श्री शीशराम ग्रोला (राज्य मंत्री, पंचायत) : मैं यहां पर बैठा हूं।

श्री ग्रनंगकुमार जैन : ग्राप सिंचाई मंत्री नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मेरा भी पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है, सभापति महोदय।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : ग्रापकी तो ग्रादत सी पड़ गई है व्यवधान करने की।

श्री परसराम मदेरणा : जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, हमारे यहां यह परिपाटी चल गई है कि डिमाण्ड पर बहस, वाद विवाद चलता रहता है रात के 11 बजे तक भी। कोई भी ट्रेजरी बेंच पर बैठा हुग्रा व्यक्ति जो मंत्री है, पांच सात मिनट के लिए भी उसको बाहर जाने की सुविधा नहीं देना चाहते हैं ? दो केबिनेट मंत्री यहां पर बैठे हैं, ग्रण्डरग्राउण्ड वाटर के मंत्री भी हैं, फिर मुख्य मंत्री की डिमाण्ड ही नहीं है तो वे काहे के लिए बैठे रहें।

श्री ग्रनंगकुमार जैन : तीन बजे तो डिमाण्ड ही शुरू हुई है साहब।

श्री परसराम मदेरणा : समय बड़ा कीमती है। ग्राप इस तरह से पोइन्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं उठावें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज।

श्री जगनसिंह : कुछ क्षेत्र इस ढंग का है, सभापति महोदय, जहां पर न नहर पहुंच सकती है, न बांध बन सकता है, न ग्रौर किसी दूसरी तरह की व्यवस्था हो सकती है। वहां पर इसकी एक ही व्यवस्था हो सकती है कि पाताल तोड़ कुए बनवाए जावें। क्योंकि जल स्तर बहुत नीचे है, नहर बहुत दूर पड़ती है, बंध बहुत दूर पड़ता है ग्रगर वहां से लाया जावे तो सरकार को बहुत ज्यादा खर्चा उठाना पड़ेगा। इसलिए ग्रगर उस क्षेत्र में बयाना से उरली तरफ जो पानी का जल स्तर बहुत नीचे है वहां पाताल तोड़ कुए बनवा दिये जावें तो उससे उस क्षेत्र का भी विकास हो पाएगा।

दूसरा वैर तहसील में सीता बंध है। सीता का बंध पहले जो राजा थे उस टाइम का बना हुग्रा है। छोटा सा बंध है लेकिन ग्राज

(श्री जगन सिंह)

उसकी ऐसी हालत है, अगर उसको ज्यादा बढ़ाया जावे, ऐसी योजना बनाई जावे तो उसमें जो नीचे के गांव आते हैं, जहां जल स्तर बिल्कुल नहीं है, और है तो भी बहुत नीचे हैं, उनमें पानी होगा। उस बंध की इतनी बड़ी योजना हो सकती है कि उससे नहर निकल सकती है, लाखों एकड़ एरिया सिंचित हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके साथ ही मैं पुनः आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि जो मैंने ये बातें रखी हैं इनके ऊपर थोड़ा गम्भीरता से सोचें और उस पिछड़े हुए इलाके को सिंचित करने की अपनी योजनायें लें।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, मैं आपके सामने अपने क्षेत्र के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं····

श्री सभापति : आप बगैर आसन की अनुमति के ही बोल रहे हैं?

श्री चतुर्भुज : हमारे कट मोशन की यह फाइल पड़ी है।

श्री सभापति : आप इस तरह से नहीं करें।

श्री चतुर्भुज : यह तो बिल्कुल गलत हो रहा है। हमारा कट मोशन देना ही बेकार हो गया।

श्री सभापति : जब आपका नाम पुकारा गया आप थे नहीं।

श्री चतुर्भुज : यह कट मोशन की फाइल किस काम आ रही है। हमारा कट मोशन देना ही बेकार है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री चतुर्भुज : जब आप टाइम देंगे तो दो-दो मिनट की इजाजत देंगे। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। एक आदमी तो एक-एक घण्टा बोले और कोई आदमी दो दो मिनट भी नहीं बोल सके। यह व्यवस्था का प्रश्न है। हमको भी बोलने दिया जाय।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री चतुर्भुज : हम ये कट मोशन लेकर बैठे रहें। हमारा कोई नम्बर ही नहीं है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। श्री रामप्रसाद।

श्री रामप्रसाद (रूपवास) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से कुछ बातें मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, जिस क्षेत्र से मैं चुनाव जीत कर आया हूं, सभापति महोदय, वह क्षेत्र ऐसा है कि जब कि कांग्रेस के राज को आज 32–33 साल हो गए, सभापति महोदय, 32–33 साल से वह क्षेत्र हमेशा पिछड़ा हुआ रहा है। ऐसा क्षेत्र है कि वहां अस्सी प्रतिशत किसान रहते हैं, सभापति महोदय, गांवों में। वहां हमेशा बाढ़ आ जाती है। गम्भीरी नदी एक

(श्री रामप्रसाद)

ऐसी नदी है, हमारे इलाके के अन्दर बयाना, रूपवास में, सभापति महोदय, हमेशा बाढ़ एरिया हो जाता है और किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उस नदी की ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि हमारे इलाके के किसानों को राहत मिले। जिससे कि हमारे किसानों की कुछ जमीन खराब हो चुकी है वह जमीन ठीक हो सके।

सभापति महोदय, कुछ बांध ऐसे हैं बयाना क्षेत्र मे, तीन पंचायतें मेरे क्षेत्र में, बयाना क्षेत्र की हैं। वह डाकू एरिया है, सिघनिया, मांगरोल ऐसे गांव हैं, ऐसा एरिया है उसमें मैं जो बान्ध आते हैं वह पंचायत समिति में आते है उनको बनवाया जाय, क्योंकि वहां पानी पीने तक को नहीं मिलता है। बयाना, सिघनिया, मांगरोल तीनों कम से कम छः छः किलोमीटर दूर हैं बयाना से। यह पहाड़ी एरिया है, डाकू एरिया है और यह एरिया बहुत खराब है, रास्ता भी नहीं है। उस इलाके में कोई आने जाने का साधन नहीं है। उस इलाके में कम से कम ऐसे गरीब लोग रहते हैं आज से 32 साल से। जब इन्सान को इन्सान नहीं समझेंगे तो वे लोग बेचारे ऐसे सीधे लोग है, गरीब लोग हैं, वहां हमेशा डाके पड़ते हैं, ऐसा पहाड़ी एरिया है जहां पानी नहीं मिलता है। पीने के पानी की इतनी समस्या है, उस क्षेत्र में पांच-पांच, सात-सात गांव पंचायत क्षेत्र के हैं जिसमें गरीब, किसान और मजदूर रहते हैं उसका बंध बनवाया जाय। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां उस बांध के लिए जल्दी से जल्दी व्यवस्था करवाई जावे जिससे कि गरीबों को, किसानों को राहत मिले और पानी पीने की सुविधा हो।

दूसरी बात यह है सभापति महोदय, कि रूपवास तहसील में एक ऐसी तहसील है जिसमें तमाम छोटे-छोटे बांध हैं, वे टूटे पड़े हुए हैं, उनकी मरम्मत करवा कर व्यवस्था की जावे जिससे किसानों को राहत मिले। सभापति महोदय, रूपवास तहसील में एक खानवां गांव में बंध है उसमें हमारे किसानों को 8)50 रु० की रेट देनी पड़ती है जिसकी सन् 1951 में 2)50 रु० की रेट थी। सभापति महोदय, तो मैंने यह हमारे चीफ इंजीनियर से बात करके विभाग को लिखवाया था। मेरे क्षेत्र का डेपुटेशन आया, एडीशनल चीफ साहब से मैंने इस सम्बन्ध में बात की, मैं इस सम्बन्ध में मिला था। सभापति महोदय, मेरा गरीब किसानों का इलाका है, पानी बांध में आता नहीं है और आठ रुपये पचास पैसे की रेट देते हैं। रेट को कम कराकर लोगों को, किसानों को राहत दें। रेट कम करायी जाये और उनके लिये 2 रुपया पचास पैसे की सिंचाई के लिये ली जाये। कुछ बांध में पड़ते हैं, पानी नहीं आता है, उसके बिना सिंचाई की रेट ली जाती है। सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इनकी जांच कराकर जल्दी से जल्दी उनकी व्यवस्था करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट। मेरा क्षेत्र ऐसा है जिसमें कुछ पहाड़ हैं। वहां कुछ ऐसे बांध

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

हैं। वहां किसान और सबसे ज्यादा गरीब हैं। यह दर्दभरी कहानी कहनी पड़ रही है। 32 साल से जो एम. एल. ए. जीत कर आये किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा, वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप क्षेत्र का दौरा करें और दौरा करके देखें कि वहां के इलाके की स्थिति क्या है। 32 साल के बाद भी क्षेत्र पिछड़ा हुआ रहा है। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री महावीर प्रसाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : सभापति महोदय, सिंचाई में पहली बात तो मैं विभाग और मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस प्रकार की इस विभाग में गतिशीलता है, उसका नमूना सात दिन पहले हमको निष्पादन आय व्ययक मिल जाना चाहिये था वह आज मिला है। जैसे कोई पढ़ न ले, और कोई देख न ले। यह प्रति मैं आपको भेजना चाहता हूं कोई पढ़ नहीं सकता है, क्या लिखा है।

जहां हमारे राजस्थान में प्राकृतिक आपदा आय दिन अकाल और अतिवृष्टि होती है, सिंचाई के साधनों की कमी है, वहां पर सिंचाई विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको गतिशील बनाया जाये। मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह भी अपने कार्य में गति लायें।

हमारा राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रदेश है। उसको यदि विकास की ओर अग्रसर करना है तो उसमें गतिशीलता लानी होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने सिंचाई विभाग के सारे आंकड़े पढ़े, कोई भी, कहीं भी टार्गेट पूरे नहीं किये गये हैं। जो बांध दस साल में बंध जाने चाहिये थे, वह आज तक नहीं बंधे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे टोंक जिले में एक डिवीजन 1978 में बना। और 78–79, 79–80 में लगभग दस योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। केसर की 9·51 लाख रुपये की, सिरोही की 6·50 लाख रुपये की, सोहेला की 50 लाख रुपये की शिवदानपुरा की 47·50 लाख की, सूथरा की 28·10 लाख की, बटून्दा की 30 लाख की, ठीकरीया की 43 लाख की, अकोरिया की 10 लाख की और उसमें 79–80 में खर्चा किया गया 65·20 लाख रुपया। उसके बाद यह डिवीजन बना जनता पार्टी के राज में, और 79–80 में 65·20 लाख रुपया खर्च किया गया। उसके बाद जो आपने बजट में रखा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 80–81 में 28 लाख 77 हजार रुपये का प्रावधान रखा उसमें से कितना खर्च किया गया मैं नहीं कह सकता, अभी मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए। 81–82 में 25·58 लाख रुपये का प्रावधान रखा है, मैं नहीं समझता कि किस प्रकार विकास होगा।

यह जो बांध हैं, जिनका मैंने जिक्र किया उसके अलावा उसमें यह दे रखा है, बजट में देखें तो माधोलाव, भानपुरा, सूथरा, तुरकिया बांध का किसी प्रकार का प्रावधान नहीं रखा है और उसकी जगह डेस-डेस लगा रखे हैं। पिछली बार पिछले सत्र में मैंने एक प्रश्न पूछा था, 31–7 को जवाब दिया गया। उसमें यह आश्वासन दिया गया था कि सर्वे कार्य के पश्चात् योजना पर तखमीना बनाने के बाद बी. सी. रेश्यो

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

निकाला जाता है, तथा योजना की उपयुक्तता बी. सी. रेश्यों पर आधारित होती है जो कि 1·5 : 1 से अधिक होना चाहिए। बिसलपुर बांध उपयुक्त है अन्य विचाराधीन हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिसलपुर बांध टौंक जिले के लिये उपयुक्त है। बिसलपुर बांध टौंक जिले के जीवन मरण का प्रश्न है। टौंक जिला पिछड़ा हुआ है, वहां सिंचाई के साधनों की कमी है। वहां पर सिंचाई के साधन नहीं के बराबर हैं और वहां पर लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीते हैं। इसलिये बहुत जरूरी है कि बिसलपुर बांध बनाया जाय। इसको उन्होंने स्वीकार किया है। मुझे याद है, जब मैंने एक प्रश्न पूछा था कि बनास नदी को कहीं से बांधने की योजना है। उस समय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया था कि सर्वे किया जा रहा है। एक तरफ उन्होंने कहा कि बांधी है दूसरी तरफ कहा कि सर्वे किया जा रहा है। मंत्री महोदय द्वारा यह कहा गया कि छठी पंचवर्षीय योजना में इसको लिया जायगा। सिंचाई और पेयजल की दृष्टि से लिया जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसको सिंचाई और पेयजल की दृष्टि से लिया जाय। जब सर्वे हो चुका है। अभी दो सब डिवीजन खोलकर दुबारा सर्वे करा रहे हैं, लोगों को भूल भूलैया में डाला जा रहा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टौंक जिले का बिकास करना है, जहां एक-एक बून्द पानी का विचार करते हैं, जहां पर हम चाहते हैं कि सूखे प्रदेश में किस प्रकार हरियाली आये तो आवश्यक है कि बिसलपुर बांध बनाया जाए। उससे न केवल सिंचाई होगी, वरन् पेयजल की समस्या भी हल होगी। फ्लड आती है, करोड़ों की फसल होती है, बारिश की सम्भावना नहीं है। किसानों के दिल धड़क रहे हैं, फसल बह जायगी। वहां पर फ्लड से इनकी फसल को बचाया जाना चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है। अगर यदि राजनीतिक प्रश्न भी हो तो वहां पांच में से चार विधायक कांग्रेस के हैं, उनके सारे इलाके को पानी मिलेगा, वह सारा इलाका हरियाली की ओर अग्रसर होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिसलपुर बांध को तुरन्त बनाने की योजना स्वीकार की जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

पहले तो योजना स्वीकार नहीं करते हैं, योजना स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद प्रावधान मामूली सा रख दिया जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों पर बहुत लम्बा चौड़ा खर्चा होता है। मैं पूछता हूं क्या आवश्यकता है यदि वहां पर किसी प्रकार की योजना, किसी प्रकार का प्रावधान बजट में नहीं रखा है, तो वहां पर इस प्रकार लम्बा चौड़ा खर्चा अधिकारियों पर किया जाय, वहां डिवीजन रखें? मैं नहीं कहता कि डिवीजन न हो। परन्तु कितना खर्चा प्रशासन पर होता है और कितना योजना पर होता है? मैं पूछना चाहता हूं कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। वहां पर कितना खर्चा योजना पर हुआ और कितनी राजस्व आय होती है, इन सब पर विचार किया जाय। मेरा इतना ही निवेदन है।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

एक और उदाहरण देता हूं। हमारे माही बजाज सागर का आय व्ययक मैंने पढ़ा, देखा। सन् 1971 में 31·76 करोड़ रुपया स्वीकार किया गया था, उसकी तखमीना बना था 31·76 करोड़ का। वहां काम नहीं हुआ। 1976 में संशोधित लागत 149·69 करोड़ की थी। लगभग पांच गुणा से ज्यादा रुपया बढ़ गया। अब 81 में मेरी मान्यता है कि और बढ़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है ? किसने स्वीकृत नहीं किया ? काम नहीं किया है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। इस प्रकार देश का पैसा बर्बाद होने से बचाया जाना चाहिए।

अभी मुझे मालूम हुआ है कि इस योजना में भी डेढ़ करोड़ रुपये घटा दिये गये जिससे वहां 5–6 हजार मजदूरों का रोजगार छीन लिया गया। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, सिंचाई मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हू कि वहां गति लाकर सिंचाई के साधनों को दृष्टि में रखते हुए बांध बनाये जायं। हमारे टोंक जिले में बिसलपुर, तलवाड़ी, दुगिया बान्धों का जिस प्रकार सर्वे हुआ है उन बांधों को लेकर सिंचाई के साधनों को बढ़ाया जाय। इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री शोभराज मल।

श्री शोभराजमल (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि गोसुण्डा और बस्सी प्रोजेक्ट चित्तौड़ में आते हैं वे मंजूर हो चुके हैं इसके लिये आपने स्वीकृति दी उस हेतु धन्यवाद। लेकिन इन दोनों पर जो राशि रखी गई है वह बहुत कम है। गोसुण्डा डेम के लिये 45 लाख और बस्सी के लिए 50 लाख स्वीकृत किये गये जब कि गोसुण्डा के लिये 12 करोड़ और बस्सी के लिए 4 करोड़ की आवश्यकता है। इस प्रकार राशि रखेंगे तो कब तक कार्य पूरा होगा। छठी पंचवर्षीय योजना में भी इसको पूरा करने का आश्वासन नहीं दिया गया है। बेड़च नदी में भी पानी काफी है वहां भी जो डेम बनने वाला है, उसको रेज किया जा सकता है जिसकी स्वीकृति आ चुकी है। यह प्रोग्राम था कि खाद का कारखाना गोसुण्डा, चित्तौड़ में लाया जायगा। मैं इसके लिए निवेदन करूंगा कि खाद का कारखाना चित्तौड़ में लगाया जावे। वहां पानी काफी है। इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि डोराई, बेगूं, भोपालसागर फीडर, मीनाली, भूखी माता, भड़किया ये छोटे-मोटे काम हैं। इनका सर्वे करा कर काम शीघ्र कराये जावें। भोपालसागर फीडर का काम 67 में शुरू हुआ था इस पर सरकार का लाखों रुपया खर्च हो चुका है काफी अर्सा हो गया। भोपाल सागर में गन्ने की मिलें हैं। वहां गन्ना काफी होता है। चावल भी काफी होता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस फीडर को पूरा करने का कष्ट करें। छोटी योजना जितनी भी हैं उनको हाथ में लेवें, हमारे क्षेत्र में कई छोटी योजनाएं हैं जिनसे पब्लिक को तुरन्त लाभ मिल सकता है। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इन कामों को भी जल्दी हाथ में लेवें तो अच्छा है।

(श्री शोभराजमल)

दूसरी बात मैं साफ कहूंगा वहां जो स्थान रिक्त पड़े हैं एक्स. ई.एन. या ए. इ.एन. या जे. इ.एन. कई जगहें खाली पड़ी है। उदयपुर में एस. ई. की पोस्टिंग नहीं की गई है। इससे काफी नुकसान होता है। काम जो चलता है वह धीरे चलता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहाँ पर जो काम चल रहे हैं वे बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं इन कामों को प्रगति में लाने की कोशिश करें अन्यथा जो 10–12 करोड़ की योजनाएं हैं, जो स्कीमें हैं वे 25 करोड़ में पूरी होती हैं। ऐसा क्यों होता है ? मैं मांग करता हूं, गवर्नमेंट के पास वैसे ही धन की कमी है, धन के अभाव में इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते इसके लिये कोई व्यवस्था करनी चाहिये, कोई रास्ता खोलना चाहिये। मेरा सुझाव है कि इसके लिये कर भी लगाने हों तो लगावें या दारुबन्दी को समाप्त कर आय के साधन बढ़ाये जाये। और मैं निवेदन करूंगा कि हमारे उदयपुर में जो चीफ इंजीनियर पोस्टेड है एवं जो एस.ई. सर्किल हैं वहां भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं हैं उनका काम सुचारू रूप से चलता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन योजनाओं की राशि बढ़ाई जाय। इतना ही कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री सभापति : श्री राम नारायण डूंडी।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) : सभापति महोदय, सिंचाई और लघु सिंचाई पर मैंने अपने कट मोशन्स दिये हैं। देश के आजाद होने के बाद राजस्थान में भी इस देश की प्यासी भूमि की प्यास बुझाने के हिसाब से राजस्थान नहर की योजना हाथ में ली गई इसके अलावा अनेक छोटी मोटी योजनाएं हाथ में ली गई। सभापति महोदय, इन सारी योजनाओं के बावजूद भी इस प्रांत का केवल 20 प्रतिशत हिस्सा ही ये सब योजनाएं अब तक पूर्ण कर सकीं। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि राजस्थान का मास्टर प्लान बनाया जाय और दूसरे जो बाकी क्षेत्र जहां न पानी है न जिनको राजस्थान नहर से जोड़ा जा सकता है न चम्बल योजना से जोड़ा जा सकता है उस भूमि को पानी दिलाने के लिये एक दूसरी योजना मथुरा का पानी लाया जाय उसका विशेष सर्वे कराया जाय। सभापति महोदय, आज राजस्थान नहर 1985-86 में पूर्ण होने को है मगर पिछले 2-3 सालों से जो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण, जो भारत की सबसे बड़ी योजना है, वह राजस्थान नहर है, उसके प्रति उपेक्षा का रवैया बरता गया व बरता जा रहा है। सभापति महोदय इस नहर को बनाने के लिये अभी दूसरे चरण में कार्य चल रहा है केवल बजट के अन्दर 25 करोड़ रुपये रखना और 85 या 86 तक इस नहर को पूर्ण करना, यह कैसे संभव हो सकेगा यह तो भगवान जाने, इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि इस नहर को हमें पूर्ण करना है।

(6.55 सायं)

माननीय श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

और जैसलमेर, फलौदी और पश्चिमी राजस्थान की मरुभूमि को सिंचित करवा

(श्री राम नारायण डूडी)

है तो इसमें अलग से प्रावधान चाहे वह वर्ल्ड बैंक से हो चाहे अन्य साधन जुटाने पड़े, हमें इस नहर को पूरा करना है और पूरा करने के लिये हमें हर प्रकार के साधन जुटाने होंगे, बजट का अलग से प्रावधान रखना होगा। अध्यक्ष महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस नहर को पूरा करने के लिये जितना कोयला, सीमेंट के थैलों की जरूरत पड़ती है केवल एक साल में 5-4 वैगन्स उपलब्ध कराना, तो इसका मतलब 2000 तक भी यह नहर पूरी होगी नहीं, और तब तक इस पर करोड़ों रुपयों की लागत में बढ़ोतरी हो जायगी। मेरा निवेदन यह है कि इस नहर को हम हर प्रकार से लाजिमी तौर पर पूरा करें। और योजना बनाई गई थी लिफ्ट केनाल नागौर, जोधपुर होते हुए लाने की उस योजना का सर्वे करा कर उसका कार्य भी शुरू किया जावे।

इसके साथ, अध्यक्ष महोदय, जोधपुर संभाग की जो सिंचाई की योजनाएं हैं उनके बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 1979 में भयंकर बाढ़ राजस्थान के जोधपुर इलाके में आई जो हमारे राजस्थान के अन्दर अरदन डेम्स बनाये गये थे वे परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए बनाये गये थे। जो हालत हमारे जोधपुर की हुई, जितने भी अरदन डेम्स थे, टोटल वाश आउट हो गये और लूनी नदी ने भयंकर बाढ़ का रूप धारण किया व भयंकर बाढ़ आई सबको मालूम है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब जो भी स्कीमें हमें लेनी हैं उनसे पहले स्कीम का कंपलीट सर्वे कराया जाय उसके साथ-साथ पक्का वर्क लिया जाय। जो अरदन डेम्स हैं उनको बहुत ही कम मायने के अन्दर यानि स्कीम के पहले उनका पक्का काम होना जरूरी है। ताकि आज भी क्लाइमेट के अनुसार जिस संभाग के अन्दर 8 से 15 इंच बरसात होती थी, वहां पर एक ही रात के अन्दर 20 इन्च तक बरसात हुई उसका असर यह हुआ कि जहां ये बन्धे हमारे लिये उपयोगी थे, वहीं हमारे लिये जान माल के दुश्मन बन गये सारा का सारा एरिया उजाड़ कर दिया।

इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, जो लूनी नदी बाढ़ सुरक्षा कार्य है उसको भी हाथ में लेना चाहिये। आज दिन तक 1979 में बाढ़ आई उसके बाद में सुरक्षा कार्य पर सर्वे कराया गया, उसके बाद भी आज तक किसी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है न जाने किस वक्त बाढ़ आ जाय। आज तक यह बन्धे टूटे हुये पड़े हैं। किसी प्रकार का प्रोटेक्शन वर्क नहीं हुआ है। यह सारे बन्धे कम्पलीट नष्ट हो चुके हैं। जैसे मैं आपको बताऊं बोरुन्दा का बन्धा 1979 में टूटा था उसकी कोई रिपेयर नहीं की गई हैं। विसलपुर का बन्धा टूटा है उस पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, कोई मरम्मत नहीं की गई है। जो बन्धे टूटे थे उन पर मरम्मत कार्यों पर एक पैसा नहीं लगाया गया है। आखिर क्या कारण है? आज इन बान्धों में बाढ़ का पानी भर सकता है और इन बन्धों के भरने के कारण हमारे यहां पर सिंचाई और वाटर लेवल ऊंचा हो सकता है। मेरा निवेदन करना यह है कि आप इनको पक्का बनाने

(श्री रामनारायण डूडी)

के साथ जल्दी से जल्दी इनके मरम्मत कार्य को पूरा किया जाये ।

इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा । आज हमारे मरु विकास एरिया में जो डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम है, जोधपुर, नागौर, पाली जितने भी हमारे सूखा संभावित क्षेत्र हैं उनके अन्दर··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनके और आसन के बीच में न आवें । कृपया नियमों का ध्यान रखें ।

श्री राम नारायण डूडी : उसके अभाव के अन्दर जो छोटे-छोटे माइनर नाले वगैरह हैं, एनीकट हैं, नदी नाले हैं, उनके पानी की योजना हाथ में नहीं ली जा सकती है । मेरा निवेदन इसमें यह है कि जो सूखा क्षेत्र है, डेजर्ट एरिया है, उसके अन्दर सरकार से यह निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि डी. पी. ए. पी. के क्षेत्र में बी. सी. रेशो को हटा दिया जाय । जब क्षेत्र सूखा क्षेत्र है, उस सूखे क्षेत्र का डवलपमेन्ट करना चाहते हैं और डवलपमेन्ट के ऊपर आप एक तलवार रखना चाहते हैं, यह दो बातें नहीं हो सकती हैं । इसलिए इस बी-सी. रेशो को हटावें और जितने भी छोटे-मोटे माइनर इर्रीगेशन वर्क, तालाब और फेमिन के बांध है, वह इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट अपने हाथ में ले और उनको बनावे ताकि इस क्षेत्र का उत्थान हो सके । इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय''''

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राम नारायण डूडी : एक मिनट ।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ हमारा जहां सिंचाई का सम्बन्ध है, भू-जल विभाग का भी इसमें सम्बन्ध आता है । अध्यक्ष महोदय, भू-जल विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है । आज जहां बांध नहीं है, जहां और सिंचाई के स्रोत नहीं हैं, वहां भू-जल विभाग ने ट्यूब वैल के जरिये, बोरिंग के जरिये और जमीन से साढ़े चार सौ-पांच फीट बोरिंग करके पानी निकाला है, परन्तु इस विभाग की जो प्रोग्रेस है वह दो-तीन साल से, चार साल से, पांच साल से मेरी समझ में बिलकुल नगण्य रही है । इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस डिपार्टमेन्ट को और सशक्त बनाना चाहिये । ऐसे क्षेत्रों के अन्दर दूसरे प्रकार की कोई योजना लागू नहीं है, उनका पूर्ण सर्वे कराया जाय और ट्यूब वैल, ओपन वैल, अन्य प्रकार की जो होरिजन्टल हाल है, उसके जरिये कुए में पानी निकाला जा सकता है । प्रेक्टिकली में यह निवेदन करूंगा कि होरिजन्टल होल से, जिन कुओं के अन्दर पानी नहीं था उनके अन्दर पानी हुआ है । मेरा निवेदन है कि जोधपुर के अन्दर दो-तीन मशीनें पिछले तीन-चार साल से बेकार पड़ी हैं । उनके पास इम्पलीमेन्ट्स हैं, उनके पास यन्त्र हैं उसके बावजूद वे निष्क्रिय पड़ी हैं । एक तरफ किसान यह चाहते हैं कि होरिजन्टल होल किये जाये और पानी बढ़ाया जाय । मेरा निवेदन है कि इन मशीनों से काम लिया जाय तीसरा मेरा निवेदन यह है कि पंचायत समिति भोपालगढ़, पंचायत समिति बिलाड़ा के कुछ ऐसे पोकेट्स हैं, जो पर्वतीय चट्टानें हैं, होरिजन्टल होल वाली मशीन द्वारा, बोरिंग

(श्री रामनारायण डूडी)

द्वारा या ट्यूब वैल खोदे जाते हैं, आज किसानों की काफी मात्रा के अन्दर फाइलें पैंडिंग हैं। मेरा निवेदन है कि आपने एक तरफ प्रोग्राम तय कर रखा है, काम जी. डब्ल्यू. डी. की मशीन करती है और किसान को डी. डी. ए. पी. के पास जाना पड़ता है जी. डब्ल्यू. डी. के पास जाना पड़ता है। वह किस किस के पास जाय। आखिर मशीनों का जो प्रोग्राम है जी. डब्ल्यू. डी. ही कुएं खोदने का प्रोग्राम तय करे एवं वरीयता के आधार पर काम करे।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री राम नारायण डूंडी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि एक मशीन चाहे लोहावट से बिलाड़ा जाए, चाहे बिलाड़ा से समदड़ी जाय, इस दरम्यान ट्रान्सपोर्टेशन में समय लग जाता है और प्रोग्रेस निल रही है। एक मशीन एक महीने के अन्दर 13–14 ट्यूब वैल खोद सकती है परन्तु उसकी प्रोग्रेस साल भर के अन्दर 13–14 की ही है। करोड़ों रुपयों का खर्चा होता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को यह है कि एक निश्चित प्रोग्राम बनावें कि एक मशीन इतने ट्यूब वैल करेगी, एक मशीन इतने बोरिंग करेगी। आखिर जो हमारा काम है, उस क्षेत्र को हरा-भरा करने का है, सिंचित करने का है। मैं निवेदन करूंगा सिंचाई के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, एक मेरा पाइन्ट रह गया है इर्रीगेशन के अन्दर। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर बाणगंगा है। बाणगंगा के पानी को रोक कर चार-पांच गांवों को पानी देते हैं। उसके पास बड़े-बड़े गहरे गड्ढे बन गये हैं यानि नालियां खोदते खोदते, जो नालियों की गहराई है वह इतनी उण्डी हो गई है। हर साल किसानों को खोदना पड़ता है तथा फिर पानी ले जाकर पिवाई करते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या बाढ़ से खतम नहीं हुई ?

श्री रामनारायण डूडी : बाढ़ से ढह गई परन्तु फिर किसानों ने खोद दी। खोदना तो पड़ता है। बाणगंगा पर इस प्रकार इर्रीगेशन का काम है और जो पानी जाता है उसका लगान लेते हैं। निवेदन है कि यदि गांव तक इन कच्ची नहरों को लाइनिंग में परिवर्तित कर दिया जाय तो हजारों किसानों को, जो लगातार तीन महीने इनकी सफाई व खुदाई में हजारों आदमी लगते हैं, वहां पक्के नाले द्वारा जोड़ दिया जाय तो मेहनत बच जायगी तथा पिलाई भी ज्यादा होगी। अध्यक्ष महोदय, इनकी लाइनिंग करा दी जाय सी. ए. डी. के मार्फत लाइनिंग कराई जाय, ऐसा मेरा सुझाव है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : अब चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य यह डिबेट ज्यों–ज्यों समय होता जा रहा है बढ़ती जा रही है।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : राजस्थान नहर का पानी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : साढ़े सात बजे तक डिबेट समाप्त कर दें माननीय सदस्य। पांच मिनट से कोई आगे नहीं बोलेंगे। आर्डर प्लीज। बोलने वालों की संख्या कुछ कम करनी पड़ेगी....

एक माननीय सदस्य : आपने सबकी तरफ देख लिया है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैंने एक माननीय सदस्य को कह दिया है आप थोड़ा इन्तजार करें।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 के ऊपर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान है, जहां हमें इस बात पर फख्र है कि हमारा देश कृषि प्रधान है हमें इसके दूसरे पहलू को भी देखना चाहिये कि हमारे यहां पर कितना प्रतिशत क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत आता है, अगर राजस्थान को ही देखें तो केवल 81 प्रतिशत कृषि योग्य जमीन में से 20 प्रतिशत जमीन को सिंचाई के साधन प्राप्त हो रहे हैं। और आज हम 3 वर्षों से अकाल से जूझ रहे हैं। हम बिना सिंचाई के साधनों के इस अकाल से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जो हमारे यहां पर सिंचाई के साधन हैं चाहे अकाल राहत कार्य हों चाहे और कोई काम हों उनमें हमें सुविधा को प्राथमिकता देनी चाहिये। मुझे फख्र है कि मैं चित्तौड़गढ़ जिले की बेगूं तहसील से आया हूं जो ऐसा क्षेत्र है, जो पानी के मामले में धनी है। मुझे आभार प्रकट करना चाहिये सरकार का कि चित्तौड़गढ़ जिले में कई महत्त्वपूर्ण योजनाओं को जाखम, बस्सी गोसूंडा को सरकार ने लिया है। मैं अनुरोध करूंगा इस बजट में भी अनुरोध किया है जहां तक मेरे बेगूं क्षेत्र का सवाल है वहां अभी कोई योजना क्रियान्वित नहीं हो रही है। वहां पर कई स्रोत हैं जैसे बेगूं में 70-71 में कोडाई बांध की योजना बनी थी पर वह किसानों को मुआवजा नहीं मिलने के कारण रुकी पड़ी रही लेकिन सरकार आज तक भी कोई मुआवजा तय नहीं कर सकी है उसके कारण वह योजना रुकी पड़ी है। वहां पर अधिकतर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं उस पर चार लाख रुपया भी खर्च हो चुका है अब उस योजना का कोई महत्त्व ही नहीं रह गया है जो वहां के लोगों के लिये बहुत महत्त्व की है अगर यह बांध बन जाय तो हजारों एकड़ जमीन में सिंचाई हो सकती है।

इसके अलावा मैनाली जिसका सर्वे सन् 78 में हो चुका है, न मालूम किस कारण से चालू नहीं हो पायी है। यह मैनाली नदी एक दर्शनीय स्थान है यह ऊपर 200-300 फुट से गिरती है इससे बिजली भी पैदा की जा सकती है इसलिए इसको जल्दी चालू करें।

दूसरा, रूपाराय नदी का सर्वे भी सन् 78 में ही हो चुका है यह 55 लाख की योजना थी करीब 1300 एकड़ जमीन की इससे सिंचाई हो सकती है। मेरा अनुरोध है कि इन योजनाओं को सरकार शीघ्र हाथ में ले ताकि इन क्षेत्रों का विकास हो सके। इसके अलावा वहां कई बांध हैं नगपुरा, कुदाल का खाया, नाहरगढ़, मरचा, श्रीपुरा, दीपपुरा, बूगड़ा, एडिया बोध

(श्री घनश्याम जैन):

मोहनबांध राजगढ़ आदि कुछ क्षेत्र हैं जिनको हाथ में लेकर बांध बनायें तो बहुत उपयोगी क्षेत्र को हम सिंचित कर सकते हैं। लिफ्ट इरींगेशन के बारे मे भी मैंने कई बार निवेदन किया मोहननगर और डीडी चमडियां की योजना है इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

एक निवेदन मेरा और है, किसान बांध जो पूरा हो चुका है मगर उसको ऊंचा करने की गुंजायश है। मैं अनुरोध करूंगा कि बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाय। इसके अलावा मेरा निवेदन यह है कि एक बांध गांधी सागर और राणा प्रताप सगार बनाया गया था, जो अन्तर्राज्यीय समझौता हुआ था, उसके अनुसार 100 किलोमीटर राजस्थान को और 100 किलोमीटर मध्य प्रदेश को सड़क बनानी थी मध्य प्रदेश ने तो, सड़क बना दी है लेकिन राज्य सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है यह सड़क ऐसे गांवों से गुजरती है जो बिलकुल अनुसूचितजाति जन-जाति के हैं, मगर यह सड़क बन जाती है तो यह इन लोगों के प्रति न्याय होगा। बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवदत्त। मैं अब जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारूंगा वही माननीय सदस्य बोलेगा।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई की डिमांड पर मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले मैं माननीय राजबहादुर जी का आभारी हूं कि जिन्होंने बहुत से मुद्दे इतनी अच्छे उठाये जिनसे राजस्थान को बहुत कुछ लाभ हो सकता है। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि उन्होंने भी वैसा दृष्टिकोण जैसा कि पहले के लोगों का रहा है, रखा तो मैं दृष्टिकोण में परिवर्तन चाहता हूं उन्होंने....

श्री अध्यक्ष : आपके चुनाव क्षेत्र में सिंचाई भी होती है या नहीं ?

श्री देवदत्त तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, हमारे लिये तो सिंचाई एक दिवास्वप्न है। एक मृग मरीचिका के समान है क्योंकि जो योजनायें बनी हैं उनमें यह बताया गया है कि बाड़मेर जिले को राजस्थान नहर का पानी दिया जायगा, नर्मदा का पानी बाड़मेर और जैसलमेर जिले में आयेगा। परन्तु मुझे दुख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि यह केवल मृग मरीचिका ही है, नर्मदा का पानी हमारे जिले में आना असम्भव है यह तभी आ सकता है जब इसके लिये दृष्टिकोण में परिवर्तन हो। सबसे पहले मैं राजस्थान नहर का पानी जो कुछ आने वाला है उसमें मैंने यह पाया है कि जो शुरूआत में हमारा एग्रीमेंट हुआ है वह फाल्टी है न जाने किस परिस्थिति में हमने यह लिखा था इसमें यह नहीं है कि किसी तरह का झगड़ा होगा तो उस झगड़े को कैसे निपटायेंगे, यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो हमारे हिस्से का पानी होगा हम उस हिस्से को कैसे ले सकते हैं। बाकी के हिस्से को किस प्रकार महफूज रखा जायगा यह बात इसमें नहीं है।

(श्री देवदत्त तिवाड़ी)

इस प्रकार जो एग्रीमेंट बना हुआ है वह स्वयं ही फाल्टी है अगर कोई फाल्टी एग्रीमेन्ट हो जाता है तो हमें चाहिये कि बोर्ड को या केन्द्र को लिखें कि दूसरा एग्रीमेंट करे। आज इस बात को देखते हुए नया एग्रीमेंट करें और जो राजस्थान के हितों को महफूज रख सकता हो उसको देखते हुये अच्छा एग्रीमेंट करें। मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान नहर हम पूरी करने जा रहे हैं, जो माननीय राजबहादुर जी ने पूछा कि हम लोग कितना पानी काम में लेते हैं वह तो ठीक है, लेते होंगे 23 प्रतिशत या 25 प्रतिशत, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि जो काम में नहीं लेते हैं वह पानी कहां जाता है ? सतलज में वापस जाता है या उसको पंजाब काम में लेता है ? जो इसको महफूज बनाये रखता है, अगर हम इस स्थिति को देखते हैं कि पंजाब पानी काम में ले रहा है तो 20 सालों के बाद कहेंगे की पानी दो तो पानी मिलना असम्भव होगा। हमें चाहिये कि हम इस पर विचार करें और जितना जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि राजस्थान नहर को आगे और बढ़ाया जाय तो उसको ऐसी स्थिति में न बढ़ायें उससे पानी पीने के लिये लें इतना ही उसका काम काफी है बाकी शेयर मिलने वाला नहीं है। यह सोचते हैं कि वह पानी ले लिया जाय तो आपको चाहिये कि ऐसी जगह सोचें जिस जगह आप पानी ले जा सके। मेरा निवेदन यह है कि इसमें अनुसंधान हुआ है जो हाकडा नदी थी? जो 1735 तक बाड़मेर, जैसलमेर में बहती थी। अब वह नहर करीब करीब उसी क्षेत्र में आ गयी है इसलिये मेरा निवेदन यह है कि हमारे इंजीनियर्स को उस क्षेत्र को देखना चाहिये कि वह कहां है वह स्रोत कौन सा था और उस नहर को जो वहां तक आ गयी है, उस नदी में डाल दें। अगर वहां पर पानी जायगा तो वह सारा इलाका खुशहाल हो जायगा। पीछे करते रहना जो करना है, पक्की करना है लेकिन यह पहले करें।

दूसरा, सिंचाई की दृष्टि से यह प्रश्न है कि सिंचाई के बारे में यह सोचते रहते हैं कि खारा पानी है, मीठा पानी मिल जाय तो ही सिंचाई में पानी पिला दें। खारे पानी को मीठा बनाने की क्यों नहीं सोचते हैं इसी प्रकार हमारे यहां से कच्चे बादल निकलते हैं वे यू.पी. में जाकर बरसते हैं और पहाड़ों पर जाकर बरसते हैं फिर लौटते हुये हमारे यहां पर बरसते हैं उनको पहले ही हमारे यहां पर क्यों नहीं बरसा लिया जाय ? हमारे यहां से मई 27 से 28 अगस्त तक ये बराबर बादल निकलते हैं....

श्री अध्यक्ष : आप भी अब मृग मरीचिका की बात कर रहे हैं।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : यह मृग मरीचिका की बात नहीं है आज के युग में कृत्रिम बरसात करा सकते हैं, कृत्रिम बरसात असम्भव नहीं है। जो कच्चे बादल हैं उनको बरसा सकते हैं। हमारे यहां पर बाजरा नहीं होता है बाजरी होती है उसको एक बरसात के अलावा अगर दूसरी बरसात मिलय जा तो कई मन ज्यादा बाजरी हो

187

(श्री देवदत्त तिवाडी)

सकती है, बहुत बढ़िया फसल हो सकती है। दूसरा, मैंने खारा पानी का निवेदन किया अब मैं उसके बारे में निवेदन करूंगा कि खारे पानी को मीठा पानी बनाया जा सकता है। अभी इजराइल ने ऐसा प्रयोग किया है कि उसने खारे पानी को मीठा पानी करके अपने यहां के रेगिस्तान को हरा-भरा किया है। हमारे नजदीक में 60-70 मील की दूरी पर भाखासर के पास समुद्र लगता है, क्यों नहीं उसके पानी को मीठा बनाया जाय, हमारे यहां पर लिग्नाइट निकलता है, उससे खारे पानी को मीठा करने में मदद मिल सकती है। जब नहरें आयेंगी तो पाइप के प्रेशर से ही जो पानी दिया हुआ है, उसी से धोरों को सरसब्ज कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री धारा राम।

श्री धाराराम (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की 80 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है। इसलिए खेती के लिये सिंचाई की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जब बनी थी वह सिंचाई को मद्दे नजर रखते हुए बनाई गई थी और ज्यादातर बजट जो पहली पंचवर्षीय योजना में रखा गया था वह सिंचाई के लिये रखा गया था। उसी के आधार पर देश के अन्दर बड़े-बड़े बांध बनाये गये थे जिसका प्रतिफल हमको मिला। हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गये। सन् 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, उसके राज में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत और दूसरे कामों में हमारे अनाज के भण्डार खाली कर दिये गये, इन्होंने देश की अर्थ व्यवस्था को चौपट कर दिया।

श्री अध्यक्ष : सोना भी...

श्री धाराराम : सोना भी चौपट कर दिया, सीमेन्ट के भण्डार चौपट कर दिये, शक्कर के भण्डार चौपट कर दिये, अनाज के भण्डार चौपट कर दिये और सारी अर्थ व्यवस्था चौपट कर दी। इसके लिए मैं जनता पार्टी को यह सुझाव देता हूं कि उनको तो देश की जनता से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिये जिस प्रकार से सूरदासजी ने कहा है-

प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो,
समदर्शी है नाम तिहारो,
चाहे तो पार करो,
प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो।

इसी तरह से देश की जनता आपको माफ भी कर सकती है। क्योंकि आपने कोई कम गुनाह नहीं किया है इस देश की जनता के साथ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सिंचाई के बारे में, कि बाड़मेर और जैसलमेर ये दो जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बहुत ही विस्तृत हैं लेकिन यहां पर पानी की कमी की वजह से खूब जमीन होते हुए भी सिंचाई के अभाव में जितना खाद्यान्न हम यहां उत्पन्न करना चाहते हैं, उतना उत्पन्न नहीं कर पाते। इसलिए राजस्थान केनाल को यदि जल्दी से जल्दी जैसलमेर और बाड़मेर तक पहुंचाया

(श्री घाराराम)

जाय तो दोनों जिलों से इतना अनाज उत्पन्न हो सकता है कि देश की पूरी जनता को उपलब्ध कराया जा सकता है। इसलिए मेरा सरकार से विशेष निवेदन है कि विशेष ध्यान देकर राजस्थान केनाल को जल्दी से जल्दी जैसलमेर और बाड़मेर तक पहुंचावें।

दूसरा, मेरा सरकार से यह निवेदन है मैं मेरे क्षेत्र सिवाना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। भारत का स्वर्ग, अध्यक्ष महोदय, कश्मीर कहलाता है, और बाड़मेर जिले का क्षेत्र यदि कहीं पर है तो सिवाना तहसील क्षेत्र है यह बात सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। समदड़ी क्षेत्र के गांव तो, जो 40-50 गांव हैं, लूणी नदी के किनारे होने से सिंचित हो जाते हैं बाकी के सिवाना क्षेत्र के जो 40-50 गांव हैं वहां पर पानी तो है लेकिन कुओं में वाटर लेवल बहुत नीचा है, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सिवाना क्षेत्र में जो कि एक पहाड़ी इलाका होने से बरसात होते हुए भी जो पानी होता है वह इधर उधर बिखर जाता है जिससे बड़ा भारी नुकसान होता है, इसलिए अगर वहां पर बांध के रूप में छोटे-छोटे एनीकट्स बनाये जा सकें तो उस पानी का उपयोग किया जा सकता है और कृषकों और खेती को अच्छा लाभ पहुंच सकता है। मैंने माननीय मन्त्री महोदय से दन्ताला बांध के बारे में निवेदन किया था, उसका सर्वे भी कराया गया था। लेकिन दुख की बात है, मैंने बजट देखा उसमें वह नहीं है। इसलिए इस सम्बन्ध में विशेष रूप से मेरा निवेदन है कि सरकार दन्ताला बांध को जल्दी से जल्दी बनावें तो सिवाना तहसील के गांवों में जो कुओं का जल स्तर नीचा जा रहा है, उससे 10-12 गांवों के कुओं का जल स्तर ऊंचा उठ सकता है और खेती में अच्छी मदद मिल सकती है, कृषकों को फायदा हो सकता है।

दूसरा, मेरा सरकार से निवेदन है कि हर तीसरे-चौथे साल में लूणी नदी में भयंकर रूप से बाढ़ आती है। जो लूणी नदी के किनारे के गांव हैं वे बरसात में फंस जाते हैं और जान-माल की बहुत हानि होती है। उसका पानी कहां पर जाता है और कहां से आता है, यह तो हमारा सौभाग्य है कि हमको मीठा पानी मिलता है, इस बारे में हम प्रकृति के शुक्रगुजार हैं। लेकिन कभी-कभी लूणी नदी विकराल रूप धारण करके नुकसान भी पहुंचाती है, इसलिए मेरा निवेदन है कि वह पानी कहां से आता है और कहां जाता है, हम उसका उपयोग क्यों नहीं कर पाते हैं, नुकसान तो हम उठा लेते हैं, लेकिन वह पानी आगे कहां तक जाता है, इसके लिए एक विशेष योजना बनायी जानी चाहिये उस पानी को इकट्ठा करके उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है, जिससे आस-पास के गांवों को फायदा पहुंच सकता है। इससे जोधपुर, बाड़मेर और जालौर के गांव भी लाभान्वित होंगे। इसलिए इसके लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाय और विशेष बजट रखा जाय तो यहां की जनता को फायदा मिल सकता है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री धाराराम : एक निवेदन मेरा यह है, अध्यक्ष महोदय, लूणी नदी में 1979 में बाढ़ भयंकर रूप से आई थी, उससे काश्तकारों के कुएं नष्ट हो गये थे तो सरकार ने क्षतिपूर्ति के लिये किसी को आठ हजार, किसी को चार हजार, किसी को दो हजार रुपये दिये थे लेकिन वह पैसा कृषकों को किसी को मिला और किसी को नहीं मिला अभी तक, इसलिए सरकार से मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि उस पर विशेष ध्यान देवें जो, लोग बाकी रह गये हैं उनको वह बकाया राशि दी जावे ताकि वे अपने कुओं की मरम्मत करा सकें। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, इस बात को दोनों ही पक्ष स्वीकार करते हैं कि राजस्थान की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है, इस बात को ट्रेजरी बैन्चेज के मैम्बर भी कहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो योजनायें हमारे प्रदेश में चल रही हैं उन योजनाओं को यदि समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर शुरू किया जाय और यह तय किया जाय कि जो योजना हम शुरू कर रहे हैं, वह निश्चित अवधि तक पूरी हो जाय, किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण रुकावट आ सकती है लेकिन उसकी अवधि की एक सीमा होनी चाहिये। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी योजना शुरू की जावे, पांच साल में या बीस साल में एक निश्चित अवधि में उसको पूरा किया जावे। लेकिन आज हम देखते हैं कि 30-32 साल के बाद भी कई योजनायें पूरी नहीं हुई। झालावाड़ जिले की भीमसागर परियोजना, माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 46 से चल रही है। सन् 46 से लेकर 76 तक उसके ऊपर जो भी पैसा लगता है, बरसात के पहले; वह बरसात आते ही उसमें बह जाता है। सन् 46 से लेकर सन् 76 तक उसमें एक इंच का भी निर्माण कार्य नहीं हुआ। सन् 77 में सौभाग्य से जनता पार्टी की सरकार आई तो उस पर कार्य शुरू हुआ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कितना पैसा लगा ?

श्री अनंगकुमार जैन : आप ही की किताबें से बोल रहा हूं; सुन तो लो। अध्यक्ष महोदय, 1965 से यह योजना चल रही थी, 65 से 76 तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई। 77 में, अध्यक्ष महोदय, पहली बार वर्ष 78-79 में इस योजना पर 103.76 लाख रुपया खर्च किया गया, 79-80 में 90.10 लाख और वर्ष 81-82 में इसके लिये 175 लाख का प्रावधान रखा गया लेकिन 175 लाख में से 90 लाख ही इस वर्ष खर्च कर पाये। 85 लाख रुपया और इस पर खर्च होना चाहिये था जो नहीं हुआ। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं मार्च, 82 में इस योजना को पूर्ण करने के लिये प्रावधान रखा था, लेकिन 85 लाख रुपया ही खर्च हुआ है कास्ट बढ़ जायगी उसके बाद सरकार के सामने एक

(श्री अनंग कुमार जैन)

समस्या आएगी बी० सी० रेश्यो की उस समस्या के आधार पर इन तमाम परिस्थितियों का भार किसानों पर पड़ेगा। आज नहीं तो कुछ समय बाद जो सिंचाई की दर है वह बढ़ाई जायगी। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो योजनायें चालू हैं, जिन पर काफी पैसा खर्च हो चुका है, उनको पहले पूरा किया जाय तथा उन योजनाओं पर जो पैसा रखा गया है वह पैसा उस वर्ष के अंदर निश्चित रूप से खर्च किया जाय।

दूसरी ओर हरिश्चन्द्र सागर योजना है। सरकार की ओर से यह भी नहीं कहा गया है, 1965 से जिसको सरकार मानती है कि चालू है, 1969–70 में इतना पैसा खर्च किया गया, यह भी नहीं कहा गया कि अगले 100 साल में पूरा किया जायगा। कोई समय तो इसके लिए तय किया जाना चाहिए था कि यह योजना फलां वर्ष में तैयार हो जायगी उसके बाद जनता को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायगी। हरिश्चंद्र सागर के बारे में यह लिखा है कि यह योजना खानपुर तहसील में बनाई जा रही है इस योजना को छठी पंचवर्षीय योजना में पूर्ण किए जाने का प्रस्ताव है। इसमें कोई पर्टीकूलर ईयर नहीं दिया है, अध्यक्ष महोदय, कि फलां वर्ष तक इस योजना को पूरा किया जायगा। इसके बाद इन योजनाओं को शुरू....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री अनंगकुमार जैन : दो मिनट में समाप्त करूंगा। छावी परियोजना है। इस योजना से 8 हजार एकड़ भूमि सिंचित होगी। इसकी लागत 590 लाख रुपए आंकी गई है उस पर सरकार ने केवल 5 लाख का प्रावधान किया है। एक तरफ बजट के प्रावधान को खर्च नहीं कर पाते जिसकी लागत 590 लाख रुपए आती है उसके लिए 5 लाख का बजट में प्रावधान किया है। बजट इतना दिया जाय कि उसमें से कुछ पैसा बहबूदी के लिए खर्च हो, एक्चुअल वर्क सामने नजर आए। 5 लाख रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जायेंगे। अगले वर्ष की किताब में एक लाइन नजर आएगी कि 5 लाख रुपया खर्च किया गया लेकिन बहबूदी पर कुछ भी नहीं हुआ...

श्री अध्यक्ष : प्रशासनिक भवन बनाये जायेंगे।

श्री अनंगकुमार जैन : 590 लाख रुपए में से 5 लाख दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने भीमसागर परियोजना के बारे में निवेदन किया था। मैं मंत्री महोदय से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि उस योजना में जो कार्य चल रहा है, उस योजना के अन्तर्गत जो गांव डूब में आने वाले हैं उस गांव में स्थिति यह है कि उनकी जमीन डूब में आ गई काश्तकारों की, उनके मकान डूब में नहीं आ रहे हैं तो विभाग द्वारा उनसे कहा जा रहा है कि जमीन का मुआवजा दिया जायगा लेकिन मकान का नहीं। अध्यक्ष महोदय, जो गरीब काश्तकार हैं उनके दो मंजिले या 4 मंजिले मकान नहीं होते। उनकी कृषि की जमीन होती है जब वह डूब में आती है तो उनको निश्चित रूप

(श्री अनंगकुमार जैन)

से वह गांव छोड़ना पड़ेगा, दूसरे गांव में जाकर बसना पड़ेगा । इसलिए आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन गांवों में काश्तकारों की जमीन डूब में आगई है उन गांवों के काश्तकारों के मकानों का मुआवजा दिया जाय, ऐसे निर्देश निश्चित रूप से विभाग को दें।

अछनावर गांव का अगले वर्ष अधिकांश हिस्सा डूब में आ जायगा, वहां के लोगों को मकान खाली करने पड़ेंगे लेकिन अभी तक मकान के बावत मुआवजा नहीं दिया गया है और मुआवजे की दर विभाग द्वारा बताई गई है 15 रुपए प्रति वर्ग फुट...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये ।

श्री अनंगकुमार जैन : इस समय में 15 रु. या 20 रु. प्रति वर्ग फुट से कौन सा मकान मिल सकता है ? जो मकान उस डूब में आ रहे हैं और जिन किसानों की जमीन ली जा रही है, उनके मकानों का मुआवजा निश्चित रूप से सरकार देने के निर्देश दे और जो गांव डूब में आ रहे हैं उनको बसाने की समुचित व्यवस्था करे ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई । मंत्री महोदय ।

(व्यवधान)

अब समय नहीं है ।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : हमारे जिले के डवलपमेंट का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिन्होंने भी इच्छा व्यक्त की थी लगभग सभी माननीय सदस्यों को अवसर दे दिया गया, बहुत समय हो गया ।

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बकोलिया : मैं 4 घंटे से कोशिश कर रहा हूं ।

व्यवस्था का प्रश्न

कटौती प्रस्ताव पर विचार व्यक्त करने का अवसर व कटौती प्रस्तावों के लिखित उत्तर

श्री गोविंदसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : व्यवस्था का प्रश्न है । अध्यक्ष महोदय, मैंने रूल 145 के तहत कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया । आपने नियम 147 के तहत उसको स्वीकार किया । मेरा नाम आज आपकी सूची, जो सर्कुलेट हुई है, में 42वें नंबर पर है, तो मेरा निवेदन यह है कि सरकार से हम कुछ कहना चाहते हैं, कटौती प्रस्ताव देते हैं उन पर हमको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता । मेरी आपसे दो विनतियां हैं उन पर आप व्यवस्था दें । एक तो पूर्व में आपकी जो रूलिंग हुई है कि जो कटौती प्रस्ताव देते हैं, उन आदमियों को बोलने में प्राथमिकता दी जाती है । वे लोग बोल गए हैं जिनके कटौती प्रस्ताव नहीं हैं । होना यह चाहिए था कि पहले उन लोगों को

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

वरीयता दी जाती जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिए हैं।

दूसरा मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अगर किसी वजह से सरकार या आप हमको समय नहीं दे सकते तो यह व्यवस्था है आसन की पूर्व में कि उन कटौती प्रस्तावों का सरकार लिखित में उत्तर दे। मैं, आपकी, इन दोनों बातों पर व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि उनका कटौती प्रस्ताव था और उनको अवसर नहीं दिया गया जब कि अन्य माननीय सदस्यों को अवसर दे दिया गया। इसमें जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया था और दो तीन अलग–अलग अवसरों पर निवेदन कर चुका कि यहां पर यह परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्य प्रस्तुत करते हैं, उनको एक साथ ही प्रस्तुत किया हुआ मान लिया जाता है। उसके पश्चात् अलग-अलग दलों के सचेतक महोदय सूची दे देते हैं उस हिसाब से हम नाम पुकारते रहते हैं। वैसे भी कोई भी विषय जो सदन के समक्ष प्रस्तुत होता है वह विषय सदन की सम्पत्ति बन जाता है। यदि किन्हीं माननीय सदस्यों ने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया हो, तो भी उनको विचार व्यक्त करने का अधिकार है। वाद विवाद ठीक ढंग से हो, इसलिए हमने यह व्यवस्था कर रखी है कि सभी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत मान लिए जाते हैं, तो जो आपके दल के सचेतक ने सूची दी है उसके अनुसार हम नाम पुकार लेते हैं और जब आसन यह समझ लेता है कि इस विषय पर पर्याप्त चर्चा हो गई है और महत्वपूर्ण कोई भी मुद्दा शेष नहीं रहा...

श्री छोगाराम बकोलिया : सिरोही जिले का रह गया।

श्री अध्यक्ष : तो वाद-विवाद समाप्ति की घोषणा कर देते हैं।

जहां तक माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न उठाया है, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं उनका लिखित में सरकार की ओर से उनको उत्तर मिल जाय। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था है। जितने भी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं उनका लिखित में उत्तर आपके पास आता है, आएगा और यदि उसमें कुछ शिकायत हो तो आप उसकी सूचना आसन को दे सकते हैं। मैं समझता हूं इसमें पर्याप्त चर्चा हो चुकी। मैं समझता हूं जितने भी अलग–अलग पक्ष हैं उन्होंने अपनी अपनी बात कह दी लेकिन जो सिंचित क्षेत्र के माननीय सदस्य हैं....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। जितने सिंचित क्षेत्र के हैं जैसे गंगानगर के उनकी ओर से माननीय सदस्यों के सुझाव काफी आए हैं अथवा नहीं आए हैं। दूसरे जिन माननीय सदस्य के क्षेत्र में एक एकड़ भी सिंचाई नहीं

(श्री अध्यक्ष)

है उन्होंने भी इसमें कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये...

(व्यवधान)

अब आप बिराजिये। मैं समझ गया आपकी बात।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। आप इतने माननीय सदस्य चाहते हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आधा घंटे के लिए और बढ़ा देता हूं।

एक माननीय सदस्य : एक घंटा बढ़ायें।

श्री अध्यक्ष : आधा घंटा काफी है... आसन पैरों पर है...

एक माननीय सदस्य : पाइन्ट आफ आर्डर, सर...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठेगा। अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि काफी माननीय सदस्य की राय है कि समय बढ़ाया जाय।

क्या सदन की सहमति है कि सदन की कार्यवाही का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से इन विचाराधीन मांगों के पारण तक के लिए इस बैठक का समय बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 46 व 38 पर विचार

माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि कृपया पांच मिनट से अधिक समय न लें ? यह नहीं हो कि बार-बार फिर घंटी बजाकर आपका जो भाषण चल रहा है उसके अन्दर बाधा उपस्थित करनी पड़े। ऐसा मैं नहीं चाहूंगा।

अब, माननीय महाराम जी चौधरी आपके यहां हालांकि कोई सिचाई की सुविधायें नहीं हैं लेकिन आपके कुछ सुझाव शायद मूल्यवान हो सकते हैं इसलिए बोल लें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण मैं अवसर दे रहा हूं पांच पांच मिनट का।

श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां सिचाई की तो सुविधायें नहीं हैं इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि मेरे यहां भी सिचाई की सुविधायें होनी चाहिए, मेरे यहां फलोदी क्षेत्र में भी यह सुविधा होनी चाहिए। पश्चिमी राजस्थान सिचाई के लिहाज से हमेशा ही शिकार रहा है। राजस्थान कैनाल का पानी लिफ्ट इरिगेशन से लाकर इस क्षेत्र को पानी की सुविधा दी जाय तो यह क्षेत्र उपजाऊ हो सकता है। यहां उपजाऊ जमीन है, खेती बाड़ी अच्छी हो सकती है। यहां के काश्तकार खेती बाड़ी करने के अन्दर माहिर हैं इसलिए मेरा यह निवेदन

(श्री महाराम चौधरी)

है कि इस छठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर लिफ्ट इरिगेशन मे चूरू, नागौर, फलौदी क्षेत्र के अन्दर यह योजना चालू होनी चाहिए और इसके लिए बजट में प्रावधान रखना चाहिए ।

दूसरे सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में बंधों के नाम बताये लेकिन मेरे वहां तो एक भी बंधा नहीं है । जब तक लिफ्ट इरिगेशन से पानी नहीं आ सकता तब तक मेरा सुझाव है कि अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा वहां पहले ही सर्वे किया हुआ है लेकिन डिटेल्ड सर्वे नहीं कराया हुआ है, तो इसके साथ कुओं को गहरा करने के लिए, ट्यूबवैल खोदने की व्यवस्था की बहुत गुंजाइश है । अगर वहां बड़ी योजनायें लागू नहीं हो सकती हैं तो कुएं खोदने का तो काम होना ही चाहिए । जिस जगह पर भू-संरक्षण का काम है वह तो इस क्षेत्र में ठीक ढंग से चालू किया जा सकता है । जहां छोटे-छोटे तालाब हैं उनकी खुदाई की जाय जिससे पानी का स्तर ऊंचा आये और उन लोगों को यह सुविधा हो जाय । आपके भू-संरक्षण का काम करने की जैसी गुंजाइश नहीं है तो इस भू-संरक्षण के अन्दर ही कड़ा बंदी का काम हो । यह रेगिस्तानी क्षेत्र में बहुत महत्व रखता है इससे उसमें घास फूस आ जाती है । इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है । यह कार्य हमारे क्षेत्र में किया जाना चाहिए ।

राजस्थान केनाल का लिफ्ट इरिगेशन से पानी इस क्षेत्र के अन्दर लाने के लिए पिछली सरकार अवहेलना करती आई है । जनता पार्टी की सरकार ने तो पांच-छः साल पीछे धकेल दिया है । तो मैं आसन से सरकार को यह आदेश दिलाना चाहता हूं कि लिफ्ट इरिगेशन से इस क्षेत्र के अन्दर पानी लाने का बजट में प्रावधान कराया जाय । बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष: श्री सुनील कुमार विश्नोई ।

श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है । जैसा कई सदस्य कह चुके हैं, हमारे देश की आर्थिक स्थिति और पैदावार इरिगेशन के ऊपर डिपेण्ड करती है । जिस क्षेत्र से मैं आता हूं-सूरतगढ़ क्षेत्र राजस्थान कैनाल का अधिकांश भाग उस क्षेत्र में है । जितना इस बजट से इस इलाके को फायदा होना चाहिए था, जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे वह प्रायः देखने में आता है कि नहीं मिल पा रहे हैं । इसके कई कारण हो सकते हैं । राजस्थान कैनाल में भी कई डिफेक्ट्स हैं, गंग कैनाल के बारे में कई शिकायतें हैं । आफिशियल्स से मिलते हैं तो वह बताते हैं कि हमारी सरकार नाकामयाब रही है । उनसे पूछते हैं कि क्यों नाकामयाब रही, तो वह कहते हैं कि आप अपना शेयर पंजाब से नहीं ले पाये हैं । इस समय मैं सिंचाई मंत्री जी से और सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि अपनी यथाशक्ति लगाकर पूरी क्षमता लगाकर, पूरा जोर लगाकर जो हमारा हिस्सा बनता है, पंजाब से जो हमारा वाजिब हक है वह लिया जाय । वह लेने में हम समर्थ नहीं होते हैं तो सरकार को यह कहने का हक

(श्री सुनील कुमार बिश्नोई)

नहीं है कि हम सिंचाई की सुविधा दे रहे हैं। आज हम हक ही नहीं दे रहे हैं तो सुविधा क्या दे पायेंगे ?

दूसरा, देखने में आता है कि जो हमारे सिंचाई के लिए रेगूलेशन्स बनते हैं उसमें यह होता है कि जब हमारी बीजाई का टाइम होता है तो उस समय पूरा पानी मिलता नहीं है हमें। पंजाब वालों ने 6 महीने का कान्ट्रेक्ट बना रखा है कि इतना पानी राजस्थान को देना है। इसमें प्रापर रेगूलेशन नहीं है। उसमें जब वह चाहते हैं, जब उनकी डिमाण्ड होती है, बिजाई के टाइम या फसल पकती है उस टाइम हमारी भी जरूरत होती है तो उस समय वह ज्यादा पानी ले लेते हैं और राजस्थान को पानी नहीं मिल पाता है। जो भी हमारी व्यवस्था है इसमें हम कोई ऐसा कदम उठायें कि जो हमारा शेयर है वह सही वक्त पर मिल जाय जब कि हमें भी पूरी जरूरत होती है।

मैं पूरे इलाके में घूमा हूं, वहां पर वाटर चैनल्स बनाई हैं। वाटर चैनल्स का नाम तो मैं पढ़ने में असमर्थ रहूंगा क्योंकि बहुत लम्बी लिस्ट है लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि इन वाटर चैनल्स को इरिगेशन डिपार्टमेन्ट बनाई है उनका पानी चलाकर दिखा दें। उनके लेवल्स में गल्फ है। दो चार नाम बता सकता हूं मैं, 6 के. एन. डी. है, 10 के. एन. डी. है, 14 के. एन. डी. है, 22 के. एन डी. है और ऐसी कई जगह हैं, जहां इन्होंने वाटर चैनल्स बना दीं लेकिन उनमें पानी नहीं चलता है। काश्तकारों से वसूली की जा रही है। वसूली भी किस हिसाब से कि 9-9 हजार रुपया एक मुरब्बे के लेते हैं। यानि पंजाब में पंचायत के जो खाले बने हैं वह 5-6 हजार में बन जाते हैं तो यह 9 हजार में बनाते हैं। उसमें 34 पर्सेन्ट कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेन्ट चार्जेज हैं, इसमें मकान और बिल्डिंग बनी हैं वह चार्जेज भी हैं। जो भी एस्टेब्लिशमेन्ट चार्जेज हैं, मकान बिल्डिंग के हैं वह इसमें इन्क्लूड किये गये हैं यह एक्सक्लूड करने चाहिए और सरकार को इसको वहन करना चाहिए। इससे 34 पर्सेन्ट की राहत तो काश्तकारों को सीधे ही मिल जायगी।

दूसरे, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मिठवाल के पास राजस्थान मेन कैनाल के ऊपर 45 से 60 फुट का हाल है। वहां इलेक्ट्रिसिटी आसानी से जनरेट की जा सकती है। हाल को यूनाइट करके एक बना दिया जाय। वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रोग्राम सरकार, वार फुटिंग पर बनाये तो हमें काफी राहत मिल सकती है।

दूसरे, एक चीज देखने में आई है कि गंग केनाल बने पचासों साल हो गए हैं। उस समय गंग कैनाल के साथ साथ वायरलाइन पहले लगाई थी जिससे कि उनका रेगूलेशन या कन्ट्रोल कर सकें। राजस्थान केनाल इतना बड़ा प्रोजेक्ट होते हुए भी मीन्स आफ कम्युनिकेशन्स पहले नहीं बनाये जिससे कि सिस्टेमेटिक रेगूलेशन कर सकें। उदाहरण के तौर पर बीकानेर की लिफ्ट केनाल पर पानी देते हैं मिठवाल से तीन चार स्टेशन है जहां से पम्पिंग किया जाता है।

(श्री सुनील कुमार विश्नोई)

मिठवाल के पास इसका हैड है और मिठवाल से लास्ट एण्ड तक कोई मीन्स ग्राफ कम्युनिकेशन या लिंक नहीं है। यहां से हम चलते हैं और बीच में ग्राकर एक भी जगह बिजली गायब हो जाय, यहां से पम्पिंग चालू होता है तो मालूम नहीं पड़ सकता। यह पानी छोड़ते हैं तो कई बार तो गांव खाली कराने की नौबत ग्रा जाती है। उदयपुर गांव चपेट में ग्राया जो हर रोज खाली होता है और वापस बसता है। माननीय सिंचाई मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस ग्रोर ध्यान देकर इसको जल्दी से जल्दी हल करें चाहे वायर से कनेक्ट करें या ऐसा सिस्टम बनायें जिससे यह गांव डूबने से बचा सकें।

माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल के लिए हम एक तरफ कहते हैं पानी की कमी है फिर देखने में ग्राता है वहां पर डिप्रेशन्स भरे पड़े हैं जिनमें हजारों क्यूसेक्स पानी भरा पड़ा है जो कि बर्बाद हो रहा है। उससे सूरतगढ़ ग्रौर ग्रासपास के गांवों को पानी दिया जा सकता है। एक तरफ तो कहते हैं कि पानी नहीं है दूसरी तरफ हजारों क्यूसेक्स पानी छोड़ते हैं ग्रौर इलाका बर्बाद हो रहा है। ग्राज भी स्थिति वही है जाकर हम देखें तो पूरे डिप्रेशन्स भरे मिलेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी हल निकालें। एक ग्रौर स्कीम है। एक नहर बन रही है, यह जल्दी बन जाय तो काफी इलाके को राहत मिलेगी, ग्रौर सिंचाई होगी तो हमारी पैदावार भी इससे बढ़ सकती है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मेरी एक ग्रौर दरख्वास्त है कि सरकार कमेटी बनाये। खालों की कोई कम्पलेन्ट हो, वह कमेटी ग्राकर खालों को देखे ग्रौर गलत पाये तो उन ग्रधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के पावर्स दिये जायं।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई के ग्रनुदानों की मांगों पर कुछ निवेदन करना चाहूंगा। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से राज्य सरकार के मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा विसलपुर योजना बनास नदी पर वरसों से चली ग्रा रही है वह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। ग्रध्यक्ष महोदय, सन् 61-62 में पहले ही सर्वे हो चुका था, उसमें 58 लाख रुपये का खर्चा ग्राया था। इसमें 28 हजार एकड़ सिंचाई के लिए योजना बनी थी। एक ग्ररब 17 करोड़ की योजना थी। यह एडवरटाईज भी की गई थी। दूसरे, ग्राम जनता टौंक जिले की ग्रभी तक मोहताज हो रही है ग्रौर वह योजना की ग्रपेक्षा भी कर रही है। मेरी समझ में नहीं ग्राता कि ग्रभी सरकार इसको हाथ में लेना चाहती है कि नहीं। इस योजना को हाथ में नहीं लिया गया तो जो पिछले बीस वर्षों से ग्रजमेर, केकड़ी नसीराबाद को पानी इस योजना द्वारा दिया जा रहा था वह ग्रब ग्रागे ग्राने वाले समय में संकट में पड़ जायगा। ग्राज 45 ट्यूब वैल मेरे क्षेत्र में हैं जो ग्रब लगभग सूख चुके हैं। ग्रभी नये 25 कुएं ग्रौर चालू किये हैं, पर ग्रभी तक कोई सुधार नहीं हुग्रा है। इन कुग्रों के नीचे दलवासा, देवपुरा, इन्द्रपुरा के कुएं

(श्री चतुर्भुज)

सूख चुके हैं और खेती नष्ट हो रही है। किसानों व पशुओं को पानी की बहुत ही दिक्कत आ रही है। इसलिए मैं राज्य सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि बिसलपुर योजना को हाथ में लेना बहुत जरूरी है। अगर आप ने वहाँ के स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो हो सकता है कि वहां के स्थानीय लोग आन्दोलन का रूप ले सकते हैं क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब हो रही है। वहाँ पर लोग पाइपों को तोड़ देंगे इसलिये मेरा सुझाव है कि वहां के लोगों की पेयजल की समस्या को सुधारा जाय, सिंचाई के साधन बढ़ाये जायें। अध्यक्ष महोदय, इस योजना को पूरा होने में दस साल लगेंगे। अभी से अगर इस काम को हाथ में नहीं लिया गया तो अजमेर, केकड़ी और नसीराबाद की जनता को बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि वह बिसलपुर योजना को हाथ में लेने की घोषणा आज सदन में करें। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : (नसीराबाद) अध्यक्ष महोदय, मैं सर्व प्रथम तो राजस्थान नहर के बारे में आपके मार्फत मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान नहर जो कि हमारे सुख और समृद्धि के लिए हमारी जीवन रेखा है, को पूर्ण करना बहुत ही आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल हमारे राजस्थान के लिए जीवन और मरण का प्रश्न। है इसके साथ साथ राजस्थान नहर युद्ध की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति का अंग है। अध्यक्ष महोदय, गत जो हिन्दुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ था उसमें आपको याद होगा कि किस तरह पाकिस्तान ने अपने इलाके में एक इच्छोगिल नहर का निर्माण करके हमारी फौजों को आगे बढ़नेसे रोका था। इसी तरह पंजाब ने भी अपने इलाके में नहरों का जाल बिछा दिया हैं। अब पाकिस्तान के पास एक ही राका है अगर कभी युद्ध हो, तो वह है पश्चिमी राजस्थान का इलाका। अगर इस क्षेत्र में नहर आ जाती है तो शत्रु हमारे इधर आने में...

श्री अध्यक्ष : रेगिस्तान के इलाके में तो शत्रु को आने में जोर पड़ेगा क्योंकि उस इलाके में पीने का पानी नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गत लड़ाई का अनुभव उठाकर शत्रु इसका फायदा उठा सकता है। इसलिए मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि वह राजस्थान नहर, जो कि हमारे राजस्थान के लिए बहुत ही आवश्यक है को जल्दी से जल्दी पूरा करें, इसमें कोई कोताई नहीं बरतें। राजस्थान नहर के लिये मैं राज्य सरका

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

को यह सुझाव ग्रापके माध्यम से देना चाहूंगा कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार पर ग्रोर सेना के विभाग पर दबाव डाले। चूंकि हमारे देश की सेना वहां पर रेगिस्तान में रहती है उसको भी इस क्षेत्र में परेशानी होती है इसलिए सेना के विभाग से भी राज्य सरकार को चाहिये कि पैसे की मदद ले। ग्राज बहुत बड़ा रेगिस्तान का इलाका पड़ा है उन्हें भी युद्ध के लिए जरूरत पड़ती है तो इस ग्रोर उनकी भी मदद लेने का प्रयास करके इस नहर को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिये।

ग्रध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है ग्रजमेर जिले के बारे में। ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रजमेर जिला हमेशा से ही सिचाई के क्षेत्र में पिछड़ा हुग्रा है। वहां सिचाई के कोई साधन नहीं हैं। वहां पर सिचाई के साधन नगण्य हैं, वहां पर कोई नदी नहीं है, कोई नहर नहीं है। ग्रापने खुद ने जैसा फरमाया कि ग्रजमेर में कोई सिचाई के साधन नहीं हैं। इसलिये मैं ग्रापके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां दूसरे जिलों में सिचाई के साधन राज्य सरकार ने किये हैं, उसी तरह ग्रजमेर की भी सिचाई के लिए योजनायें बनाकर ग्रजमेर जिले को दूसरे जिलों के बराबर लाया जाय। इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि चम्बल योजना को पूरा किया जाय जिससे लिफ्ट-इरिगेशन से ग्रजमेर जिले को पानी पहुंचाया जा सके। इसलिये, ग्रध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी योजनायें हैं उनके तकनीकी काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय। लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से ग्रजमेर जिले को पानी देने की कृपा करें। ग्रध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जैसा कि माननीय सदस्य चतुर्भुज जी ने यहां पर बताया कि ग्रजमेर जिले को ग्रभी जो पानी दिया जा रहा है, जिसमें ग्रजमेर, नसीराबाद, केकड़ी है, उन कुग्रों में भी पानी की बहुत कमी हो गयी है। नेगड़िया में कुएं सूख गये हैं ग्रब जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया बिसलपुर योजना को चालू करके ग्रजमेर, नसीराबाद ग्रौर केकड़ी में ग्रधिक पानी की व्यवस्था नहीं की गयी, तो ग्राने वाले दिनों में ग्रजमेर जिले को पानी की भयंकर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि वहां जो न ये कुएं खोदे गये हैं उनमें भी पानी का लेवल बहुत नीचे है। इसलिए मेरा राज्य सरकार को ग्रापके माध्यम से सुझाव है कि बिसलपुर योजना को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय ग्रौर चम्बल नदी से भी लिफ्ट इरिगेशन की योजना को ग्रजमेर जिले के लिये जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय।

ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रब मैं थोड़ा ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं कि जब से पिछले सालों में ग्रजमेर जिले में बाढ़ ग्रायी ग्रायी है तब से वहां के जो पुराने सिचाई के तालाब थे वह सभी टूट गये हैं, छोटे-छोटे बान्ध थे वह भी टूट गये हैं ग्रभी तक इतना समय बीत जाने के बाद

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

भी मरम्मत और रख-रखाव का काम पूरा नहीं हो सकता है। इधर और बरसात आने वाली है। गत वर्ष भी बरसात में पानी बेकार बह कर गया अभी भी इस बरसात में अगर इन बान्धों और तालाबों की मरम्मत नहीं करायी, तो और पानी बह जायगा। इसलिये मेरा राज्य सरकार से आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि अजमेर जिले में जो बान्ध टूट गये हैं और तालाब भी टूट गये हैं उनकी शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत करायी जावे ताकि अजमेर जिले को पानी मिल सके। इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो बजट में प्रावधान किया गया है सिंचाई के बान्धों के मेन्टीनेन्स के लिए वह भी बहुत कम है। यह राशि पर्याप्त नहीं है, राज्य सरकार को चाहिये कि इसको और अधिक बढ़ावे। ताकि कच्ची मोरियों को पक्की करके और आगे बढ़ाया जा सके जिससे कि सिंचाई अधिक जगह पर हो सके। आज कई तालाबों और बान्धों की मरम्मत नहीं हो रही है। इसलिये मेरा सुझाव है कि मेन्टीनेंस का काम जल्दी से जल्दी किया जावे। इससे अधिक राशि राज्य सरकार को प्रदान करनी चाहिये ताकि इन बान्धों और तालाबों का रख-रखाव का काम ठीक हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री छोगाराम बकोलिया

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे लगातार साढ़े चार घण्टों के प्रयास करने के बाद मुझे आपने अपनी मांगों के बारे में बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके लिये आपका बहुत आभारी हूं। इसके साथ-साथ मैं आपको सिरोही जिले के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले के बारे में आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं यहां पर पहले सिरोही जिले की जियोफिकल कन्डीशन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको विदित है कि चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां माउन्ट आबू तथा राउआ के पहाड़ व वैराबल के बड़े-बड़े पहाड़ हैं। इन पहाड़ियों के कारण वहां पर बारिश भी अधिक होती है तथा बारिश होने से वहां पर नदियों का बहाव चलता ही रहता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर सिंचाई की योजनायें क्रियान्वित की जानी चाहिये ताकि जो पानी वहां बेकार जाता है वह बेकार नहीं जाय उससे सिंचाई हो सके। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ यहां पर इरिगेशन विभाग द्वारा अभी कुछ प्रोजेक्ट हाथ में लेने की योजना बनाई गई है इसके लिये मैं सिंचाई विभाग को बधाई देना चाहता हूं। इसमें मेन्सासर का बान्ध, अगरोल का बान्ध, गंगरली खेड़ा का बन्ध यह कुछ योजनायें सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गयी हैं। सूखली बांध योजना, जो 4.98 करोड़ रुपये की थी, की प्लानिंग डिपार्टमेंट ने स्वीकृति दे दी, वह सी. डब्ल्यू. सी. के कमेन्ट्स के लिये पड़ी हुई है। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अनुसार छठी

(श्री छोगाराम बकोलिया)

पंचवर्षीय योजना में वर्ष 81·82 में राज्य सरकार ने 10 लाख रुपये का प्रावधान रखा था। इस बजट के अन्दर मैंने देखा है कि सूखली बांध जो मीडियम प्रोजेक्ट 4.98 करोड़ का है, से चार हजार हेक्टेअर भूमि की सिंचाई की जा सकती है, जिसे 25 साल के प्रयास के बाद प्लानिंग डिपार्टमेंट ने पास किया है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इतने अथक प्रयासों के बाद में जिसको प्लानिंग डिपार्टमेंट ने स्वीकृत कर दिया था, कोई जिसमें इन्टर स्टेट डिस्प्यूट नहीं है, ऐसी स्थिति में सी. डब्ल्यू. सी. से स्वीकृति अगर नहीं हुई राज्य सरकार चाहे तो स्वीकृति दे सकती है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सूखली मध्यम प्रोजेक्ट के लिये जो रेवदर तहसील के अन्दर है? वापस बजट में प्रावधान रखा जाय। 10 लाख का जो प्रोविजन है उसको तो दे दिया जाय ताकि प्रिलिमिनरी वर्क्स शुरू किये जा सकें। इतने सारे प्रोजेक्ट्स होने के बाद हमारी यह मांग है कि एक एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर का आफिस सिरोही डिस्ट्रिक्ट में खोला जाय जिससे इतने सारे प्रोजेक्ट्स को डील विद कर सकें।

तीसरी मांग और रखना चाहता हूं पूरे सिरोही जिले का एक मास्टर प्लान बनाया जाय जहां एनीकट बनने हैं जहां पानी को रोकना है, उस हिसाब से कार्य हो सके। कारण इसका यह है कि सिरोही एरिया, आबूरोड तहसील ट्राइबल सब-प्लान के अन्दर पिण्डवाड़ा मिनी ब्लाक के अन्दर आता है। ऐसी स्थिति में मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा विशेष रूप से इरिगेशन डिपार्टमेंट का मास्टर प्लान बना कर स्कीम राज्य सरकार को देवें जिससे पूरे सिरोही जिले का चहुमुखी विकास इरिगेशन डिपार्टमेंट के तहत हो सके।

इसके साथ साथ, वैसे अजमेर जिले से हमें कोई गिला नहीं है, माननीय सुपरिन्टेन्डेट बहुत से कार्य करते हैं। सिरोही जिला और पाली जिला जोधपुर डिवीजन के पास आते हैं। अधीक्षण अभियन्ता, जो कन्ट्रोलिंग अथारिटी है, को अगर जोधपुर लगा दिया जाय तो हमारे यहां की जनता को काफी राहत मिल सकती है। उनसे सीधा सम्पर्क कर सकते हैं और समस्यायें हल हो सकती हैं। तीसरी चीज यह है कि रेवदर तहसील के अन्दर एनीकट्स की कमी है मैक्जीमम एनीकट्स तैयार किये जा सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि मैक्जीमम एनीकट्स का प्रावधान रखा जाय और सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराने की कोशिश करावें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान लिफ्ट सिंचाई योजना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में लिफ्ट सिंचाई योजना उपेक्षित रही है इसका कारण यह है कि आप लिफ्ट सिंचाई योजना नो प्राफिट नो लास बेसिस

(श्री रघवीर सिंह कौशल)

पर चलाना चाहते हैं। करोड़ों रुपयों की लिफ्ट सिंचाई योजनायें प्रारम्भ हुई लेकिन इस नो प्रॉफिट नो लॉस की नीति के कारण वह सब फेल हो गई। करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया लेकिन हम अपनी नीति को छोड़ने को तैयार नहीं। पिछली बार जनता शासन में मैंने रखा। हरियाणा और पंजाब में देखिये, लिफ्ट सिंचाई योजनायें नो प्राफिट नो लॉस बेसिस पर नहीं चल रही हैं। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। उसमें किसान पर नहीं आनी चाहिये। तत्कालीन सिंचाई मंत्री ने मेरा निवेदन स्वीकार किया और नो प्राफिट नो लॉस के सिद्धांत को छोड़कर केवल डबल चार्जेज लिये जायें यह नीति निकाल दी। उसके परिणामस्वरूप चार लिफ्ट सिंचाई स्कीम्स बनीं। एक अभी नहीं चल रही है, तीन चल रही हैं। मेरे क्षेत्र में वे सफल हैं। राजस्थान से बाहर के लोग लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को देखने के लिये आ रहे हैं, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि जिस वर्ष में वे प्रारम्भ हुई उसी वर्ष उनका उपयोग शुरू हो गया। अगर चार वर्षों में बनती तो कास्ट चौगुणी हो जाती। इस नीति संबंधी प्रश्न पर विशेष ध्यान दें।

लिफ्ट सिंचाई योजना अधिक चालू कर सकते हैं। जिस साल शुरू हो उसी वर्ष पानी देने लगती है। आपकी कास्ट में कितनी बचत होगी। सिंचाई विभाग द्वारा उस पर यदि विशेष ध्यान दिया जाय तो इसमें लोअर भी फ्लो इरिगेशन से 1/3 आती है, तत्काल लाभ है। अध्यक्ष महोदय, कोटा में चम्बल का लेवल इतना नीचे है, सन् 60 में लिफ्ट सिंचाई का प्रस्ताव था किन्तु नो प्राफिट नो लॉस के सिद्धांत से आज तक वह योजना नहीं बनी। सी. डब्ल्यू. सी. में अभी भी वह स्कीम पड़ी हुई है। राणा प्रताप सागर, बन गया, गांधी सागर बन गया, कोटा बैराज बन गया, नहरें बन गईं, सब कुछ हो गया, लिफ्ट सिस्टम प्रारम्भ करना है, जितनी चम्बल की नहरों से सिंचाई होती है एक चौथाई सिंचाई इससे हो जायगी। लेकिन कोई परश्यू नहीं कर रहा है। कोई क्वेरी कर लेते हैं तो सिंचाई विभाग में 6 महीने से उत्तर नहीं जायगा। परश्यू करने वाली बात है। पानी नहरों में बह रहा है, वेस्ट जा रहा है। सिवरेज की प्राब्लम है, मेरा निवेदन है लिफ्ट सिंचाई की ओर ध्यान दें। इसी साल प्रारम्भ कीजिये, इसी साल पानी लीजिये। मेरे यहां एक परवन लिफ्ट स्कीम बनी है। अध्यक्ष महोदय, उसका सिंचाई विभाग में कहीं नाम नहीं था। मैं सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर को वहां पकड़ कर ले गया। उन्होंने सर्वे किया। 2:5 का रेश्यो आया। राजस्थान में कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसका रेश्यो 2:5 हो। इसलिये मैं एक पर्टीकूलर पाइन्ट पर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। बोलने को तो बहुत कुछ है, मैं आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। लिफ्ट सिंचाई की तरफ आप विशेष ध्यान देंगे तो तत्काल लाभ देने वाली स्कीम है इसलिये यदि आप चम्बल की नहरों पर ध्यान दें तो एक लाख एकड़ भूमि की सिंचाई आप अतिरिक्त कर सकते हैं। यह बी. सी. रेश्यो वाला, झंझट, एक बला

202

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

है जिससे कोई तय नहीं होता है । जो होशियार इन्जीनियर होता है वह तो कर जाता है । इसलिये जहां भी यह बी. सी. रेश्यो वाला चक्कर है नीतिगत ध्यान दें ।

आज खर्चा बढ़ गया, बी. सी. रेश्यो वही तय कर रखा है 1:5 होना चाहिए । यह पुरानी बात है, दकियानूसी बात को छोड़ना चाहिये । यह तो राष्ट्रीय उत्पादन का प्रश्न है । राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाना है तो ज्यादा खर्चा करके भी सिंचाई के साधन यदि उपलब्ध होते हैं तो यह सरकार की जिम्मेदारी है । आगे समय आने वाला है नदियों का फालतू पानी नहरों में डालना पड़ेगा । जहां भी पानी उपलब्ध है बी.सी. रेश्यो का रोड़ा आता है । मंत्री महोदय, मैं आपसे विशेष रूप से बी सी. रेश्यो वाली बात करने के लिये खडा हुआ हूं । इस बी. सी. रेश्यो के झंझट को खतम करने का प्रयास किया जाय अथवा कम करने का प्रयास किया जाय । यह ज्यादे फ्लेक्सीबल है यहां आफिस में हो जाता है । ऐसी नौबत न आये, इसे अपने ही स्तर पर विचार करें । इतना ही नम्र निवेदन करता हुआ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर, सर । एक विषय···

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जब मैंने अपना भाषण प्रारम्भ किया तो एक प्रश्न मैंने माननीय सिंचाई मन्त्री को छोड़ा था, उस पर तो दूंगा ही, एक और पाइन्ट आफ आर्डर इस नाते आपके सामने रखना चाहता हूं । जो सिंचाई विभाग की प्रगति पुस्तिका है उसमें पेज नम्बर 10 पर प्रिवीन लिफ्ट में 20 लाख रुपया दिया हुआ है । सिंचाई विभाग राजस्थान प्रगति 80–81 । अभी जो मिली है, निष्पादन आय व्ययक, इसके पृष्ठ नम्बर 6 पर मीडियम प्रोजेक्ट के 79–80 के लेखे, 80–81 की आयोजना, 81–82 दिया हुआ है । इस पृष्ठ पर भी इसका कोई जिक्र नहीं है । एक और पृष्ठ इसी प्रकार 26 नम्बर पर यह मीडियम प्रोजेक्ट का है । मैं तो अभी माननीय सिंचाई मन्त्री बता दें कि प्रिवीन लिफ्ट, जो इसमें दी हुई है और आय व्ययक लेखा में है, इसमें है या नहीं ? क्योंकि दो पुस्तकें अलग-अलग इस प्रकार का वर्णन कर रही हैं । पहले भी मैंने इस प्रकार की आपत्ति उठायी है, यह दूसरी आपत्ति उठायी है इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह भी कहना चाहूंगा, विभाग को जाग्रत करें । कुछ करें, इस प्रकार की अलग-अलग बातें न हों और अगर विभाग इस प्रकार करेगा तो इसमें आगे मुसीबत हो जायगी ।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मन्त्री से निवेदन करूंगा कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, उदयपुर ग्रामीण से, वहां पर जो बांध बने हुए हैं, वे बहुत पुराने हैं । कांग्रेस सरकार के समय एवं जो जनता सरकार आयी उस समय भी नये बांध नहीं बने । यहां का पानी बह कर चला जाता है, बहुत सा पानी वेस्ट चला

(श्री भैरूंलाल मीणा)

जाता है। उसको रोककर, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी और उद्योग को देखते हुए आज की तारीख में जो पानी है आगे जाकर पानी की कमी के कारण समस्या खड़ी हो जायगी ? उन बांधों को ऊपर उठाया जाय । 3-4 नदियां हैं, मैं बताना चाहता हूं टीडी, काया आदि ऐसी नदियां हैं, जिनका पानी समुद्र में चला जाता है, उसको रोककर यदि सिंचाई और पशुओं को पीने के काम में लिया जायगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि शुरू से ही ऐसे बांध नहीं हैं जिससे सिंचाई और पशुओं को पीने के लिए सुविधा मिल सके । इसके साथ ही कहना तो मुझे बहुत कुछ था लेकिन एक खास जिसके ऊपर दिन भर चर्चा चली, सिंचाई के ऊपर। अभी सिंचाई विभाग में काम-करने वाले मजदूरों का जो आन्दोलन चल रहा है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है, कल इनका विधान सभा के सामने प्रदर्शन होगा। मन्त्री महोदय...

श्री अध्यक्ष : आज अवसर ठीक था, सिंचाई विभाग वालों को। कल करेंगे आज तो मांग थी।

श्री भैरूंलाल मीणा : इसलिये मैं पहले से कह रहा हूं। उनकी मांग है कि 72-76 में जो सुविधा उनको दी गयी थी, उसमें कटौती कर दी है इसको लेकर उनका आन्दोलन चल रहा है। क्या मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे, जो 72-76 से सुविधा दी थी, उसमें पुनर्विचार करके उनको लागू रखेंगे, इस पर मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे ? क्योंकि राजस्थान इन्टक का उपाध्यक्ष के नाते कल के प्रदर्शन में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है तो मैं उनके बीच में जाकर क्या कहूंगा। मन्त्री महोदय इसके ऊपर भी मुझे संतोषजनक उत्तर देंगे ताकि मैं उनको ठीक तरह से बोल सकूंगा।

श्री नानूराम (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज के विषय पर मेरे डूंगरपुर जिले में जो समस्यायें हैं, उस बारे में बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर एक पहाड़ी पथरीला जिला है, वहां हर दूसरे तीसरे साल अकाल पड़ता है, उसको निपटाने के लिए, अकाल का सामना करने के लिए काफी प्रयत्न किये गये हैं, मगर वे नहीं के बराबर हैं। आज जहां जहां भी बांध बांधे गये हैं वहां पर उनका पानी उन तालाबों, जो पहले से बने हुए थे, में पहुंचाया गया है। नये तालाबों का निर्माण नहीं किया गया है। हर समय तालाब उन्हीं जगह पर बने हैं जो नीचे के लोग, दूसरे लोग हैं, कई लोग हैं, आदिवासी नहीं हैं, वहां बने हुए हैं तो उनको ही फायदा मिला है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि इस काम को, सिंचाई योजना को सफल बनाने के लिए डूंगरपुर जिले में जितनी भी नदियां हैं, 4-5 ऐसी प्रमुख नदियां हैं जहां 12 महीने पानी रहता है। उन पर एनीकट बांधकर जो बरसात में पानी बह जाता है, अभी जो पानी है बहे नहीं, बरसाती पानी को जरूर पानी पहुंचाने के लिए उसकी नहर अलग से बनायी जाय और उसको नीचे के एरिये को दिया जाय। इससे काफी समस्याएं हल हो सकती हैं क्योंकि हमारे एरिये में बर-

(श्री नानूराम)

सात पूरी हो जाती है तो सियाड़ फसल अपने आप हो जाती है। पानी देने की जरूरत नहीं होती है। किसी एरिया में पानी गिरता है और दूसरे में नहीं है तो ऊपर के एरिया का पानी रोककर बरसाती पानी का उपयोग करके जितने भी एनीकट नहीं हैं, उन्हें बनाया जाय और एरिया को सजल बनाया जाय तो काफी समस्या सिंचाई की हल हो सकती है। साथ ही जहां नहर निकाली गयी है उसके किनारे गरीब लोग बस गये हैं। वहां पर नहरें इतनी गहरी हो गयी हैं कि पास का जो एरिया है, वह बिलकुल शुष्क हो गया है, बिलकुल सूख गया है। फलस्वरूप वाटर पम्प से पानी नहीं लेने देते हैं अगर पानी लेते हैं तो उसकी पिवाई भी वसूल कर ली जाती है। तो क्या हुआ? किनारे वाले जो लोग थे, जिसमें नहर निकाली हैं, उन लोगों को फायदा नहीं हुआ। पूरी नदी जो बरसात में बहती थी, वह भी खतम हुई। उसके बाद रहट से, मशीन से पानी लिया जाय तो उसका पिवायी आधी कर दी जाय। साथ ही नदी नालों पर पानी है मगर उसका लेवल नीचा है तो लिफ्ट इरिगेशन द्वारा उस पानी का उपयोग किया जाय तो काफी फायदा हो सकता है।

गत जो सरकार आयी, जनता पार्टी की, उसके पूर्व कांग्रेस सरकार ने डूंगरपुर जिले में ब्लास्टिंग द्वारा कुएं काफी गहरे कर दिये थे, इस वर्ष भी मैं सिंचाई मन्त्री से और अकाल राहत मन्त्री से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा उस योजना को लागू किया जाय तो काफी हद तक समस्या हल हो सकती है। डूंगरपुर जिले में कई ऐसे स्थान हैं जहां गर्मियों में पानी रहता है, उस जगह लम्बे चौड़े कुएं खुदवाये जायं और इतने खुदवाये जायं कि काफी पर्याप्त मात्रा में पानी मिले इससे बाहर के नीचे के कुओं के पानी की समस्या दूर हो सकती है। नहर में पानी दिया जाता है, कई जगह नहरें कच्ची हैं जिससे इनकी जमीन बहुत ही बर्बाद हो गयी है जो भी नहर बनायी जाय। उसको पक्का किया जाय, नहीं तो नीचे के लोगों को कई कई जगह पानी देने के बाद फायदा नहीं मिलता है और जमीन दल-दल होकर बर्बाद हो जाती है। इस बारे में भी ध्यान दिया जाय। एक दो सुझाव मैंने आपके सामने प्रस्तुत किये हैं। अगर सिंचाई की समस्या ब्लास्टिंग समस्या, एनीकट की, लिफ्ट इरिगेशन की, बरसाती पानी क्षेत्रों को देने की योजना को क्रियान्वित किया जाय तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जिले में, जिला क्या उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मेरा अनुमान है कि अकाले राहत की कोई चीज नहीं आयेगी और अकाल की समस्या को आराम से हल कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय…

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : पांच मिनट का समय मुझे दे दें।

श्री अध्यक्ष : बोल लीजिए आप भी।

श्री भंवरलाल शर्मा : इनको भी बहती गंगा में हाथ धोने दें।

श्री अध्यक्ष : इनका सिंचित क्षेत्र है।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल बोलना इसलिए भी चाहता हूं कि आपने बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य से कहा, यहां हुक्म दिया था कि आपके एक एकड़ सिंचित क्षेत्र भी है या नहीं है। मेरे एक लाख एकड़ में ईरिगेशन हो रही है, कमाण्ड एरिया है, वह सूखा जा रहा है। उसके बारे में आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह बताना बहुत आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां पर जवाई प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट स्टेट टाइम में बनना शुरू हुआ था और पूरा होते ही ईरिगेशन को समझ ही नहीं पाये थे कल्टीवेटर्स कि जोधपुर में एक फेमिन पड़ा 53–54 में और पानी हेमावास से नहीं मिलने पर वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट ने तय किया कि थोड़ा बहुत पानी जोधपुर वाटर सप्लाई के लिए जवाई से दे दिया जावे। एक पायलेट चैनल बनाई 35 माइल की जिस समय यह तय किया गया था कि चालीस क्यूसेक्स, 45 क्यूसेक पानी जोधपुर को देना सफिशियेंट हो जायगा। कण्डीशन क्या हो जाती है, जो 40-45 क्यूसेक्स डिस्चार्ज की चैनल बनाई गई थी आज उसको बढ़ते हुये 90 क्यूसेक्स पानी ले रहे हैं बावजूद इसके हमेशा इस बात का झगड़ा बना रहता है कि जोधपुर को पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है? अध्यक्ष महोदय, इस अवधि में 65 की लड़ाई और 71 की लड़ाई हुई पाकिस्तान की। मिलिट्री का वहां हैड क्वार्टर हुआ, वहां की जनसंख्या बढ़ी, फैक्ट्रियां बनीं, सारे परिवर्तन आ गए जोधपुर में। उसी का नतीजा यह निकला कि आज जोधपुर को पूरे जवाई प्रोजेक्ट का पूरा पानी सप्लाई कर दिया जावे तो भी सफिशियेंट नहीं है।

... अभी जो व्यवस्था की हुई है, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट यह कह सकता है अब अपोपोज क्यों कर रहे हैं? सन् 54-55 के अन्दर इस पानी को क्यों ले जाने दिया? उस समय इस पानी को क्यों ले गए? उस समय मानवता का आधार था और पहली बात तो यह थी कि हम इस बात को समझ ही नहीं पाए थे कि सिंचाई कैसे होती है, हम शिशु थे। समझते ही नहीं थे कि सिंचाई कैसे और किस तरह से होती है। अब कल्टीवेशन बढ़ने लगा, समझने लगे तो वह दो सौ मिलियन सीएफटी तीन सौ मिलियन सीएफटी पानी या चार सौ मिलियन सीएफटी पानी ले जायेंगे, और दो-तीन महीने देना है। आज कंडीशन यह हो गई है कि छः छः आठ आठ, महीने तक हमारे यहां से पानी चलता है और 90 क्यूसेक्स डिस्चार्ज उनके पास होता है तो तीन सौ

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

मिलियन सीएफटी पानी एक महीने के अन्दर देना पड़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि पूरा वाटर वर्क्स का बंधा हो गया है। मेरे कहने का मतलब यह है मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि आज कण्डीशन क्या है ? क्या इरिगेशन डिपार्टमेंट इतना शिथिल हो चुका है ? मूल योजना के अन्दर यह बन्धा वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट का नहीं था। आज वहां पर उस पूरे पानी को जोधपुर को देने की वर्ल्ड बैंक की योजना बना करके पूरे इस पानी जोधपुर पहुँचाना चाहते हैं। एक बात बीच में इसमें यह पैदा हो जाती है कि हम इस पानी को जोधपुर नहीं पहुंचायेंगे तो क्या पानी बाहर से आएगा या कहीं से इम्पोर्ट करेंगे ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब कि हमारी राजस्थान कैनाल योजना में यह तय किया गया है कि पांच सौ क्यूसेक्स वाटर सिर्फ पेयजल के लिए देंगे। आज कण्डीशन यह है, अध्यक्ष महोदय, कि उस योजना की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरा सदन हमारा चिंतित है इस बात के लिए, दो मिनट का अगर समय देंगे तो मैं बताऊंगा कि राजस्थान कैनाल की कण्डीशन क्या है। पहले मेरी व्यथा आपके सामने रख दूं क्योंकि आप घण्टी बजा देंगे।

अर्ज यह है कि जो पोकरण लिफ्ट योजना बनाने की बात है, इनके कहने-का तात्पर्य यह है कि लिफ्ट योजना इसलिए बनानी होगी कि जवाई का पानी पर्याप्त नहीं है, आखिर में हमको राजस्थान नहर से पानी लाना पड़ेगा। लिफ्ट योजना पोकरण की बनेगी, अवश्य बनेगी। लेकिन फिलहाल हम टेम्प्रेरी तौर पर पानी जवाई से ले जायेंगे। 85-86 में पोकरण योजना शुरू होगी और 90 से 95 तक योजना को पूरा कर लेंगे, फिर इस जवाई के पानी को बन्द कर देंगे और राजस्थान नहर का पानी ले आयेंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह योजना कैसी वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट बना रहा है या इरिगेशन डिपार्टमेंट बना रहा है या कौन बैठ कर बना रहा है तकनीकी आधार पर मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज यदि हम यह कहते हैं कि पाइप लाइन से जोधपुर पानी ले आयेंगे तो सस्ता पड़ेगा और पोकरण लिफ्ट योजना से महंगा पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक लाख एकड़ भूमि जो मेरे यहाँ की सिंचित है उसको पाइप लाइन द्वारा जोधपुर ले जाने पर राजस्थान नहर में इतना ही पानी अतिरिक्त रहेगा और इस पानी का उपयोग करने के लिये एक लाख एकड़ भूमि का नहरीकरण करने के लिये अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ेगा तो यह बात गलत है कि पाइप लाइन में पानी पहुँचाने से सस्ता पड़ता है और राजस्थान नहर से लाना महंगा पड़ता है इसलिए ला नहीं रहे हैं। इस प्रकार पोकरण लिफ्ट योजना बहुत सस्ती है क्योंकि आज एक लाख एकड़ भूमि के डवलपमेंट पर खर्चा किया हुआ है। 157 माइल नहर बनी हुई है, एक डेम बना हुआ है वहां पर फुल्ली डवलप्ड कमाण्डर एरिया है, उसको तो खत्म कर देना चाहते हैं। आज मेरे वहां पर मण्डी है जो राजस्थान की नाक है। सबसे बड़ी मण्डी है। हमारे यहां का अच्छा क्षेत्र है पाली जिले के अन्दर, यह बहुत अच्छी

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

जगह है, कारण क्या है कि केवल जवाई बांध है। जवाई बांध को खतम कर देंगे तो जवाई कमाण्डेड एरिया सांचोर बन जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना यह है सिंचाई मंत्री महोदय से, यह निवेदन है कि इस योजना को पूर्णतया बड़े विचार से, विवेकशील होकर एक कमेटी बना कर उस कमेटी में जोधपुर तथा पाली जिलों के विधायक, चेयरमैन, राजस्थान कैनाल बोर्ड, चीफ इंजीनियर इरिगेशन, चीफ इंजीनियर वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, विभागों के सेक्रेटरीज, हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय चीफ सेक्रेटरी महोदय को विठाइये और इस बात के ऊपर निर्णय लीजिये। हम जो योजना बना रहे हैं और बजट में बताते हैं कि इतने हैक्टेग्रर अधिक इरिगेशन कर देंगे, यह सारी बातें थोथी रह जाएंगी कागजों में पड़ी रह जाएंगी और कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसको क्रियान्वित करना बहुत कठिन हो जायगा।

एक बात अब मैं थोड़ी सी राजस्थान कैनाल कंस्ट्रक्शन की गति के बारे में कहना चाहता हूँ जिसके लिये सारा सदन चिंतित है पक्ष और विपक्ष से कई बातें यहां पर चलती हैं। हमारी रिपोर्ट के अन्दर मैंने पढ़ा है उसमें बताया गया है कि हमें सीमेंट नहीं मिलता, कोयला नहीं मिलता है और फण्ड की कमी है। फण्ड तो जो भी मिलता है किसी तरह से काम में लेते हैं। खास बातें यह हैं कि पहले तो सीमेंट और कोयले की कमी है और हो सकती है मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कि सीमेंट हम दूसरे कामों को वन्द कर दें और वहां दे दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे प्रोजेक्ट में जहां सीमेन्ट काम में नहीं आती लेकिन राजस्थान नहर निर्माण के अन्दर फण्डामेंटली जो तकनीकी मिस्टेक चल रही है उसको हमारे वहां के इंजीनियरों को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा अगर आप इन बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे तो नतीजा यह निकलेगा कि हमारी योजना जो जल्दी पूरी करना चाहते हैं किसी हालत में समय पर पूरी नहीं हो सकती है। इसके अन्दर मेरा निवेदन यह है कि आज वहां पर कोयला सप्लाई करते हैं, भट्टे लगाते हैं हमारे डिपार्टमेंट के आदमी। वहां पर एक असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर भट्टे लगाते हैं। क्या पता यह कैसे प्रथा जनता पार्टी के टाइम में डाल दी या पता नहीं कौन से इंजीनियर साहब ने डाल दी, मेरी तो समझ में नहीं आता कि वह भट्टे जो बना रहे हैं, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर का यह काम नहीं है वह भट्टे बना कर ईंटें पका कर ईंटें सप्लाई करें। ईंटें सप्लाई करने में डिफिकल्टी यह आ रही है कि जो कोयला या चूरी सप्लाई करने के लिए आ रही है, एक कैडर की नहीं आ रही है। उसके अन्दर डिफरेंस है हमने तय किया हुआ है कि इस भट्टे को पकाने के लिए इतना आपको कोयला देंगे, इतनी चूरी सप्लाई करेंगे। एक कैडर के अन्दर आपके पास में इस तरह का कोयला आता है जिसके अन्दर निर्धारित कोयला देने से टाइल्स रुक जाती है और एक ऐसा कोयला हमारे यहां आता है कि उस केटेगरी से सवाया कोयला भी डालते हैं तो हमारे टाइल्स पकती नहीं हैं। रिजल्ट क्या

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

निकल रहा है कि हमारे बड़े इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर्स से पूछते है कि तुमने कोयला खा लिया, तुमने चोरी कर ली। मैं कहता हूं कि आप टेस्ट करवायें और मालूम करायें यह सही बात है कि राजस्थान नहर निर्माण पर एक कैडर का कोयला नहीं आ रहा है उसकी वजह से वहां के इंजीनियर दुखी हैं, धीरे धीरे वहां से भागना चाहते हैं, वह काम नहीं करना चाहते हैं। अगर हमारे जूनियर इंजीनियर, हमारे असिस्टेंट इंजीनियर और हमारे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर इस व्यथा और प्रथा के अन्दर इसी तरह से काम करते रहे तो काम को हम द्रुत गति नहीं दे सकते, इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि हमारी सरकार इस बात की जांच करे और इस प्रथा को बन्द करे, मैं उम्मीद करता हूं, इससे इसके अन्दर कुछ गति न आएगी। जनता पार्टी के टाइम में ती साल के अन्दर जो कुछ चला दिया, उनके अन्दर इन बातें को सोचने की विचारधारा नहीं थी, अब आप सोचिये लेकिन किसी भी तरह से इसके अन्दर परिवर्तन लायें कि किस तरह से ये टाइल्स बनाना चालू करें, किस तरह से पहले ठेकों के अन्दर दिया करते थे या फिर किसी भी तरह से बनाया करते थे, बनाएं।

एक निवेदन और है। टाइल जो बन कर तैयार होती है, वर्किंग बहुत लम्बा चौड़ा है, मैं इसके अन्दर छोटी सी बात एक मिनट में खतम कर रहा हूं, टाइल तैयार होती है, हमारा 10 लाख का भट्टा तैयार हो गया, उसके बाद सप्लाई करते हैं, कैनाल के ऊपर ले जाकर डालते हैं, वह गांव के पास जंगल में ऐसे ही पड़ी रहती हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरे रोज कार्य करना शुरू करते हैं, जिनकी साइज नौ बाई सात इंच, नौ बाई तीन इंच, नौ बाई ढाई इंच, उसमें केलकूलेशन करके देखते हैं कि कितनी टाइल काम में आनी चाहिये, वहां पर टाइल कम रहती हैं। नहर कम बनती है, क्योंकि चोरी चली जाती हैं। उसके बाद चार्ज शीट दी जाती है, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को, चार्ज शीट दी जाती है जूनियर इंजीनियर को, रात को गांव वाले वहां से उठाकर ले जाते हैं, उसके लिये कोई चौकीदार रहता नहीं है। हालत यह है कि वहां कोई भी इंजीनियर काम करने को तैयार नहीं है। आज देखिये आप लाइन लगी हुई है जयपुर के अन्दर, कोई आदमी वहां पर काम करने को तैयार नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि वहां की रीति नीति और वहां का काम इस स्टाइल से बना दिया गया है। महल बनाना बहुत बड़ा काम है, गिरा देना एक मामूली सी बात है।

मैं प्रार्थना करूंगा तीन साल की अवधि में बड़ा भारी महल बनाया था, सपना देखा था कि राजस्थान नहर जल्दी पूरी हो जायगी लेकिन कार्य प्रणाली बदल दी गई मैं माइनर इरिगेशन के बारे में बात कहना चाहता हूं। मुझे दो मिनट का समय देना पड़ेगा हुकुम। महल बनाया था हमने, एक मास्टर प्लान बनाया था। वाटर पोटेन्शल मैप इस

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

विचार से बनाया था कि इस राजस्थान के अन्दर एक एक बूंद पानी की बहुत आवश्यकता है। जिन्दगी है हमारी। आज हमारे सदन के अन्दर सभी बहुत चिन्तित हैं। पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। इस बात के ऊपर मानवता के आधार पर विचार करना पड़ेगा। सब इस बात के लिये चिन्तित है कि एक बूंद भी पानी कहीं भी इधर से उधर नहीं जायगा। इसी कारण हमारे इंजीनियर्स ने अब से पांच सात वर्ष पूर्व एक वाटर पोटेंशल मैप बनाया था। मेरे को बड़ा शौक था इससे मैंने भी देखा, कुछ हमारे इस राजस्थान का उदय भाग्य हो रहा है ऐसी विचारधारा हमारे में बनने शुरू हुई कि एक-एक बूंद पानी को बचायेंगे। हम यह सोच रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स इस बात के ऊपर तैयार हो चुके हैं कि हम एक-एक बून्द पानी नहीं जाने देंगे, उसको इस काश्त के काम में लाकर कहीं न कहीं राजस्थान को ऊंचा उठायेंगे। नतीजा क्या निकला? तीन साल के अन्दर मास्टर प्लान का कहीं अता पता नहीं है। उस मास्टर प्लान का नतीजा था कि वई एक नई योजनाएं बनीं लेकिन उसके बाद एक योजना दी हमको इस जनता पार्टी शासन ने आधुनिकीरण की। मैं आया यहां पर, मैंने देखा यह आधुनिकीरण बीमारी क्या है? मेरे समझ में नहीं आया। मैंने इधर उधर देखा, ढूंढा ढांढी की तो मालूम हुआ, अध्यक्ष महोदय, आधुनिक टेक्नालॉजी के हिसाब से बन्धों, को इम्प्रूव कर रहे हैं। जो पानी हमारा वेस्ट जाता है सीपेज से आपरेशन लासेज से, लीकेज से, इधर से उधर से, उसको बचायेंगे मैंने देखा बहुत बढ़िया स्कीम आयी है। यह तो एक-एक बून्द का हिसाब हो रहा है। हमारी बहुत ही उन्नति करेंगे। नतीजा यह निकला जब उसकी क्रियान्विति की बात की तो उसके लिये डिवीजन नये बनाये गये, जनता पार्टी ने इसमें एक सी. ए. डी. सब डिवीजन दिया, उनके एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स बैठाये गये, जो आधुनिकीरण का काम करेंगे। महीने बीस दिन दो महीने काम चला और सी ए. डी. सब डिवीजन विदड्रा कर लिये क्या पता उसको कोटा भेजा या पता नहीं और कहीं भेज दिया, यह तो हमें पता चला नहीं लेकिन उसके बाद आधुनिकीरण डिवीजन का मुख्य काम काज तो बंद कर दिया और छोटे मोटे बांधों के काम और थे वह उनको और सौंप दिये। नाम तो है आधुनिकीरण डिवीजन।

श्री अध्यक्ष : वह अपना ओरिजनल प्लान तो वापस मिला कि नहीं, आठ नौ महीने हो गये।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। वह नहीं मिल रहा है। उसका पता नहीं है। वह तो गया। वह तो हमारे ललित किशोर जी ले गये!

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वह तो ललित किशोर जी ले गये।

श्री गोकुल चन्द शर्मा : उनका प्लान कुछ नहीं था, इन्होंने जो तैयारी की है और जो योजना बनाई है उठाकर उसको खड्ढ

(श्री गोकुल चन्द शर्मा)

में डाल दो और अपने तो नये तरीके से बनाओ। यह जनता पार्टी वाले जब बात करते हैं तो इतना विकराल जोर से बोलते हैं कि अगला आदमी ठंडा हो जाय और बोले नहीं। लेकिन मैंने इनको कई बार कहा, मैं आपसे ज्यादा बोलना जानता हूं, लेकिन मेरे को तो अध्यक्ष महोदय समय नहीं देते हैं मैं क्या करूं।

श्री अध्यक्ष : यह बात मालूम होती तो पहले समय दे देते। आज ही खुले हो आप।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं बहुत जल्दी समाप्त कर दूंगा की माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समय नहीं लूंगा। जो आधुनिकरण डिवीजन का काम काज चल रहा है मेरी समझ में नहीं आया, हमारे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। हमारा एक्ट बना हुआ है, मैनुअल आफ आर्डर है इरिगेशन डिपार्टमेंट के। उसके बाद हमारे यह स्टेण्डिग आर्डर हैं। बी. एन. खत्री साहब हमारे चीफ इंजीनियर थे आज से बीस साल पहले की बात कर रहा हूं। हमारे यहां एक-एक बात का स्टेण्डिग आर्डर होता था, और उसके ऊपर स्टेण्डिग आर्डर के ऊपर स्टेण्डिग आर्डर यह था कि हर इंजीनियर स्टेण्डिग आर्डर अपने साथ रखे। जब भी इंस्पेक्शन पर जाये तब यह स्टेण्डिग आर्डर अपने साथ रखें। वह एक गाइड लाइन थी हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट की। क्या पता वह फाइल आज कहीं मिलती नहीं है, पूछो तो किसी के पास नहीं मिलेगा। एक्ट को भी गायब कर दिया। मैं सही कहता हूं, तीन साल के पहले जो पटवारी के पास भी एक्ट मिला जाता था आज वह एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास नहीं मिलता है उसके दफ्तर में नहीं है।

इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो हमारी गाइड लाइन थी, उसको समाप्त कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, उन गाइड लाइनों को समाप्त करते हुए क्या किया है, उनका क्या असर हुआ है, वह मैं आपको बयान करना चाहता हूं। आधुनिकीरण डिवीजन के अन्दर जो इन्होंने तय किया था कि पुराने बांधों का आधुनिकीरण करेंगे अगर यह काम पुरानी गाइड लाइन के आधार पर करते तो इनकी समझ में आ जाती कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमारी जवाई कैनाल पर आधुनिकीरण किया जा रहा है, न तो पुरानी चकबन्दी को देख रहे हैं, पर्टीकूलर रीच पर क्या डिस्चार्ज होगा। केवल कच्ची नहर बनी हुई है उनकी लाइनिंग करने मात्र से इन्होंने समझ लिया कि हमारा आधुनिकीरण हो गया। जब कि इसका उद्देश्य यह नहीं है, किसी हालत के अन्दर नहीं है आज हमारी व्यवस्था को खराब कर दिया। मेरे यहां जवाई प्रोजेक्ट के अन्दर आधुनिकीरण डिवीजन का वर्क चल रहा है। उसका आधुनिकीरण करने जा रहा हैं उसमें मुख्य आवश्यक बात यह थी कि मुख्य कैनाल, जो 15 माइल है, को पहले ऊंची करते और उसके बाद उसके माइनर्स को। मैंने जब बात की तो मुझे हंसी आती है कहते हुए, वह यह कहते हैं कि कैनाल डिजाइन टेल से होती है। इसकी वजह से हैड के अन्दर तो बाद में आयेंगे। मेरी यही समझ

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

में नहीं आ रहा है कि कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि टेल से हैड पर आ रहे हैं। यह डिस्चार्ज डिजाइन के वक्त का मापदंड है, न कि कंस्ट्रक्शन तय करते वक्त आधार माना जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह गुमराह करते हैं, गलत बात करते हैं और तरीके को समझते नहीं है कि टेल चीज क्या है। टेल कैनालों की तो लाइनिंग कर दी, तो उनका डिस्चार्ज बढ़ गया। हमारे हैड पर, जिस पर परेशान हो रहे हैं, मेन कैनाल का डिस्चार्ज बढ़ाना चाहिये था, कमाण्डेड एरिया के हिसाब से उसकी अभी तक योजना का पता नहीं है।

इसके अतिरिक्त जिन कैनालों में पानी नहीं दिया जाता है 15 15, 20 20 वर्ष से, मैं एक नमूना पेश करना चाहता हूं, इरिगेशन डिपार्टमेंट का। जवाई कमाण्ड में खीमाडा माइनर है जिसके कमाण्ड में नहरी इरिगेशन नहीं होता है. सिंचाई के लिये कुए बने हुए हैं, इस माइनर में सबसे पहले लाइनिंग कर दी है। मैंने पूछा इसको कैसे लाइनिंग कर रहे हो? तो बताया कि यह तो हमारी योजना में सैंक्शन होकर आया है। यह कैसी योजना है, कहां से बनती है, कौन बनाता है, समझ में नहीं आता? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच करें। इसके साथ-साथ आउट लेट के बारे में अभी-अभी जो एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि मोगा क्या होते हैं। कोई समझते ही नहीं थे लेकिन अब समझने लगे हैं, पूरे राजस्थान में सब जगह से बांधों व नहरों की डिमाण्ड आने लगी है। अध्यक्ष महोदय, आपके सामने की बात है, सबको पानी चाहिये तो सभी मोगे समझने लगे हैं हमारे यहां पर उनको आउट लेट कहते हैं। आउट लेट की डिजाइन स्वीकृत करते हैं सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर और चीफ इंजीनियर जो सक्षम अधिकारी होते हैं, और स्वीकृत आउट लेट इधर से उधर नहीं किया जाता।

ताज्जुब की बात है हमारे यहां पर एक चौकीदार इधर से उधर कर देता है, एक और ताज्जुब की बात है कि आधुनिकीकरण डिवीजन का काम चल रहा है, यहां लाइनिंग हो रही है, वहां मर्जी के मुताबिक आउट लेट लगा रहे हैं। न तो किसी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति है, न कोई कारण बता रखा है और जंचे जहां पर आउट लेट लगा दिया जाता है। पक्का पाइप आउट लेट बनाया जा रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अवांछित तौर पर जिस तरह काम चल रहा है इसके रिजल्ट क्या होंगे। मेरा निवेदन यह है कि मैं इस बात से चिंतित नहीं हूं, पैसा खर्च सरकार कर रही है, उसके लिये चिंतित हूं। मैं कांग्रेस आई का एम. एल. ए. हूं, इसलिये मेरा नैतिक कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं मेरे मंत्री महोदय से निवेदन करूं कि यह गलत तरीके का काम चल रहा है, जिससे जबर्दस्त असंतोष पैदा होगा, कितनो जबर्दस्त गरीब कल्टीवेटर्स को हानि होगी। इसलिये समानता के आधार पर, अध्यक्ष महोदय, किसी भी हालत में पानी नहीं ले सकते हैं। हैड के कल्टीवेटर प्रभावशाली कल्टीवेटर हैं, उन लोगों ने अपने खेतों के आउट लेट बड़े लगा लिये, और जो छोटे-छोटे काश्तकार, जिन लोगों की कंडीशन क्या है 5–5 बीघा रकबा है इन लोगों

(श्री गोकुलचन्द शर्मा)

को पानी मिलेगा नहीं इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इस बात को गम्भीरता से सोचना पड़ेगा वैसे भी एक हैक्टेयर रकबा होल्डर को पूरा पानी देना चाहिये जो इरिगेशन एक्ट के अन्तर्गत आता है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : एक मिनट में, अध्यक्ष महोदय। इसके बाद पानी की पर्सेंटेज से डिस्ट्रिब्यूशन करते हैं 10, 20, 30 पर्सेंट। उसके अन्दर क्या होता है कि हमारे यहां पर जो बड़े काश्तकार हैं जिनके खेतों पर आउट लेट बड़े लगे रहने से और छोटे काश्तकारों पर छोटे गलत मोगे लगाने से कंडीशन यह होती है कि वे जमीन छोड़ने के लिये बाध्य हो जाते हैं या छोड़ कर चले जाते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इन सब बातों की तरफ ध्यान दें। आपका आधुनिकीकरण डिवीजन का जो काम चल रहा है उसको जो हमने गाइड लाइन्स दी है, जो हमारे स्टैंडिंग आर्डर्स हैं जो मेनुअल आफ आर्डर्स हैं उनके आधार पर, उनको सोचते हुए यह काम करवावें। अन्त में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इतने कमजोर नहीं हैं आप इसको सोचिये। इसको देखिये। हमें बहुत मेहनती, युवा मंत्री मिले हैं इरिगेशन के लिये। मैं निवेदन करूंगा कि पूरी स्कीमों को देखिये आपका वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कई बातें कहेगा। वह कहेगा सईके बांध की स्वीकृति लेकर आये हैं क्योंकि सिंचाई विभाग की स्कीम पर बी. सी. रेश्यो नहीं बनता था पर बी. सी. रेश्यो पुराने बांधों पर लागू नहीं था 7 हजार मिलियन सी. एफटी. का बांध भरता ही नहीं था इसलिये पानी लाने की स्कीम को सब्सटीट्यूट करना ही था अब यह पी. एच.ई.डी. वाले अपना धन्धा बनाने के लिये इस प्रकार का फन्दा पैदा कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये माननीय सदस्य।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : मैं निवेदन कर रहा था, आप समय नहीं देते हैं, मैं तो बड़ा आभारी हूं, आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजपाल।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताईं।

(व्यवधान)

आपका पता ही नहीं है। आपका संबंध ही नहीं है इरिगेशन से और हल्ला करते हो। जैसा कि चतुर्वेदी जी के लिये उन्होंने बताया गांवों से आपका सम्पर्क ही नहीं रहा इसलिये आपको क्या पता।

अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताईं इसके अलावा माइनर इरिगेशन के मामले में न तो ज्यादा आपके अधिकारियों का खर्चा है। बहुत योजनाओं में तो आपका प्रशासनिक कार्यों के कमीशन का खर्चा है। माइनर इरिगेशन पर किसानों को सब्सिडी के रूप में दे दीजिये। कुओं के अन्दर ओरों में पानी चला जाता है और नुकसान होता है, तो उनमें चैनल्स के

(श्री तेजपाल यादव)

लिये सब्सिडी के रूप में सीमेंट दीजिये और कुओं के लिये सीमेंट दीजिये। मैं आपको कारण बताऊं जयपुर जिले में जितनी म्यूनिसिपैलिटियां हैं उसमें 60 प्रतिशत गांवों को देते हैं जिसमें 15 म्यूनिसिपैलिटियां शामिल हैं उनमें कुओं, चैनल्स, पाइप्स और हौदों सभी के लिये सीमेंट आ गई, एक जयपुर सिटी को 60 प्रतिशत सीमेंट आप देते हैं जब कि एक तरफ तो कहते हैं कि हमको इरिगेशन को बढ़ावा देना है कुओं को फेसिलिटी देनी है, माइनर इरिगेशन को ज्यादा प्रिविलेज देना है उधर शहरों में अधिकारियों के बंगलों के लिये जरूरी है कुओं के लिये कोई जरूरी नहीं! कम से कम माइनर इरिगेशन को महत्व देना है तो पापूलेशन, क्षेत्र के प्रपोर्शनेट से सीमेंट दिलवाइये और जो इसमें खर्चा आता है उसका प्रपोशनेट सब्सिडी के रूप में दे दीजिये। इसमें जो भी कुओं से सिंचाई करते हैं उनके चैनेल्स बन जायेंगे, सीमेंट मिल जायगी, गरीब किसानों को अनुदान मिल जायगा और इसमें वे सवाई पिलाई कर लेंगे।

जयपुर जिले में छोटे-छोटे बांध हैं अभी इसमें एक हनुमानजी का डूंगर, अरावली की शृंखलाएं पड़ रही हैं उनमें मेंड़ा नदी का पानी जाकर कटाव पैदा करता है सारे गांवों को बहा ले जाता है वहां छोटा सा बन्धा बना दीजिये तो कुओं का स्तर है, पानी का वह भी ऊंचा होगा और पानी बांध में चला जायगा तो हजारों एकड़ जमीन बचेगी, ज्यादा खर्चे की भी जरूरत नहीं है। आपके अधिकारी तो वे योजनाएं बनाते हैं, माही बजाज सागर जो 1960 में हमने सोची और 71 में उसको चालू करने की मंजूरी मिली प्लानिंग करने की तो इसकी क्या हालत हो रही है; कब फायदा मिलेगा माइनर इरिगेशन में न तो योजना आयोग की सैंक्शन की जरूरत है और न ज्यादा पैसों की जरूरत है, मामूली पैसों से काफी फायदा हो सकता है। कुओं का स्तर ऊंचा आ सकता है जयपुर जिले में सबसे ज्यादा कुएं हैं उनके लिये वाटर चैनल्स के लिये सब्सिडी दीजिये, सीमेंट दीजिये और जिस प्रकार 60 प्रतिशत सीमेंट सिटी को दी जाती है वह 40 प्रतिशत सिटी को दीजिये।

श्री अध्यक्ष : यह आप बोल चुके हैं माननीय सदस्य।

श्री तेजपाल यादव : तो मैं मंत्री महोदय को आपकी मार्फत कहूंगा कि इस मामले में कम से कम माईनर इरिगेशन पर ध्यान देकर आवश्यकता की पूर्ति करावें। सब्सिडी, लोन, सीमेन्ट आवश्यकता के अनुसार दिलावें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, संबंधित मांग के सन्दर्भ में माननीय सदस्यों ने सिंचाई योजना के बाबत में बहुत गम्भीरता और विस्तार के साथ अपने विचार दिये और सुझाव भी प्रकट किये। इसके अन्तर्गत राजस्थान नहर और कैनाल एरिया डवलपमेंट के प्रोग्राम्स के बाबत माननीय सदस्यों ने काफी चिन्ता के साथ, व्यग्रता और उत्सुकता के साथ, इस बात

(श्रीमति कमला)

का इजहार किया कि राजस्थान नहर को जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जाना चाहिये। यह स्वाभाविक भी है कि यह सदन और राज्य के सभी लोग इस बात के लिए आतुर हों कि राजस्थान नहर को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जाय, इससे जो भी लाभ हैं वे इस राज्य के लोगों को मिलें। राजस्थान नहर इस राज्य के लिए लाइफ लाइन है, इस राज्य के लिये ही नहीं इसका महत्व भारत सरकार और इस देश के लिये भी किसी प्रकार से कम नहीं है। इस नहर का जो वरदान है वह पानी है और कितनी बड़ी मात्रा में पानी का समुद्र लेकर यह नहर राजस्थान के क्षेत्र से गुजर रही है इसके साथ में अनेक समस्याओं का समाधान जुड़ा हुआ है। जहां एक ओर इस नहर के आने से सिंचाई बढ़ेगी, पानी मिलेगा, रूखा सूखा रेगिस्तानी क्षेत्र हरा भरा होगा उसके साथ में आज जो उजाड़ रेगिस्तान है उसकी आबादी भी बढ़ेगी उसमें रौनक भी बढ़ेगी और प्रदेश का 3|5 हिस्सा जो आज मरुस्थल, अर्द्ध मरुस्थल के नीचे है उसमें बहुत कुछ लम्बाई के क्षेत्र के अन्दर हरियाली और खुशहाली में परिवर्तित स्थिति में आ सकेंगे। इसलिये इतनी गम्भीर समस्या को और साल दर साल पड़ने वाले भयंकर अकालों, पीने के पानी की समस्या, उत्पादन और जनजीवन को ऊंचा उठाने के लिये और खुशहाल जिन्दगी क्षेत्र के लोगों को देने के लिए जिस नहर का इतना महत्व हो और जो संसार की इतनी बड़ी नहर हो उसको दरअसल में जल्दी से जल्दी पूर्ण होने के लिए सभी माननीय सदस्यों और सरकार को चिन्ता बहुत स्वाभाविक है जरूरी है।

इस सिलसिले में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगी कि इस नहर की उपयोगिता को इसके महत्व को और इसे शीघ्रता से पूर्ण किया जाय, इस को कभी कम नही आंका गया। लेकिन पूर्व केवर्षो में कुछ पावर और इरिगेशन के मद में प्रावधान कम रखे जाते रहे योजना भी छोटी होती रही, इसलिए इस मद में काफी कम प्रावधान रखा जाता था। लेकिन 73-74 और 74-75 से पावर और इरिगेशन की मद में इसके महत्व को समझते हुए काफी प्रावधान और बजट हमारी योजनाओं में रखा जाता था उस समय से राजस्थान नहर के लिये भी काफी प्रावधान रखा गया उसके बाद के 4-5 वर्षों में इसकी क्रियान्विति और उपयोग में भी कुछ रिकार्ड हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, 79 80 से इसके उपयोग में और धनराशि के उपयोग में काफी कमी आने लगी और 79-80 में जहां 32 करोड़ का प्रावधान था उसके पेटे सिर्फ 24 करोड़ का उपयोग किया गया और काफी फण्ड्स इसमें लग गये। इसके बाद में जो इसके लिये फण्ड्स रखा गया है हांलाकि कम है लेकिन कम इसलिये रखा गया है कि जो कोयला, सीमेन्ट की दिक्कत थी उसको ध्यान में रखते हुए इसका प्रावधान कम किया गया। लेकिन इसकी उपयोगिता और प्राप्ति मार्च के अन्त तक शत-प्रतिशत आने वाली है। उसमें किसी प्रकार से फण्ड्स लेप्स होने वाले नहीं हैं।

(श्रीमति कमला)

इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आंकड़ों के माध्यम से कुछ यह भी बताना चाहूंगी कि जितना डीम पिक्चर इसकी प्रगति या इसके होने वाले कार्यों के बावत में पेश करते आ रहे हैं, उतना शायद हमको निराश नहीं होना चाहिये। राजस्थान नहर की जो टोटल कास्ट है 1980-81 के एस्टीमेट के अनुसार 450 करोड़ रुपया आंकी गई है उसके पेटे मार्च, 1981 तक इसकी उपलब्धि, यूटिलाइजेशन को देखते हैं तो वह 273.10 करोड़ है यानि 60 प्रतिशत के लगभग है। टोटल प्रोविजनों सिक्स्थ प्लान में रखा गया है वह 162.50 करोड़ का रखा गया है उसके अन्तर्गत हम यह समझते हैं कि हमको इसकी जरूरत के मुताबिक और फण्ड्स की जरूरत पड़ेगी तो उसके अन्दर कोई कमी नहीं रखी जायगी।

अब तक जो टोटल लेन्थ मेन कैनाल की बननी है, जो आंकी गई है वह 650 किलोमीटर की है उसके पेटे मेन कैनाल अभी तक बन चुकी है 500 किलोमीटर, जिसका मतलब है 77 प्रतिशत कन्स्ट्रक्शन हो चुका है। इसी प्रकार से जो टोटल लेन्थ डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वह आंकी गई है 6500 किलोमीटर उसके पेटे अभी तक जो कम्पलीशन हो चुका है वह 3000 किलोमीटर। इसके अन्दर हमारी उपलब्धि 46 प्रतिशत है। टोटल अर्थ वर्क जो इसके अन्दर होना है वह 1290 करोड़ क्यूबिक फीट है उसके पेटे 930 करोड़ क्यूबिक फीट काम हो चुका है जो 72 प्रतिशत के लगभग आता है। इसके अन्दर टोटल इरिगेशन पोटेन्शियलिटी जो प्रोजेक्ट की है वह 12.58 लाख हैक्टेअर्स की है जिसके पेटे अभी तक पोटेन्शल क्रियेट हो चुका है वह 5.62 लाख हैक्टेअर है जो 45 प्रतिशत के लगभग है। टोटल फूड ग्रेन जो इसके अन्तर्गत प्रोड्यूस हो सकता है, वह 31 लाख टन पर ईयर हो सकेगा उसके पेटे अभी तक, यह जिस स्थिति में है, उसके अनुसार साढ़े आठ लाख टन हम अतिरिक्त अनाज ले रहे हैं। इसके तहत इस वक्त जहां तक कैनाल कम्पलीट हो चुकी है, उसके आगे जो वर्क इन प्रोग्रेस है वह वज से नाचना तक, 90 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जिस पर काम चल रहा है और जो रिमेनिंग वर्क 60 किलोमीटर का है उस रिमेनिंग वर्क मोहनगढ़ को आने वाले सिक्स्थ प्लान में कम्पलीट कर दिया जायगा। जो डिगाना-लालवा की डिस्ट्रीब्यूटरिज हैं, जिनकी लेन्थ लगभग 200 किलोमीटर है, उनको हम इसी योजना के अन्तर्गत करने के बावत पूरा इरादा रखते हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसको कर सकेंगे।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व की कांग्रेस सरकार के वक्त में एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम तैयार की गई थी उसको योजना के अन्तर्गत डाल करके क्रियान्वित और सम्पादित किये जाने का प्रोग्राम था लेकिन बीच में जनता सरकार आई उस वक्त उन्होंने न मालूम किन कारणों से इन तमाम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को डेफर कर दिया, ड्राप कर दिया। इसका अर्थ एक ही है कि वह स्कीम हाथ में नहीं ली गई और पांच लिफ्ट इरिगेशन

(श्रीमती कमला)

स्कीम यों की यों जनता सरकार के जमाने में रही। अगर कुछ भी ले लेते, जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उनके क्षेत्र में कुछ लिफ्ट इरिगेशन स्कीम कम्पलीट करवाई, उधर को तो कम्पलीट करवाई और इनको नहीं लिया गया। क्यों, यह तो मैं नहीं कह सकती। इसके पूर्व कांग्रेस सरकार ने, जो लूणकरणसर की लिफ्ट इरिगेशन स्कीम थी उसको अपने वक्त में पूरा करवा दिया था और उसके अन्तर्गत 107 किलोमीटर गजनेर–बीकानेर की 0.51 लाख हेक्टेयर इरिगेटेड हो रही है। अगर उनके जमाने में कुछ स्कीम्स को ले लिया जाता तो शायद इस पीरियड में कुछ लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स उस इलाके को मिलतीं।

बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र के बारे में लिफ्ट इरिगेशन की चर्चा की है कि उनका क्या हुआ, वे कब मिलेंगी। दूसरी गजनेर की है, तीसरी कोलायत की है, चौथी फलोदी की है और पांचवीं पोकरण की है। इन तमाम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के अन्तर्गत 110 करोड़ रुपयों का प्रावधान पूर्व की कांग्रेस सरकार ने रखा था। इस बार भी इस बात की कोशिश की है कि इसको प्लान में शामिल करा लिया जाये परन्तु इसको प्लान में नहीं शामिल कराया जा सका है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार की जो नीति है, सरकार का जो इरादा है उसके बाबत सदस्यों को यह अवगत कराना चाहती हूं कि राजस्थान सरकार राजस्थान कैनाल को जल्दी से जल्दी पूरा कराना चाहती है, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को मेन कैनाल और डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ-साथ हम किस प्रकार से ले सकते हैं, कहां से हम भारत सरकार से, या इन्टरनेशनल एजेन्सीज से या वर्ल्ड बैंक से किस प्रकार फण्ड्स का प्रावधान करा सकते हैं, उसके ऊपर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है और इसको हाथ में लिये जाने का सरकार का पूरा इरादा है।

जहां तक बहुचर्चित विषय है, हमारा जो हिस्सा राजस्थान कैनाल में आने वाले पानी का है, उसका बहुत सारा हिस्सा दूसरे राज्यों ने ले रखा है, हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि कुछ पानी जो हमारा हमको मिलना चाहिए, रावी-सतलज के सरप्लस वाटर में हिस्सा है, वह हिस्सा हम प्राप्त नहीं कर पाये हैं। इसके दोनों ही कारण हैं। एक तो यह है कि हमारी कैनाल, डिस्ट्रिब्यूटरीज, लिफ्ट इरिगेशन वगैरह है, वह पूरी होने को है, इसके साथ में हमारे कुछ इस तरह के केसेज चल रहे हैं, इन्टर स्टेट, उनके बोर्ड के अन्दर कि उनका फैसला होना बाकी है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि रावी व्यास से राजस्थान नहर में 80 लाख एकड़ फीट पानी का हिस्सा है, उसमें से 45.20 लाख एकड़ फीट सीधा ही नहर के द्वारा काम में लिया जा रहा है और 12 लाख एकड़ फीट गंग नहर, भाखरा नहर में देकर उपयोग कर रहे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में नहर पूरी हो जाने पर जितना और शेष है, वह भी पानी का अपने यहां पर उपयोग कर सकेंगे। अर्थात् कुल 57.20 लाख एकड़ फीट पानी हम काम में ले रहे हैं 80 लाख एकड़ फीट पानी में से जो कि पूरे पानी का लगभग 72 प्रतिशत है—बहुत कुछ हमारा

(श्रीमती कमला)

हिस्सा प्राप्त नहीं कर सके हैं उसके बावजूद 72 प्रतिशत हमारे पानी का पूरा उपयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी नहर आगे बढ़ती जायेगी, उस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री की बातचीत के दौरान उनकी दूसरी स्टेट के मुख्य मंत्रियों से वार्तालाप के दौरान, और प्रधान मंत्री से बातचीत के दौरान से हम अपना हिस्सा ले सकेंगे, इस प्रकार की हम को आशा है।

अध्यक्ष महोदय, बार-बार यह बात कही जाती है कि राजस्थान नहर इसलिये पूरी नहीं हो पा रही है कि कोयला, सीमेन्ट की काफी कमी रही। इस बात को हमने भी कहा और फण्ड्स को कम रखा। जो प्राविजन कम रखा है 1980-81 में उसका मूल कारण यह रहा। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को हर्ष के साथ में और सन्तोष के साथ में यह कहना चाहती हूं कि पिछले समय में माननीय मुख्य मंत्री ने जो प्रयास भारत सरकार के स्तर पर, भारत सरकार के मंत्रालयों और मंत्रियों के स्तर पर किये हैं उनके परिणाम-स्वरूप राजस्थान नहर के लिये हम को प्रति माह तीन ट्रेन्स मिलने लगी हैं और दो तो बोलायत पहुंच गई हैं। इससे हमको पूरा सन्तोष है कि हमारी राजस्थान कैनाल को जरूरत के मुताबिक कोयला उपलब्ध होता रहेगा कोयले से सम्बन्धित हमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी और जैसे-जैसे जरूरत पड़ेगी, तीन वेगन और ज्यादा लेने की चेष्टा करेंगे। जहां बहुत कम मात्रा में कोयला मिलता था या मिल रहा था और उसके कारण काम कम चल रहा था, तीन वेगन मिलना हमारे लिये काफी बड़ी उपलब्धि है और इससे हम काफी आगे बढ़ सकते हैं....

श्री घनश्याम तिवारी : 6 रैक चाहिये एक महीने में तीन से क्या होगा?

श्रीमती कमला : आप विराजें। जहां तक सीमेन्ट का सवाल है मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि राज्य सरकार ने अपने स्तर पर इस बात की व्यवस्था की है कि जहां-जहां सीमेंट की जिस प्रकार जरूरत पड़ेगी उसके लिये राजस्थान सरकार किसी प्रकार की कमी नहीं आने देगी। एक छोटा सा विवरण लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान के बजट के ऊपर मैंने एक दिग्दर्शन रखा है जिससे इस बात का अन्दाजा लग सके कि राजस्थान सरकार किसी प्रकार से इस प्रोजेक्ट को कम महत्व या अनावश्यक मानकर नहीं चल रही है बल्कि टोप प्रायोरिटी का प्रोजेक्ट मानती है और इसके लिये हर तरह की आवश्यकता की पूर्ति के लिये बराबर प्रयत्नशील है। हमको पूरी उम्मीद है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने में समर्थ हैं और इसको पूरा कर लेंगे।

इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, दो बातें और माननीय सदस्यों ने कही है उनके बारे में संक्षेप में कहना चाहूंगी। एक तो राजस्थान कैनाल एरिया के अन्दर सी. ए. डी. कार्यक्रम में जो खाड़े बनाये जाते हैं जिसको वाटर को रस्ती कहते हैं

Page No. 218

(218)

(श्रीमती कमला)

उनके बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जिस प्रतिशत पर लोन दिया जाता है, जितना ज्यादा किसान के नाम पर पैसा दिया जाता है, जिस ढंग से इसको बनाया जाता है उसके कारण किसान के ऊपर काफी भार पड़ता है और जितने समय में ये बन जाने चाहिये उससे दुगुने तिगुने समय में जाकर ये बनते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय में जब इन बातों की मुझे जानकारी हुयी तो मैंने संबंधित अधिकारियों से बात की, जन प्रतिनिधियों से भी बात की और इस बात की कोशिश की गयी कि जो भी ऋण काश्तकारों को दिया जाये वह पूरा दिया जाये और उस ऋण की अवधि निर्धारित की जानी चाहिये। अगर यह सम्भव हो सके कि किसान खुद अपने माध्यम से उसको बना सके या जन प्रतिनिधि बना सकें और जितना भी टैक्निकल रिलीफ और प्रशासनिक सहायता इसमें दी जा सकती है वह उधार दी जाये इसकी चर्चा हम कर सकते है। किसानों के खाडे जो एक साल में बनने वाले हैं दो ढाई साल में जाकर बनते हैं उसकी कास्ट बढ़ जाती है तो यह अवधि निर्धारित करने के लिये कि यह किस प्रकार निर्धारित की जायेगी इसके लिये जन प्रतिनिधियों से और काश्तकार किस व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं इसके लिये काफी विस्तार में चर्चा की गयी है और इस समस्या के निराकरण के लिये कार्यवाही की जा रही है।

पचास प्रतिशत प्रशासनिक खर्च जो इसके अन्तर्गत किया जा रहा है इसके बारे में सरकार विचार कर रही है कि इसका कितना कम हिस्सा किसानों के ऊपर डाला जाये जिससे कि किसानों को राहत मिल सके। एक जो पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने जवाई बांध से जोधपुर को पानी दिये जाने वाली बात कही कि उससे जवाई बांध के अन्तर्गत सिंचित होने वाले क्षेत्र को उससे नुकसान हो रहा है। इस संबध में निवेदन करना चाहती हूं कि राज्य सरकार भी इसके बारे में काफी सजग है। राजस्थान नहर से जोधपुर को पानी दिया जाने वाला है उस योजना को तत्परता से और प्राथमिकता से लेकर उसके माध्यम से जोधपुर को पानी दिया जायेगा जिससे कि जवाई बांध को पानी दिया जा सके और जवाई बंध के पानी को खेती के काम में लिया जा सके। इस योजना को तत्परता से लेने के लिये इसके लिये वर्ल्ड बैंक से भी सहायता लेने के लिये बात करने की चर्चा चल रही है। मैं चाहती हूं कि इस समस्या का जल्दी निराकरण किया जाये। लेकिन जब तक यह नहीं किया जायेगा तब तक तो जवाई बांध से ही पानी देना जारी रहेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी सदस्यों का आभार मानती हूं कि अमूल्य सुझाव दिये हैं। जो रह गये हैं, उनकी भी हम आगे चर्चा करके उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : दोनों मांगों के उत्तर आ गये क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं । उन्होंने तो केवल ग्रार. सी. वी. का ही उत्तर दिया है।

एक माननीय सदस्य : छोटे एनीकट्स के बारे में तो....

श्री प्रद्युम्न सिंह : ये भू-जल के मंत्री महोदय भी कुछ कहना चाहते हैं अगर ग्रापकी अनुमति हो तो ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी जवाब ग्राना बाकी है फिर एक साथ पूछ लेना ।

श्री शीशराम ओला (राज्य मंत्री, भू-जल) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्यायें बतायी हैं....

श्री अध्यक्ष : ग्रापका भी शामिल था क्या ?

श्री शीशराम ग्रोला : भू-जल विभाग के पास में 85 मशीनें हैं ग्रौर माननीय सदस्यों की मांग को देखते हुये ग्रासानी से एक साथ सबके क्षेत्रों के लिये ये मशीनें दिया जाना सम्भव नहीं है। फिर इस साल दुर्भिक्ष, अकाल पड़ा हुग्रा है इसलिये हर माननीय सदस्य चाहता है कि उनके क्षेत्र में मशीन जाय ग्रौर सहायता कार्य करे। दूसरा भू-जल विभाग द्वारा चट्टानी क्षेत्रों में कुएं खोदना ग्रौर बोरिंग के द्वारा काम करना एव जनजाति के जो क्षेत्र है.....

एक माननीय सदस्य : समझ में नहीं ग्रा रहा है।

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : समझने की कोशिश करें, ग्रा जायेगा ।

श्री शीशराम ग्रोला : जुखाम लग रहा है इसलिये अब की बार ठीक बोलूंगा ।

राजकीय संस्थाग्रों ग्रौर निजी व्यक्ति के लिये नलकूप का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में भू-जल का सर्वेक्षण....

एक माननीय सदस्य : ठीक से बोलें। समझ में नहीं ग्रा रहा है ।

श्री शीशराम ग्रोला : ग्रापको क्या तकलीफ है....

श्री अध्यक्ष : उत्तर ग्राने दीजिये ।

श्री शीशराम ग्रोला : मैं ग्रापको ठीक से समझा दूंगा। ग्राप चाहें जो प्रश्न पूछ लेना, मैं उसका उत्तर दे दूंगा, ग्रापको संतुष्ट कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय अपने क्षेत्र में भाषण देते हुये ग्राये हैं जिससे उनका गला खराब हो रहा है। ग्राप समझने की कोशिश करें, ग्रापको समझ में ग्रा जायेगा ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह सही है 84 सभायें अटेंड की हैं ।

श्री शीशराम ग्रोला : विभिन्न क्षेत्रों में भू-जल का सर्वेक्षण राज्य के लिये ग्रौर निजी लोगों के लिये कई प्रकार के नल कूप

(श्री शीश राम श्रोला)

खोदकर सिंचाई के लिये पानी देना। लेकिन हमारे माननीय सदस्य श्री रामनारायण डूडी, श्री हरिसिंह, माननीय श्री माला राम जी आदि ने अपने अपने क्षेत्रों में होने वाली अनियमितताओं के बारे में बताया है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितनी मशीनें खराब पड़ी हैं, जितनी मशीनें ठीक काम नहीं कर रही हैं, जितनी एप्लीकेशन पैंडिंग पड़ी हैं उसके लिये मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के पास जो भी साधन हैं, मशीनें हैं उन सबका सदुपयोग राजस्थान के विकास के लिये, राजस्थान की बहबूदी के लिये तत्काल होगा। भविष्य में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आयेगी कि मशीनें खराब पड़ी हुयी हैं या एक महीने में एक भी कुआ नहीं खोदा जा रहा है। यह शिकायतें नहीं आयेंगी इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक तरह से ग्राउन्ड वाटर बोर्ड सहयोग देता रहेगा, काम करता रहेगा।

एक माननीय सदस्य : मेरे क्षेत्र में....

श्री बुलाकीदास कुल्ला : बीकानेर में पेयजल की समस्या के निवारण के लिये...

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने अभी उत्तर नहीं दिया है उत्तर पूरा आने दें।

श्री छोगाराम बकोलिया : अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड केवल 6 जिले में ही काम कर रहा है पाली में भी काम नहीं कर रहा है....

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। फिर एक साथ पूछ लेना।

श्री प्रद्युम्नसिंह : (राज्य मन्त्री सिंचाई) अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग से सम्बन्धित मांगों के सम्बन्ध में 160 कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत हुए हैं...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने दो विषय छोड़े हैं उनको क्लियर कर दें तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : भाषण की रफ्तार बनने दीजिये, बाद में उत्तर देंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, 35 माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं और जिन सम्मानीय सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया है, उन सबका आभार प्रकट करता हूं। मेरे लिये यह सम्भव नहीं होगा कि जितने माननीय सदस्यों ने अपने-अपने कटौती प्रस्ताव अलग-अलग दिये हैं मैं उन सभी के उत्तर भी यहां दे सकू। लेकिन पूर्व की परम्परा के अनुसार मैं विभाग के अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि जिन समस्याओं का जिक्र कटौती प्रस्तावों के जरिये माननीय सदस्यों ने किया है उन सबका उत्तर उनको व्यक्तिगत रूप से भेज दिया जावे।

श्रीमन्, सर्वप्रथम तो यहां पर जो कुछ प्रमुख मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगा और उसके बाद में, हमारा विभाग जो नये तरीके अपनाने जा रहा है, उसके बारे में चर्चा करूंगा।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

श्रीमन्, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी चिन्ता व्यक्त की कि हमारा पानी रावी और व्यास नदियों से पंजाब से जो आने वाला है, हम उसका समुचित उपयोग नहीं कर पाये हैं जो राजस्थान कैनाल में आता है। अतः उनका सुझाव था कि इस पानी को डाइवर्ट करके भरतपुर में इस्तेमाल किया जाय। अध्यक्ष महोदय, वैसे मेरे पूर्व अभी कृषि मन्त्रीजी ने राजस्थान कैनाल की जो प्रगति हुई उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। श्रीमन्, मैं विनम्र शब्दों में उनको निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह सम्भव नहीं हो सकेगा क्योंकि हमारा पहले से कमिटमेंट है, आर. सी. पी. के लिए, इसलिए हमारे लिये यह सम्भव नहीं है कि उस पानी को डाइवर्ट करके भरतपुर की तरफ लाया जावे।

श्री अध्यक्ष : पंजाब और हरियाणा तो पहले ही थे, अब नया खतरा और पैदा हो गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : दूसरी बात यमुना और गंगा के जल के बारे में थी। यह उनकी बहुत ही पुरानी मांग है और इसके बारे में वे हमेशा जिक्र करते आए हैं। श्रीमन्, मैं भी उनकी इस मांग से सहमत हूं कि यमुना और गंगा का पानी राजस्थान को कैसे मिल सकता है, इसके बारे में क्या किया जाय। मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय योजना है, यमुना के पानी के बंटवारे के बारे में जितनी हमारी मांग है, वह हमने प्रस्तुत कर दी है, गंगा के पानी के बारे में हमारी जो मांग है, वह भी हमने केन्द्रीय सरकार के सामने प्रस्तुत कर दी है। उसमें अभी तय होना है कि यमुना के पानी का बंटवारा किस प्रकार से होगा, किस प्रान्त को कितना हिस्सा मिलेगा, यह तय हो जाने के बाद ही कहा जा सकेगा कि कितना पानी प्राप्त हो सकेगा। इसके बारे में, श्रीमन्, मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले ही केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मन्त्रीजी ने एक मीटिंग बुलाई थी और इस प्रकार की मीटिंग पहले भी हो चुकी है। लेकिन श्रीमन्, वह मीटिंग किसी कारण से स्थगित हो गई। मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार इस पानी के बारे में दिलचस्पी ले रही है, ऐसा लगता है शीघ्र ही इस बारे में कोई निर्णय होगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान का जो वाजिब हिस्सा है वह निश्चित रूप से हमको मिल सकेगा। इस बारे में यही निवेदन है।

श्रीमन्, भूतपूर्व सिंचाई मन्त्री माननीय ललितकिशोर जी ने कुछ मुद्दे उठाये। उनकी जो बातें रही हैं, वे दो बातों पर ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, एक तो फिजिकल टार्गेट की तरफ, फाइनेन्सियल टारजेट की तरफ, और दूसरी बात यह हमेशा कहते हैं कि हमारे समय के अन्दर बजट प्रावधान ज्यादा किया गया। आपने क्या काम किया। आप इस काम के नजदीक रहे हैं और आपने बहुत भरोसे के साथ यह बात कही। श्रीमन्, इस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह बात सही है उनकी चिन्ता स्वाभाविक है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा कि क्या

222

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कारण थे जिसकी वजह से हमको रिवाइज्ड एस्टीमेट्स लाने पड़े, हमको विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं में कटौती करनी पड़ी बजट प्रावधान में, इस बात की तरफ गौर करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : सारा अस्त-व्यस्त हो गया जिसकी वजह से डेफिशियेन्सी को वापस लाने में टाइम लगेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, वह इस बात को दर्शाने की कोशिश करते हैं कि उनके समय के अन्दर बहुत अच्छा काम हुआ और इस सरकार को तो कोई चिन्ता ही नहीं है, सरकार सो रही है, यह बरबाद करके छोड़ेगी, ऐसी धारणा उनके मन में है और ऐसे ही विचार उन्होंने प्रगट किये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कम से कम इतना ही मन्जूर कर लो कि मुख्य मन्त्री जी सो रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मुख्य मन्त्री जी जाग रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आपको सिर्फ एक ही बात की धुन सवार है। यदि मैं विपक्ष के नेता के बारे में कहूं तो आपको उचित नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप धैर्यपूर्वक उत्तर सुनें और किसी प्रकार का कटाक्ष नहीं करें। मैं विश्वास करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसको अमल में लाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बात अच्छी आपने कही है या मेरे साथियों ने कही है, यदि सुधार की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से करना चाहिये, यह नहीं कि विपक्ष में बैठे हैं, इसलिए उनकी बात को कोई तरजीह नहीं दी जाय और अनसुनी कर दी जाय। अच्छी बात है तो निश्चित रूप से उस पर अमल करना चाहिये।

श्रीमन्, इसमें एक बात यह कही गई, यह मैं मानता हूं, कि फिजिकल टार्गेट हम पूरे अचीव नहीं कर पाये, मैं इसको एडमिट करता हूं, लेकिन इस कारण से उन कामों को बन्द कर दें, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। इसके कई कारण थे, कहीं काट्रेक्टर्स ने काम करना बन्द कर दिया, अब इसके लिए सर्टेन फार्मेलिटीज हमको कम्पलीट करनी पड़ेगी। यदि हम उसको आर्बिट्रेरिली खतम कर देंगे और नया काम शुरू कर देंगे तो इसमें लीगल काम्प्लीकेशन्स पैदा हो सकते हैं, और अदालत में हमको मुआवजा देना पड़ सकता है। इसलिए सर्टेन काम्प्लीकेशन्स हैं जिनकी वजह से काम में देर होती है।

पिछले साल जो होता है उसकी समीक्षा भी मीटिंग करके की जाती है, इसलिए कि भविष्य में कमी नहीं रहे। कमियां जो रही हैं, वे किसी से छिपी हुई नहीं हैं। लेकिन मेरा निवेदन है, मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस साल जो हमारे फिजिकल टार्गेट्स है, जो फाइनेन्शियल टार्गेट्स हैं, इस बारे में मैंने अधिकारियों को आदेश दे दिये हैं। सुपरिन्टेण्डिग इन्जीनियर्स को रेस्पान्सिबल किया है, वे एडीशनल चीफ इन्जीनियर से कोर्डीनेट करके सारी बातें तय करेंगे। मैंने यह निर्देश दे दिये हैं कि यदि टार्गेट्स पूरे नहीं होते हैं तो सरकार को जवाब देने की उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। यदि हमारे फिजिकल, फाइनेन्शियल टार्गेट्स पूरे नहीं होते हैं तो सरकार के सामने उनकी जवाब-

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

दारी होगी। मैंने यह भी निवेदन किया है, मैं इस बात को भी मानता हूं कि कुछ हमारे प्रोजक्टेस ऐसे हैं जो टाइम में पूरे नहीं हो पायेंगे तो निश्चित रूप से उनकी कीमत बढ़ेगी और जनता पर इनका असर पड़ेगा। श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन कर दूं कि हमारे सीमित साधन हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी योजनाओं को हाथ में लेने की बात कही, लेकिन हमारे साधन सीमित हैं, हम चाहेंगे कि जो अच्छी योजनायें हैं जिनके ऊपर जल्दी कार्य शुरू करके अच्छे रिजल्ट्स मिल सके हैं और जिन पर जल्दी रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जिन पर लागत कम आये और सिंचाई भी ज्यादा हो सके, उन योजनाओं को निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जायगा, यह मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। लेकिन जिस प्रकार मांग विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा पेश की गई अगर उसका तखमीना लगाया जाय तो शायद अरबों रुपयों में जाकर पहुंचेगी। कहां से सीमित साधनों से हम व्यवस्था कर सकते हैं? आपको राजस्थान के परिप्रेक्ष में इस बात को देखना पड़ेगा।

श्रीमन्, मैं जब ट्रेजरी बेंचेज पर नहीं बैठता था तो मैं हमेशा माइनर इरिगेशन के बारे में बहुत कहा करता था कि राजस्थान में क्योंकि अपना पानी तो कम है, नदियों में कम है, बरसात का पानी कम है, बाहर से पानी मिल रहा है, तो मैंने हमेशा इस बात पर स्ट्रेस किया कि माइनर इरिगेशन स्कीम्स को हाथ में लिया जाय और उनको शीघ्र पूरा किया जाय जिससे जल्दी रिजल्ट्स मिल सकें। उनसे लाभ बहुत होते हैं, बहुत सा हमारा बरसात का पानी जो नदी नालों में व्यर्थ जाता है जिसका हम समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारी बहुत सी योजनाओं में काम चल रहा है, अगले वर्ष में माइनर इरिगेशन की योजनायें हाथ में लेने वाले हैं लेकिन मैंने कहा जो और योजनायें पड़ी हैं जिनका सर्वे पूरा हो चुका है, उनको निकलवाया जाय जिससे हम उनको हाथ में ले सकें। मेरे कहने का मतलब है, मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि मध्यम सिंचाई या वृहत्त सिंचाई योजनायें जो हमारे हाथ में हैं या और सिंचाई योजनायें भविष्य में ले सकते हैं उनको नहीं लेंगे, सिर्फ माइनर इरिगेशन की लेंगे लेकिन मैंने डिपार्टमेंटल अधिकारियों से कहा है कि हमको माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेना चाहिये जिससे हम अधिक से अधिक वर्षा का पानी जो व्यर्थ जाता है उसका उपयोग कर सकें, यह हमारी नीति शुरू से है, आज भी···

श्री अध्यक्ष : कई माननीय सदस्यों ने यह चिंता व्यक्त की कि जगह जगह कुओं का जल स्तर नीचे जा रहा है इसलिए कई स्थानों पर एनीकट्स बनाये जा सकते हैं, नदियों के बहाव को रोका जा सकता है, भूमिगत जल की सतह को ऊपर लाया जा सकता है इसलिए माइनर इरिगेशन वर्क्स का मैं समझता हूं पूरा सर्वेक्षण करवा कर, इस ओर आपको कार्यवाही करनी चाहिये। यह नई समस्या है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने जो सुझाव दिया है, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मेरी भी यही धारणा रही है, मेरे क्षेत्र में यही समस्या है। मैं इस

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बात के लिए कहता था कि राजाखेड़ा तहसील में कोई पानी की नहर नही है, सिर्फ कुएं से पानी आता है लेकिन सारा पानी चम्बल का वेस्ट जा रहा है। दूसरी जगह भी ऐसा होता होगा। माननीय सदस्यों ने जो चिंता जाहिर की है मेरा प्रयत्न रहेगा कि माइनर इरिगेशन वर्क्स, एनीकट्स, जितने अधिक से अधिक सीमित साधनों से लें अगर थोड़ा बहुत फंड्स को डाइवर्ट करना पड़ेगा तो माइनर इरिगेशन हैड के नीचे अधिक से अधिक कामो को लें जिससे कुएं जो सूख गए हैं या वैल्स की रिचार्जिंग की समस्या है, उसको अधिक से अधिक हाथ में ले सकें, सरकार काफी सजग है, हमें पूरा ध्यान है।

एक बात कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने और हमारे साथियों ने कही बी. सी. रेश्यो के बारे में, किशनगढ़ से साथी आते हैं और अजमेर से माननीय सदस्य आते हैं बी. सी. रेश्यो के बारे में खास तौर से यहां पर चिंता व्यक्त की गई है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि आज जो 1:1:5 का रेश्यो है जो प्लानिंग कमीशन से मुकर्रर होते हैं, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों में लागू हो सकते हैं ? नहीं। मैं खुद मानता हूं आज बहुत से ऐसे बेफिफिट्स हैं, फिशरीज का बेफिफिट और बेफिफिट्स हैं, मैं कभी काउंट ही नहीं करता इसके अंदर, तो मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और मुख्य मंत्री से भी इस बारे में बात की थी जो वित्त मंत्री भी हैं कि बी. सी. रेश्यो जो है इसके अंदर राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आमूल-चूल परिवर्तन करना पड़ेगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो योजनायें बिल्कुल फीजिबल नहीं हैं क्योंकि माइनर इरिगेशन वर्क्स पर हम सक्षम हैं कि अपने तरीके से बदल सकें लेकिन मेजर इरिगेशन वर्क्स के लिए और मीडियम इरिगेशन वर्क्स के लिए हमें भारत सरकार के सामने जाना पड़ता है। उनसे भी हम बात करेंगे। पिछली बार सिंचाई मंत्रियों की बैठक बैंगलोर मे हुई थी, यह सवाल वहां पर उठाया था, उस समय तय हुआ था, प्लानिंग कमीशन में सब-कमेटी का गठन किया था जो इस बारे में विचार करके कोई सुझाव देगी कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाय। तो माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की बी. सी. रेश्यो की, उनकी चिंता में मैं शरीक हूं और मैंने अधिकारियों से कहा है कि बी. सी. रेश्यो की जो पद्धति है इसको बदलना पड़ेगा, जो दूसरे बेनिफिट्स इससे मिलते हैं उनको भी इसमें शरीक करना पड़ेगा।

एक बात यहां पर भ्रष्टाचार के बारे में माननीय सदस्यों ने कही। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जायगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायगी। मेरा विचार बिल्कुल साफ है, अगर कोई मुगालता किसी कर्मचारी को है तो सुन ले। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया कि वेग चार्जेज न लगायें उससे काम नहीं चलेगा। पूरा इरिगेशन विभाग ही भ्रष्ट है, यह नहीं कहना चाहिए, बहुत से हमारे अधिकारी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हैं, अच्छे हैं, यह मुनासिब नहीं है कि स्वीपिंग चार्जेज लगा दें। अगर आपके पास स्पेसिफिक चार्ज हैं तो आप मुझको लिखकर दें, मैं एक्शन लूंगा, कार्यवाही करके जांच कराऊंगा, आपको संतुष्ट करूंगा। अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो फरदर इन्क्वायरी कराऊंगा, तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हमने जनता शासन समाप्त होने के बाद कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी किया। जिनके खिलाफ इरेगुलेरिटीज पाई गई, दो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, कुछ असिस्टेंट इंजीनियर्स हैं, कुछ जूनियर इंजीनियर्स हैं, कुछ के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। इस बात से साफ जाहिर है कि हमारी मन्शा किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को शील्ड करने की नहीं है।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री भैरूंलाल ने आरोप लगाया, मैंने उसको नोट किया है लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर लिखित रूप में दे सकें ...

श्री अध्यक्ष : उनका तो निश्चित क्षेत्र है नहीं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सूखे को और सूखा कर दिया फर्जी बिल बनाकर...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सुरेश मिश्रा से पूछो, 17 वर्ष की लड़की...

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसी प्रकार से और माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारा जो आधुनिकीकरण हो रहा है, बहुत सी नहरें राजस्थान में पुरानी हो गई हैं, आब्सोलीट हो गई हैं, पानी का रिसाव काफी होता है जिसके कारण खेतों को नुकसान हो रहा है, हम सभी नहरों का आधुनिकीकरण का काम हाथ में नहीं ले सकते हैं, फिर भी इसको बड़े पैमाने पर ले रहे हैं और मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस काम में और गति लायेंगे और...

श्री अध्यक्ष : गंगानगर के माननीय सदस्यों ने प्रश्न तो नहीं उठाया लेकिन ऐसा सुनते हैं कि गंग कैनाल बिल्कुल बैठ गई है उसकी कैपसिटी 2700 क्यूसेक्स थी, अब 1800 रह गई है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उसका हमने प्रावधान किया है हम ले रहे हैं। उनको किस तरीके से रिपेयर करें, पंजाब वाले एग्री नहीं कर रहे थे।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी उचित कार्यवाही होगी वह की जावेगी। यहां पर सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जवाई बान्ध के बारे में प्रश्न उठाया, अध्यक्ष महोदय, यह जवाई बांध की योजना जो थी वह पहले सिंचाई के लिये ही थी पर बाद में जोधपुर में पानी की समस्या आने के कारण उसमें से थोड़ा पानी मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए जोधपुर को पीने के लिये पानी दिया गया है। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में, किसानों के हितों के बारे में चिन्ता व्यक्त की तो अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदस्यों को, यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार काश्तकारों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी, काश्तकारों के हितों को सुरक्षित रखेगी तथा काश्तकारों

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

को कोई भी नुकसान नहीं होने देगी। इसके लिये राज्य सरकार में योजना के लिये क्या रूपरेखा होगी उस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। लिफ्ट इर्रिगेशन के लिये जैसा कि अभी माननीय कृषि मन्त्रीजी ने कहा, लिफ्ट इर्रिगेशन से पानी पहुंचाने की बात है उसके लिये भी सरकार जागरूक है।

(व्यवधान)

श्री गोकुल चन्द शर्मा : यह वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने की बात है उसके बारे में यह तो ठीक है कि आप वह काम नहीं करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं मेरा उसके लिये यह निवेदन है कि सरकार एक है, पानी की समस्या भी सारे प्रदेश की है वह प्रदेश भी एक ही है। मैंने पहले ही कह दिया कि कृषकों के हितों का ध्यान रखा जायेगा, और अधिक पानी नहीं दिया जायेगा।

श्री गोकुल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वहां पर तीस करोड़ रुपये की एक योजना नयी बनाने जा रहे हैं आपने वहां पर पाइप लाइन बिछाने की योजना बनायी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह और अधिक पानी देने की योजना के बारे में ही कह रहे हैं ना। मैं समझ गया।

श्री गोकुल चन्द शर्मा : आप वहां पर नयी योजना चालू कर रहे हैं तीस करोड़ रुपये की है पाइप लाइन बिछा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : पाइप खरीद लिये गये हैं क्या ? जब पाइप खरीद लिये गये हैं तब तो ठीक है।

श्री गोकुल चन्द शर्मा : अभी खरीदे नहीं हैं, खरीदने जा रहे हैं, तीस करोड़ रुपये के पाइप।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान नहीं करें। उत्तर आने दें मन्त्रीजी का।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो, श्रीमान्, कई माननीय सदस्यों ने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया।

श्रीमान् माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से इस बात को कहा, टेल के एरिया में काश्तकारों को पानी नहीं मिलता है। श्रीमान्, यह बात सही है और मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन, श्रीमान्, यह समस्या सिर्फ अपने ही प्रदेश में है और दूसरे किसी भी भारत के प्रान्त में नहीं है। मैंने यू.पी. की नहरों को देखा है और अध्ययन किया वहां पर यह होता है कि पहले टेल के क्षेत्र में पानी दिया जाता है और फिर बाद में पहले क्षेत्र में पानी मिलता है। इस प्रकार से योजना बनायी जाती है। इतना ही नहीं, श्रीमान्, एक बात मैंने और यह देखी हमारे प्रदेश में कि लोग नहर को जहां चाहें मर्जी से काट कर पानी ले लेते हैं वह लोग बिलकुल, नहीं डरते हैं, उन्हें कतई डर नहीं है और उसका नतीजा यह होता है कि टेल क्षेत्र के वास्त

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कार पानी के लिये तरसते हैं। इसलिये, श्रीमान्, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि मैंने मेरे विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दे दिये हैं कि इस प्रकार जो लोग गैर कानूनी कार्यवाही करते हैं उनके खिलाफ में कार्यवाही करें और इस प्रकार की व्यवस्था करें कि टेल के एरिया वाले काश्तकारों को खेती के लिये पानी मिल सके। श्रीमन्, एक बात यहां पर कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही लिफ्ट इरिगेशन के बारे में।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कोटा से आने वाले सदस्य ने नहीं, बारां से आने वाले सदस्य ने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, कोटा जिले के श्री रघुवीर सिंह कौशल ने कहा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : बारां और धौलपुर नये जिले बनने जा रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई करने के लिये चम्बल के एरिया में और दूसरी नदियों के क्षेत्र में जहां कि पानी बारह महीनों बहता रहता है वहां पर लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई करके पानी का उपयोग किया जावे। श्रीमन्, जब मुझे यह विभाग मिला तो मैंने अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की और यह कहा कि चम्बल का पानी कोटा के बाद में कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होता है और वह बिलकुल वेस्ट हो रहा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस पानी का उपयोग किया जावे। श्रीमन्, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि कोटा के बाद धौलपुर तक ऐसे पाइन्ट देखें जहां पर लिफ्ट इरिगेशन से पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिये किया जा सके। मैंने निर्देश दिये हैं, श्रीमन्, यह पानी वेस्ट नहीं हो और इस पानी को लिफ्ट करके दूसरे क्षेत्र में सिंचाई की जाय। मैं खुद, श्रीमन्, बिलकुल सहमत हूं, यहां पर नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, लिफ्ट इरिगेशन से अजमेर जिले को पानी सिंचाई के लिये दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई होनी चाहिये। मैं खुद सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष : ऐसे ठिकाने तो आपको जालौर और सिरोही में बहुत मिल जायेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, आप फर्मा दें मैं उनको एग्जामिन करा लूंगा। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम्स बना कर सिंचाई की जाय। लिफ्ट इरिगेशन के ऊपर, श्रीमन्, वैसे तो लागत कम आती है लेकिन बाद में उसका खर्चा अधिक आता है। इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इसके लिये किसानों को समझाया जाय कि या तो वे पानी कम काम में लें या फिर ऐसी फसलें बोयें जिससे कि पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़े लेकिन, श्रीमन्, फिर भी अगर आप देखें तो जितना खर्चा कुए के लिए पानी निकालने में करना पड़ता है

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उससे तो इसमें रेट कम आयेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इसके लिये राज्य सरकार का यह प्रयास रहेगा कि पानी को लिफ्ट करके उसके माध्यम से सिंचाई की जाय। श्रीमन्, यहां पर जो दूसरी बातें और कही गयीं इसमें यह भी कहा गया था कि सभी जगहों के मास्टर प्लान बना कर सिंचाई के साधन शुरू किये जाएं। इसके लिये मैं, श्रीमन, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं सभी जगह के मास्टर प्लान बनाने के लिये मैं सहमत नहीं हूं सिर्फ जहां के माननीय सदस्य बतावें और जहां पोटेन्शियलिटी अगर है तो वहां के लिये मास्टर प्लान बनाने के लिये कार्यवाही की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, अगर सभी जगह यानि पूरे राजस्थान के लिए मास्टर प्लान बनाने की बात होगी तो इसमें बहुत सारा समय लग जावेगा। इसलिए जहां पोटेन्शियलिटी है उसके लिये माननीय सदस्य सुझाव दें उसका सर्वे कराया जायेगा। वरना पूरे राजस्थान का सर्वे कराने में दस साल लग जावेंगे। इसके साथ-साथ मैं यह भी स्पष्ट कह दूं कि पूरे राजस्थान का सर्वे कराने में नहीं जा रहा हूं इसमें बहुत समय लगेगा...

श्री गोकुल चन्द शर्मा : आप पूरे राजस्थान का सर्वे करायें तो क्या दिक्कत है? आपके सर्वे डिपार्टमेन्ट की ड्यूटी है कि वह सर्वे करे। उनके पास सारा रिकार्ड है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर। माननीय मन्त्री जी को जवाब देने दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, मैं यहां बिलकुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान का मास्टर प्लान बनाने नहीं जा रहा हूं। लेकिन जहां-जहां भी माननीय सदस्य अगर पोटेन्शियलिटीज बतावेंगे वहां पर सर्वे कराया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब चीफ व्हिप तो कहां से बतायेंगे। उनके यहां तो डेजर्ट है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो, श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि जहां भी माननीय सदस्य बतायेंगे वहां का सर्वे करा कर योजना लागू करने की कोशिश की जावेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे भाषण में यह कहा था कि आपने सर्वे के लिए तो सिर्फ 90 लाख रुपये ही रखे, इससे क्या होगा। दूसरी ओर यहां पर जो बरसाती नदियां हैं उनका पानी बेकार जाता है उसका सर्वेक्षण कराया जाय लेकिन बजट बहुत थोड़ा रखा है उसको बढ़ाया जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर। माननीय सदस्या, उत्तर आने दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो, श्रीमन्, मैंने शुरू में ही यह कह दिया था कि सारे राजस्थान का मास्टर प्लान बनाने में नहीं जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने तो काफी विस्तृत उत्तर दे दिया है। अब पांच सात मिनट बाद आप समाप्त कर दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तो, श्रीमन्, मास्टर प्लान पूरे राजस्थान के लिए बनाने में बहुत समय लगेगा लेकिन जहां माननीय सदस्य कहेंगे वहां पर सर्वे कराकर कार्यवाही की जायेगी। मैंने इस ग्रोर्गनाइजेशन को ग्रौर भी स्ट्रेन्दन करने के लिए कह दिया है। इसके लिये बजट में ग्रधिक प्रावधान करने की जरूरत पड़ी तो वह भी किया जायेगा। ऐसा सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाकर चलना चाहता हूं। इसके ग्रलावा ग्रन्त में एक बात ग्रौर निवेदन करना चाहता हूं वह है कि राज्य सरकार मल्टीपर्पज योजनायें बनाने के लिये सोच रही है। जैसे सिंचाई के साथ साथ उन योजनाग्रों द्वारा विद्युत् का उत्पादन भी किया जाय। ग्रगर वहां पर क्षमता हो तो इसके लिए सर्वप्रथम कमला बांध से सिंचाई के साथ-साथ विद्युत उत्पादन करने के लिए कोशिश की जावेगी। ग्रगर यहां पर विद्युत का उत्पादन हो सकेगा तो सर्वप्रथम वहां पर ही सिंचाई के साथ-साथ विद्युत उत्पादन करने की योजना बनायी जायेगी। इस प्रकार मल्टीपर्पज योजना लागू की जायेगी। इसके ग्रलावा मैं यह भी सूचित करना चाहता हूं कल यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ग्रा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज्। ग्राप उत्तर तो ग्राने दें।

श्री चतुर्भुज : ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने बीसलपुर योजना के लिए कहा था....

श्री प्रद्युम्न सिंह : ग्रापने बीसलपुर के सर्वे के लिए कहा....

श्री ग्रध्यक्ष : काफी दिन से कह रहे हैं। तीन भाषण मैंने सुने हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बीसलपुर के बारे में पूर्व में सर्वे हुग्रा था....

श्री ग्रध्यक्ष : बीसलपुर का ध्यान रखना। जोधपुर के पास ग्रौर है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं टोंक की बात कर रहा हूं, श्रीमन्। जैसी मुझे विभाग से जानकारी मिली है, माननीय सदस्य ने कहा, तब ही जानकारी मैंने प्राप्त की। वहां पर सर्वे डिवीजन है जो कि सर्वे का कार्य कर रहा है। नहर का सर्वे कर रहे हैं। इसकी योजना सामने ग्राने दीजिए। माननीय सदस्य की चिंता से मुझे सहानुभूति है ग्रौर जो बन सकेगा उसके ऊपर कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : मैंने कहा था उसका उत्तर नहीं दिया गया है....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर, ग्रार्डर। माननीय सदस्या, उत्तर ग्राने दीजिए।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : बनास योजना के बारे में करेंगे, उसकी क्या योजना है ?

श्री ग्रध्यक्ष : उसके लिए बाद में ग्रवसर दे दो।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ग्रध्यक्ष महोदय, कल मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी ग्राये ग्रौर उनसे चर्चा करने का सौभाग्य मिला। हमारी जो समस्यायें थीं उनकी तरफ भी हमने उनका ध्यान ग्राकर्षित किया उन्होंने कहा कि एक मीटिंग इसके बारे में कर लेंगे जल्दी से जल्दी इसका फैसला किया जायगा उन्होंने एक सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि दोनों प्रान्त मिलकर बोर्डर पर जो नदियां हैं जोइन्ट प्रोजेक्ट हाथ में

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

लें तो कैसा रहेगा। तो हमने कहा कि आपका सुझाव बहुत अच्छा है और इसके बारे में हम विभाग के अधिकारियों से कहेंगे कि कहां-कहां इस किस्म के जोइन्ट प्राजेक्ट हाथ में लिये जा सकते हैं इसका वह पता लगायें। हमने कहा है उनको कि आप इसके बारे में विवरण तैयार कीजिए। मैं आपके माध्यम से जो उत्सुकता थी उनकी वह जाहिर की है।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान में तीन नदियां कोटा से निकलती हैं उनका तो शेयर कर लेंगे और हम नुकसान में रहेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना भी तो मैं कहता हूं कि राजस्थान के लिए हम पूर्ण रूप से सजग रहेंगे, ध्यान रखेंगे और किसी प्रकार का लेकुना कहीं नहीं रह जायेगा जिससे की भविष्य में हमको दिक्कत उठानी पड़े। मैं पुनः माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरी इस मांग के ऊपर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। मैं निवेदन करूंगा कि इस विभाग की मांग स्वीकार की जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। टेक्निकल पाइन्ट है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने कहा था कि बाद में पूछ लें। मैं पूछ लूं। अनुमति हो तो।

श्री अध्यक्ष : एक एक प्रश्न।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, दो प्रश्न हैं मेरे। एक तो मैंने जो आपसे आग्रह किया था कि गंगानगर और हनुमानगढ़ के विशेष आदेशों की अवहेलना की गयी विभाग के द्वारा, जो न्यायालय की ओर से आदेश मिले थे उनकी अवहेलना करके भी वहां पानी बन्द किया गया। वह स्टे आर्डर ले आये, उसका उत्तर दें अब आप अप्रैल में क्या आदेश देने वाले हैं उसको स्पष्ट करें।

दूसरे बनास योजना से जयपुर क्षेत्र को सिंचित करने की योजना है तो बाणगंगा और बनास की योजना के लिए निश्चित रूप से कहें कि जयपुर के साथ न्याय करेंगे?

श्री प्रद्युम्न सिंह : न जयपुर के साथ अन्याय करने का प्रश्न है और न आपके संग अन्याय करने का प्रश्न है। अगर कोर्ट के स्टे आर्डर के बाद में अधिकारियों ने स्टे आर्डर को नहीं माना है...

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपको मूल कापी कल दिखा दूंगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, हां दिखा देना। मैं वह निवेदन करता हूं कि अदालत के के आदेशों की यह विभाग पालना करेगा और कोर्ट ने कोई स्टे आर्डर दिया है और उसके बावजूद अगर कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है तो मैं अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि आदेशों की पालना की जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सिंचाई मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

चाहूंगा कि जैसा जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा वह प्रश्न ऐसा था कि गंग कैनाल से और भाखरा कैनाल से अनकमाण्ड एरिया में जो लोग पानी 76 तक लेते रहे उन लोगों को पानी उस समय 76 में बन्द किया गया। उसमें पानी चालू रखा जाये इसलिए रखा जाय कि वह अनकमाण्ड एरिया है। अब प्रश्न यह है कि पानी की कमी बता कर इस समय एडीशनल चीफ इन्जीनियर ने उन वारियों को काटने के यहां से आर्डर्स भिजवा दिये। यह होगा तो होगा लेकिन आने वाली 15 अप्रेल को नयी फसल के लिए अगर वह वारियां कटी रहीं, पानी की कमी है तो यह तो समाजवादी रूप है थोड़ा सा पानी और कम हो सकेगा लेकिन ठीक ठीक बंट जाये और पानी मिलता रहे, इस बारे में आप अपनी तरफ से स्पष्ट निवेदन करें। यह प्रश्न है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में जब तक विभाग से जानकारी पूरे तथ्यों की नहीं कर लूं तब तक मैं ग्राफ हैंड कमिटमेन्ट करना नहीं चाहता। मैं जानकारी करके बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण डूडी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो डी. पी. ए. पी. डिस्ट्रिक्ट हैं जहां लिफ्ट इर्रीगेशन नहीं है और माइनर इरिगेशन योजनायें हैं उनको पूरा किया जायेगा ? दूसरे....

श्री अध्यक्ष : एक एक प्रश्न माननीय सदस्य। उसके बाद मांगें पारित कर दी जायेंगी।

श्री रामनारायण डूडी :...राजस्थान कैनाल से नागौर जोधपुर के लिए कोई लिफ्ट योजना का प्रस्ताव था या कोई पास हुई और हुई थी तो उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : यह कृषि मंत्री जी ने जवाब दे दिया। आप कहां थे ? श्री देवदत्त तिवाड़ी।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह बिलकुल घिसे पिटे मार्ग पर चल रहे हैं। कोई नयी चीज लाना चाहते हैं या नहीं...

श्री अध्यक्ष : खारे पानी को मीठा करने की कोई योजना है क्या ? आशा लगाये बैठे हैं खारा पानी मीठा हो जाये। श्री रघुवीरसिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सावन भादों मीडियम प्राजेक्ट सी. डब्लू. सी. से एप्रूव हो कर आ गयी। इस बजट में उस पर कोई भी पैसा अलाट नहीं किया गया है क्या मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे कि ऐसा क्यों ?

श्री अध्यक्ष : सावन भादों कहां है। हमको भी मालूम नहीं है। मंत्री जी हमसे भी नये हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कोटा से अलग कहां पूछने जा रहे हैं लेकिन मैं जानकारी प्राप्त करूंगा मैं कोई कमिटमेन्ट करने की स्थिति में नहीं हूं। मेरे पास नया विभाग है और कहां क्या योजना है अभी मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है। मैंने समझने की कोशिश की है। मैं पता लगाऊंगा कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। यही कह सकता हूं आपको अभी कमिटमेन्ट देने की स्थिति में मैं नहीं हूं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : एक बात का उत्तर चाहता हूं। मंत्री महोदय से यह निवेदन आपके द्वारा करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग आपके पास है। सी. डब्लू. सी. ने 4 मीडियम प्राजेक्ट सेंक्शन किये उसके बारे में भी जानकारी नहीं है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने आपसे निवेदन किया है। आपकी मंशा है मुझसे कमिटमेन्ट कराने की वह मैं कर नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह मसला बहस में उठाया नहीं गया है इसलिए इतनी देर से उठाने की इजाजत नहीं देता हूं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ! मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है।

श्री माधवसिंह।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, सन् 79 के अन्दर जो जोधपुर डिवीजन में बाढ़ आई थी उस बाढ़ के अन्दर लूणी बेसन के अन्दर एक योजना बनी थी। उस बाबत आपने नहीं बताया। उस योजना का क्या हुआ ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमान्, यह बात सही है मैंने इस बात की जानकारी प्राप्त की थी। लूणी बेसन के सर्वे का कार्य चल रहा है, पूरा नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से 79 में जब भयंकर बाढ़ आई थी मैंने भी सवाल पूछे थे कितने बांध टूटे थे···

श्री अध्यक्ष : यह तो, बरसात से बाढ़ आई है, इसके लिए रुपये मत खर्च कर देना। पांच साल तक यह काम आपका टिक नहीं सकता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शोभा नदी के ऊपर बांध बनाने के बारे में माननीय मंत्री महोदय बताये···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। एक एक छोटी-छोटी योजना के बारे में नहीं। आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। एक तो 6 बजे वाद-विवाद समाप्त करने को था। आपकी बात रख कर रात के दस बज गये।

चर्चा समाप्त हुई।

मांग संख्या 46 व 38 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46 सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,59,74,53,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38- लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष

(श्री अध्यक्ष)

में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,85,63,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सूचना

सदन की बैठक के समय व कार्यक्रम में परिवर्तन

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि 20 तारीख से तीन दिन की होली की छुट्टियां हो जायेंगी इसलिए तय यह किया गया है कि 19 तारीख को विधान सभा प्रातः 8 बजे से प्रारम्भ होगी और क्योंकि 19 तारीख को अकाल सहायता आदि विषय थे जिन पर लम्बी चर्चा होने की सम्भावना थी अतः उस मांग को हमने 24 तारीख को रख दिया है और 24 तारीख की मांगें कृषि और पशुपालन को 19 तारीख को रखा है। इसलिए माननीय सदस्य जो कटौती प्रस्ताव कृषि और पशुपालन के सम्बन्ध में देना चाहते हैं वे कल दे सकते हैं। यह माननीय सदस्यों को सूचना दे रहा हूं।

सदन की कार्यवाही कल-दिनांक 18 मार्च, 1981 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9.55 बजे बुधवार दिनांक 18 मार्च, 1981 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)।

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 293 की सूचना

प्रश्न संख्या 1 के संबंध में सूचना

राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन की योजना अक्टूबर, 1964 में प्रारम्भ की गई थी। 16 मई, 1974 को इन नियमों का सरलीकरण एवं नवीनीकरण किया गया जो वर्तमान में लागू हैं। वृद्धावस्था पेंशन नियमों में समय-समय पर जो परिवर्तन किये गये वे निम्न प्रकार हैं :–

आदेश संख्या	परिवर्तन
1. क्रमांक एफ 1 (18) एफ० डी० (रूल्स)/70 दिनांक 18-4-70	नियम 3 में संशोधन किया गया जिसके अनुसार पुरुष और महिला की आयु में अन्तर किया गया है। इसके अतिरिक्त 65 वर्ष की महिला के स्थान पर 60 वर्ष की महिला शब्द जोड़ा गया है। इस संशोधन से वृद्धावस्था पेंशन हेतु 65 वर्ष के पुरुष व 60 वर्ष की महिला को पेंशन प्राप्त करने का हकदार बनाया गया। नियम 5 में संशोधन कर पेंशन की दर प्रति निराश्रित व्यक्ति 30 रुपये व प्रति संयुक्त पेंशन की दर 40 रुपये प्रतिमाह की गई।
2. एफ 1 (12) एफ० डी० (रूल्स)/70 दिनांक 15-5-74	वृद्धावस्था पेंशन के नियमों में आमूलचूल परिवर्तन कर उनका सरलीकरण एवं नवीनीकरण किया गया जो नियम वर्तमान में लागू हैं। इन नियमों में संशोधन से निराश्रित वृद्ध पुरुष की आयु सीमा पेंशन हेतु 65 से घटाकर 58 करदी गई व महिला की आयु 60 से घटाकर 55 वर्ष करदी गई। इन संशोधित नये नियमों को लागू करने का उद्देश्य अधिक से अधिक निराश्रित वृद्ध लोगों को पेंशन दिलाना व प्रक्रिया को सरल करना था जिससे कि पेंशन प्राप्त करने में लोगों को कठिनाई नहीं हो।

अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचे व प्रक्रिया संबंधी स्थिति का स्पष्टीकरण रहा है।

प्रश्न संख्या 2 से सम्बन्धित सुचना:–

प्रारम्भ में प्रति वृद्ध व्यक्ति 20 रुपये प्रतिमाह और प्रति संयुक्त पेंशन की दर 25 रुपये प्रतिमाह दी जाती थी। अप्रेल 1970 में इन दरों में संशोधन कर प्रति व्यक्ति पेंशन की दर 30 रुपये प्रति माह संयुक्त पेंशन की दर 40 रुपये प्रतिमाह कर दी गई। फरवरी, 1977 में इन दरों में पुन: संशोधन किया गया जिसके अनुसार प्रति व्यक्ति 40 रुपये व प्रति पति पत्नी 60 रुपये प्रति माह पेंशन की दर कर दी गई।

वर्तमान में 40 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति व 60 रुपये प्रतिमाह प्रति पति पत्नी को पेंशन के रूप में दिया जाता है।

प्रश्न संख्या 3 से सम्बन्धित सूचना :–

जहाँ तक उपभोक्ता सूचकांक का प्रश्न है वह जब योजना लागू की गई थी जयपुर केन्द्र के आधार पर 1964 में 128 तथा अजमेर केन्द्र के आधार पर 120 था जबकि 1980 में जयपुर केन्द्र के आधार पर सामान्य उपभोक्ता सूचकांक 422 व अजमेर केन्द्र के आधार पर सामान्य उपभोक्ता सूचकांक 460 था। विभिन्न वर्षों में सामान्य उपभोक्ता सूचकांक निम्न प्रकार रहे :–

जयपुर केन्द्र आधार 1960–100		अजमेर केन्द्र आधार वर्ष (1960–100)	
वर्ष	सामान्य उपभोक्ता सूचकांक	वर्ष	सामान्य उपभोक्ता सूचकांक
1964	128	1964	120
1965	137	1965	130
1966	155	1966	147
1967	180	1967	176
1968	175	1968	176
1977	342	1977	331
1978	356	1978	340
1979	372	1979	355
1980	422	1980	408

236

3. एफ 1 (22) / एफ० डी० (रूल्स)/73 दिनांक 15-2-77	इन नियमों के द्वारा संशोधन कर वृद्धावस्था पेंशन की दर प्रति व्यक्ति 40/– रुपये प्रति माह व जहां पति पत्नी दोनों निराश्रित हो उन्हें पेंशन की दर संयुक्त रूप से 60/– रुपये प्रतिमाह करदी गई है ।
4. एफ 1 (22) एफ० डी० (रूल्स)/73 दिनांक 15-5-74	इस संशोधन के द्वारा निराश्रित व्यक्तियों को प्रार्थना पत्र में फोटो का खर्चा एक रुपया देने का प्रावधान किया गया है ।
5. एफ 1 (22) एफ० डी० (रूल्स)/73 दिनांक 23-6-79	इस संशोधन से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में फोटो लगाने का व्यय एक रुपये से बढ़ाकर दो रुपये देने का प्रावधान किया गया है ।
6. एफ 1 (22) एफ० डी० (रूल्स) /73 दिनांक 15-8-80	इस संशोधन के माध्यम से प्रक्रिया संबंधी परिवर्तन किया गया है ।
7. एफ 1 (22) एफ० डी० (रूल्स) /73 दिनांक 6-9-80	इस संशोधन के माध्यम से निराश्रित व्यक्ति की परिभाषा में 45 वर्ष की विधवा को भी सम्मिलित किया गया है जिसके द्वारा पहली वार 45 वर्ष की आयु की विधवा महिला को भी पेन्शन दिये जाने का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त नियम 2 (11) के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में इस आयु सीमा में छूट दे सकती है ।
8. एफ 1 (22) एफ० डी० (रूल्स) /73 दिनांक 14-10-80	इस आदेश के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि प्रति निराश्रित वृद्ध व्यक्ति को 40 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जायगी व जहां पति पत्नी दोनों ही निराश्रित हों उन्हें वहां 60 रुपये प्रति माह पेंशन दी जायगी । परन्तु उन दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर दूसरे व्यक्ति को पेंशन 40 रुपये प्रति माह की दर से दी जायगी ।

समय समय पर वृद्धावस्था पेंशन नियमों में परिवर्तन किया गया है उनका आधार

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 295 का विवरण

पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, जोधपुर के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से प्राप्त दूध की मात्रा का विवरण

पथ का नाम	क्र. सं.	समितियां का नाम	औसत प्रतिदिन (1 से 15 फरवरी, 81 तक)
1	2	3	4
1. भावी फीडर पथ	1.	तिलवासनी	520
	2.	चिठाली ढाणी	340
	3.	सिल्लारी	200
	4.	बोयल	370
	5.	चौढा	330
	6.	कापरड़ा	200
	7.	सारणों की ढाणी	130
	8.	बासनी	200
			2270
2. निबांज पथ	9.	चांदेलाव	210
	10.	जम्वेश्वर नाडा	160
	11.	भावी जाटावास	360
	12.	भावी	560
	13.	पिचियांक	190
	14.	बरना	150
	15.	बिलाड़ा	2330
	16.	बिसवाड़िया	180
	17.	उचियाड़ा	840
	18.	खारीया मिठापुर	610
	19.	उदलीयावास	430
	20.	कूपड़ावास	140
	21.	झाड़क	160
	22.	पृथ्वीपुरा	60
	23.	गरणीया	80
			6460

1	2 3	4
3. बाला पथ	24. विष्णु	130
	25. ठाकारी ढाणी	190
	26. जून की ढाणी	190
	27. हनुमानपुरा	100
	28. राडरढाणी	540
	29. धानावासियां	110
	30. खड़बावा	610
	31. लाम्बा	430
	32. बाला	170
	33. मतवालों की ढाणी	270
	34. केरीयों की ढाणी	220
	35. टावर	80
		3050
4. मालकोसनी फीडर पथ	36. पड़ासला	100
	37. गुजरावास	90
	38. बिजासनी	200
	39. हरीयाड़ा	180
	40. होलपुर	70
	41. दुणागांव	100
	42. बड़ी	100
	43. हंटलियां	40
	44. ओलदी	180
	45. मालकोसनी	260
		1320
5. रणसी पथ	46. बावरला	80
	47. धायलों की ढाणी	190
	48. खातीयासणी	120
	49. कोकुण्डा	120
	50. खोखरिया	250
	51. कुड़ू	110
	52. मगरा की ढाणी	80
	53. रामड़ावास "बी"	150

1	2 3	4
	54. रामड़ावास "ए"	130
	55. रामड़ावास खुर्द	90
	56. खेड़ी वि. ढाणी	80
	57. आपलियावास	80
		1480
6. फींच पथ	58. फींच	100
	59. निम्बाली	130
	60. झोलड़ी	80
	61. रोहिचाढाणी	60
	62. रोहिचाकल्ला	70
	63. रोहिचा खुर्द	190
	64. सामुजा	290
	65. ढीढस	160
	66. गेलावास	140
	67. लामड़ा	80
	68. भाचरणा गांव	50
	69. भाचरणा ढाणी	100
		1450
7. धवा पथ	70. सिणली	30
	71. सुलछण्ड	40
	72. चिरडिया	80
	73. सैनाई	60
	74. चाली	260
	75. धवा	220
	76. कागनाड़ा	20
	77. उत्तेसर	100
	78. उत्तेसर ढाणी	60
		870
8. वालेसर पथ	79. खेतासर	60
	80. विजवाडिया	30
	81. सेनाडी	50

1	2 3	4
	82. चेराई	70
	83. ककलखोरी	220
	84. भावरों की ढाणी	60
	85. ग्रामलीबेरा	110
	86. खासड़ा खुर्द	20
	87. खासड़ा कल्ला	60
	88. माना का वास	50
	89. मानकलाव	60
		790
9. भोपालगढ़ पथ	90. दईकड़ा	60
	91. बोडवी	40
	92. बुचेटी	70
	93. नादिया प्रभावली	170
	94. गोदावास	34
	95. ग्रारटिया कल्ला	180
	96. ग्रारटिया खुर्द	235
	97. कुड़ी	105
	98. धोनून	180
	99. बागोरिया	60
	100. हिंगोली	120
	101. जाजीवाल गेहलोत	40
		1294
10. ग्रोसररा पथ	102. बनवड़ा	60
	103. ताम्वडिया खुर्द	40
	104. लिराणी	160
	105. विराई	90
	106. सेव की ढाणी	125
		475
11. विसलपुर पथ	107. वोलनी फोजदार	95
	108. पीथावास	95
	109. राडकली	90

1	2 3	4
	110. बिसलपुर	230
	111. खारी खुर्द	100
	112. खारी कल्ला	180
	113. रामासणी	90
		880
12. जोलियाली पथ	114. खडाला	85
	115. खडाला ढाणी	20
	116. डूडियों की ढाणी	40
	117. सवाईपुरा	96
	118. मोडावाली	39
	119. चीचडली	35
	120. गोदावास	32
	121. मुलकी ढाणी	55
	122. जासेवास	28
	123. गंगावास विश्नोई	105
	124. जस्ती	45
	125. सुलणी	44
	126. दुगड़ नया	55
	127. मोटेलाई ढाणी	20
	128. जोलियाली	35
	129. ग्रातुगी ढाणी	90
	130. डारों की ढाणी	25
	131. अगुणी ढाणी	120
	132. हरलाल ढाणी	60
	133. शिवनगरी	50
	134. भटिलाई गांव	25
		1104
13. बोरून्दा पथ	135. डांगियावास	50
	136. दांतीवाड़ा	130
	137. बुचकलां	60
	138. रिया	110
	139. पीपाड़ महादेव	340

1	2 3	4
	140. चौढाणी गांव	130
	141. खेजड़ला	130
	142. सक्वाडिया	130
	143. रणसीगांव	160
	144. बोरून्दा	140
	145. वैनण	50
	146. पीपाड़ शहर	115
	147. अनावास	75
	148. रुगकिया	35
		1675
14. हाणिया पथ	149. भवाद गांव	120
	150. भवाद ढाणी	210
	151. जुड़	100
	152. कैलावा	60
	153. अगवाणा	100
	154. वारांकला	50
	155. वारां खुर्द	70
	156. हाणिया "बी"	200
	157. हाणिया "ए"	100
	158. हनुमान सागर	80
	159. केवरजी खेजड़ी	50
	160. डावरा	40
		1200
15. गुड़ा पथ	161. गुड़ा प्याऊ	70
	162. खेजड़ली गांव	60
	163. खेजड़ली प्याऊ	90
	164. फिटकासनी	20
	165. कानावास	40
	166. सरवाड़ा	100
	167. काकेलाव	50
	168. मियासणी	100
	169. बीड़ावास	70

1	2 3	4
	170. आदर्श	40
	171. विरामी	50
	172. खारावेरा भीमतान	130
	173. कापाणी प्याऊ	60
	174. विष्णुपुरा	50
	175. चौसीरा	35
	176. बास्सी सागेला	30
		985
16. सालवा पथ	177. सालवाकला	110
	178. आसानाड़ा	80
	179. वालेली नायला	40
	180. बुद नगर	100
	181. जाखड़ों की ढाणी	80
	182. जीजावाल वि०	190
	183. माधाणी	80
		680
17. लोहावट पथ	184. लोड़ता	100
	185. कालजी	110
	186. ढाडीया	150
	187. गिलाकोर	110
	188. पीपलिया	110
	189. दक्षिणी ढाणी	130
	190. हेमराज का टांका	30
	191. पली	100
	192. माधाजी की ढाणी	100
	193. गेला की ढाणी	80
	194. पूर्वी ढाणी	70
	195. उत्तरी ढाणी	170
	196. गुदली नाडी	30
		1290

1	2 3	4
18. फलोदी पथ	197. खेड़ा बागोडी	40
	198. महाराज का धान	180
	199. मण्डलाकला	100
	200. माधाजी	70
	201. पलीखुर्द	30
	202. भोजाकोर	100
	203. नयावेरा	80
	204. कुशालावा	90
	205. सुखाणियों की ढाणी	50
	206. जालोडा	110
	207. झालरियों की ढाणी	40
	208. असी नाडी	40
	209. सावरीज	70
	210. उदू	100
	211. विष्णुईचक	60
		1160
19. मोखेरी पथ	212. जम्बेश्वर	60
	213. दयासागर	80
	214. उग्रास	20
	215. मदोलचक्र	60
	216. बेर की ढाणी	60
	217. किवरत	140
	218. सोडाधाणा	40
	219. किलरियों की ढाणी	70
	220. कुलाराबा	70
	221. खारीयों की ढाणी	80
	222. जाम्वा	140
		820

जिला जैसलमेर

पथ का नाम	क्र. सं. समितियों का नाम	औसत प्रतिदिन (1 से 15 फरवरी, 81 तक)
बड़ौदा गांव पथ	1. भागू का गांव	20
	2. बड़ौदा गांव	30
	3. मुलाणा	60
	4. खेतोलाई	260
	5. धौलिया	70
	6. चान्दन	10
	7. नरावतों की ढाणी	30
	8. चाचा की ढाणी	20
	9. धाणा	70
		570
फलौदी पथ	10. धूंड़सर	40
	11. लवा	30
	12. डेडिया	40
		110
नाचना पथ	13. लाहारकी	10
	14. टेकरा	30
	15. मोडकिया	80
	16. अमरियों का बेरा	80
	17. बिन्दौला	200
		400

नागौर जिला : मेड़ता अभिशीतन केन्द्र

पथ का नाम	क्र.सं.	समितियों का नाम	औसत प्रतिदिन (1 से 15 फरवरी, 80 तक)
1	2	3	4
1. बाड़ीझाटी पथ	1.	थावला	50
	2.	ढाणीपुरा	70
	3.	टेला	100
	4.	पुरोहितासनी	70
	5.	लाडवा	50
	6.	झीटीयों	20
	7.	रियों	80
	8.	सेसड़ा	160
	9.	छोटी पादू	60
	10.	लाम्पों लाई	50
			710
2. हिरणीढाणी पथ	11.	बीजायल	30
	12.	हिरणीढाणी	80
	13.	इगोई	10
	14.	नेणासू	20
	15.	निम्बोला	80
	16.	चूडियांस	70
	17.	वेलकरण का बेरा	30
	18.	पुनासफांटा	50
	19.	चकढाणी "ए"	10
	20.	चकढाणी "बी"	120
	21.	इग्यासनी	80
	22.	रेणा टांका	110
	23.	बक्तावरपुरा	70
			760
3. गणिया गनराना पथ	24.	धनरीया	10
	25.	रावतों की ढाणी	20
	26.	राबड़ीयावास	20
	27.	प्रतापुरा	140

1	2 3	4
	28. खराटी	50
	29. डिगरणा	40
	30. कूरडाया	50
	31. फालका	60
	32. इन्दावड़	40
	33. सांगावास	40
	34. वासनी	70
		530
जिला नागौर	**प्रभीशीतन केन्द्र, नागौर**	
भेड़मेजेल पथ	35. पांचला	240
	36. ग्राधीना	100
	37. नहूनाडी	150
	38. नया वेरा	240
	39. भीमसारा "ए"	130
	40. भीमसारा "बी"	50
	41. भेड़	80
	42. चावडिया "ए"	190
	43. चावडिया माता	140
	44. भुकेल	40
		1360
ग्रबाल सतेरण पथ	45. धर्मशाला का कुंग्रा	100
	46. सतेरण	140
	47. नीम की ढाणी	150
	48. ग्रलाम	230
	49. दूधानी ढाणी	90
	50. पेडली	190
	51. चौथानिया	70
	52. उराज की ढाणी	40
	53. डेयरी फार्म	80
		1100

जिला बाडमेर :

पथ का नाम	क्र. सं. समितियों का नाम	औसत प्रतिदिन (1 से 15 फरवरी, 80 तक)
1. समदड़ी पथ	1. उमरलाई	27
	2. पिन्डारन	20
	3. सिलोर	108
	4. जेठन्तरी	201
	5. परलू	89
	6. कनाना	64
	7. सराना	260
	8. जानियाना	130
		899
2. सिवाना पथ	1. गीलिया	82
	2. सैवाली	82
	3. कम्मों का वाडा	80
	4. करमावास	107
	5. राखी	55
	6. मेली	44
	7. किरनोद	628
	8. आसोतरा	343
	9. विठूजा	478
	10. असाडा	257
		2156
3. थोष पथ	1. नेवाई	58
	2. थोग	94
	3. नेवरी	84
	4. तरसंगडी	42
	5. चारलाई	42
	6. डोली	48
	7. सखडी	63
	8. कुडी	35

1	2 3	4
	9. भाकियावास	45
	10. हाउलीनाडी	52
		563
4. रामनीया पथ	1. रमनिया	39
	2. काठाड़ी	45
	3. नरसाना	63
	4. ग्रोडवाडा	106
	5. पानवा	145
	6. देवावास	133
	7. भवरानी	121
	8. मराना	181
	9. रायथल	198
		1031

(250)

परिशिष्ट-3

सूचना

तारांकित प्रश्न संख्या 304 की सूचना

प्रश्न संख्या 1 के बारे में सूचना

वर्ष 1980-81 के लिये अनुसूचित जाति । जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियों को छात्रवृत्ति देने हेतु प्रावधान निम्न प्रकार है :—

1. पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

(क) अनुसूचित जाति	70.98 लाख रुपये
(ख) अनुसूचित जन जाति	43.26 लाख रुपये
(ग) अन्य पिछड़ी जातियां (बोर्डर एरिया)	2.55 लाख रुपये
	116.79 लाख रुपये

2. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

(क) अनुसूचित जाति	52.60 लाख रुपये
(ख) अनुसूचित जन जाति	29.72 लाख रुपये
	82.32 लाख रुपये

इसके अतिरिक्त उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के मद में केन्द्र सरकार से अनुसूचित जाति योजना में 4. 39 लाख रुपये तथा अनुसूचित जनजाति योजना में 17. 83 लाख रुपये की मांग की गई है ।

प्रश्न संख्या 2 के बारे में सूचना

दिनांक 1-2-81 तक छात्रवृत्ति का आबंटन निम्न प्रकार से किया गया है:—

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर, निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर, निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, जोधपुर तथा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरण हेतु धनराशि का आवंटन निम्न प्रकार से किया गया है :—

(1) अनुसूचित जाति योजना	70.98 लाख रुपये
(2) अनुसूचित जन जाति योजना	43.26 लाख रुपये
(3) अन्य पिछड़ी जातियां	2.55 लाख रुपये
योग	116.79 लाख रुपये

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

निदेशक, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर, प्राचार्य विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों व समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के माध्यम से वितरण की जाने वाली राशि का आवंटन निम्न प्रकार किया गया है :–

(1) अनुसूचित जाति	52.60 लाख रुपये
(2) अनुसूचित जन जाति	29.72 लाख रुपये
योग	82.32 लाख रुपये

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का आवंटन दिनांक 2-2-1981 को किया गया है।

परिशिष्ट 4

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

बंध लसाड़िया में मछली पकड़ने का ठेका

306. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाठख) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या मत्स्य पकड़ने हेतु बंध लसाड़िया, (जिला अजमेर) किसी ठेकेदार को आवंटन कर विभाग द्वारा 5 वर्ष के लिए अनुबन्ध किया गया है ? यदि हां, तो उक्त आवंटित बन्ध लसाड़िया को मत्स्य विकास अधिकरण, अजमेर को किस कारण से से पुनः आवंटित किया गया है ?

(2) क्या निदेशक, पशुपालन विभाग ने उक्त 5 वर्षीय अनुबन्ध को हनन होने से बचाने की दृष्टि से बन्ध लसाड़िया का अनुज्ञा-पत्र 30 जून, 1981 तक ठेकेदार को नवीनीकरण करके दिया गया है ? यदि हां, तो नवीनीकरण हो जाने के बाद भी मत्स्य अधिकरण, अजमेर ने उक्त जलाशय में मत्स्य आखेट कराया है ?

(3) क्या बन्ध लसाड़िया में अभिकरण द्वारा आखेट कराई गई मछलियों की नसीराबाद एवं अजमेर के बाजार में बिक्री की गई है ? यदि हां, तो कृपया अक्टूबर 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तथा 31 जनवरी, 1981 तक बिक्री की गई मछलियों का भार एवं इससे हुई आय का पूर्ण विवरण सदन के पटल रर रखें ।

उत्तर

(1) बन्ध डाईमय नदी का ठेका मत्स्य ठेकेदार को 23-2-79 को बन्ध डाईमय नदी का ठेका दिया गया था । बाद में ठेकेदार ने प्रतिवेदन किया कि इसी में लसाड़िया भी शामिल है । अतः इस ठेके में लसाड़िया बन्ध भी जोड़ा जावे । विभाग ने पूरी जांच करे बिना इसके आदेश 24-10-79 को जारी कर दिये । अक्टूबर, 79 को मत्स्य विकास अभिकरण अजमेर की मांग की सिफारिश करते हुए जिलाधीश, अजमेर ने विभाग को बन्ध लसाड़िया अभिकरण को देने हेतु लिखा । इस पर विभाग ने 25-4-80 को यह बन्ध अभिकरण को 5 वर्ष के अनुबन्ध पर दे दिया एवं 6-3-81 को बन्ध डायीमय नदी के ठेकेदार को यह लिख दिया गया कि बंध लसाड़िया आपके ठेके में शामिल नहीं है तथा मूल ठेका जिस नाम से दिया गया है वही माना जाय ।

(2) जी नहीं ।

जलाशय के नाम से । स्थिति भाग एक में स्पष्ट कर दी गई है ।

(3) जी हां ।

अक्टूबर, 80 से जनवरी, 81 तक कुल मछली 2854.500 किलोग्राम पकड़ी गई तथा उन्हें 13740.96 रुपये में अजमेर एव दिल्ली में बेची गई ।

राजस्थान नहर के दूसरे चरण के निर्माण कार्यों के दौरान ग्रामवासियों की सुविधा का ध्यान रखना

307. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की करेंगे :-

(श्री देवीसिंह भाटी)

(1) राजस्थान नहर के दूसरे चरण की निर्माणाधीन नहर में कहां-कहां पुल निर्माण पूर्ण हो गया है व आवागमन हेतु पुल खोल दिए गए हैं ?

(2) क्या नहर निर्माण के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ग्रामवासियों को आवागमन में असुविधा न हो ? क्या शिकायतों के उपरान्त भी ग्रामवासियों के लिए रास्ते नहीं छोड़े गए व ऊंटगाड़ी आदि को 5-5 मील का चक्कर काट कर जाना पड़ता है ?

(3) क्या राजस्थान नहर क्षेत्र के अन्दर पशुधन के पीने हेतु घाट अथवा पानी की खेलियां बनाई गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? पशुधन के पानी पीने की समस्या की बार-बार शिकायतों के प्राप्त होने पर भी मुख्य अभियन्ता ने क्यों नहीं समाधान किया ? वर्तमान में क्या स्थिति है ?

(4) बरसलपुर शाखा व चारणवाला शाखा का निर्माण कब तक पूर्ण हो जावेगा ? इन शाखाओं से कब तक काश्तकारों को कृषि की सिंचाई हेतु पानी दे दिया जावेगा ?

(5) राजस्थान नहर निर्माण हेतु वर्ष 1981-82 हेतु कितनी सीमेंट व कोयले की आवश्यकता होगी ?

(6) राजस्थान नहर परियोजना के सम्पूर्ण निर्माण हेतु प्रारम्भ में कितनी राशि आंकी गई थी व अब तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर के दूसरे चरण में जहां-जहां पुल निर्माण पूर्ण हो गये हैं वे आवागमन हेतु खोल दिये गये हैं, संलग्न सूची में दर्शाये गये हैं।

(2) अ/जी हां।

ब/जी नहीं।

(3) राजस्थान नहर परियोजना के तखमीने में राजस्थान नहर क्षेत्र के अन्दर पशुधन के पीने हेतु घाट अथवा पानी की खेलियां बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन पशुधन के पीने के लिये पानी जगह-जगह नहर के पास तालों में भर दिया जाता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान मुख्य नहर व अन्य स्थानों पर पशु धन के पानी पीने हेतु 20 खेलियां निर्माण का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में करने का कार्यक्रम है।

(4) यदि कोयला व सीमेंट आवश्यकता अनुसार प्राप्त होता है तो बिरलपुर शाखा व चारणवाला शाखा का निर्माण क्रमशः वर्ष 1983-84 व 1984-85 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। इन शाखाओं में अब तक पूर्ण किये गये हिस्सों में क्रमशः रबी 1981-82 व रबी 1982-83 में सिंचाई के लिये पानी देने का लक्ष्य है।

(5) राजस्थान नहर के निर्माण हेतु वर्ष 1981-82 में सीमेंट व कोयले की क्रमशः 53,500 एम. टी. व 70,000 एम. टी. की आवश्यकता होगी। मुख्य नहर के 74 कि. मी. तक की शाखाओं, वितरिकाओं व माइनरों के लाइनिंग तथा खालों को पक्का करने का कार्य जो सिंचित क्षेत्र विकास में आता है, के लिये वर्ष 1981-82 हेतु सीमेंट एवं कोयले की क्रमशः 1,03,000 मै. ट. एवं 79,000 मै. ट. की आवश्यकता होगी।

(6) 1970 के तखमीनों के अनुसार राजस्थान नहर परियोजना की लागत 207.68 करोड़ रुपये आंकी गई थी। जनवरी, 1981 तक 265.80 करोड़ रुपये की राशि व्यय हो चुकी है।

(254)

राजस्थान नहर के दूसरे चरण में जिन पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है व आवागमन के लिए खोल दिये गये हैं की सूची

1. **राजस्थान मुख्य नहर**

1. वी० आर० बी०	आर० डी०	644.100
2. वी० आर० बी०	आर० डी०	668.140
3. वी० आर० बी०	आर० डी०	683.214
4. वी० आर० बी०	आर० डी०	698.200
5. वी० आर० बी० मय रेगूलेटर	आर० डी०	710.000
6. वी० आर० बी०	आर० डी०	731.000
7. वी० आर० बी०	आर० डी०	800.500
8. वी० आर० बी० मय रेगूलेटर	आर० डी०	819.217
9. वी० आर० बी०	आर० डी०	836.100
10. वी० आर० बी०	आर० डी०	850.150
11. वी० आर० बी०	आर० डी०	873.800
12. वी० आर० बी०	आर० डी०	909.400

2. **रातौर शाखा प्रणाली**

(1) **रातौर वितरिका**

1. वी० आर० बी०	आर० डी०	15.900
2. वी० आर० बी० मय रेगूलेटर	आर० डी०	28.931
3. वी० आर० बी०	आर० डी०	40.800
4. वी० आर० बी० मय रेगूलेटर	आर० डी०	52.000

(2) **अडूरी वितरिका**

1. वी० आर० बी०	आर० डी०	21.250
2. वी० आर० बी० मय रेगूलेटर	आर० डी०	31.913

(3) **कुम्बार वाला माइनर**

1. वी० आर० बी०	आर० डी०	16.000

(4) **मुगराला माइनर**

1. वी० आर० बी०	आर० डी०	21.900

(5) **रावरा माइनर**

1. वी० आर० बी० मय रेगूलेटर	आर० डी०	8.500

2. वी० ग्रार० वी०	ग्रार० डी०	21.700
(6) मकेरी सब माइनर		
1. वी० ग्रार० वी०	ग्रार० डी०	18.500
3. विरसलपुर वितरण प्रणाली		
(1) विरसलपुर मुख्य शाखा		
1. वी० ग्रार० वी० मय रेगूलेटर	ग्रार० डी०	19.727
2. वी० ग्रार० वी० मय रेगूलेटर	ग्रार० डी०	40.20
3. वी. ग्रार. वी.	ग्रार० डी०	49.00
(2) मानकासर वितरिका		
1. वी० ग्रार० वी०	ग्रार० डी०	25.00

भिक्षावृत्ति समस्या का निराकरण

308. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) एवं श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए राज्य में ग्रब तक क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से भिक्षावृत्ति में कमी ग्राई है ?

(2) भिक्षावृत्ति करने वालों के पुनर्वास एवं जीवन यापन के माध्यम की दिशा में ग्रब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) राज्य में ग्रादतन भिक्षावृत्ति करने वाले व्यक्ति कितने हैं ? इन्हें किस प्रकार इस सामाजिक रोग से मुक्त किया जावेगा ?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर में, जहां भारी तादाद में विदेशी पर्यटक ग्राते हैं भिक्षुक उन्हें घेरे खड़े रहते हैं ?

उत्तर

(1) भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिये राज्य में उठाये गये कदमों की सूचना सदन के पटल पर रखदी गई है। उठाये गये कदमों से भिक्षावृत्ति में थोड़ी कमी ग्रवश्य ग्राई है।

(2) भिक्षावृत्ति करने वालों को पुनर्वास की दृष्टि से उन्हें विभिन्न उद्योग धन्धों में में प्रशिक्षण दिया जाकर उद्योग व्यवसाय स्थापित करने हेतु वित्तीय संस्थाग्रों से ऋण उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जाता है।

(3) 1971 की जनगणना के ग्रनुसार राज्य में भिक्षुको की संख्या 47290 थी। इस सामाजिक रोग से मुक्ति के लिये शारीरिक एवं मानसिक रूप से योग्य व्यक्तियों को उचित प्रशिक्षण दिलाकर उद्योग व्यवसायों में स्थापित किये जाने के

(समाज कल्याण मन्त्री)

प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा भिक्षावृत्ति निवारण विधेयक पर भी विचार किया जा रहा है।

(4) जी हां। भिक्षावृत्ति उन्मूलन अधिनियम के अभाव में केवल अभियानों द्वारा इन्हें समझा बुझाकर हटाने का प्रयत्न किया जाता है तथा उन्हें सेवा सदन में रखकर प्रशिक्षण के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है।

भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु उठाये गये कदमों का विवरण

1. जयपुर, अजमेर तथा उदयपुर में 1–1 सेवा सदन (भिक्षुक गृह की स्थापना) जहां भिक्षुकों के आवास, भोजन वस्त्र व प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

2. भिक्षावृत्ति पर जयपुर, अजमेर, उदयपुर में सर्वेक्षण।

3. समय समय पर अभियानों का संचालन जिनके द्वारा भिक्षुकों को भिक्षावृत्ति छोड़ने की प्रेरणा दी जाती है।

4. वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार राज्य में आदतन भिक्षुकों की संख्या 50,550 थी जो वर्ष 1971 की जनगणना में घटकर 47,290 रही।

मेडिकल कालेजेज मे विभिन्न चिकित्सीय विशिष्टतायें

309. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत** (करौली) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विभिन्न मेडिकल कालेजेज में सरकार किन किन चिकित्सा विशेषताओं का विकास करने का इरादा रखती है ?

(2) वर्तमान में कितनी स्पेशिलिटीज हैं जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है व कितनी व कौन-कौनसी ऐसी हैं जो विद्यमान हैं किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त नही है ?

(3) सरकार ने ऐसी स्पेशिलिटीज को विश्वविद्यालय से मान्यता दिलाने के लिये कब-कब क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा विशेषताओं का विकास करने के लिए एक चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था और उसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा राज्य सरकार को दे दी गई है जो मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) वर्तमान में राज्य के मेडिकल कालेजों में जो पी.जी. कोर्सेज चालू हैं उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। सूची संलग्न है।

(3) कुछ विशिष्टताओं में राज्य सरकार द्वारा नये विषय अलग-अलग मेडिकल कालेजों में खोलने के लिए मामला विराधाधीन है ऐसे मामले अभी विश्वविद्यालय को मान्यता हेतु नहीं भेजे गये हैं क्योंकि कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट नये विषय खोलने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई है उस पर अभी निर्णय लिया जाना है।

प्रश्न के भाग 2 की सूची

(1) एम० डी० (जनरल मेडीशन)
(2) एम० डी० (पीयेड्रिटिक्स)
(3) एम० डी० (टी० बी०)
(4) एम० डी० (साईकेट्री)
(5) गम० डी० (सैनीस्थिसिया)
(5) एम० डी० (रेडियोलोजी)
(7) एम० डी० (पी० एण्ड एस० एम०)
(8) एम० डी०/एम० एस० सी० (फिजोलोजी)
(9) एम० डी०/एम० एस० सी० (ब्रायोकेमेस्ट्री)
(10) एम० डी०/एम० एस० सी० (फारमोक्लोजी)
(11) एम० डी० (पैथोलोजी)
(12) एम० एस० (जनरल सर्जरी)
(13) एम० एस० (ग्रापथोमोलोजी)
(14) एम० एस० (गायनोक्लोजी)
(15) एम० एस० (ई० एन० टी०)
(16) एम० एस० (ग्रर्थोपियडिक्स)
(17) एम० एस०/एम० एस० सी० (एनोटोपी)
(18) एम० सी० एम० (जी० यू० सर्जरी)
(19) एम० सी० एम० (पीएड्रिटिक्स सर्जरी)
(20) डी० ए०
(21) डी० एम० ग्रार० डी०/डी० एम० ग्रार० टी०
(22) डी० जी० ग्रो०
(23) डी० टी० सी० डी०
(24) डी० पी० एच०
(25) डी० सी० एच०
(26) डी० ग्रो० एम० एस०
(27) डी० सी० पी०

सरिस्का वन ग्रभयारण्य के निकटस्थ ग्राम में लगूरों की निमर्म हत्या

310. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या यह सही है कि माह नवम्बर 9180 में ग्रलवर जिले के सिरसका वन ग्रभयारण्य के निकटस्थ ग्राम में 100 लंगूरों की निर्मम हत्या कर दी गयी थी ? यदि हां, तो ग्रब तक सरकार ने इस विषय में दोषी व्यक्तियों पर क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

जी नहीं। लंगूरों की हत्या की घटना

(वन मन्त्री)

वास्तव में माह सितम्बर, 1980 में सरिस्का अभयारण्य के निकट तालाब नामक ग्राम में हुई थी। इस घटना में ग्रामवासियों द्वारा 47 लंगूरों की हत्या कर दी गई थी।

जिन व्यक्तियों द्वारा लंगूरों की हत्या की गई है, उनके विरूद्ध मुंसिफ एवं न्यायिक दण्डनायक (प्रथम श्रेणी) राजगढ़ के न्यायालय में भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 एवं धारा 422 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत चालान प्रस्तुत किया जा चुका है, जो न्यायालय के अभी विचाराधीन है।

सिकराय (जयपुर) में आबादी विस्तार हेतु भूमि का अवाप्तिकरण

313. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(2) ग्राम सिकराय, तहसील सिकराय, जिला जयपुर में आबादी विस्तार हेतु सरकार ने 20 मार्च, 19..2 को जमीन अवाप्त करने हेतु क्या कोई विज्ञप्ति जारी की थी? यदि हां, तो क्या जमीन अवाप्त करली गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) सिकराय तथा दौसा तहसील की कितनी पंचायतो द्वारा आबादी विस्तार हेतु सरकार से इजाजत चाही है? क्या सरकार द्वारा इजाजत दे दी गई है? यदि हां, तो किन-किन पंचायतों को कब-कब स्वीकृतियां जारी की गईं?

उत्तर

(1) जी हां। अभी तक भूमि अवाप्त नहीं की गई है। अवाप्ति की कार्यवाही में समय लगाने की संभावना होने से ग्राम पंचायत सिकराय द्वारा कृषि भूमि को क्रय कर आबादी में परिवर्तित करना ज्यादा उचित समझा है।

(2) तहसील सिकराय की 7 पंचायतों के 8 ग्रामों से चार तहसील दौसा की 24 पंचायतों के 46 ग्रामों के आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव सम्बन्धित एवं उप खण्ड अधिकारी से जिलाधीश कार्यालय, जयपुर को प्राप्त हुये थे, जिनमें से तहसील सिकराय की 2 पंचायतों के 2 ग्रामों तथा तहसील दौसा की 16 पंचायतों के 21 ग्रामों के लिए आबादी विस्तार हेतु भूमि का आरक्षण कर दिया गया है। सूची 'क' संलग्न है।

सूची—'क'

सूची आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन वर्ष 1977

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	प्रस्तावित खसरा नम्बर एवं क्षेत्रफल		आबादी विस्तार हेतु भू-राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत आरक्षित रकबा	जिला कार्यालय द्वारा दी गई स्वीकृति के नम्बर एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
				(ख. नं.)	बीघा = बिस्वा	बीघा = बिस्वा	
1.	दौसा	भाकरी	खेडली	145/2 व 3	5=00	5 = 00	राजस्व : (11)(252) 2779/77 दिनांक 20–4–78
2.	,,	भाकरी	गणेशपुरा	15/7	7=00	7 = 00	,, (251) 77/5563 दिनांक 20–7–79
3.	,,	वानेका बरखेडा	लोहसरी	95	1=00	1 = 00	,, (248) 77/2775 दिनांक 20–4–78
4.	,,	कावलेश्वर	कावलेश्वर	7	10=00	10 = 00	,, (243) 77/5678 दिनांक 23–7–79
5.	,,	पापडदाढानी	डागोलाई	62	5=00	5 = 00	,, (304) 77/2945 दिनांक 20–4–78
6.	,,	जिरोता खुर्द	रुगली	95/2.95/5	1=00	1 = 00	,, (294) 77/2765 दिनांक 20–4–78

289

Page No. 260

(260)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	
7.	दौसा	प्यारीवास	प्यारीवास	32 व 32/1	1=10	1 = 10	राजस्व :	(11)(282) 77/2755 दिनांक 20–4–78
8.	,,	प्यारीवास	मानपुरिया	84	3=03	3 = 03	,,	(281) 77/2545 दिनांक 20–4–78
				85	1=08	1 = 08	,,	,, ,, ,,
				86/2	1=14	1 = 14	,,	,, ,, ,,
9.	,,	किशनपुरा	सीगपुरा	132	10=00	3 = 00	,,	(278) 77/8159 दिनांक 21–9–79
10.	,,	बापी	बापी	189/3	7=00	5 = 00	,,	(270) 77/2249 दिनांक 3–3–79
11.	,,	जोपाडा	मितरपुरा	89	1=00	1 = 00	,,	(357) 77/4851 दिनांक 5–6–79
12.	,,	महसराकला	महसराकला	495	2=14	2 = 14	,,	(355) 77/2809 दिनांक 20–4–78
13.	,,	डिगारीया	जगरामपुरा	48 50	2=00 2 = 00	2 = 00 2 = 00	,,	(353) 77/2930 दिनांक 20–4–78
14.	,,	गोठडा	गोठडा	199	2=15	2 = 15	,,	(352) 77/2935 दिनांक 20–4–78
15.	,,	खानवास	माण्डेडानुसर	253	1 = 10	1 = 10	,,	(333) 77/2770 दिनांक 20–5–78
			पुरा	183	1 = 00	1 = 00	,,	,, ,, ,,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	
16.	दौसा	मलवास	हरपट्टी	29	2 = 00	2 = 00	राजस्व :	(11)(331) 77/2799 दिनांक 20–4–78
17.	,,	जिरोताखुर्द	सबलपुरा	8/1	12 = 00	12 = 00	,,	(330) 77/5557 दिनांक 20–7–79
18.	,,	जिरोताखुर्द	जिरोताकला	178	0 = 17	0 = 17	,,	(328) 77/2784 दिनांक 20–4–78
		,,	,,	165	1 = 00	1 = 00	,,	,, ,, ,,
		,,	,,	173	1 = 00	1 = 00	,,	,, ,, ,,
19.	,,	जिरोताखुर्द	जिरोताखुर्द	245	8 = 00	8 = 00	,,	(319) 77/5576 दिनांक 20–7–79
				213	2 = 00	2 = 00	,,	,, ,, ,,
20.	,,	महसराखुर्द	मांगलवास	53	4 = 00	4 = 00	,,	(316) 77/8694 दिनांक 19–10–79
21.	,,	रलावता	रामपुरा	133/1	6 = 00	6 = 00	,,	(362) 77/4874 दिनांक 5–6–79
22.	सिकराय	मानपुर	मानपुर	181	1 = 02	1 = 02	,,	(280) 77/2950 दिनांक 20–4–78
23.	,,	कालाखों	कालाखों	972	6 = 06	6 = 06	,,	(322) 77/6245 दिनांक 10–8–79

11(101)79

राजस्थान नहर निर्माण कार्य हेतु अर्थ मूविंग मशीनरी की खरीद

314. श्री नाथूसिंह (ग्रांदीकुई) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर के लिए लगभग 6 करोड़ रुपये के लागत की अर्थ मूविंग मशीनरी का क्रय किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि नहर के निर्माण कार्य में बैलगाड़ियां, गधों एवं मजदूरों से कार्य कराने पर अर्थ मूविंग मशीनरी की तुलना में 80 से 90% बचत से कार्य होता है ?

(3) यदि हां, तो फिर यह मशीनरीन क्यों खरीदी जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल 5.82 करोड़ रुपये की मशीनों का क्रय किया जा रहा है। क्योंकि राजस्थान नहर को योजनानुसार सन् 1986 तक पूरा करने के लिये इनका क्रय करना ग्रावश्यक है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता है।

बाड़मेर में मुख्य चिकित्सालय की एक्स-रे मशीन्स

315. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) बाड़मेर शहर के मुख्य चिकित्सालय में एक्स-रे की छोटी व बड़ी कितनी मशीनें लगी हुई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन मशीनों में से एक भी मशीन सुचारू रूप से काम नहीं करती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि एक बिलकुल नई एक्स-रे मशीन ग्राई हुई है, लेकिन उसको लगाने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है ?

(4) कार्य में नहीं ग्राने वाली एक्स-रे मशीनों को ठीक करवाने की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जनरल ग्रस्पताल में निम्न तीन एक्स-रे मशीनें हैं :-

(1) ग्राई. जी. ई	100 एम. ए.
(2) एसकोर्ट	100 एम. ए.
(3) पोर्टेबल पिकर	15 एम. ए.

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न के भाग एक में वर्णित एक्स-रे मशीन संख्या 1 जो 100 एम. ए. की है वह वह भी इन्जनीयर की रिपोर्ट के ग्राधार पर पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकती उसे वर्तमान में 100 एम. ए. के बजाय सिर्फ 25 एम. ए. पर चलाई जा रही है। मशीन संख्या 2 व 3 की मरम्मत की कार्यवाही की जा रही है।

पशुपालन निदेशालय का कर्त्तव्य स्थल

316.

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा) :

श्री रामनारायण डूंड (बिलाड़ा) :

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) :

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी :

क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि पशुपालन का मुख्यत: धंधा पश्चिमी राजस्थान में है जबकि निदेशालय जयपुर में है ? क्या यह उचित है ? क्या सरकार निकट भविष्य में निदेशालय को जोधपुर में स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। पशुधन पश्चिमी राजस्थान की अपेक्षा पूर्वी राजस्थान में अधिक है।

प्रशासनिक एवं अन्य जिलों की सुविधा की दृष्टि से भी निदेशालय को जयपुर में ही रखने का औचित्य है। अत: यहाँ से हटाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हर क्षेत्र के कार्य को समुचित ढंग से किये जाने हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर जिला पशुपालन अधिकारी का कार्यालय है जो पशुधन की उन्नति के सभी कार्यों का संचालन क्षेत्र में नियोजित पशु चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के सहयोग से करता है

ग्राम ईसरदा (सवाई माधोपुर) में स्व. कर्नल बहादुर सिंह की खातेदारी भूमि

317. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ग्राम ईसरदा, तहसील सवाई-माधोपुर में स्व. कर्नल बहादुर सिंह की खातेदारी की कितनी भूमि सीलिंग कानून के अन्तर्गत अवाप्त करने के आदेश हुए हैं एवं किस तारीख को ?

(2) क्या उक्त सीलिंग कानून से अवाप्ति के आदेश किसी अपीलेट न्यायालय से स्थगित किये हुए हैं ? यदि हां, तो किस न्यायालय द्वारा एवं कितनी भूमि पर ?

(3) क्या उक्त भूमि उप-जिलाधीश सवाई माधोपुर ने अपने कब्जे में ले ली है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि कानू पुत्र घासी अहीर की उज्रदारी बाबत 31 बीघा भूमि उप-जिलाधीश सवाई माधोपुर के यहां उक्त सीलिंग से अवाप्त भूमि के संबंध में लम्बित है ?

(5) यह उज्रदारी कितनी तारीख को उप-जिलाधीश सवाई माधोपुर के यहां पेश की गई, जिसमें अब तक किन कारणों से निर्णय नहीं हो सका ? इस उज्रदारी का अब कब तक निर्णय हो जावेगा ?

(6) अब उक्त सीलिंग की भूमि को उप-जिलाधीश सवाई माधोपुर कब तक अधिग्रहण करके कब तक भूमिहीनों को आवंटन कर देंगे ?

उत्तर

(1) स्वर्गीय कर्नल बहादुर सिंह निवासी ईसरदा की खातेदारी की 300 एकड़ भूमि सीलिंग कानून के अन्तर्गत अवाप्त करने के आदेश उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा 31–12–76 को दिये गये थे।

(2) उक्त आदेश दिनांक 31–12–76 के विरुद्ध न्यायालय जिलाधीश सवाई

264

(राजस्व मंत्री)

माधोपुर में अपील होने पर यह आदेश दिनांक 23-9-77 को निरस्त किया जाकर पुनः निर्णय हेतु प्रकरण रिमांड किया गया ।

(3) मुकदमा पुनः सुनवाई कर फैसल करने हेतु वापस भिजवाने के उपरांत निर्णय नहीं होने के कारण भूमि कब्जे में नहीं ली गई है ।

(4) कालू पुत्र घासी अहीर द्वारा इस सीलिंग प्रकरण में उज्रदारी न्यायालय उपखण्ड-अधिकारी सवाई माधोपुर में की गई थी ।

(5) यह उज्रदारी दि० 23-6-76 को उप-जिलाधीश न्यायालय में पेश की गई थी । इस उज्रदारी का भी 31-12-76 को फैसला हो गया था किन्तु अपील होने पर न्यायालय जिलाधीश सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 23-9-77 द्वारा यह प्रकरण भी रिमाण्ड किया जा चुका है जिसमें सीलिंग संबंधी मूल प्रकरण के साथ सुनवाई हेतु दिनांक 16-3-81 नियत है ।

(6) सीलिंग प्रकरण का निर्णय होने पर तदनुसार शीघ्र ही अधिगृहीत भूमि का नियमानुसार कब्जा लेकर भूमिहीनों को उसे आवंटित कर दिया जायगा ।

कृषि उपज मंडी समिति, सवाईमाधोपुर के माध्यम से निर्मित सड़कें

318. श्री हंसराज शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, सवाई माधोपुर के माध्यम से कौन कौन सी सम्पर्क सड़कें बनाई गयी हैं तथा प्रत्येक में कुल कितनी कितनी राशि खर्च हुई है ? कृपया विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) जो सड़कें कृषि उपज मण्डी द्वारा बनायी गयी हैं, उनका बनाने से पूर्व सर्वेक्षण कर तखमीना बनाया गया था या नहीं ? यदि हां, तो प्रत्येक काम को चालू करने से पूर्व का तखमीना क्या था तथा बाद में उससे कितना अधिक खर्चा करना पड़ा तथा देरी से निर्माण कार्य सम्पन्न करने से पूर्व का तखमीना क्या था तथा बाद में उससे कितना अधिक खर्चा करना पड़ा तथा देरी से निर्माण कार्य सम्पन्न करने हेतु कितना नुकसान हुआ ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

(3) उपरोक्त सड़कों पर जो काज वे बनाया गया है, वह आज की तारीख में सही है या नहीं ? यदि नहीं, तो उसका उत्तरदायी कौन है तथा उसका पेमेन्ट किन आधारों से किया जायगा ?

(4) क्या यह सही है कि बलवड़ा रोड पर कई दिनों तक रोलर पड़ा रहा ? उसका खर्चा किसने दिया तथा इससे हुई हानि का जिम्मेदार कौन है ?

(कृषि मंत्री)

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, सवाई माधोपुर के माध्यम से बनाई गई सड़कें तथा उन पर व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है:—

सड़क का नाम	व्यय की गई राशि
1. नायपुर-तलावड़ा सड़क	2,84,059 रुपये
2. मुई-इन्द्रगढ़ सड़क	1,92,624 रुपये
3. मैनपुरा-कुण्डेरा सड़क	1,71,138 रुपये
4. खिलचीपुर-रणथम्भोर सड़क	96,176 रुपये
	कुल, 7,43,997 रुपये

(2) जी हाँ। प्रत्येक सड़क का निर्माण से पूर्व तखमीना बनाया गया था। तखमीना तथा कार्य पर किया गया व्यय इस प्रकार है :—

क्र सं	कार्य का नाम	स्वीकृत तखमीना	कुल व्यय
1.	नायपुर तलावड़ा	2,83,900	2,84,059
2.	मुई-इन्द्रगढ़	1,74,100	1,92,624
3.	मैनपुरा कुण्डेरा	2,23,950	1,71,138
4.	खिलचीपुर-रणथम्भोर	88,000	96,176

तखमीने तथा वास्तविक व्यय की राशि में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं हुआ है।

(3) चूंकि काज-वे अभी अपूर्ण ही है अस्तु यह कहना सम्भव नहीं है कि वह सही है या नहीं। सीमेंट तथा डामर उपलब्ध न होने के कारण कार्य पूरे नहीं किये जा सके। अभी इनका उत्तरदायित्व ठेकेदार पर ही है। कार्य पूरा हो जाने पर ही एग्रीमेन्ट के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

(4) जी हाँ। रोड रोलर बोर्ड का ही था। अतः किसी को उसका देने की आवश्यकता नहीं थी। इससे कोई हानि होने का प्रश्न ही नहीं होता।

(265)

बायो-गैस विस्तार योजना

319. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) छठी पंचवर्षीय योजना में प्रदेश में बायो-गैस विस्तार की कोई योजना है ?

(2) यदि हाँ, तो इस पर कितना खर्च करने का प्रावधान है और किस किस जिले में कितना कितना धन किस किस वर्ष में व्यय करने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना में बायो गैस हेतु 61 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। जिलेवार वितरण आवश्यकता अनुसार हर वर्ष किया जावेगा। चालू वर्ष 1980-81 में केवल पांच लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है। इस वर्ष केवल निम्न पाँच जिले इसके लिए चयनित किये गये हैं जिनको उनके सामने अंकित राशि आवंटित की गई है।

1. अजमेर	77,500
2. कोटा	77,500
3. जयपुर	77,500
4. अलवर	77,500
5. स० माधोपुर	77,500
	3,87,500

जनरल एवं जनाना अस्पताल, अलवर में प्रतिनियुक्त नर्सिंग स्टाफ

320. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

अलवर जनरल अस्पताल एवं जनाना अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं ? कृपया नाम व पद सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जनरल अस्पताल अलवर में 21 नर्सिंग स्टाफ डेपूटेशन पर कार्यरत हैं। सूची संलग्न है।

जनरल अस्पताल अलवर में डेपुटेशन पर नर्सिंग स्टाफ की सूची

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पद	डेपुटेशन स्थान
1	2	3	4
1.	श्री वीरेन्द्र कुमार मुद्गल	मेल नर्स श्रेणी II	सामान्य चिकित्सालय, अलवर
2.	श्रीमती पुष्पा देवी	प्रसाविका	,,
3.	श्रीमती विमला देवी	,,	,,
4.	श्रीमती शारदा देवी	,,	,,
5.	श्रीमती किरण देवी	,,	,,
6.	श्रीमती रामा शर्मा	,,	,,

1	2	3	4
7.	श्रीमती कान्ता देवी	प्रसाविका	सामान्य चिकित्सालय,
8.	श्रीमती रामदुलारी	,,	अलवर
9.	श्रीमती सरोज माथुर	,,	,,
10.	श्रीमती शान्ती देवी	,,	,,
11.	श्रीमती मंजूबाला	,,	,,
12.	श्रीमती सुशीला शर्मा	,,	,,
13.	श्रीमती कलावती/नेभराज	,,	,,
14.	श्रीमती सरसम्मा जी०	,,	,,
15.	श्रीमती कलावती	,,	,,
16.	श्रीमती सुरेन्द्र चावला	,,	,,
17.	श्रीमती सौभाग्यवती	,,	,,
18.	श्रीमती कान्ता टोंगड़	,,	,,
19.	श्रीमती डोलीग्रेस	,,	,,
20.	श्रीमती कलावती हुरदनिया	,,	,,
21.	श्रीमती किरण देवी	,,	,,

सिंचित क्षेत्र विकास विभाग कोटा के अधीनस्थ मशीनरी

321. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिंचित क्षेत्र विकास विभाग कोटा के पास कुल कितने करोड़ की कौन कौन सी मशीनें हैं?

(2) क्या इन मशीनों को यांत्रिक अभियन्ता द्वारा न चलाकर, कृषि अभियन्ता द्वारा चलाया जा रहा है? यदि हां, तो तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि इन मशीनों का उपयोग न होने से गत एक वर्ष में अनेकों मशीनें खराब हो गई हैं?

(4) यदि हां, तो कौन कौन सी मशीनें एक वर्ष में किन किन व्यक्तियों से खराब हो गयीं व उसकी मरम्मत में कुल कितना व्यय होगा?

(5) जिन व्यक्तियों से वे मशीनें खराब हुई हैं क्या विभाग उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखता है? यदि नहीं तो, क्यों?

(कृषि मंत्री)

उत्तर

सी० ए० डी० विभाग कोटा के पास कुल 7.31 करोड़ रुपये की 197 मशीनें हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	नाम मशीन	संख्या
1.	ड्रेग लाइन	9
2.	एक्सकेवेटर	20
3.	मोटर ग्रेडर	8
4.	बुलडोजर	33
5.	कालिस क्रेन	1
6.	वीड कटिंग चार्ज	1
7.	एलीवेटिंग स्क्रेपर	13
8.	टेक्ट्रर	79
9.	ट्रिपरर्स	6
10.	ट्रक्स	25
11.	ट्रेक्टर ट्रेलर	1
12.	कमवाईन	1
	कुल	197

(2) मशीनों को न तो यांत्रिक अभियन्ता और न ही कृषि अभियन्ता चलाते हैं बल्कि मशीनों को अधिकृत लाइसेन्स धारक आपरेटर चलाते हैं।

(3) जी नहीं। ऐसी कोई मशीन नहीं है जो उपयोग नहीं होने से गत एक वर्ष से खराब पड़ी हो।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) प्रश्न नहीं उठता हैं।

परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 306 की सूची

डॉ. अम्बालाल राजकीय आयुर्वेद धात्री-कल्पद प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर में वर्ष 1980 में चयनित प्रशिक्षणार्थियों की सूची

1.	श्री पन्नालाल जैन/शान्तिलाल जैन	पाली
2.	श्री कन्हैलाल शर्मा/मालचन्द शर्मा	,,
3.	श्री रामलाल रैगर/हरलाल रैगर	,,
4.	श्री रमेशचन्द्र शर्मा/जगदीशप्रसाद शर्मा	वाड़मेर
5.	श्री कृष्णगोपाल शर्मा/प्यारेलाल	,,
6.	श्री शान्तिदेवी गोड़/जगन्नाथप्रसाद	वून्दी
7.	श्री चन्द्रकला दाधीच/गणेशदत्त	,,
8.	श्री वजरंगलाल टेलर/गोपाल	,,
9.	श्री देवकरण शर्मा/देवीलाल	झालावाड़
10.	श्री परमानन्द मीणा/भंवरलाल	,,
11.	श्री रुकमणीदेवी/द्वारिकालाल	,,
12.	श्री रघुनाथसिंह भील/कन्हैयालाल	,,
13.	श्रीमति कलावन्ती देवी/मोहनलाल	,,
14.	श्री जयराम शर्मा/रामनारायण	,,
15.	श्री हरिपालसिंह/नरेन्द्रसिंह	,,
16.	श्री रोशनलाल नायक/गंगाराम	भीलवाड़ा
17.	श्री रजनीकान्त पत्रिया/दुर्गाशंकर	,,
18.	श्री रामावतार शर्मा/शिवदयाल	,,
19.	श्री श्यामलाल शर्मा/भूरामल	सीकर
20.	श्री भगूराम धायल/कानाराम	,,
21.	श्री रामगोपाल शर्मा/महादेव शर्मा	,,
22.	महावीरप्रसाद शर्मा/विसवेश्वर	,,
23.	श्री वसंतकुमार/देशवन्धु	,,
24.	ललित किशोर लाटा/माधवप्रसाद	,,

269

25.	श्री रमेशचन्द/भूरामल	सीकर
26.	श्री सीताराम योगी/ओंकारनाथ	,,
27.	श्री विष्णुदत्त गुप्ता/बाबुलाल	जैसलमेर
28.	श्री भंवरलाल खटीक/जोधाराम	चुरु
29.	श्री माधवप्रसाद/गोतमदेव	,,
30.	श्रीमति सम्पत सोनी/गोपाल सोनी	,,
31.	श्री भंवरलाल बागड़ी/सागांसिह	,,
32.	श्रीमती कमलेश शर्मा/मुरारीलाल	,,
33.	श्री जयनारायण/गोरुराम	,,
34.	श्रीमती रेशम कुमारी/रामजी	बांसवाड़ा
35.	श्री लक्ष्मणराम/किशनलाल	,,
36.	श्री नखतसिंह/सांगसिंह	जोधपुर
37.	श्रीमती इन्दु ओझा/मोहनलाल	,,
38.	श्री सत्यनारायण खण्डेलवाल/मांगीलाल	,,
39.	श्री रोशनलाल सेठ/मांगीलाल	चित्तौड़गढ़
40.	श्रीमती शारदा देवी/गुटटीराम	झुन्झुनू
41.	श्री हरिमोहनलाल/रामस्वरूप	,,
42.	श्री नरोतमप्रसाद/पूर्णानन्द	,,
43.	श्री ओमप्रकाश/धनपतलाल	,,
44.	श्री सुरेशचन्द/अगोलचन्द	,,
45.	श्री धरणीधर शर्मा/कमलाकर	नागौर
46.	श्री निम्बाराम चौधरी/सूरजकरण	,,
47.	श्री विष्णुदयाल वशिष्ठ/रामेश्वरदयाल	,,
48.	श्रीमती शकुन्तलादेवी/श्यामसुन्दर	उदयपुर
49.	श्री राममूर्ति मिश्रा/हरिबल्लभ	उदयपुर
50.	श्री प्रेमकुमारी/लक्ष्मणसिंह	,,
51.	श्री मदनलाल/मुंशीलाल	,,
52.	श्री प्यारेलाल/मुंशीलाल	,,
53.	श्री कुंजविहारी सिंह/भरत सिंह	डूंगरपुर
54.	श्रीमती मणीदेवी वाटीवदार/देवजी	,,
55.	श्री मोहनलाल भट्ट/अमृतलाल	जालौर

56. श्री व्रजकिशोर शर्मा/राधेश्याम शर्मा	जालौर
57. श्री रामस्वरूप वेनीवाल/खेतराम	गंगानगर
58. श्री शिवप्रसाद शर्मा/ग्यारसीलाल	,,
59. श्रीमति वलविन्दर कौर/वलवन्तसिंह	,,
60. श्रीमति भंवरीदेवी/ईश्वरसिंह	,,
61. श्री जोधाराम/जेटाराम	,,
62. श्री ओमप्रकाश/लालचन्द	,,
63. श्री रघुनन्दन शर्मा/मदनलाल	कोटा
64. श्री जानकीलाल मीना/श्यामलाल मीणा	,,
65. श्री रामप्रसाद/तद्रीलाल	,,
66. श्री अजेकुमार दीक्षित/हरिशचन्द्र	,,
67. श्री शिवराज सिंह/पदमसिंह	टौंक
68. श्री भरतलाल मिश्रा/नाथूलाल	,,
69. श्री हीरालाल मीणा/मुरलीधर	,,
70. श्री रामसहाय शर्मा/पूराराम	,,
71. श्री दशरथलाल पारीक/प्रहलादलाल	,
72. श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा/मदनलाल	,,
73. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा/रामकिशोर	,,
74, श्रीमति मीना राजपाल/महाराजकृष्ण	,,
75. श्री सीताराम शर्मा/राधेश्याम	,,
76. श्री सुभाषचन्द/पांचूलाल	,,
77. श्रीमति सुमित्रा/मदनलाल	,,
78. श्री हनुमान सहाय जाट/चोखाराम	,,
79. श्री गुडाकेश मिश्रा/वंशीधर	,,
80. श्री निरंजन लाल भारद्वाज	,,
81. श्री सत्यनारायण/हनुमानसहाय	,,
82. श्री सीताराम शर्मा/जगन्नाथ प्रसाद	,,
83. श्री राजाराम धर्माधिकारी/प्राणनाथ	अजमेर
84. श्री रमेशकुमार पाल/गंगाराम पाल	,,
85. श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर/हीरालाल	,,
86. श्रीमती चन्द्रकान्ता/वन्शीधर	,,

(271)

87.	श्रीमती कान्ता वच्चाणी/नवलराय वच्चाणी	अजमेर
88.	श्री गजानन्द शर्मा/जमनालाल	,,
89.	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा/प्रभुदयाल	,,
90.	श्रीमती जानकीदेवी/वजरंगलाल	,,
91.	श्री महेशचन्द्र/मुरलीमनोहर	,,
92.	श्री वनवारीलाल/जगदीश नारायण	अजमेर
93.	श्री भागीरथ लाल/गिरिराज प्रसाद	सवाई माधोपुर
94.	श्री महेशचन्द्र/भानुप्रताप	,,
95.	श्री रतनेश कुमार/नारायण लाल शर्मा	,,
96.	श्री केसरीलाल/शंकरलाल	,,
97.	श्री ब्रह्मानन्द/हरगोविन्द शर्मा	,,
98.	श्री रमेशचन्द्र/रामस्वरूपलाल	,,
99.	श्री हजारीलाल कहार/रतनलाल	,,
100.	श्री जमनालाल शर्मा/किशनलाल	,,
101.	श्री कमलेश कुमार/सुरेशचन्द्र	,,
102.	श्री रामकिशोर/प्रसादीलाल	,,
103.	श्री रमेशचन्द्र/गया प्रसाद	,,
104.	श्री दिनेशकुमार/द्वारिका प्रसाद	अलवर
105.	श्री द्वारिका प्रसाद/सोहनलाल	,,
106.	श्री प्रहलादसिंह/मोहरसिंह	,,
107.	श्री नन्दकिशोर/शोभाराम	भरतपुर
108.	श्री दाऊदयाल/राधेश्याम	,,
109.	श्री शान्ति स्वरूप/रामकिशन	,,
110.	श्री तेज कंवर/छीतरसिंह	अजमेर
111.	श्री छीतरमल वंजारा/रामचन्द्र लाटा	,,
112.	श्री ललित कुमार जैन/कन्हैयालाल	,,
113.	श्री राजेन्द्र प्रसाद व्यास/रामेश्वर प्रसाद	,,
114.	श्री महावीर प्रसाद व्यास/गंगाचंद शेखावत	,,
115.	श्री रामगोपाल गोयल/रामस्वरूप गोयल	,,
116.	श्री नवल किशोर शर्मा/सत्यनारायण	,,
117.	श्री वजरंगलाल वागड़ी/मंगलचन्द	जयपुर

118.	श्री बनवारीलाल/रामदेव शर्मा	जयपुर
119.	श्री राजेन्द्र कुमार तिवाड़ी/प्रहलादनारायण	,,
120.	श्री जगदीशनारायण/मोहरीलाल	,,
121.	श्री रामप्रसाद गुर्जर/मन्नाराम	,,
122.	श्री रामस्वरूप शर्मा/चतुरभुज शर्मा	टौंक
123.	श्री नारायण लाल शर्मा/रामजस	,,
124.	श्री बद्रीनारायण/हजारीलाल	,,
125.	श्री शिवजीलाल/मांगीलाल	,,
126.	श्री रमेशचन्द/रामगोपाल पारीक	,,
127.	श्री सत्यनारायण गर्ग/कुन्दनलाल	सवाई माधोपुर
128.	श्री शिवराज गुजर/माधोलाल	,,
129.	श्री अनिलकुमार जैन/धन्य कुमार	,,
130.	श्री जगदीश प्रसाद/रामसहाय	,,
131.	श्री मंगलचन्द्र/सुरेशचन्द्र शर्मा	जालौर
132.	श्री विद्याधर सिंह/मांगीलाल	झुन्झुनू
133.	श्री रामबाबु/सीताराम	भरतपुर
134.	श्री भगवत प्रसाद शर्मा/गंगाधर	सवाई माधोपुर
135.	श्री हनुमान सहाय/बालासहाय	जयपुर
136.	श्री लाड़चिता	अजमेर
137.	श्री चन्द्र शेखर	,,
138.	श्री जेठमल	नागौर
139.	श्री वरधाराम भील	जालौर
140.	श्री चेताराम अलवारिया	नागौर
141.	श्री नाथूलाल सैनी	बून्दी
142.	श्री सवाई सिंह	उदयपुर
143.	श्री बृजमोहन शर्मा	जयपुर
144.	श्री रविदत्त शर्मा	जयपुर
145.	श्री रामनाथ योगी	अलवर

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 307 की सूची

राजस्थान सरकार

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

राजस्थान, जयपुर

विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत वित्तीय आवंटन वर्ष 1980–81

क्रम संख्या	सेक्टर/सब सेक्टर	विशेष केन्द्रीय सहायता वर्ष 1980–81
1	2	3
	कृषि एवं अन्य सेवायें	129·98
1.	भूमि सुधार	35·00
2.	कृषि उत्पादन	6·74
3.	लघु सिंचाई	23·15
	(क) सिंचाई विभाग	20·00
	(ख) भूजल विभाग	3·15
4.	भू संरक्षण	6·57
	(क) कृषि विभाग	6·57
	(ख) वन विभाग	—
5.	पशुपालन	6·96
	(क) पशुपालन विभाग	5·43
	(ख) भेड व ऊन विभाग	1·53
6.	दुग्ध विकास	0·01
7.	मत्स्य पालन	1·73
8.	वन	47·82
	सहकारिता	15·69
	उद्योग एवं अन्य	11·10
1.	उद्योग	11·10
	(अ) रीको	5·00
	(ब) हैण्डलूम बोर्ड	0·50
	(स) राजसिको	5·60
	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें	77·46
1.	शिक्षा	41·53
	(क) प्रारम्भिक शिक्षा	41·03
	(ख) स्काउट्स एवं गाइड्स	0·50

1	2	3
2.	आधुनिक औषधियां	12·63
	(अ) न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम	10·95
	(ब) अन्य कार्यक्रम	1·68
3.	आयुर्वेद	5·65
	(अ) आयुर्वेद विभाग	0·50
	(ब) आयुर्वेद कॉलेज	5·15
4.	जल प्रदाय योजना	2·00
	(अ) ग्रामीण जल प्रदाय योजना	2·00
5.	श्रम एवं श्रम कल्याण	7·75
	(अ) क्राफ्ट्स प्रशिक्षण	6·71
	(ब) नियोजन	1·04
6.	अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जातियों का कल्याण	9·80
7.	समाज कल्याण योजना	0·10
	सामान्य सेवायें	22·26
1.	टी.ए.डी. प्रशासन	19·99
2.	कोर बजट	2·27
	महा योग	256·49

275

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 313 की सूची

उपनिवेशन क्षेत्र के प्रथम चरण में सिंचित-असिंचित भूमि का विवरण

(बीघों में)

क्र. सं.	नाम उपनिवेशन तहसील	सिंचित	असिंचित	योग
1.	हनुमानगढ़	86,641	36,599	1,23,240
2.	नौरंगदेसर	1,09,620	52,088	1,61,708
3.	रावतसर	81,981	45,665	1,27,646
4.	सूरतगढ़ नं. 1	52,954	37,739	90,693
5.	सूरतगढ़ नं. 2	1,09,697	1,70,494	2,80,191
6.	सूरतगढ़ नं. 3	61,953	86,761	1,48,714
7.	रायसिंहनगर	1,65,709	92,278	2,57,987
8.	विजयनगर	1,46,530	54,072	2,00,602
9.	अनूपगढ़	1,90,014	61,585	2,51,599
10.	घड़साना	2,00,382	1,65,884	3,66,266
11.	छतरगढ़ नं. 1	1,95,651	2,36,863	4,32,514
12.	छतरगढ़ नं. 2	2,21,986	2,51,775	4,73,761
13.	पूगल	1,48,713	4,81,802	6,30,515
14.	लूणकरणसर	1,05,988	56,588	1,62,576
15.	बीकानेर	76,498	17,698	94,196
	योग :	19,54,317	18,47,891	38,02,208

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 317 की सूची

कृषि उपज मण्डी समिति, जोधपुर में मण्डी प्रांगणों में निर्मित भवनों एवं पथों के मेन्टीनेन्स के लिए कार्यरत कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	नाम	पद नाम	कार्य ग्रहण करने का दिनांक	वेतन जो दिया जा रहा है
1	2	3	4	5
1.	श्री ओमप्रकाश गहलोत	सहायक अभियन्ता	31–3–73	990/- (750–1350)
2.	,, अभय प्रकाश	मिस्त्री	17–3–73	348.20
3.	,, ओम प्रकाश	,,	17–3–73	348.20
4.	,, मोहन लाल	मेसन	19–8–75	368.20
5.	,, किशन लाल	मेसन	16–3–75	368.20
6.	,, अर्जुन सिंह	फिटर	25–9–74	274.70
7.	,, शिव राम	,,	16–10–75	294.70
8.	,, प्रेम सिंह	वायरमेन	16–10–75	348.20
9.	,, सोहन सिंह	,,	16–10–75	348.20
10.	,, हुकमी चन्द्र	,,	16–6–76	348.20
11.	,, सुरेन्द्र प्रकाश	इलेक्ट्रीशियन द्वितीय	12–2–75	274.70
12.	,, राधेश्याम	मल्टी परपजओटीशियन	1–1–75	274.70
13.	,, कान सिंह	सुथार	6–9–76	294.70
14.	,, गणेश	लुहार	1–5–76	330.00
15.	,, राम दयाल	पेन्टर	22–3–75	274.70
16.	,, सोहन लाल	स्टोर मुंशी	18–7–73	241.70
17.	,, आनन्द प्रकाश	पम्प ड्राइवर	20–3–75	274.70
18.	,, कमल किशोर	हेल्पर	16–8–75	229.00
19.	,, देव सिंह	,,	18–5–73	241.50
20.	,, आनन्द सिंह	,,	17–3–75	241.50
21.	,, गोकुल राम	,,	16–1–75	241.50
22.	,, भंवर लाल	,,	15–7–74	241.50
23.	,, महेश कुमार	,,	16–10–75	229.00
24.	,, वासुदेव सिंह	,,	1–7–76	229.00
25.	,, रेवत राम	बेलदार	28–1–74	223.00
26.	,, मोहन राम	,,	16–10–75	223.00

1	2	3	4	5
27.	,, लच्छी राम	,,	16-8-75	223.00
28.	श्री गजेन्द्र सिंह	वेलदार	16-3-75	235.00
29.	,, रूप सिंह	,,	12-12-74	223.00
30.	,, सुख राम	,,	11-3-75	223.00
31.	,, देवी दास	,,	1-7-76	200.00

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 323 की सूची

नाम जिला	नाम पंचायत समिति	नाम केन्द्र जहां प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये गए	संख्या मशीन जो वितरित की गई
1	2	3	4
उदयपुर	गिरवा	1. सिसरमा	
		2. कानपुर	
		3. चाकरोदा	
		4. देबारी	
	कोटड़ा	1. कोटड़ा	
	धरियावद	1. जवाहरनगर	
		2. धरियावद	
		3. कून	
		4. खमानिया	
		5. लसाड़िया	
	खैरवाड़ा	1. जवाख	
		2. फूदल	
		3. छानी	
		4. नया गांव	
		5. ऋखवदेव	
		6. पहाड़ा	
	झाड़ोल	1. झाड़ोल	4 मशीनें
		2. खाखड़	
		3. मादड़ी	
		4. सुल्तान का खेड़ा	
	चित्तौड़गढ़ :—	जिले के प्रतापगढ़ तहसील में 19 सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र चालू हैं जहां 48 महिलायें प्रशिक्षणाधीन हैं। किसी महिला को सिलाई मशीन वितरित नहीं की गई है।	

(279)

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 325 का विवरण

परिशिष्ट-'क'

वर्ष 1978–79 में लघु कृषक विकास अभिकरण से प्राप्त प्रस्तावों पर लघु खण्ड पीपल्दा-मांगरोल व दीगोद में दी गई स्वीकृति तथा इसके विरुद्ध हुये व्यय से सम्बन्धित सूचना

क्र. सं.	लघु खण्ड का नाम	पंचायत समिति	स्कीम	अभिकरण से प्राप्त प्रस्ताव दी गई स्वीकृति	व्यय राशि
1.	इटावा	इटावा	शिक्षा प्रोत्साहन	14,010/-	8517.76
2.	इटावा	इटावा	अपूर्ण कूप को पूर्ण कराना-ग्राम नारायणपुरा	11,000/-	—
3.	अन्ता	अन्ता	शिक्षा प्रोत्साहन	8,130/-	9899.19
4.	अन्ता	अन्ता	नवीन कूप निर्माण ग्राम मैनपुरिया	11,000/-	—

वर्ष 1979–80

पीपल्दा-मांगरोल व दीगोद

शिक्षा प्रोत्साहन—31350 कोई व्यय नहीं हुआ

क्र. सं.	लघु खण्ड का नाम	तहसील	पं. स.	स्कीम	ग्राम	स्वीकृत राशि	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पीपल्दा-मांगरोल दीगोद	पीपल्दा	इटावा	पेयजल कूप निर्माण	नलावता	24,000/-	—
				—	कवल्दा	5,000/-	—
				—	घाटोली	10,000/-	—
				हैण्डपम्प	मुमैना	5,000/-	—
				कूप निर्माण	मेन्दी	15,000/-	—
				—	सरेड़ा	11,000/-	—
				—	झाडोल	15,000/-	—
				—	कियानवास	15,000/-	—
					योग	1,00,000/-	—

1	2	3	4	5	6	7	8
		मांगरोल	अन्ता	—	कवकाखेडी	10,000/-	—
				—	बलवनखेडी	10,000/-	—
				—	चेनपुरिया	10,000/-	—
					योग	30,000/-	—
		दीगोद	सुल्तानपुर	पेयजलकूप निर्माण	निमोदा	10,000/-	—
				,,	पीपलदासेमल	8,000/-	—
				,,	रामपुरिया	10,000/-	—
				,,	कोटनापुरा	5,000/-	—
					योग	33,000/-	—
		व्यक्तिगत लाभ की योजना				66,592/-	—
		प्राथमिक शाखा				50,000/-	—
					कुल योग	3,10,942/-	—

जहां तक स्वीकृत राशियों के विरुद्ध व्यय का प्रश्न है अभीकरण-स्तर से पंचायत समितियों का अग्रिम रूप से दी जाकर कार्य करवाये जा रहे हैं।

वर्ष 1980–81

निम्न स्कीमों में निम्न राशि की स्वीकृति दी जा चुकी है

क्र.सं.	स्कीम	राशि
1.	शिक्षा प्रोत्साहन	31,680/-
2.	पेयजल योजना हेतु	52,450/-
3.	व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं हेतु	62,950/-
		1,47,080/-

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 1980–81 में 1,53,000/- की स्वीकृति निम्न स्कीमों में जारी करनी शेष है :

1.	प्राथमिक शाला	50,000/-
2.	पेयजल	1,03,000/-
	योग	1,53,000/-

231

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 328 की सूची

शत प्रतिशत अनुदान से गहरे किये गये जनजाति के काश्तकारों के कुओं की सूची
जनजाति क्षेत्र तहसील प्रतापगढ़, जनजाति क्षेत्रीय विकास अभिकरण चित्तोड़गढ़

क्र. सं.	पंचायत समिति	नाम काश्तकार मय जाति	निवास	किये गये कार्य की राशि
1.	प्रतापगढ़	श्रीमाना पिता वक्ता मीणा	हिंगोरिया	852.00
2.	,,	श्रीमती कंकूडी पति हकरीया मीणा	अम्बामाता	1992.00
3.	,,	श्री रामा पिता लाला मीणा	ढलमू	1608.00
4.	,,	श्री ओंकारसिंह पिता देवा मीणा	हिंगोरिया	684.00
5.	,,	श्री चुन्नीलाल पिता लच्छीराम ,,	बगवास	840.00
6.	,,	श्री अमृतराम पिता हरा ,,	बजरंगगढ़	1992.00
7.	,,	श्री भेरा पिता नाथू ,,	बगवास	1320.00
			योग	9288.00
1.	अरनोद	श्री लाम्बीया पिता वालिया मीणा	भूरीघाटी	492.00
2.	,,	श्री भात्या पिता हवजी ,,	भूरीघाटी	516.00
3.	,,	श्री जोरजी पिता भेरा ,,	लालगढ़	252.00
4.	,,	श्री चमना पिता सरदारा ,,	अचलावदा	1320.00
5.	,,	श्री रावजी पिता हूरजी ,,	मचलाया	1344.00
6.	,,	श्री फलीया पिता गमेरा ,,	रातडिया	636.00
7.	,,	श्री नाथू पिता चमना ,,	महूखेडा	168.00
8.	,,	श्री हकरिया पिता रामा ,,	,,	336.00
9.	,,	श्री रकमा पिता दौला ,,	,,	312.00
10.	,,	श्री नगजी पिता हेमन्ता ,,	,,	228.00
11.	,,	श्री कारु पिता किशना ,,	दिवाला	336.00
			योग	5940.00

महायोग 18 काश्तकार राशि 15,228.00